खण्ड-416, अंक-8
सोमवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1917
(31 जुलाई, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–झ
प्रश्नोत्तर	1–6
प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश ...	6
प्रश्नोत्तर	6–88
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	88.90
नियम 301 की सूचनाएं	90
सीतापुर नगर क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड पाटी, गंगोलीघाट और बेरीनाग में भयंकर रूप से संक्रामक रोग के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
मिर्जापुर नगर में व्याप्त पेयजल की गम्भीर संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद पीलीभीत में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत यू० पी० स्टेट एग्रो में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
आगरा महानगर की सड़कों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
वाराणसी महानगर के कई मोहल्लों में सफाई कर्मचारियों के न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
वाराणसी जिला के चकिया तहसील अन्तर्गत बैराठ फार्म एवं मोकरम बेदी की सरकारी जमीन पर वर्षों से खेती करते आ रहे लगभग 300 दलित खेतिहर मजदूरों को बेदखल करने एवं संगीन मुकदमों में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94–94
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	94

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर में एक अनुसूचित जाति के युवक को थाने में बैठाकर प्रताड़ित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	94–96
बसपा एवं भाजपा में मतभेद के फलस्वरूप प्रदेश सरकार के समक्ष संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	96–98
औचित्य के प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	98–99
सदन में बोलते समय असंसदीय अप्रासंगिक आरोपात्मक शब्दों के प्रयोग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	99–113
विशेषाधिकार हनन की सूचना पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी ...	113
जनपद बांदा के ब्लाक बिसण्डा के ग्राम कुसुमा खटौरा पिण्डखर की सड़क लेपन कार्य तथा बबेरू बिसण्डा के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री फूलचन्द्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका	114
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	114–133
सूचनादाता सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को ग्राह्यता पर बोलने पर अवसर न दिये जाने के निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न	133
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	133–170
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 (पारित) ...	170–184
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित ...	184–186
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	187
जनपद फर्रुखाबाद के कन्नौज नगर में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने विषयक श्री बनवारी लाल दोहरे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में वक्तव्य	187–188

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद एटा में बदमाशों द्वारा सहकारी बैंक के तीन लाख रुपये लूटने के संबंध में श्री रमेश कान्त लवानियां, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 18-7-1995 को दी गयी सूचना के संबंध में वक्तव्य ...	188–189
गाजियाबाद नगर में सामूहिक विद्युत आपूर्ति हेतु पावर हाऊसों की संख्या बढाने तथा पुरानी लाइनों को बदलवाये जाने के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में वक्तव्य ...	190–191
जनपद वाराणसी की सेवापुरी ब्लाक के गांवों को प्रशासनिक एवं न्यायिक दृष्टि से जनपद भदोही में सम्मिलित किये जाने के संबंध में श्री रंगनाता मिश्र द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	192–194
नत्थियां	195–199

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 31 जुलाई, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
अखलाख, श्री	मेरठ	उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	ऊषा यादव, श्रीमती	एटा
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली गढ़वाल
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	कोकब हमीद, श्री	मेरठ
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा	गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	गनपत सिंह, श्री	महराजगंज
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर	चन्द्र मणि कान्त, श्री	बहराइच
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	चैनसुख भारती, श्री	जालौन

छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तिलक राज बेहड़, श्री	नैनीताल
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दया सिन्धु शंखधार, श्री	बदायूं
दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द किशोर मिश्र, श्री	देवरिया
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नसीम भाई, श्री	मऊ
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बच्ची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
बावन सिंह, श्री	गोण्डा
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मेवा लाल बागी, श्री	वाराणसी
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रंगनाथ मिश्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, कुंवर	प्रतापगढ़
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	चमोली, गढ़वाल
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर	मेरठ
रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राजेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम करन आर्य, श्री	बस्ती

राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाज कृष्ण गांधी, श्री	सहारनपुर
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव प्रताप शुक्ला, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी, गढ़वाल
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सत्येन्द्र सिंह, श्री	मुरादाबाद
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समई, श्री	आजमगढ़
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्दराज सिंह, कुंवर	बरेली
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद

सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
सियाराम सागर, डा०	बरेली	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर	हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा	हरेन्द्र सिंह ज्ञानी	रामपुर
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़	हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 31 जुलाई, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अतारांकित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु "हायर एण्ड फायर" योजना लागू करने की जानकारी

**1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु "हायर एण्ड फायर" नामक किसी योजना को लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या प्रशासनिक खर्च कम करने, कर्मचारियों में कार्य संस्कृति पनपाने तथा उनमें कार्यदक्षता बढ़ाये जाने आदि हेतु सुझाव के लिये किसी विशेषज्ञ, अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था से सरकार परामर्श कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी और प्रदेश की जनता की चिन्ता इस बारे में है कि जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है दिनोदिन उनकी कार्यक्षमता में गिरावट, काम न करने की प्रवृत्ति उनके अन्दर पनपती जा रही है और दूसरी तरफ जो नई नियुक्तियां हैं उस पर भी रोक लगी हुई है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है, इसको सरकार हटाकर नई नियुक्तियां करना प्रारम्भ करेगी और प्रशासनिक खर्चे कम करने, कर्मचारियों में कार्य संस्कृति पनपाने, उनमें कार्य दक्षता बढ़ाये जाने आदि के लिये सरकार क्या कर रही है ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहला प्रश्न तो इससे संदर्भित नहीं है, मंत्री जी चाहें तो उत्तर दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, माननीय चौधरी साहब ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कार्य संस्कृति की बाबत सुदृढ़ प्रश्न किया है। प्रशासनिक खर्च कम करने के लिये वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 तथा 17 मई, 1995 में अनुपयोगी योजनाओं के फालतू पदों को समाप्त करने, लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल सृजित गैर तकनीकी पदों में से 5 प्रतिशत पद कम करने, नई गाड़ियां सामान्यतः क्रय न किये जाने, टेलीफोन, पेट्रोल, डीजल, फर्नीचर आदि में कटौती करने की पहले से ही व्यवस्था मौजूद है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी से कृपा पूर्वक यह उत्तर देने के लिये कहें, जो एक तरफ बढ़ी बेराजगारी है कम से कम शिक्षित बेरोजगारों को कम करने के लिये, इनमें कमी लाने के लिये यह आवश्यक है कि नई नियुक्तियां की जायं तो क्या सरकार नई नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो उससे अलग है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, वैसे तो दीक्षित जी भिज्ञ हैं और चाहें तो उत्तर दे सकते हैं इससे तमाम बेरोजगारों की आशा जुड़ी हुई है नई सरकार आई है और यह सरकार उनके जीवन से अंधकार दूर करके नई रोशनी लायेगी ? यदि मंत्री जी चाहें तो इसका उत्तर दें दें।

दूसरा एक प्रश्न और है कि माननीय मंत्री जी ने भी अपनी चिन्ता प्रकट की थी कि स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकारी नहीं मिलते, कर्मचारी नहीं मिलते और मिलते भी हैं तो वह संवेदनशील नहीं है जिसके लिए लोगों को भाग भागकर लखनऊ दौड़ लगाना पड़ता है, इसलिए मैं उस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जो चिन्ता सरकार ने जताई है तो उस चिन्ता को कम करके और जनता को उससे मुक्ति दिलाने के लिए और उससे जुड़ी कार्य संस्कृति में सरकार क्या कर रही है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने पहले तो यह प्रश्न किया था कि यह हायर एण्ड फायर योजना लागू करने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं तो मैं जितनी उनकी मंशा को समझ पाया हूं तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में हायर एण्ड फायर प्रणाली है। उसमें अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसी स्थिति पैदा करता है कि उसके ऊपर का अधिकारी उसकी कार्यक्षमता या उसके किये गये कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्दिष्ट करता है कि आपका काम खत्म है अब आपको आने की आवश्यक्ता नहीं है, मा० श्याम देव जी का यही सुझाव था यहां पर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हो सकता है ताकि अधिकारी जवाबदेह हो या कर्मचारी जवाबदेह हो। श्रीमान हमारे यहां संविधान के अनुच्छेद 311(2) में कहीं ज्यादा संरक्षण इन लोगो को दिया गया है। इसलिए हमारे यहां अधिकारी कर्मचारी की पूरी जांच कराई जायेगी। पूरी समीक्षा की जायेगी बगैर यह सब किये न तो उसे निलम्बित कर सकते हैं और न ही अक्षम बताकर फायर कर सकते हैं, न वापिस कर सकते हैं। श्रीमन् नियमित

नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं है। चूंकि यह आपकी पहली सरकार आई हैं और प्रश्न जिस प्रकार से होते हैं उनके उत्तरों से ही बहुत अधिकारी कर्मचारी ठीक हो रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा

मान्यवर, इस समय प्रदेश में किन किन संवर्गों में नियुक्ति पर रोक लगी हुई है। उस रोक को हटाने के लिए शासन से कोई प्रयास किये जा रहे है अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष

इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा

मान्यवर, प्रदेश में बहुत से विभागों में जगहें खाली हैं और उससे कार्य प्रभावित हो रहा है पर उनकी ओर से कोई संकेत नहीं किया है. मान्यवर, इन रिक्त पड़े पदों को भरने के लिये नियुक्ति पर से रोक हटाना लाजिमी बन जाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किन–किन संवर्गों में रोक लगी हुई है और उसको हटाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित

मान्यवर, जो कार्य करने में अक्षम हैं उनको हटा दिया जाय, जो मंशा थी माननीय चौधरी जी की प्रश्न में। मान्यवर, जो रोक से सम्बन्धित प्रश्न उठाया है, उसकी पहले से कोई सूचना मूल प्रश्न की भावना में होती तो उसकी भी तैयारी हो जाती। मान्यवर, जैसा कि पहले बताया कि नो नियमित नियुक्तियां है उनमे कोई रोक नहीं है।

प्रदेश में पेराई सत्र 1994–95 का गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की जानकारी

**2–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में किसानों का 1994–95 पेराई सत्र का गन्ना मूल्य बकाया है? यदि हां, तो कितने करोड़ रुपये किसानों का बकाया है? इस बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु सरकार क्या उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्यामलाल यादव)–

जी हां

दिनांक 15-7-95 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1994 95 का 141.47 करोड़ रुपये बकाया है।

गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की पाक्षिक समीक्षा करके बकायेदार मिलों पर शीघ्र भुगतान हेतु दबाव डाला जा रहा है एवं राज्य सरकार द्वारा चीनी निगम की चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रुपये 20.00 करोड़ की स्वीकृत प्रदान करने की निर्णय लिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, दिनांक 15-7-95 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1994-95 का 141.47 करोड़ रु० बकाया है, इसकी शासन की स्वीकारोक्ति है। पिछले दिनों तमाम सवाल आ भी चुके हैं और माननीय मंत्रिगणों ने उनके उत्तर भी दिये हैं। क्या उत्तर प्रदेश में यू० पी० शुगर सप्लाई ऐक्ट में यह प्राविधान है कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करें ? यदि सुनिश्चित न करें तो ब्याज के साथ भुगतान करने का प्राविधान है। तो इस ऐक्ट के हिसाब से गन्ना किसानों का, जिनका 15 दिन से ऊपर 147 करोड़ रु० का बकाया है, उनको वह बकाया ब्याज सहित दिलाने पर सरकार विचार करेगी ?

मान्यवर, जो जानकारी है, गन्ना आयुक्त ने इस वर्तमान सत्र में शासन को अपनी प्रबल संस्तुति अग्रसारित की है कि 15 दिनों के अन्दर गन्ना मिलों से किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय अन्यथा ब्याज भी दिया जाय और यदि इसका पालन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो आर० सी० की कार्यवाही करके, कुर्की की कार्यवाही की जाय। गन्ना आयुक्त ने जो शासन को संस्तुति दी है, उसको सदन के पटल पर रखने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, ऐक्ट के मुताबिक यह व्यवस्था है किन्तु अभी तक इसे व्यवहारिक रुप में पीछे से कभी नहीं लिया गया है। इसलिये हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जल्द से जल्द गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करा दिया जाय। मान्यवर, इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं अभी तक पाक्षिक समीक्षा होती रही है लेकिन पहली अगस्त से इसे हमने साप्ताहिक कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की दो जिज्ञासायें हैं। एक तो यह कि जो 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ है उसमें क्या सरकार ब्याज देगी और दूसरा यह है कि गन्ना आयुक्त ने कोई संस्तुति इस संदर्भ में सरकार के पास भेजी है ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, जब से पेराई सत्र शुरू हुआ है तब से किसानों का बकाये का भुगतान कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। यदि भुगतान नहीं हो पाता है तो हम रिकवरी सर्टिफिकेट देने पर विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह जो गन्ने का बकाया है इसमें वह बकाया भी जुड़ा हुआ है, जो जानकारी सदन में आती है ? जहां मिलों का अधिग्रहण कर लिया है, इसको देने से पहले किसानों का जो बकाया था तो सरकार कहती है कि हम तो देंगे नहीं और मिल मालिक कहते हैं कि पहले वाली सरकार ने ले लिया। उदाहरण के लिये महरौली और हरदोई की चीनी मिल है यह मेरे क्षेत्र की है तो इसके लिये शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? और दूसरा यह कि क्या गन्ना आयुक्त ने कोई संस्तुति, जहां पर निजी चीनी मिल होती है इनकी अदायगी की जिम्मेदारी

सरकार की नहीं होती है वह चीनी मिल मालिकों पर होती है तो उनसे पैसा प्राप्त करने के लिये, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के लिये, सरकार की कोई नीति है ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, निजी क्षेत्र की जो चीनी मिलें हैं उसमें विगत वर्ष मे 2.90 प्रतिशत का बकाया है वह बहुत कम है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका जल्दी से जल्दी भुगतान करायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जो रिसीवरशिप बकाया है पहले से उसके संबंध में शासन ने कोई योजना बनायी है ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, इस संबंध में अभी तक कोई नीति का निर्धारण नहीं हुआ है किन्तु हम उनके गन्ना मूल्यों का भुगतान कराने के लिये प्रयास कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

ठीक है मान्यवर, इनकी तरफ से आश्वासन आ गया है और यह आश्वासन बन गया है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी हमारे मा० पाल जी ने कहा था कि यू० पी० शुगर सप्लाई ऐक्ट में यह है कि अगर 15 दिन में भुगतान नहीं होता है तो ब्याज देना होगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पूर्व की सरकारों में यह व्यावहारिक नहीं रहा इसलिये इस सरकार में भी व्यावहारिक नहीं हो पा रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि पूर्व की सरकारों ने जो गलती की तो इस सरकार ने भी उसी गलती को दोहराने का काम किया है। 15 दिन की जो योजना है उस पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है, उसकी घोषणा करेंगे ? और दूसरा यह है कि चीनी निगम ने यह निर्णय लिया है कि जो बकाया है उनका जो पैसा है उसका भुगतान किया जायेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 13 चीनी मिलें सरकार बेचने जा रही है उन चीनी मिलों पर किसान का जो बकाया है क्या उसका भी भुगतान किया जायेगा ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, जहां तक ऐक्ट के मुताबिक ब्याज दिये जाने का प्रश्न है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने गन्ने का मूल्य 39.10 पैसा निर्धारित किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 66 रुपये से 70 रुपये तक निर्धारित किया है, इस प्रकार सरकार गन्ने का अधिकतम मूल्य दे रही है, इसलिये ब्याज देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी दो स्पष्ट सवालों का जवाब देने से मुकर रहे हैं। एक तो सवाल यह है कि जो बकाया है किसानों का, वह चूंकि 15 दिन के अन्दर भुगतान हुआ नहीं, तो उसे ब्याज सहित भुगतान करायेंगे और दूसरी बात, कि क्या गन्ना आयुक्त ने कोई संस्तुति भेजी है कि मिल मालिकों के

खिलाफ आर० सी० जारी करके वसूली करके किसानों का भुगतान कराया जाये, इस संबंध में सरकार की क्या नीति है, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य दो बातें स्पष्ट तौर से जानना चाहते हैं, क्या जो 15 दिन के अन्दर भुगतान नहीं हुआ है, सरकार उसे ब्याज सहित दिलायेगी और दूसरा कि क्या आयुक्त ने कोई ऐसी संस्तुति की है कि चीनी मिलों के ऊपर आर० सी० जारी करके, रिकवरी करके जिन किसानों का बकाया है, उन्हें भुगतान कराया जाय ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा है कि आयुक्त के माध्यम से हम पाक्षिक समीक्षा अब तक करते रहे हैं.....

श्री राम आसरे वर्मा–

आर० सी० जारी करने की संस्तुति आयी है या नहीं, स्पष्ट जवाब दें।

प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा शासन का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य इन सवालों का स्पष्ट जवाब जानना चाहते थे। गन्ना किसानों का मामला है, यदि आपके पास स्पष्ट उत्तर उपलब्ध है, तो स्पष्ट उत्तर देना चाहिए अन्यथा आपको तैयारी करके आना चाहिए। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि नियम–49 के तहत लिखकर दे दें, मैं इस पर विचार कर लूंगा।

माननीय सदस्यों के इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए मैंने इस पीठ से निर्देश दिया है कि नियम–49 के तहत आप लिखकर दे दें, यद्यपि आप लोगों ने मांग नहीं की है, मैं इस पर विचार कर लूंगा। उसमें आप लोगों को भी काफी समय मिलेगा और सरकार भी अपना पक्ष रख सकेगी।

[सोमवार, दिनांक 31 जुलाई, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में 'ब' श्रेणी की अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्थायी मान्यता दिये जाने का मापदण्ड

*1–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार के शासनादेश हैं कि जूनियर हाई स्कूल की "ब" श्रेणी की अस्थायी मान्यता के संबंध में निर्धारित माप के कमरे न हों तो छात्र संख्या निर्धारित कर मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही की जाये व प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिये ऐसे भवन शौचालय खेलकूद के मैदान एवं साज-सज्जा की व्यवस्था करनी होगी ? यदि हां, तो क्या लखनऊ अकादमी जू० हा० स्कूल लखनऊ में "ब" श्रेणी की मान्यता के आवेदन पत्र पर उपरोक्त कमियां इंगित कर मान्यता रोकने की कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय ने सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों को मान्यता क्यों नहीं प्रदान की गयी ?

क्या मंत्री जी विद्यालयों को मान्यता हेतु तत्काल निर्देश देते हुए दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–217/15-6-92-18एस(7)/89, दिनांक 11 मई, 92 में "ब" श्रेणी की मान्यता हेतु 30×20 माप का लिण्टर पड़ा हुआ विज्ञान कक्ष होने पर शिक्षा कक्षों की माप के अनुसार छात्र संख्या निर्धारित कर छूट देने का प्राविधान है ।

जी हां ।

विज्ञान कक्ष निर्धारित माप का न होने एवं भूमि पर विद्यालय का स्वामित्व न होने के कारण मान्यता प्रदान नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

भूमि का स्वामित्व विद्यालय के नाम न होने तथा विज्ञान कक्ष निर्धारित माप का न होने के कारण संस्था मान्यता की औपचारिकतायें पूर्ण नहीं करती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, यह जो प्रश्न हमारा था, उस पर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके संबंध में सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि विगत समय से ऐसा चल रहा है कि जो भी प्रश्न किया जाता है, उसका उत्तर गलत आता है.....

श्री अध्यक्ष–

यदि उत्तर गलत आता है तो इसके लिये अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश निर्गत हैं, उसके अन्तर्गत आप लिखकर दे दें, मैं परीक्षण करा लूंगा । आप अनुपूरक सवाल पूछें ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रायः यहां उत्तर मिलते हैं, जो हम देखते हैं, इसमें भी उसी प्रकार से उत्तर दे दिये गये जिनका कोई औचित्य नहीं है । एक ओर यह स्वीकार करते हैं कि यहां पर यदि किसी कमरे की माप थोड़ी कम है तो छात्र संख्या निर्धारित कर दी जाये, उसके आधार पर मान्यता दे दी जाये । दूसरी ओर यह कहते हैं कि विज्ञान कक्ष निर्धारित माप से कम था, मेरा निवेदन है कि यदि विज्ञान कक्ष का माप थोड़ा कम है, तो छात्रों की संख्या निर्धारित कर दी जाती और उसके आधार पर मान्यता दे दी जाती । केवल इस आधार पर मान्यता लटकाना उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये, भाषण मत दीजिये ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, प्रश्न ही पूछ रहा हूं । क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यदि वहां पर कमरा ठीक बना है, लेकिन उसके मापदण्ड में कमी आ गयी है तो क्या उसके लिये छात्र संख्या निर्धारित करके अस्थायी मान्यता नहीं दी जा सकती ? दूसरा प्रश्न यह है कि यह बिल्कुल झूठ कह दिया गया कि भूमि नहीं थी । भूमि के लिये तो उसमें शपथ-पत्र लगा हुआ है कि यह भूमि इस विद्यालय के नाम निश्चित की गयी है, ट्रांसफर कर दी गयी है । अगर आप इसकी कार्यवाही को पढ़ें तो 2 मई, 1994 को मीटिंग हुई, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, उसमें उनसे दो बातें पूछी गयीं, उसका उत्तर दे दिया गया, सारी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी गयीं, सारे नियमों का पालन किया गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सारी औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने के बाद भी मान्यता को क्यों लटका दिया गया ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह नियम तो बहुत पहले से हैं । मा० शुक्ल जी को खुश होना चाहिए कि हम लोगों ने जो छात्र संख्या के बारे में कहा गया है, उसमें रिलैक्स किया है, पहले काफी प्रतिबन्ध था । लेकिन मान्यवर, एक चीज के लिये वह एश्योर्ड हैं और यह नीतिगत मामला है, विज्ञान कक्ष में अगर जरा भी कमी होगी तो मान्यता नहीं दी जायेगी भले ही सारी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हों । विज्ञान कक्ष के लिये निर्धारित लम्बाई-चौड़ाई होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इस विद्यालय को आगे हाईस्कूल, इंटरमीडिएट तक ले जाया जाये । जहां तक स्वामित्व की बात कहते हैं तो मान्यवर, एक कागज लिये हूं अगर कहें तो बता दूं ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि फाइल मंगा लें, उसको देख लें उसमें हलफनामा लगा है, भूमि दी गयी है । अधिकारियों द्वारा कागज गायब कर दिये जाते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सवाल कुछ है, जवाब कुछ दे रहे हैं । अभी मंत्री जी यहां पर विज्ञान कक्ष की लम्बाई-चौड़ाई का ब्यौरा दे रहे थे । इस विद्यालय को मान्यता देने का जो आब्जेक्शन लगा है उसमें विज्ञान कक्ष का कोई आब्जेक्शन नहीं है, न विज्ञान कक्ष के सिलसिले में कोई बात थी लेकिन यहां पर जो जवाब दिया गया उसमें विज्ञान कक्ष की लम्बाई-चौड़ाई को देखकर आब्जेक्शन लगा दिया गया, विद्यालय भवन या भूमि प्रबन्ध को ले करके नहीं था । दूसरी बात मान्यवर, जो शासनादेश है, शासनादेश में आब्जेक्शन विज्ञान कक्ष का नहीं है, शासनादेश यह है कि व्यवस्था की जायेगी । वहां पर बहुत से लोग किराये का मकान लेकर आज भी स्कूल चला रहे हैं और मान्यता भी मिली हुई है, बहुत से पट्टे पर, लीज पर लिये हुए हैं, वह व्यवस्था है लेकिन जो शासनादेश में व्यवस्था की बात की गयी है उस व्यवस्था को इन्होंने पूरा किया है और उसमें यह भी कहा है कि अगर और भी व्यवस्था की जरूरत होगी तो की जायेगी । शपथ-पत्र भी इन्होंने दाखिल किया है । इस विद्यालय के पास व्यवस्था है । इस

जो निरीक्षण हुआ है उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आयी है । शासनादेश का पेट आपकी निरीक्षण रिपोर्ट ने भर दिया है । निरीक्षण रिपोर्ट में व्यवस्था है कि विज्ञान कक्ष का कोई आब्जेक्शन नहीं है फिर भी इसको मान्यता दिये जाने का प्रकरण लटका कर रखने में शासन को क्या दिलचस्पी है ? यह समझ में नहीं आता । माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि क्या नियमों के भीतर अगर कहीं कोई कमी है तो उन नियमों को शिथिल करते हुए मान्यता देने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने जो आपत्तियां अभी पढी, उससे सब स्पष्ट है । निर्धारित कमरे नहीं हैं, लड़के के नाम पर जमीन है, स्वामित्व अभी विद्यालय के नाम पर हुआ नहीं है । जब निर्धारित माप के कमरे नहीं हैं तो उसमें विज्ञान वाला कमरा भी आयेगा । लड़कों की संख्या को हम रिलेक्स कर सकते हैं । स्वामित्व के मामले में भी हम रिलेक्स कर सकते हैं । चूँकि इस स्कूल को बाद में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट बनाना है तो फिर अलग से दूसरा विज्ञान कक्ष नहीं बनाया जायेगा । अगर आप दूसरा विज्ञान कक्ष बनवा दें तो हम मान्यता दे देंगे ।

श्री जगदबिका पाल -

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस विद्यालय को 9 (4) में मान्यता देंगे ? दूसरा, मान्यता देने से पहले आपकी डी.आई. ओ.एस. की टीम निरीक्षण के लिए जाती है । तो वह निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ? क्या उस निरीक्षण रिपोर्ट में मान्यता दिये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है ?

श्री सुखदेव राजभर -

मान्यवर, जूनियर हाईस्कूल की मान्यता से संबंधित यह सवाल है । इसमें समितियां बनी हुई हैं । "अ" श्रेणी की मान्यता इलाहाबाद से दी जाती है और "ब" श्रेणी की मान्यता मण्डलीय स्तर पर दी जाती है । 9(4) का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

इन्जीनियर राम लोटन सिंह पटेल -

मान्यवर, जिस स्कूल की मान्यता का, यह प्रश्न चल रहा है, इससे संबंधित जो डाक्यूमेन्टस जमा कर दिये गये है, उन्हें अधिकारियों ने जानबूझकर गायब कर दिया है । जो क्या माननीय मंत्री जी पत्रावली मँगवाकर ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जब किसी की गलती नहीं तो किसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़े गोपनीय पेपरों का पता लगा लिया कि वे चोरी हो गये हैं । जब माननीय सदस्य इतना ही जानते हैं तो कृपा करके वह कमरे की माप का भी पता लगा लें कि कमरा निर्धारित मानकों के हिसाब से हैं कि नहीं हैं ।

श्री ऊदल–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं का ख्याल करते हुए और इस बात को देखते हुए कि प्रत्येक शहर में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो किराये के भवनों में चल रहे हैं, जिनके नाम पर न तो जमीन है और न स्वामित्व उनके नाम पर है । इसलिये माननीय मंत्री जी प्रश्नगत विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल में "बी" श्रेणी की मान्यता प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, वरिष्ठ माननीय सदस्य ने बताया कि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो निजी मकानों में चल रहे हैं । ऐसी सूचनायें हमको मिलती रहें तो हम ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जब तक विद्यालय के नाम पर जमीन का स्वामित्व न हो जाय । दूसरी बात जो रिलैक्सेसन करने की बात है उसमें हम छात्र संख्या कक्षाओं की लम्बाई चौड़ाई को रिलैक्स करने के लिये तैयार हैं लेकिन विज्ञान कक्षों की लम्बाई चौड़ाई में कोई रिलैक्सेसन नहीं करेंगे क्योंकि यह कल को हाईस्कूल और इण्टर तक जायेगा अगर छोटे कमरे बना देंगे तो इंस्ट्रूमेन्ट आदि रखने में कठिनाई होगी इसलिये विज्ञान कक्ष में कोई कमी नहीं आनी चाहिए ।

प्रदेश में "सभी के लिये शिक्षा परियोजना" के तहत कृत कार्यवाही एवं प्रगति की जानकारी

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "सभी को शिक्षा" कार्यक्रम क्या है ? इसके अन्तर्गत अब तक कौन से कार्य किये गये हैं ? इसकी प्रगति क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

विश्व बैंक सहायतित "उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना" बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत क्षमता की वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और पूर्णता तथा पहुंच के विस्तार पर केन्द्रित है ।

योजनान्तर्गत 621 प्राथमिक, 289 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, 139 एकल कक्षा-कक्ष, 37 दो कक्षा कक्ष, 1253 शौचालय, 1196 हैण्डपम्प, 15 विद्यालय संकुल भवन तथा 163 ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण कराया गया है ।

वर्ष 1994-95 में 12,100 अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण कराया जा चुका है । इसके अतिरिक्त सात परियोजना जनपदों व एक कन्ट्रोल जनपद में बेस लाइन सर्वेक्षण, प्रत्येक परियोजना जनपद के तीन विकास खण्डों में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रो प्लानिंग, प्रत्येक परियोजना जनपद के एक विकास खण्ड में कक्षा–8 तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, बालिकाओं के लिये कार्यानुभव, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा निर्बल वर्ग की बालिकाओं के लिये छात्रवृत्ति, 2 जनपदों में महिला समाख्या कार्यक्रम तथा कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबन्धन प्रणाली के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रबन्धन और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । परियोजना कार्यक्रमों के संबंध में "शैक्षिक प्रेक्षक" समाचार पत्र तथा "संकल्प" पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के लागू होने के बाद से जो ड्राप आउट्स की समस्या रही है वह इस योजना के लागू होने के पूर्व और लागू होने के बाद क्या प्रतिशत रहा है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी आयी है ? दूसरा यह कि इस कार्यक्रम का जो 1994-95 में लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया जा सका है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जैसा कि योजना का लाभ उन्हें दिया जाता है जो कुछ समय विद्यालय आते हैं फिर पठन-पाठन पूरा नहीं कर पाते हैं बीच में छोड़ कर चले जाते हैं, संरक्षक छुड़ा देते हैं तो उनको लाभ देने के लिये यह योजना है। यह पुस्तिका है जिसमें सूचना पूरी दी है उसकी एक कापी मैं माननीय चौधरी जी को दे देता हूं।

यह योजना विश्व बैंक द्वारा संचालित है। इसमें अभी तक 728 करोड़ 60 हजार विश्व बैंक ने दिया है उसका 13 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा है। जो पैसा अब तक खर्च हुआ है 52 करोड़ 44 लाख है। 1993-94 में 5 करोड़ 45 लाख 55 हजार और 1994-95 में 38 करोड़ 89 लाख 60 हजार खर्च हुआ है। हमारे यहां से योजना जनपदों को भेजी जाती है। हर जनपद में योजना जाती है कि इतना प्रशिक्षण देंगे। हर वर्ष जनपद के लोग डिमांड करते हैं। जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तभी पैसा रिलीज किया जाता है। आपके जनपद में भी योजना चल रही है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो ड्राप आऊट्स की समस्या है तो सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम लागू होने के बाद से इसका प्रतिशत क्या रहा, तो क्या ड्राप आउट का प्रतिशत गिरा है, बढ़ा है या स्थिर है ?

श्री सुखदेव राजभर–

यह बढ़ा है इस योजना में।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जहां यह योजना चल रही है उसमें हमारा एक सीतापुर जनपद भी है, इस योजना में कुछ आम व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं तो क्या आप उनके निवारण के लिये कोई योजना बनाने की कृपा करेंगे ? इसमें प्रायः प्रथम तो स्थल चयन के बारे में समस्या आती है, प्रधान का राजनैतिक कारणों से बहुधा विरोध होता है, तो ऐसे मौके पर किसी शासकीय अधिकारी पर यह छोड़ दिया जाया करे कि वह इस विवाद में हस्तक्षेप कर अपना निर्णय दिया करे और वह मान्य हुआ करे। दूसरी बड़ी भारी समस्या यह आती है – आपने शर्त लगा दी कि सर्वे में जो आये होंगे, तो यह सर्वे 9–10 वर्ष पहले हुआ था, मैं उस समय इस समिति में था और उस समय भी मैंने यह आपत्ति की थी कि शिक्षा सलाहकार समिति किसी गांव को सुझाव देती है तो इससे भिन्न पर विचार करना छात्रों एवं शिक्षा के हित में होगा और आज यह 10 जिलों में योजना है, तो क्या इसका विस्तार करने की क्रोई योजना है? यदि है, तो कितने जिलों का लक्ष्य है ?

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य की पहली कठिनाई वाली बात सही है, रोजाना लोग हमसे इस तरह की समस्या के बारे में मिलते जुलते रहते हैं। आज मैंने सचिव को बुलाया था इसी मुद्दे के उपर, यह स्थल चयन की बात बदलती रहती है, कभी बी० एस० ए० ने बदल दिया, जबकि गाइडलाइन गयी है कि जो अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं उनमें किया जाय। इसके लिये मैंने बात किया है और यह निर्णय लिया जा रहा है कि सम्मानित विधायक भी उसमें बैठें। इस पर हम विचार कर रहे हैं और

बहुत ही जल्दी निर्णय आपको मालूम हो जायेगा। सर्वे के बारे में कहा है, यह एक गाइडलाइन थी कि सेवित गांवों में किया जाये। लेकिन जहां पर अब तमाम दूसरे माध्यमों से विद्यालय बन गये हैं, तो वहां पर शिक्षा समिति और हमारे लोग बैठकर एक निर्णय लें कि जो सेवित गांव होंगे उसके लिये करेंगे। हम एक पालिसी बनाने जा रहे हैं, हम इसके लिये प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में जो सेवित गांव हैं, वहां पर यह बनाये जायें।

जनपद पड़रौना में वि० ख० खड्डा में प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु दिये गये धन का दुरुपयोग करने का आरोप

*3–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद पड़रौना के विकास खण्ड–खड्डा अन्तर्गत दियारा क्षेत्र मरचहवां में वर्ष 1988-89 में नये प्रकार का प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु रुपये 90 हजार केन्द्राध्यापक श्री धनुषधारी राय को मिला था वह संयुक्त खाते में जमा हुआ या नहीं ? क्या यह सत्य है कि पुराने ढांचे के ही विद्यालय को नये प्रकार का दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

वर्ष 1988-89 में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु 90 हजार रुपया स्वीकृत नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० सरजीत सिंह डंग–

90 हजार रुपया स्वीकृत नहीं हुआ है तो क्या इससे अलग कोई धनराशि इस विद्यालय को भवन निर्माण हेतु स्वीकृत हुई है ? यदि हुई है तो वह कितनी थी और क्या यह नियमानुसार संयुक्त खाते में जमा हुई थी या नहीं हुई थी ?

श्री सुखदेव राजभर–

पहले तो माननीय सदस्य अपने मन से यह भ्रम निकाल दें, क्योंकि वर्ष 1989-90 के बाद यह संयुक्त खाते की योजना लागू हुई थी और यह सवाल 1988-89 के बारे में पूछा जा रहा है। पहले 50 परसेंट शिक्षा विभाग और 50 परसेंट हम देते थे एन० आर० इ० पी० में। यहां पर 66.200 रुपया पहले था, वहां पर उस समय 1988-89 में बना पुराना ही चल रहा था। इसमें प्रधान पर आप शंका न करें कि उसने रख लिया होगा, क्योंकि यह योजना तो 1988-89 में जारी हुई थी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या भवन निर्माण के लिये कोई धनराशि 1988-89 के वर्ष में स्वीकृत हुई थी और हुई थी, तो वह कितनी थी ?

श्री सुखदेव राजभर–

1989-90 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई । 1989-90 के बाद ज्वाइन्ट खाता खुला । 1988-89 में 66 हजार 200 रुपये स्वीकृत हुए थे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह धनराशि पुराने भवन को ठीक करने के लिये दी गयी थी या नया भवन बनाने के लिये दी गयी। यह किस मद के लिये स्वीकृत की की गयी थी ? वहां पर पुराना भवन बना हुआ था वही खड़ा रहा, लोगों ने पैसा खा लिया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये जांच करायेंगे और दोषी पाये जाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

1988-89 में आर० ई० एस० विभाग भवन बनवाते थे प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य से मिलकर । 50 प्रातिशत शिक्षा विभाग और 50 प्रतिशत एन० आर० ई० पी० से डी० एम० व्यवस्था करते थे । यह धनराशि भवन निर्माण के लिये दी गयी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

सवाल यह नहीं है कि भवन निर्माण एन० आर० ई० पी० या आर० ई० एस० में से कौन करवाता था और कौन नहीं । मेरा प्रश्न यह है कि यह जो धनराशि विद्यालय भवन निर्माण हेतु दी गयी उससे कोई भवन नहीं बनाया गया है । वहां पर पुराना भवन पहले से ही खड़ा है और यह धनराशि कतिपय केन्द्राध्यापक श्री धनुषधारी राय थे उनके द्वारा खर्च कर ली गयी । माननीय मंत्री जी अपनी विद्वता से सारे प्रश्न को ही बदल दे रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भवन का निर्माण तो किया गया नहीं उल्टे सारे पैसे को हड़प कर लिया गया है । क्या मंत्री जी केन्द्राध्यापक श्री धनुषधारी राय को दोषी पाये जाने पर दण्डित करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, चार बार बता चुके हैं कि भवन बना है ।

शाहजहांपुर जनपद के विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में कठिनाई के निराकरण हेतु डबल शिफ्ट योजना का प्रस्ताव

*4–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर में कक्षा–6, कक्षा–9, कक्षा–11 में छात्रों के प्रवेश की कठिनाई को दूर करने के लिये कितने विद्यालयों में डबल शिफ्ट लागू करने की सरकार की योजना है ? इसकी घोषणा कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्तमान में किसी विद्यालय में डबल शिफ्ट की योजना लागू नहीं है ।

डबल शिफ्ट का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरे इस प्रश्न का आशय मान्यवर, यह है कि शाहजहांपुर में कक्षा–5, 8 और 10 में पास होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है और अग्रिम कक्षाएं कक्षा–6, 9 और 11 में प्रवेश के अवसर कम हैं। इसलिये मैंने यह प्रश्न पूछा है और माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डबल शिफ्ट लागू करने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर आ गया है कि डबल शिफ्ट योजना शासन में विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शासन के विचाराधीन होने से क्या होता है, इस तरह से तो शैक्षिक सत्र निकल जायेगा। एक जुलाई की 31 तारीख बीत गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि फिलहाल तत्काल माननीय मंत्री जी कक्षा 6, 9 और 11 में कोई भी छात्र जो प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा, ऐसी व्यावस्था करेंगे ? मान्यवर, यह अकेले शाहजहांपुर की ही समस्या नहीं है, यह अनेक जनपदों की समस्या है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक कक्षा–6 का सवाल है उसमें ऐसी समस्या नहीं है लेकिन कक्षा 9 और 11 के लिये सवाल उठाया गया है, उनकी समस्या है। हम इतना करने जा रहे हैं कि $3\,3\frac{1}{2}$ सौ विद्यालयों को वित्तीय विहीन मान्यता दी गई। इस साल इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि पत्राचार से पढ़ने की व्यवस्था हो सके। हाईस्कूल, इण्टर और बी०ए० के लिये ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं आया है। सहारनपुर से ही नहीं यह पूरे प्रदेश से संबंधित मामला है। इस पर माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें। इस बार जो प्रवेश लेने वाले छात्र हैं उनको प्रवेश मिल जाएगा।

श्री राम स्वरूप सिंह–

यह किसी एक क्षेत्र की नहीं सारे प्रान्त में यह स्थिति भयंकर रूप से है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछें।

श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या मंत्री जी इस स्थिति से निपटने के लिये कोई योजना बनायेंगे ताकि आने वाले समय में यह समस्या समाप्त हो जाए या कोई इस तरह की योजना बन रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय सदस्य ने प्रवेश के बारे में कहा मैं बताना चाहूंगा कुछ विद्यालय प्रबन्धकीय हैं कुछ विद्यालय राजकीय हैं। राजकीय विद्यालयों में भीड़ लग रही है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं गुप्ता जी उस वक्त थे कि जो लड़के पढ़ना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह से व्यवस्था करके पढ़ाइये। छात्र पढ़ना चाहते हैं वह नहीं पढ़ पाते हैं तो हो सकता है तमाम प्रतिभा रुक जाएं। जनपदों से शिकायतें आ रही हैं मैं उनको व्यक्तिगत रूप से दिखवा रहा हूं। मैं इसके लिये पूरा प्रयास कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मंत्री जी विद्वान हैं लेकिन मंत्री जी के उत्तर से साफ आभास नहीं मिलता है मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। वांछित विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि नगरों में रहने वाले बच्चों के लिये यह व्यवस्था की जाय कि उस नगर में उसे किसी विद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिए।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूं जो राजकीय विद्यालय हैं इण्टर कालेज और हाईस्कूल, हर एक जनपद में 1947 में छठी, नौवीं और ग्यारहवीं के जो सेक्शन थे, वह आज भी 1995 में उतने ही सेक्शन हैं। बुलन्दशहर में बालिका इण्टर कालेज, ब्वायज इण्टर कालेज में छठी के दो-दो सेक्शन आज भी हैं और पहले भी उतने ही थे।

श्री अध्यक्ष–

यह सहारनपुर से संबंधित सवाल है।

श्री किरन पाल सिंह–

सहारनपुर में भी सेक्शन बढ़ाने की मांग आ रही है आपके पास सहारनपुर में सेक्शन बढ़ाने की मांग आ रही है, तो क्या मंत्री जी सेक्शन बढ़ाने की मांग को पूरा करवाने की कृपा करेंगे ? वहां जनता से भी मांग आ रही है कि एक-एक सेक्शन राजकीय विद्यालयों में बढ़ा दिया जाए।

श्री सुखदेव राजभर–

मैंने बताया कि पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई छात्र छूटने न पावे शासकीय विद्यालय से लेकर प्रबन्धकीय और राजकीय विद्यालय तक। दूसरा सवाल है कि तमाम राजकीय विद्यालय हैं छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है हम और सेक्शन बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पहले अध्यापकों की कमी थी अब अधिक से अधिक अध्यापक चयन हुए हैं ऐसी स्थिति में निर्धारित मानक है इस संबंध में आया है कि सेक्शन बढ़ाये जाएं। लड़कों की संख्या बढ़ रही है। हम लोग इस पर चिन्तित हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी का ६ज्मीशन न रुकने पाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, डबल शिफ्ट का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, वह कब तक पूरा हो जायेगा और उस पर कब तक अमल हो जाएगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

यह डबल शिफ्ट की व्यवस्था 26 राजकीय विद्यालयों में चल रही है। इसके अलावा 25 स्कूलों में डबल शिफ्ट लागू करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को गया हुआ है। इसके लिये 98 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे। वैसे व्यावहारिक दृष्टि से डबल शिफ्ट की योजना सफल नहीं हुई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैंने जिस उद्देश्य से प्रश्न पूछा था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। न ही डबल शिफ्ट के बारे में कोई आश्वासन मिला है। कल मैं शाहजहांपुर गया था वहां पर लड़के परेशान घूम रहे हैं लेकिन उनको एडमीशन नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपके सवाल का समुचित उत्तर आ गया है।

श्री नरेश अग्रवाल–

पूरे प्रदेश में छात्रों को एडमीशन के लिये परेशानी उठानी पड़ रही है और इस सरकार ने इस संबंध में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है इसलिये सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री नरेश अग्रवाल व उनकी पार्टी के अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब किसी को प्रश्न करने की इस पर इजाजत नहीं है। अब हम अगला सवाल ले रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य की आशंका का समाधान किये देता हूं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि किसी भी छात्र को जो एडमीशन लेना चाहता है वह इससे वंचित न होने पाये। इस संबंध में मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिये हैं। इसमें सरकार की नीयत साफ है। कोई छात्र पढ़ने से वंचित न रहे। जहां तक डबल शिफ्ट का सवाल है उसके बारे में वित्त विभाग की सहमति हो जायेगी तो चलवाया जायेगा।

तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली पर फर्जी नियुक्ति करने के आरोप की जांच

*5–श्री मुक्तिानाथ यादव (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री चौधरी द्वारा वर्ष 1994 में कुछ फर्जी नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह सही है कि यह नियुक्तियां शासन से लगे प्रतिबन्ध के बावजूद की गयीं ? यदि हां, तो क्या सरकार बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

जी हां।

जी हां । तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली के विरुद्ध जांच करायी जा रही है, जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पर्वतीय क्षेत्र के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल जनपदों में मद्य निषेध नीति में परिवर्तन

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के तीन जिलों, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल में जहां अभी तक पूर्ण नशाबन्दी की नीति लागू थी वहां यह नीति समाप्त कर शराब के ठेकों की नीलामी करने का निर्णय अर्थात् शराब बन्दी की नीति समाप्त करने का फैसला लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पर्वतीय क्षेत्र में जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल में पूर्ण नशाबन्दी/मद्य निषेध की नीति लागू नहीं थी । परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल जनपद के पर्वतीय भू-भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में दि० 1-4-1994 से पहले परमिटधारियों को नियंत्रित मात्रा में विदेशी मदिरा की सुविधा के साथ आंशिक मद्य निषेध की नीति लागू थी । इस आंशिक मद्य निषेध नीति में परिवर्तन करके वर्ष 1994-95 में वहां देशी शराब एवं विदेशी शराब के ठेकों की नीलामी करने का निर्णय मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से लिया गया :—

1–पर्वतीय जनपदों में जहां उक्त आंशिक मद्य निषेध नीति लागू थी, वहां अवैध मद्य निष्कर्षण एवं मदिरा की अवैध बिक्री हो रही थी ।

2–सुरायुक्त औषधियों की अवैध बिक्री हो रही थी तथा सुरायुक्त दवाओं के पेय मदिरा के रूप में दुरुपयोग होने से जनस्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था ।

3–अन्य निकटवर्ती जनपदों में जहां मद्य निषेध लागू नहीं था वहां से मदिरा की तस्करी भी उक्त क्षेत्रों में हो रही थी ।

उपरोक्त क्षेत्रों में अवैध मदिरा की बिक्री से जनहानि की प्रबल सम्भावना, सुराकांड की संभावित पुनरावृत्ति, अवैध मद्य-निष्कर्षण/अवैध मद्य/सुरा की बिक्री तथा मदिरा की तस्करी की रोकथाम के लिये एवं जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से आंशिक मद्य निषेध नीति को समाप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था । अतः जनता को शुद्ध एवं मानक मदिरा उपलब्ध कराने तथा जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त क्षेत्रों में दि० 1-4-1994 से आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह फैसला पिछली सरकार में हुआ था । यह बात वैसे ही है जैसे चोरी करना अपराध है, चोरी रोक नहीं पा रहे हैं तो चोरी रोकने के बजाय उसका सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, यही स्थिति सरकार की इस प्रश्न के संबंध में है । आंशिक मद्य निषेध को सरकार ने इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि वहां पर अवैध शराब बिक्री हो रही थी । मेरा यह कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने लाटरी तो बन्द करके एक साहसिक फैसला किया है उसी तरह इस ईशू पर विचार करके वहां पर पूर्ण

मद्य निषेध लागू कर दिया जाय । अगर कुछ शराब के तस्कर या गलत धन्धे में लगे लोग गलत धन्धा कर रहे थे, पूर्व सरकार ने राजनीतिक अपराधों को प्रोत्साहित कर दिया था तो क्या आपकी सरकार पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व की भांति पूर्ण मद्य निषेध चालू कर पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मद्य निषेध की उस नीति में परिवर्तन आज तक नहीं किया गया है । इस संबंध में पहाड़ी क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों से विचार विमर्श के लिए अनुरोध किया गया था और उनको पत्र भी लिखे थे इसके अलावा पूर्व पर्यटन मंत्री माननीय केदार सिंह फोनिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी उसमें जन प्रतिनिधियों और अधिकारी भी थे उसमें यह निष्कर्ष निकला था कि इस क्षेत्र में आंशिक मद्य निषेध की नीति को समाप्त करके नीलामी की नीति को लागू किया गया । यह नीति बहुत गम्भीर विचार-विमर्श के बाद लागू की गयी थी और एक मंत्री की अध्यक्षता के बाद फैसला लिया गया था इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर पूर्ण मद्य निषेध होना चाहिए । वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोग गरीब हैं । वहां पर शराब की दुकानों ने लोगों को बरबाद कर दिया है इसलिए वहां पर पूर्ण मद्य निषेध सरकार को करना चाहिए । दूसरी बात यह है कि शुगर फेडरेशन के जरिये वहां पहले दुकानें चलायी जाती थीं तो क्या कारण है कि शराब की दुकानों की नीलामी की गयी है क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, इस बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस संबंध में विस्तार से विचार किया गया है, जन प्रतिनिधियों के विचार मांगे गये थे, श्रीमन्, मेरे पास जन प्रतिनिधियों और सांसदों के जो विचार आये थे उससे संबंधित पत्र हैं, इसके अलावा माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि आंशिक रूप से मद्य निषेध जिसमें 15 दिन के लिए एक निर्धारित मात्रा में शराब परमिट के जरिये मिलती थी, उससे कोई फायदा नहीं था, और नुकसान ज्यादा था इसलिए नयी नीति लागू की गयी । इससे राजस्व का लाभ हुआ और अवैध बिकने वाली शराब पर रोक लगाया जाना सम्भव हुआ ।

फेडरेशन से संबंधित जो सवाल है तो जो जनपद इसमें नहीं हैं उनमें यह नीति लागू नहीं है और दूसरे मण्डल का जो है उसमें यह नीति लागू है जिसमें माननीय सदस्य ने सवाल किया है ।

डा० सहजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जब पूर्ण मद्य निषेध लागू किया था तब आन्दोलन, प्रदर्शन धरना आदि हुए थे और यह निश्चित रूप से पाया गया था कि उत्तरांखण्ड में इतनी निर्धनता है कि वहां शराब पीकर परिवार नष्ट हो रहे हैं, लोग बरबाद हो रहे हैं, बहुत सुविचारित नीति है इन तीन जिलों में क्या वहां पर परिस्थितियां परिवर्तित हो गयी हैं जिन परिस्थितियों में मद्य निषेध लागू किया गया था अगर परिवर्तित नहीं हुई हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां परिस्थितियां परिवर्तित हो गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष–

वहां पूर्ण मद्य निषेध लागू नहीं था ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह जनजीवन से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है जो एडिक्ट के लिए परमिट के लिए आपने दिया था, जब खुला तो इस प्रकार से छूट दे देंगे तो जो नहीं पीता है वह भी पीने लगा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां परिवर्तित हो गयी हैं । (व्यवधान)

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, जो आंशिक रूप से कुछ जिलों में शराब बन्दी की घोषणा की गयी थी उसके बावजूद भी शराब के अलावा भी मैन्डेक्स की गोलियां, सुरा संजीवनी जिसमें एल्कोहल की मात्रा जिन दवाओं में हैं उसको पी-पीकर लोग बीमार होते थे और मैन्डेक्स खाते थे तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि मैन्डेक्स की टिकिया तथा अन्य दवाईयां जिसमें एल्कोहल सम्मिलित है उस सब पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैं डंग साहब के प्रश्न को सम्मिलित करते हुए उत्तर दे रहा हूं । इस सवाल के सन्दर्भ में मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही यह उत्तर दिया कि इसको ऊदल जी ने भी अपने प्रश्न में इसको प्रकारान्तर से रख दिया है । उस क्षेत्र में तमाम नशीली गोलियां और दवायें, जिनका विज्ञापन इन दवाओं का किया जाता था कि वह बड़ी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं और अन्य कई मामलों में बड़ी उपयोगी दवायें हैं मगर वह वास्तव में पी जाती थी तो इन सब से बचाव के लिए तमाम प्रतिनिधियों और जैसा ऊदल जी ने भी कहा और उन्होंने ठीक ही कहा तो इन सबको देखते हुए सरकार ने मद्य निषेध लागू कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में मैं जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा श्री केदार सिंह फोनिया जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें पहाड़ के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उनकी राय के बाद आंशिक नशाबन्दी को बन्द करके वहां पर पूर्ण रूप से शराब चालू करने की घोषणा की गयी थी तो मैं जानना चाहता हूं कि उस बैठक में कितने जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और क्या यह सच है कि उन प्रतिनिधियों की यह राय थी कि आंशिक की जगह पूर्ण बन्दी लागू कर दी जाय तो उस राय को न मानकर नशाबन्दी क्यों समाप्त की गयी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, उस बैठक में श्री केदार सिंह फोनिया, मंत्री, श्री पूरन चन्द्र शर्मा, राज्य मंत्री, श्री हरक सिंह रावत, राज्य मंत्री, श्री हरवंश कपूर, राज्य मंत्री, श्री लाखन सिंह, सदस्य, विधान सभा, श्री बंशीधर सदस्य, विधान सभा, श्री ज्ञान चन्द्र, सदस्य, विधान सभा, श्री लाखी राम जोशी, सदस्य, विधान सभा, श्री मातवर सिंह कण्डारी, सदस्य, विधान सभा, श्री बच्ची सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान-सभा, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्य, विधान सभा, श्री भारत सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, श्री पृथ्वी पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान परिषद्, श्री देवी दयाल, प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, श्री विनोद कुमार पाण्डे, उप सचिव, आबकारी

विभाग, उपस्थित थे और बहुमत द्वारा विचार विमर्श हुआ और उन सभी सदस्यों के विचार अलग-अलग उपस्थित हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

जो बहुमत जनप्रतिनिधि थे, उनकी राय क्या थी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अधिकांश लोगों की राय उक्त क्षेत्र में जो अवैध मदिरा बिकती है, उस पर पाबन्दी लगायी जाये और जिस तरह की नशाबन्दी चल रही है, उससे लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिये सरकार पुनर्विचार करे, नशाबन्दी लागू करना उचित है । और अगर कोई अन्य जानकारी माननीय सदस्यों के पास हो, तो हमें बता दें, अगर उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दें ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मैं उस बैठक में उपस्थित था और उस बैठक में मत यह था कि उत्तरांचल में पूर्ण नशाबन्दी लागू किया जाये क्योंकि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति 20 रुपये की कमाई करता है, तो वह 20 रुपये की शराब पी जाता है । बहुमत था कि उत्तरांचल में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जाये । मैं जानना चाहता हूं कि बहुमत के निर्णय की उपेक्षा क्यों कर दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष–

अगर गलत उत्तर है, तो आप लिखकर दे दें ।

माननीय मंत्री जी ने कहा है, अधिकांश सदस्यों की राय थी ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

अधिकांश नहीं, यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने सर्वसम्मति से नहीं कहा है ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उत्तरांचल में पूर्ण मद्य निषेध लागू कर दिया जाये । शराब की बिक्री पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए, गरीब जनता जो है वह बरबाद हो रही है ।

(कई विधायकों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

कोई एक विधायक पूछें तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं।

श्री राम विशुन आजाद–

पूरे प्रदेश में शराब बिक रही है और उससे गरीब जनता पिस रही है.....

(प्रश्न सं० 7 पुकारा गया)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी इस पर काफी हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

क्वैश्चन आवर में कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ?

(श्री राम विशुन आजाद के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको कोई अनुमति नहीं है, आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान निकालें।

श्री अध्यक्ष–

कोई अनुमति नहीं दी है। व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रश्नकाल में कोई औचित्य नहीं है। मैंने प्रश्न संख्या 8 ले लिया है।

(इसी मध्य प्रश्न सं० 8 का उत्तर शिक्षा मंत्री द्वारा पढ़ा गया)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के आपने सवाल पूछा है।

राम विशुन आजाद जी जब आबकारी का बजट आयेगा तो बोल लीजियेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक बड़ा गम्भीर मामला सदन में उपस्थित हो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो उत्तर है उसके बारे में मैं यह नहीं कह सकता कि वे तथ्यों से परे बोल रहे हैं। लेकिन जिन सदस्य का नाम लिया वह सदस्य उस बैठक में थे। मुझे बताया गया है कि उस बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी। वहां दो राय हो गयी, जो बहुमत वहां पर था, वह पूर्ण मद्यनिषेध लागू किये जाने का था। मान्यवर, सवाल पूछने के साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पत्रावली का अवलोकन कर रहे हैं। यदि उसमें अन्तिम सिफारिश की कोई पंक्ति हो तो उसकी जानकारी दे दें। उस बैठक में बैठे एक सदस्य, उस बैठक के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुमत इस बात का था कि पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जाय। तो माननीय सदस्य की बात को सही मानते हुए, क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस संबंध में जो नीति घोषित की गयी थी मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में उस पर पुनर्विचार करेंगे ? मान्यवर, आप पत्रावली मंगा लें और इस प्रश्न का उत्तर स्थगित कर दें और सही बात को समझ कर कोई भी निर्णय लें। मान्यवर, कोई भी निर्णय होता है, वह समय काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर होता है। उस समय कोई परिस्थिति थी। पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि वहां पर मद्य निधेष लागू कर दिया जाये। तो जो सदन के सदस्य हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर पूर्ण मद्य निषेध को लागू करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने कहा था कि एक बैठक हुई थी। यह नहीं कहा था कि बैठक में निश्चय हुआ था, बार-बार विचार-विमर्श की बात को कहा था। उस बैठक के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों के भी पत्र आये थे। जिन-जिन माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये थे, वह पत्रावली में मौजूद हैं। किन्हीं माननीय सदस्य का यह कहना है कि वोटिंग हुई थी, तो यह नहीं हुआ था, उसमें राय आयी थी और उसके अलावा भी तमाम पत्र संबंधित जन प्रतिनिधियों के आये थे। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया, उसकी श्रीमन्, सूचना दे दी। ऐसी स्थिति नहीं है कि सत्तापक्ष का कोई माननीय सदस्य हमारे प्रश्नोत्तर से असन्तुष्ट है और जैसा आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि आप पत्रावली मंगवाकर देख लें तो मान्यवर, आप तो बहुत बड़ी संस्था हैं मैं गुप्ता जी को पूरी पत्रावली दिखवा दूंगा और यदि पत्रावली और उससे सम्बद्ध कागजात को देखकर उन्हें आपत्ति होगी तो आपकी आवश्यकता उन्हें पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश राज्य चीनी निगम की हानि में चल रही चीनी मिलों का निजीकरण

*7.-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निगम की चीनी मिलों को वे निजी क्षेत्र में सौंपने जा रहे हैं ? यदि हां, तो विक्रय निर्धारण का आधार क्या है ? इनमें देवरिया जनपद की कौन-कौन चीनी मिलें शामिल हैं ? उनमें कार्यरत कर्मचारियों एवं देनदारियों के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? क्या देवरिया चीनी मिल का विस्तारीकरण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की लगातार हानि में चल रही कतिपय चीनी मिलों के निजीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है ।

इन चीनी मिलों के विक्रय का आधार इनके अलाभप्रद पेराई क्षमता के कारण प्रति वर्ष हो रही हानि रखा गया है ।

देवरिया, बैतालपुर एवं भटनी ।

चीनी मिलों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के हितों व उनकी देनदारियों को सुरक्षित रखे जाने का राज्य सरकार का दृष्टिकोण है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण-

श्री सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर में अध्यापिकाओं की नियुक्ति में धांधली के आरोप की जांच

*8-डॉ० मामचन्द्र लाम्बा-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय अनु० जाति एवं जनजाति आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक-में संदर्भित उप शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ का पत्र संख्या-मा०/32767-68/93-94 दिनांक 25-02-94 जो कि श्री सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर में अनुसूचित जाति की अध्यापिकाओं के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति न किये जाने की जांच के सम्बन्ध में है, उप शिक्षा निदेशक द्वितीय प्रथम मण्डल, मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच में आरक्षित पदों पर सामान्य जाति के अध्यापिकाओं की नियुक्तियों की बात सही पायी गयी है ? यदि हां तो प्रबंधतंत्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करके आरक्षित वर्ग की अध्यापिकाओं की नियुक्ति के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर को जांच अधिकारी बनाया गया था। जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है। जांच आख्या प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मितव्ययिता के दृष्टि से गाड़ी की सुविधा के स्थान पर गाड़ी भत्ता देने की मांग

*9-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन को मितव्ययी बनाने व गाड़ियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये जिन अधिकारियों को गाड़ी अनुमन्य है उन्हें गाड़ी की सुविधा के स्थान पर गाड़ी भत्ता दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितना मासिक भत्ता दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

सुश्री मायावती-

गाड़ी की सुविधा के स्थान पर गाड़ी भत्ता दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10-डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"-

[14वें बुधवार में तारा० प्र० सं०-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी गन्ना समिति बढ़नी जनपद सिद्धार्थनगर पर गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्यों के भुगतान की जानकारी

*11-श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि० बढ़नी सिद्धार्थनगर में गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्यों का भुगतान विगत वर्षों से नहीं मिला है ? यदि हां, तो कब तक मिलेगा ? उक्त गन्ना समिति के गन्ना किसानों का गन्ना इस वर्ष कौन चीनी मिल खरीदेगा और कब तक उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित गन्ना मिल कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

सुश्री मायावती-

जी हां। सहकारी गन्ना समिति बढ़नी के गन्ना किसानों को लगभग रुपये 16 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है।

यथा-शीघ्र भुगतान कराने के निर्देश गन्ना आयुक्त को दिये जा चुके हैं।

इस वर्ष बढ़नी समिति क्षेत्र का गन्ना बस्ती तथा तुलसीपुर मिलों द्वारा खरीदा गया है, जिन्होंने समिति क्षेत्र में पूर्ति हेतु उपलब्ध समस्त गन्ने की खरीद करके पेराई सत्र का, समापन कर दिया है। आगामी पेराई सत्र 95-96 में उक्त समिति के गन्ना किसानों का गन्ना चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने के बारे में आदेश गन्ना आयुक्त द्वारा माह सितम्बर के लगभग जारी किये जायेंगे।

उक्त क्षेत्र में शोहरतगढ़ स्थान पर नई चीनी मिल लगाने का आशय-पत्र निजी क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है किन्तु उद्यमी द्वारा वांछित प्रगति न किये जाने के दृष्टिगत फिलहाल चीनी मिल के चालू होने की तिथि इंगित किया जाना सम्भव नहीं है।

आगरा जनपद में जिला योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोग की स्थिति की जानकारी

*12–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1994-95 की जिला योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद के विभिन्न विभागों को अवमुक्त की गई धनराशि में से किस विभाग ने सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया और इसका क्या कारण है ? जिन विभागों ने इस धनराशि का उपयोग नही किया है उन विभागों के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994-95 में आगरा जनपद की जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अवमुक्त की गई सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्रिश्चियन कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन के स्थायी प्रधानाचार्य एवं लखनऊ क्रिश्चियन कालेज के स्थायी प्रबन्धक के पदों पर एक ही व्यक्ति के कार्यरत रहने एवं दो पदों का वेतन आहरित करने का आरोप

*13–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि क्रिश्चियन कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन के स्थायी प्रधानाचार्य एवं लखनऊ क्रिश्चियन कालेज के स्थायी प्रबन्धक के पदों पर एक ही व्यक्ति कार्यरत हैं जो दोनों पदों का वेतन भी ले रहे हैं ? क्या यह उ० प्र० शिक्षा अधिनियम 1981 के विपरीत है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ की आख्यानुसार प्रधानाचार्य के पद का वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला बनाने के लिए निश्चित सिद्धान्तों एवं उसकी संस्तुति हेतु विधान मण्डल के सदस्यों व सांसदों के अधिकार की जानकारी

*15–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बनाने के लिये शासन द्वारा कौन-कौन से सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं ? क्या जिला योजना बनाते समय जनपद की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनपद की प्राथमिकताओं पर भी ध्यान दिया जाता है ? यदि हां, तो जिला योजना की समीक्षा एवं जनपद स्तर पर संस्तुति हेतु विधान मण्डल के सदस्यों एवं सांसदों के अधिकार क्या हैं ?

सुश्री मायावती–

विकास सामाजिक न्याय के साथ हो, जिला योजना का मूलभूत सिद्धान्त है। जिला योजना बनाने में स्थानीय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाये जिससे आय एवं रोजगार में वृद्धि हो सके।

जी हां, स्थानीय आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के उद्देश्य से जनपद को अपनी प्राथमिकतायें निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है।

जिला स्तर पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति गठित है, जिसमें जनपद के समस्त सांसद एवं विधायकगण सदस्य हैं। इस समिति को प्रदत्त अधिकारों का विवरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 195 पर)

अतारांकित प्रश्न

1–श्री रमेश कान्त लवानियां–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

भारत सरकार को जनपद फतेहपुर में चीनी मिल की स्थापना हेतु संस्तुति भेजे जाने के संबंध में जानकारी

2–श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में चीनी मिल स्थापना हेतु श्याम शुगर मिल लिमिटेड के लाइसेन्स की संस्तुति केन्द्र सरकार को एक वर्ष से अधिक हो जाने पर भी अभी तक नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? उक्त संस्तुति कब तक भेजी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

भारत सरकार को संस्तुति दिनांक 12-6-95 को भेज दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में डा० भीमराव अम्बेडकर महिला महाविद्यालय में विज्ञान की कक्षा खोलने की जानकारी

3–श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर में डा० भीमराव अम्बेडकर महिला महाविद्यालय में विज्ञान की कक्षा खोलने की मान्यता 1992 में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो अभी तक विज्ञान की कक्षा न खोले जाने के क्या कारण है ? कब तक कक्षायें खोली जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ।

जनपद फतेहपुर में रेलवे क्रासिंग गेट नं० 50 पर अपरगामी सेतु के निर्माण की मांग

4–श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर रेलवे क्रासिंग गेट नं० 50 पर अपरगामी सेतु निर्माण 1990 से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सेतु निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ? कब तक निर्माण हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

फतेहपुर रेलवे क्रासिंग सं० 50 पर उपरिगामी सेतु के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा 31-3-92 को अस्वीकृत किया जा चुका है । वर्तमान में इस उपरिगामी सेतु के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

परमेन्द्र विक्रम सिंह ''बाबा'' ग्राम बहरेलाडीह, पो० तिवारीपुर जनपद बाराबंकी के पत्र के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

5–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित प्रकरण में शिकायतकर्ता परमेन्द्र विक्रम सिंह ''बाबा'' ने दिनांक 22-3-94 को एक बयान हल्फी (शपथ-पत्र) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो क्या उसे आधार मानकर जांच करायी गयी ? क्या शपथ पत्र में दर्शायी गयी तिथियों में दोषी व्यक्ति ने विद्यालय में उपस्थित न होते हुये भी उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाकर वेतन का आहरण किया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ?

श्री सुखेदेव राजभर–

जी हां ।

जांचोपरान्त विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार संदर्भित तिथि में अध्यापक की उपस्थिति प्रमाणित है । दिनांक 2-9-85 को अध्यापक की उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर है तथा दिनांक 8-10-85 को मातृ नवमी का अवकाश था अतः उपस्थिति प्रमाणित के आधार पर वेतन का भुगतान हुआ है । विद्यालय के अभिलेखों के आधार पर अध्यापक की उपस्थिति प्रमाणित पायी गयी अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

6–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–80 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमेन्द्र विक्रम सिंह "बाबा" द्वारा दिनांक 12-11-92 से 30-11-92 के मध्य प्रमुख सचिव शिक्षा (बेसिक) को प्रेषित शिकायती प्रार्थना-पत्र अन्तिम अनुच्छेद में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध अंकित करने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति ने भा० द० वि० की किस धारा के तहत अपराध किया है ? क्या कृत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट शिक्षा विभाग पुलिस विभाग में अंकित करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जांचोपरान्त विद्यालय के अभिलेखानुसार अध्यापक की उपस्थिति प्रमाणित है । ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया दोष सिद्ध नहीं होता है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में दहिला शिवनाम पोखर मार्ग के डामरीकरण की मांग

7–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में दहिला शिवनाम पोखर मार्ग पर डामर डलवाकर निर्माण कार्य करवाया जाना शासन से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत कार्य जिला योजना श्रेणी का है तथा इसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति अनुमोदन एवं संसाधनों पर निर्भर करेगी ।

जनपद बाराबंकी में जौरास लिंक मार्ग तथा कतिपय अन्य मार्गों का डामरीकरण एवं गोमती नदी पर पुल के निर्माण की मांग

8–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में जौरास लिंक मार्ग तथा मकनपुर मंझार, मौलाबाद मार्ग लेपन स्तर तक डामर स्तर का कार्य पूरा करवाने तथा उक्त मार्ग में स्थित गोमती नदी में पुल बनाने का भी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के कारण सम्प्रति कार्य स्वीकृत किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में कतिपय जिला परिषदीय मार्ग को स्थानान्तरित कर लोक निर्माण विभाग से लेपन स्तर तक बनवाने की मांग

9–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में लोनी कटरा, कान्हीपुर तिलोकपुर शाहपुर मनोधर होते हुए बड़तक जिला परिषदीय मार्ग को जिला परिषद् से स्थानान्तरित करके लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लेपन स्तर तक मार्ग निर्माण करवाये जाने की आख्या प्रदान करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में कतिपय तीर्थ स्थलों का पुनरोद्धार

10–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल, लोधेश्वर महादेव, औसनेश्वर महादेव, बाबा टीकाराम सिद्धौर, जोगनी तालाब महादेव, नील कंठेश्वर महादेव, सप्तऋषि को पर्यटन केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्णित स्थलों में लोधेश्वर महादेव के समीप रैन बसेरा एवं चहारदीवारी का निर्माण कराया गया है । औसनेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सिद्धेश्वर मंदिर के पुनर्रूद्धार कराया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के सरकारी निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा सीमेन्ट के भण्डारण की जानकारी

11–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रदेश के सरकारी निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा सीमेन्ट खरीदकर स्टाक स्टोर में रखने व समय से उपयोग न होने से उसकी गुणवत्ता में भारी कमी आती है जिससे निर्माण कार्य में काफी कुप्रभाव गुणवत्ता पर पड़ता है स्टोर के रख रखाव पर भी वित्तीय भार पड़ता है, जो कार्यदायी संस्थाओं के लिये अनुकूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माणदायी संस्थाओं की अग्रिम सीमेन्ट क्रय करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर वित्तीय भार कम करेगी और धन के अपव्यय व कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यह सही है कि यदि सीमेन्ट खरीदकर उसे अधिक समय तक स्टोर में रखा जाय तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। स्थिति को ध्यान में रखते हुये लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप सीमेन्ट का भंडारण करता है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जूनियर हाई स्कूल सिसवां बाजार जनपद महराजगंज पर गबन का आरोप

12–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद, विकास शुल्क, विज्ञान शुल्क रख रखाव आदि मदों में धन प्राप्त करने एवं धन को बैंक में जमा कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जूनियर हाई स्कूल सिसवां बाजार, महराजगंज में वर्ष 1991 से लेकर आज तक उपरोक्त मदों से प्राप्त धनराशि को बैंक में नहीं जमा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के लाखों रुपये की गबन के प्रकरण की जांच कराने एवं दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

प्राप्त धनराशि बैंक के खाते में जमा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के वि० खण्ड निचलौल व सिसवां में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेत अवमुक्त धनराशि एवं निर्माण कार्य की जानकारी

13–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड निचलौल, महराजगंज के ग्राम सभा सोहगी बरवां, बैठौलियां तथा कुडन्वल एवं विकास खण्ड सिसवां के बाजापार कर्मही आदि प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1991-92, 92-93 तथा 94 में धन में अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो आवंटित धनराशि से विद्यालयों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

सोहगीवरवा एवं बीजापार में विवाद के कारण कार्य रुका रहा ।

14–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[दिनांक 17-7-95 को अता० प्र० सं०–138 द्वारा उत्तरित]

जनपद महराजगंज में प्रमुख सड़क के कि० मी० 61 के चन्दन नदी की "डाउन स्ट्रीम" साइड की पुरानी सड़क की अवैध खुदाई को रोका जाना

15–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि कप्तानगंज, सिसवां, ठूठीबारी, नौतनवां जनपद महराजगंज के प्रमुख सड़क के कि० मी० 68 के चन्दन नदी की "डाउन स्ट्रीम" साइड की पुरानी सड़क को भट्टा मालिक श्री ओम प्रकाश द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करके लेपन रोड को काटकर ईंट बनाने योग्य मिट्टी का इस्तेमाल किया है ? क्या स्थानीय थाना ठूठीबारी, महराजगंज में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा 28-12-93 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो आज तक अनधिकृत कब्जा एवं सड़क काटने के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आलोच्य साइट कि० मी० 68 में नहीं अपितु कि० मी० 61 में स्थित है। मिट्टी खोदने के प्रयोजन से श्री ओम प्रकाश द्वारा लगभग 10 मी० लम्बाई में सड़क काटी गयी थी जिसको सड़क के गैंग मेट द्वारा रोका गया एवं तदोपरान्त अवर अभियन्ता द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गयी तथा अनधिकृत कब्जे के प्रयास को विफल कर दिया गया ।

जी हां ।

वर्तमान में कोई अनधिकृत कब्जा नहीं है, अपितु विभाग का कब्जा यथावत् बना हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास परिषद् सिसवां बाजार, महराजगंज में विकास कार्यों में धांधली करने के आरोप

16–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास परिषद् सिसवां बाजार महराजगंज द्वारा वर्ष 85-86 में विकास कार्य के अन्तर्गत डोमा खड़ंजा सड़क निर्माण 10 किमी० तथा विकास लेपन (तारकोल) देसो मुख्य पश्चिम नहर तक 2 किमी० का प्रारम्भ कराया गया था ? क्या यह सही है कि सम्पूर्ण निर्माण कार्य के नाम पर क्रय की गयी ईंट, गिट्टी, तारकोल आदि को सड़क निर्माण में न खर्च करके अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में लगा लिया गया था, जिसकी शिकायत सात मा० विधान सभा सदस्यों ने लिखित की थी, जिस पर के० एल० केसरवानी की जांच कमेटी गठित की गयी थी ? यदि

हां, तो केसरवानी कमेटी की जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध आज तक कार्यवाही न किये जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत शिकायती-पत्र के प्राप्त होने की पुष्टि नहीं होती ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना समिति सिसवां बाजार, महराजगंज के गन्ना कृषकों के बकाये का भुगतान

17–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति सिसवां बाजार, महराजगंज के गन्ना कृषकों का वर्ष 82-83 का बकाया गन्ना मूल्य एवं 91-92 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो लिये गये निर्णय के अनुपालन में गन्ना सहकारी समिति सिसवां बाजार द्वारा गन्ना कृषकों को बकाया मूल्य का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई सिसवा बाजार पर अधिग्रहण के पूर्व वर्ष 1982-83 का रु० 10.81 लाख गन्ना मूल्य सहकारी गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार का बकाया है । उक्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अभिनिर्णय के अनुसार किया जायेगा । वर्ष 1991-92 का समस्त देय गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद के संदर्भित पत्र का क्रियान्वयन

18–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, नवम् मंडल, फैजाबाद का जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर को प्रेषित पत्रांक माध्यमिक–1/14072/1994-95 दिनांक दिसम्बर, 17-94 के संबंध में जिला निरीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद के सन्दर्भित पत्र में निहित निर्देश का क्रियान्वयन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री परशुराम यादव–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

म्युनिस्पल इण्टर कालेज, सीतापुर के वर्ष 1993-94 में सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन दिये जाने की जानकारी

20–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि म्युनिस्पल इण्टर कालेज, सीतापुर में कार्यरत अध्यापक कौन-कौन है, जो कि वर्ष 1993 में तथा वर्ष 1994 में सेवा निवृत्त हुये परन्तु उन्हें अभी तक पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुई है ? उन सभी सेवा निवृत्त अध्यापकों को कब तक पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1993 में श्री हरिशंकर पांडेय सेवानिवृत्त हुए हैं कतिपय आपत्तियां होने के कारण उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है । अपूर्ण अभिलेखों के पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन स्वीकृत की जायेगी । वर्ष 1994 में श्री कौशल किशोर बाजपेयी का स्वर्गवास हुआ था जिन्हें पेंशन स्वीकृत हो चुकी है ।

प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है । आपत्ति निराकरण के उपरान्त उन्हें पूर्ण पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी ।

दि सहकारी चीनी मिल संघ लि० रसड़ा, बलिया को वर्ष 92-93, 93-94 तथा 94-95 में आवंटित धनराशि एवं व्यय की जानकारी

21–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल संघ लि०, रसड़ा जनपद बलिया को वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में कितना बजट वर्षवार दिया गया है और कहां-कहां उक्त धन का उपयोग किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि का उपयोग सही कार्य में नहीं किया गया है ? क्या सरकार इसकी सम्पूर्ण जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए सदन को अवगत करायेगी ?

सुश्री मायावती–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, रसड़ा, बलिया को वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में क्रमशः 1546.06 लाख, 1197.84 लाख तथा 1395.73 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसका उपयोग संलग्न तालिका के अनुसार किया गया है ।

जी नहीं । स्वीकृत बजट का धन उसी मद में व्यय हुआ है जिस मद के लिये स्वीकृत था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 196–197 पर)

वर्ष 1994-95 में बुन्देलखण्ड विकास निधि को निर्गत वित्तीय स्वीकृति की जानकारी

22–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये कितना धन निर्धारित किया गया तथा 31 मार्च, 1995 तक उक्त परिव्यय के विरुद्ध कितने रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयीं ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिए रु० 12.00 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया था । उक्त परिव्यय के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 1995 तक रु० 10.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी ।

वर्ष 1994-95 में पूर्वान्चल विकास निधि को निर्गत वित्तीय स्वीकृति की जानकारी

23–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये पूर्वांचल विकास निधि का परिव्यय क्या निर्धारित किया गया तथा 31 मार्च, 1995 तक उक्त परिव्यय के विरुद्ध कितने रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां की गयीं ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए पूर्वांचल विकास निधि का परिव्यय रु० 48.00 करोड़ निर्धारित था । उक्त परिव्यय के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 1995 तक रु० 3985.66 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी ।

24–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[3रे बुधवार में अता० प्र० सं०–157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

25–श्री नन्द लाल पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

श्री सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर में अध्यापिकाओं के आरक्षण कोटे की जानकारी

26–श्री रामचन्द्र लाम्बा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उप शिक्षा निदेशक द्वितीय प्रथम मण्डल, मेरठ के अधीन संचालित श्री सनातन धर्म कन्या इण्टर कालेज, सहारनपुर में अनुसूचित जाति की एक भी अध्यापिका कार्यरत नहीं है जबकि वहां पर अनु० जाति की अध्यापिकाओं के 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 7 पद सृजित हैं ? क्या सरकार इन आरक्षित पदों की पूर्ति करेगी एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत कालेज में आरक्षण कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 6 पद हैं।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (द्वितीय) मेरठ को आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने एवं जांच कर दायित्व निर्धारित करने एवं आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा विभाग में आरक्षण कोटा भरे जाने की जानकारी

27–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश उ० प्र० विधायी अनुभाग सं० 488/सत्रह/वि-1-1 (क) छ–1094. दिनांक 23 मार्च, 1994 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षित पदों को न भरने की कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? विस्तृत आख्या क्या है ? क्या सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कालेजों में सभी आरक्षित पद भरे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि भरे जायेंगे तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर–

शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पदों से संबंधित आदेशों को उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यथा नियम कार्यवाही की जाती है। ऐसे प्रकरणों के विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं।

जी नहीं।

पात्र एवं अर्ह व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण।

आरक्षण प्राविधानों के अनुसार कोटे की पूर्ति हेतु सतत कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पद सृजन पर रोक एवं उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना

28–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक का पद सृजन वर्ष 1984-85 में बन्द कर दिया गया था परन्तु शासनादेश जारी नहीं किया गया था ? यदि नहीं, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत उक्त कार्यवाही सम्पन्न हुई ? यदि शासनादेश किया गया था तो कृपया बताने का कष्ट करें कि किस शासनादेश के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक/कर्मचारियों के पदों को भरने पर रोक लगा दी गयी थी तथा भविष्य में इसकी क्या योजना हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

पद सृजन पर रोक शासनादेश दिनांक 9-12-86 द्वारा वित्तीय वर्ष 1985-86 में लगाई गई थी।

शासनादेश संख्या–2910/दस–सं०वि०–3(1)/86. दिनांक 9-12-86 के अन्तर्गत।

पूर्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में शासनादेश संख्या–1389/15-7-1(48)/92. दिनांक 28 मार्च, 1992 द्वारा पदों के भरने पर रोक लगाई गयी थी।

रिक्त पदों के भरे जाने हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना की जा चुकी है ।

आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उ० प्र० को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

29–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रों के संदर्भ में आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उ० प्र० लखनऊ के पत्रांक–4343/तीन-3/17618/94. दिनांक 22-1-94. तात्कालिक अनुस्मारक पत्र सं० 421/तीन-13/17618/94. दि० 19-5-94 अनुवर्ती अनुस्मारक पत्र संख्या–1422/तीन–3/17618/94. दिनांक 26-8-94. अनुवर्ती अनुस्मारक पत्र सं०–2039/तीन-3/17618/94. दिनांक 9-11094 तथा पत्रांक 2683/तीन–3/17618/94. दिनांक 7-12-1995 पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ० प्र० इलाहाबाद एवं शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्न में उल्लिखित संदर्भ शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

2–प्रश्न में संदर्भित पत्रों की प्रतियां आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उ० प्र० लखनऊ से प्राप्त की जा रही हैं ।

30–श्री राम अचल राजभर–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलिति होने के कारण हटाया गया]

श्री फेरूमल वर्मा नि० रजापुर, गाजियाबाद को पुनः सेवा में लिये जाने की मांग

31–श्री वालेश्वर त्यागी–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री फेरूमल वर्मा निवासी रजापुर गाजियाबाद गन्ना विकास विभाग से संबंधित प्रार्थना-पत्रों सहित संसद सदस्य श्री वासुदेव आचार्य के पत्र दिनांकित 9-12-94 व 31-1-95 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

माननीय सांसद के प्रश्नगत पत्र में श्री वर्मा को पुनः सेवा में लिये जाने का अनुरोध किया गया था । चूंकि श्री वर्मा दिनांक 31-8-73 को त्याग-पत्र देकर के सेवानिवृत्त हो गये हैं इसलिए उन्हें पुनः सेवा में वापस लेने का औचित्य नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता अ० ख०–1, लो० नि० वि०, सुल्तानपुर द्वारा सेवा निवृत्त बेलदार (श्री राम खेलावन) के पेंशन व अन्य देयों का भुगतान

32–श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता अ० ख०–1 लो० नि० वि० सुल्तानपुर द्वारा वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी पेंशन सेल अनुभाग प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय, लखनऊ को पत्रांक 1699/एस०ई० दिनांक 26-10-94 जो श्री राम खेलावन सेवा निवृत्त बेलदार की पेंशन के संदर्भ

में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त बेलदार को पेंशन व अन्य देय प्राप्त करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री छोटे लाल, निवासी ग्राम दुर्गापुर मजरे हरिहरपुर, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर की जमीन के कथित फर्जी बैनामे की जांच एवं कृत कार्यवाही

33–श्री तीरथ राज–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री छोटे लाल पुत्र भभूती, निवासी ग्राम–दुर्गापुर मजरे हरिहरपुर, तहसील महमूदाबाद थाना–रामपुर मथुरा जिला सीतापुर का दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 का पत्र जो प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित है और जो फर्जी बैनामें के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री हुकम सिंह पुत्र श्री कनौजी लाल निवासी ग्राम रमईपुर मजरे हरिहरपुर तहसील महमूदाबाद थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का अंगूठा लगवाकर श्री छोटेलाल की पूरी जमीन का बैनामा अपने नाम करवा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा निशानी अंगूठा की जांच अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ से कराया गया है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि श्री छोटे लाल शिकायत कर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके श्री हुकुम सिंह पुत्र कनौजी लाल निवासी ग्राम रमईपुर मजरे हरिहरपुर परगना कोण्डरी दक्षिणी तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर ने उसके भूमिधरी आराजी काश्त स्थित ग्राम हरिहरपुर परगना कोण्डरी दक्षिणी गाटा संख्या 97 रकबा 1.670 गाटा संख्या 174 रकबा 0.661 गाटा सं० 201 रकबा 0.139 व गाटा सं० 441क रकबा 0.025 का बैनामा करा लिया है । इस विक्रय पत्र में श्री बद्री पुत्र भरोसे नि० रमईपुर मु० हरिहरपुर परगना कोण्डरी दक्षिण तहसील महमूदाबाद तथा श्री शफीक पुत्र श्री अली अहमद निवासी रायपुर परगना कोण्डरी दक्षिणी तहसील महमूदाबाद ने विक्रेता की पहचान की है । विक्रय पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि 3-5-95 को श्री रामलाल उपाध्याय, उप निबन्धक मीटिंग में आए थे तथा श्री लक्ष्मीकान्त पाण्डेय, प्रभारी उप निबन्धक थे । प्रभारी उप निबन्धक ने श्री छोटे लाल के स्थान पर उपस्थित व्यक्ति का फोटो मिलान नहीं किया और जानबूझकर फर्जी बैनामा रजिस्ट्री कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया । शिकायती-पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि स्याहा रजिस्टर नं०–8 में दिनांक 3-5-94 में इसका इन्दराज भी नहीं किया गया और धोखा देने की नियत से इस बैनामा को इन्दराज दिनांक 4-5-94 को किया गया । इस बैनामा से प्राप्त रजिस्ट्री फीस रु० 257.00 जो उन्हें दिनांक 4-5-94 को खजाने में दाखिल करना चाहिए था उसको 24 घंटे विलम्ब करके दाखिल किया गया । अतः

प्रभारी उप निबन्धक जालसाजी के साथ-साथ अस्थायी गबन के भी दोषी हैं। शिकायत कर्ता ने यह भी उल्लिखित किया है कि बिक्रीत भूमि के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य भूमि नहीं है और न ही इस भूमि को बेचने की कोई आवश्यकता थी तथा न ही भूमि के विक्रय के संबंध में कोई पैसा प्राप्त हुआ है। श्री हुकुम सिंह ने शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकी दी है जिससे शिकायत कर्ता को अपनी जान का खतरा हो गया है।

इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर में दर्ज करा दी गयी, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। जिला निबन्धक सीतापुर द्वारा भी जांच की गयी और दोषी कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा बैनामा विलेख के लेखक का लाइसेन्स निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

जी हां।

कार्यालय निदेशक, अंगुलि चिन्ह संग्रहालय, उ० प्र० लखनऊ की जांच रिपोर्ट दिनांक 2-3-95 के अनुसार विवादग्रस्त अंगुष्ठ चिन्ह सं० 533, न्यादर्श अंगुष्ठ चिन्ह सं० 534 से असमान है। इसकी फार्मेशन एवं रेखीय विशेषताएं भिन्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में बेनीपुर से मोड़ा वाया कमरूद्दीनपुर मार्ग के डामरीकरण की मांग

34–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेनीपुर से मोड़ा वाया कमरूद्दीनपुर मार्ग ब्लाक रामपुर, जिला जौनपुर में एक किलोमीटर तक गिट्टी गिराकर छोड़ दी गयी है ? क्या सरकार मोड़ा इण्टर कालेज जौनपुर तक कम से कम दो किलोमीटर प्रथम चरण में डामर की सड़क बनायेगी ? क्या सरकार इस मार्ग की जांच कराकर इस्टीमेट तैयार करायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

पूर्वांचल विकास निधि से एक किलोमीटर लेपित मार्ग बनाने की स्वीकृति दी गयी है। शेष कार्य की स्वीकृति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में बसूही नदी पर पुल बनवाने की मांग

35–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नूरपुरकादीहद मार्ग ब्लाक रामपुर जिला जौनपुर में बसूही नदी पर एक पुल बनाने की अति आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक पुल बनवाने हेतु उसको मंजूरी देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

अति आवश्यकता नहीं है।

पुल बनवाने की स्वीकृति दिया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उत्तराखण्ड के कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के राजकीय इण्टर कालेजों में की गयी अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड के कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के जिलों में राजकीय इण्टर कालेजों में संबंधित मण्डलों के उप शिक्षा निदेशक द्वारा अवैध नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि ऐसा हुआ है तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों की शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्ति करने की जानकारी

37-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजकीय इण्टर कालेजों के विज्ञान व गणित अध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची काफी समय पूर्व शिक्षा निदेशालय को आयोग द्वारा भेजे जाने के बावजूद अब तक नियुक्तियां नहीं की गयीं ? यदि हां, तो इन नियुक्तियों का कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री सुखदेव राजभर-

नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

यथाशीघ्र ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में कार्यरत आशुलिपिकों को वेतन विसंगति निर्णय लम्ब न होने की जानकारी

38-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मा० मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगी कि आशुलिपिक संवर्ग से संबंधित वेतन विसंगतियों का निस्तारण वित्त सचिव के अ० शा० पत्र सं०-वे० आ०-1-1311/दस-101(एम)/89, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 दिनांक 16 जुलाई, 1993 द्वारा करते हुए राजाज्ञा जारी की गयी ? यदि हां, तो नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्यरत आशुलिपिकों को तदनुसार वेतन भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित न किये जाने के कारण क्या हैं ?

सुश्री मायावती-

सन्दर्भित पत्र के द्वारा आशुलिपिक संवर्ग से संबंधित निर्णय प्रशासकीय विभागों को प्रेषित किये गये हैं ।

आशुलिपिक संवर्ग संबंधी उक्त निर्णय राजकीय विभागों पर (शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) लागू है । नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद शैक्षिक संस्था है । अतः उक्त निर्णय से आच्छादित नहीं होता है ।

39-श्री राम आसरे वर्मा-

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

40–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में उप विद्यालय निरीक्षकों के चार वर्षों से लम्बित टी० ए० के भुगतान की जानकारी

41–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र में उप विद्यालय निरीक्षकों को चार-चार वर्ष के टी० ए० नहीं मिला है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

यात्रा भत्ता भुगतान हेतु प्रति वर्ष धनराशि स्वीकृत की गयी है।

स्वीकृत धनराशि आवश्यकता से कम होने से लम्बित बिलों के निस्तारण हेतु प्रयास जारी हैं।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में एस० डी० आई० के सृजित पदों की जानकारी एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

42–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में उप विद्यालय निरीक्षक (एस० डी० आई०) के कुल कितने पद सृजित हैं और कितने रिक्त चले आ रहे हैं ? ये रिक्त पद कितने वर्षों से भरे नहीं गये ? क्या इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? कब तक सरकार रिक्त पदों को भरेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

कुल 209 पद सृजित हैं। इनमें से 81 पद रिक्त हैं।

वर्ष 1986 से 1994 के मध्य 81 पद नहीं भरे जा सके।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु अधियाचन आयोग को भेजा गया है। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर प्रश्नगत पदों को भरा जायेगा।

प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

43–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने राजकीय हाई स्कूल तथा कितने राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त चले आ रहे हैं और कितने वर्षों से ? इनका रिक्त रहने का कारण क्या है ? कब तक यह पद भरे जायेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय हाई स्कूल तथा राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के क्रमशः 92 और 356 पद रिक्त हैं। राजकीय हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के पद 1989 से तथा राजकीय इण्टर कालेजों का एक पद वर्ष 1982 से, एक पद 1986 से तथा शेष 1988 से रिक्त चले आ रहे हैं।

राजकीय हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के प्रति विभागीय चयन की कार्यवाही पूर्ण न होने, राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों के प्रति सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित प्रोन्नति पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण ये पद रिक्त हैं।

राजकीय हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही गतिमान है। चयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर रिक्त पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के रिक्त पद उनके प्रति लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने एवं प्रोन्नति पर मा० उच्च न्यायालय का प्रतिबन्ध समाप्त होने पर भरे जायेंगे।

44–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री रामदयाल सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक सरदारनगर माधौगंज हरदोई के देय अवशेषों का भुगतान

45–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री राम दयाल वर्मा सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक, निवासी सरदारनगर माधौगंज, हरदोई के समस्त देयों का भुगतान अभी तक न किये जाने में विलम्ब के कारण क्या हैं ? यह भुगतान कब तक सुनिश्चित करा लिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

श्री राम दयाल वर्मा दिनांक 16-11-62 से दिनांक 15-7-90 तक समिति वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में गन्ना ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत रहे। दिनांक 16-7-90 को इनकी तैनाती राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक पद पर की गयी। श्री वर्मा दिनांक 31-7-92 को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये। इस प्रकार श्री वर्मा की राजकीय सेवा अवधि 16-7-90 से 31-7-92 तक केवल 2 वर्ष 15 दिन ही रही है। इस अवधि का वेतन भुगतान भी श्री वर्मा को कराया जा चुका है तथा स्थानीय जिला गन्ना उत्पादक समिति लि०, हरदोई द्वारा दिनांक 20-6-91 को भविष्य निधि मद का रु० 9,252.00 का भुगतान किया जा चुका है। राजकीय सेवा की वांछित अवधि पूर्ण न होने के कारण इन्हें पेंशनरी लाभ अनुमन्य नहीं है। फिर भी समिति भोगी कर्मचारी के रूप में की गयी सेवा को पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि के लिये अर्ह सेवा माने जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुमन्य भुगतान संभव है, तथापि जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है इन्हें भविष्य निधि मद का देय भुगतान पूर्व अंकित विवरण के अनुसार किया जा चुका है।

बलिया जनपद में ओवर ब्रिज के अधूरे कार्य को पूरा कराने की मांग

46–श्री दीनानाथ चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में ओवर ब्रिज का पुल (रेलवे क्रासिंग पर) आधार के करीब बनकर तैयार है और आधा कार्य शेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन देकर उक्त कार्य को पूरा कराने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां, यह राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

बलिया से देवरिया मार्ग का कार्य निरस्त करने की जानकारी

47–श्री दीनानाथ चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सोनौली से बलिया भागलपुर होते हुए विश्व बैंक से स्व० श्री वीर बहादुर सिंह, भूतपूर्व मुख्य मंत्री उ० प्र० के कार्यकाल में सड़क बनाने का प्राविधान रखा गया था ? क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत ही जनपद देवरिया तक सड़क बनकर तैयार हो गयी और शेष योजनायें ठप्प कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत योजना को शुरू कराते हुए कार्य पूरा कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सोनौली से गोरखपुर मार्ग एवं गोरखपुर से बलिया मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार की स्वीकृति शासनादेश सं० 4067ई/23–सा० नि० अनु०–111-118ई/89. दि० 4-11-89 द्वारा प्रदान की गयी थी ।

गोरखपुर से बलिया स्वीकृत मार्ग में से गोरखपुर से देवरिया तक मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य लगभग पूर्ण है तथा देवरिया–बलिया मार्ग के भाग का कार्य निरस्त कर दिया गया है ।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र एवं वाणिज्य विभाग में रिक्त पदों पर अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग

48–श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गो हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 को विफल करने के उद्देश्य से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र व वाणिज्य विभाग में स्पष्ट उल्लंघन करके प्रोफेसर, रीडर व प्रवक्ता पदों को भरे जाने संबंधी कोई शिकायती-पत्र डा० सतेन्द्र सिंह यादव अभ्यर्थी, विधायक श्री नन्द लाल सिंह पटेल द्वारा दिनांक 2-4-95 को तथा श्री जंग बहादुर सिंह पटेल, अध्यक्ष, ब० स० प० द्वारा दिनांक 31-12-94 को मा० मुख्य मंत्री को दिये गये थे, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो क्या उक्त आरक्षण अधिनियम के अनुपालन हेतु धारा 4 (1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "नियुक्त प्राधिकारी" को कोई निर्देश दिये गये ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तत्काल अवैध नियुक्तियों को निरस्त कराकर दोषी लोगों को दण्डित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

श्री नन्द लाल सिंह पटेल का पत्र दिनांक 2-4-95 तथा श्री जंग बहादुर सिंह पटेल का पत्र दिनांक 30-12-94 प्राप्त हुआ है ।

कुलपति, इलाहाबाद को आवश्यक अभिलेख भेजने हेतु दिनांक 26-5-95 को निर्देश दिये गये ।

उपरोक्तानुसार ।

कथित अवैध नियुक्तियों को निरस्त कराये जाने विषयक मामला विचाराधीन है ।

जनपद वाराणसी में ब्लाक राजपुर एवं बड़ागांव के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

49–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गांव असिला, पिंडरा, देवराई, रोह कछियां, काशीपुर, कहरका, अहिरावीर, नये पुर राजपुर ब्लाक, पिंडरा व भरथरा, सोनपुरवा, कल्लूपुर कठिरांव, दल्लूपुर वसनी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? क्या असिला पिंडरा व कहरका, अहिरावीर, बड़ी पट्टी गांव सभा क्रमशः पिंडरा जगदीशपुर के गांव व फट्टूपुर गांव कठिरांव व दल्लूपुर गांव वसनी जो बड़े-बड़े गांव हैं उनकी जांच भी कराकर उपरोक्त स्थानों में वर्ष 1995-96 में एक-एक प्राइमरी पाठशाला खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं, प्रत्येक ग्राम में प्राइमरी विद्यालय खोलने का लक्ष्य नहीं है । वर्ष 1994-95 से तीन वर्ष में प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है । निर्धारित मानक के अनुसार संबंधित जनपद में विद्यालय स्थापना का निर्णय संबंधित जिला शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है ।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित तथा मिर्जापुर नगर के राजकीय प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के भवनों की मरम्मत व निर्माण हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

50–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों के भवनों की मरम्मत तथा निर्माण के लिये प्रदेश में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितना धन खर्च हुआ है और ऐसे विद्यालयों की संख्या क्या है ? वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिर्जापुर नगर के इस श्रेणी के विद्यालयों के निर्माण/मरम्मत हेतु कितनी धनराशि का आवंटन करने की योजना है ? यह धन जनपद में कब तक पहुंच जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

वर्ष 1993-94 रु० 65.000

वर्ष 1994-95 रु० 95.000

कुल रु० 1.60.000 खर्च हुआ तथा कुल विद्यालयों की संख्या–8 है ।

जनपद स्तर पर बजट आवंटित नहीं किया जाता है । जनपद स्तर से मांग पत्र प्राप्त होने पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

51–श्री राम अचल राजभर–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

सेवानिवृत्त सहा० अध्यापक श्री रामसुन्दर मिश्र, जू०हा० स्कूल भेटुआ, सुल्तानपुर के देयों का भुगतान

52–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सुन्दर मिश्र स० अ० जू० हाई स्कूल भेटुआ, जनपद सुल्तानपुर के माह जून, 1987 में सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भविष्य निधि का अवशेष भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर मिश्र, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल भेटुआ, जनपद सुल्तानपुर को उनके सम्पूर्ण भविष्य निधि की धनराशि रु० 8,531.00 का भुगतान चेक संख्या 25/6723 दिनांक 14-12-89 द्वारा किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अमरावती से सी० पी० एड० करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की मांग

53–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन युवाओं ने सी० पी० एड० अमरावती से किया है, उन्हें बेसिक पाठशाला में नियुक्ति नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अमरावती से सी० पी० एड० करने वालों को नियुक्ति देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति दी जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[4 थें बुधवार में अता० प्र० सं०–156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के खर्चे, बेसिक शिक्षा पर देने की मांग

55–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा से शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार का विकास विचारित है ? क्या इस बारे में दिये गये आंकड़े शुद्ध हैं ? क्या सरकार प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के खर्चे को बेसिक शिक्षा पर देने पर विचार कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन सम्पूर्ण साक्षरता अभियान संचालित हैं। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से 15-35 वय वर्ग के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षारता प्रदान करते हुये विकास कार्यक्रमों से जोड़ना है। उसके साथ-साथ 9-14 वय वर्ग के उन बालकों/बालिकाओं को भी अभियान में साक्षर किया जाता है, जो प्राथमिक और अनौपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन कराना तथा पढ़ाई पूरी करने के लिये प्रेरित करना भी है। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम दलितों और अपवंचित वर्गों के नागरिकों को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी प्रकार अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा से वंचित 6-14 वय वर्ग के बालकों/बालिकाओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना है।

56–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी में ढ़ेमा भादर पिच रोड के निर्माण में सरकारी पैसे के गबन के आरोप की जांच

57–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील अमेठी, जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल विकास निधि एवं जिलायोजना के अन्तर्गत ढ़ेमा भादर पिच रोड का निर्माण हो रहा है, जिसमें जे०ई०ए०ई० अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर खड़न्जे की मरम्मत के नाम पर 8000 रु० खर्च करके लाखों रुपये का गोलमाल किया है ? क्या प्रश्नकर्ता की आपत्ति पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने जांच करायी ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ? क्या दोषी जे०ई० ए०ई० अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, परन्तु जांच आख्या के अभाव में यह कहना गलत होगा कि प्रश्नगत मार्ग के निर्माण में जे०ई० ए०ई० अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ने लाखों रुपये का गोलमाल किया है। प्रश्नकर्ता की आपत्ति पर जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा मामले की जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में बिजली की किल्लत से संबंधित प्रदर्शनकारी भा०ज०पा० कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

58–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगर में बिजली की भयंकर किल्लत के विरुद्ध प्रदर्शनकारी भा० ज० पा० कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज अपराध सं०–355/87 थाना भेलूपुर, वाराणसी को वापस लिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र वि०ओ०/एम०5/3/67/वाराणसी/94, दिनांक 10-6-94 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई और मुकदमा कब तक वापस लिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

फिलहाल मुकदमा वापसी का औचित्य नहीं पाया गया है।

59–श्री राम आसरे वर्मा–

[3 सरे बुधवार में अता० प्र० सं०–87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाबतपुर-जमालापुर मार्ग से बेनीपुर से वाया भोंडा कमरुद्दीनपुर मार्ग के डामरीकरण की मांग

60–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर–जमालापुर राजकीय मार्ग से स्थान बेनीपुर से वाया भोंडा–कमरुद्दीनपुर मार्ग जिसकी लम्बाई 6 किलोमीटर है उसमें एक किलोमीटर तक मिट्टी डालकर दो वर्षों से छोड़ दिया गया है ? क्या उपरोक्त मार्ग ब्लाक रामपुर जिला जौनपुर के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कम से कम भोंडा इंटर कालेज तक $2\frac{1}{2}$ किलोमीटर तक के मार्ग को डामर का बना देगी ? मार्ग के दोनों किनारे गिट्टी कब से गिराकर छोड़ दी गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। । कि० मी० लम्बाई में प्रथम सतह लेपन का कार्य पूर्ण है।

जी हां।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत एक कि० मी० लम्बाई में लेपित मार्ग बनाने की स्वीकृति प्राप्त है। शेष कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

गिट्टी गिरा कर छोड़ी नहीं गई है बल्कि गिट्टी की कुटाई का कार्य पूर्ण है।

जिला वाराणसी के ग्राम हरीपुर व भरवरा में एक-एक प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

61–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कनियर की आबादी को देखते हुये गांव कनियर के गांव हरीपुर में एक प्राइमरी पाठशाला व गांव पंचायत भरथरा ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में एक-एक प्राइमरी पाठशाला खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम सेवित श्रेणी में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

62–श्री ऊदल–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चैन्थम लाइन प्रांगण एवं महिला छात्रावास प्रांगण में नवनिर्मित ट्यूबवेलों की सफाई हेतु कम्प्रेशर चलाये जाने के संबंध में जानकारी

63–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्याल में चैन्थम लाइन प्रांगण एवं महिला छात्रावास प्रांगण में नवनिर्मित ट्यूबवेल के बन जाने के बाद सफाई करने हेतु कम्प्रेसर चलाये गये थे ? क्या इस संबंध में नलकूप विभाग से कोई परामर्श भी प्राप्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श के अनुसार कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि उक्त ट्यूबवेलों में कम्प्रेसर चलाने का भुगतान जल निगम से प्राप्त परामर्श से पहले किया जा चुका था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

64–श्री राजाराम त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर कोई डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

महाविद्यालय हेतु विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के असेवित विकास खण्डों में एक कन्या विद्यालय खोलने की योजनान्तर्गत रायबरेली के शिवगढ़ विकास खण्ड में एक कन्या विद्यालय खोलने की मांग

65–श्री राजाराम त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक विकास खण्ड में एक कन्या विद्यालय खोले जाने के शासन के निर्णय के अनुसार क्या विकास खण्ड शिवगढ़, जनपद रायबरेली में कोई कन्या विद्यालय खोलने की शासन की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रदेश के प्रत्येक असेवित विकास खण्ड में एक कन्या विद्यालय खोले जाने योजनान्तर्गत जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ में कन्या विद्यालय खोले जाने के संबंध में यथासमय एवं यथा आवश्यकता कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

66–श्री राजाराम त्यागी–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद रायबरेली के बछरावां क्षेत्र में शिवगढ़ वाया पारा कला मार्ग के डामरीकरण की मांग

67–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री रायबरेली जनपद के बछरावां क्षेत्र में महराजगंज शिवगढ़ वाया पारा कला मार्ग पर डामर डालकर पिचमार्ग बनाने के संबंध में कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मार्ग बनाने की कार्यवाही का किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वर्ष 1994-95 में नियुक्त उर्दू अध्यापकों की संख्या एवं आरक्षण कोटा की जानकारी

68–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1994-95 में जिन 6131 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य था उसके विरुद्ध दिनांक 31 मार्च, 1995 तक कितने उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी किये

गये ? क्या इन नियुक्तियों में अनुसूचित वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सभी आरक्षित पद भर दिये गये हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

4.182 पदों के लिये नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं ।

जी हां ।

जी नहीं । रिक्त आरक्षित पदों को आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

69–श्री नन्दलाल सिंह पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

बभनान गन्ना मिल, गोण्डा द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने तथा आश्रितों को सेवायोजित करने की मांग

70–श्री विश्वनाथ तथा श्री गनपत सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि बभनान गन्ना मिल, गोण्डा के प्रदूषित एवं अशुद्ध जल को रवई नदी में डालने के लिये प्रशासन द्वारा किसानों की कृषि योग्य भूमि विगत दो साल पूर्व ली गयी थी ? यदि हां, तो कितनी और किस दर से ? क्या सरकार को ज्ञात है कि भूमि अधिग्रहीत किसानों के आश्रितों को सेवा में लेने की बात करके सस्ती दर पर भूमि ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको संशोधित मुआवजा देने के लिये प्रशासन को आदेश देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

चीनी मिल बभनान से प्राप्त सूचना अनुसार रवई कोई नदी नहीं है यह एक सीजनल नाला है । चीनी मिल बभनान द्वारा कोई प्रदूषित एवं अशुद्ध जल रवई नदी में नहीं डाला जाता है वरन् शुद्ध जल संशोधन संयंत्र से साफ कर भेजा जाता है और बोर्ड से स्वीकृत है मिल द्वारा इस शुद्ध जल को रवई नाले तक पहुंचाने हेतु एक चार फिट चौड़ी नाली का निर्माण किया गया है जिसमें मुख्यतः ग्राम समाज की भूमि जिला प्रशासन से पट्टे पर ली गयी है ।

उपरोक्त चार फिट चौड़ी नाली के निर्माण में रास्ते में भूमि का एक बहुत ही अल्प आंत्रिक भूमि कुल 0–396 एकड़ भूमि लगभग 25 कास्तकारों से ली गयी है जिसका औसत रकबा 0–016 एकड़ आता है । इसलिए लिये गये भूमि की पूरी कीमत संबंधित किसानों को अदा कर उनसे बैनामा लिया गया है यह सही नहीं है कि कृषकों के कृषि योग्य भूमि का उपरोक्त प्रयोजन में कोई अधिग्रहण किया गया है अतः संशोधित मुआवजा अथवा आश्रितों के नियोजन का प्रश्न नहीं उठता है ।

बभनान शुगर मिल, गोण्डा द्वारा सड़क पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने की कार्यवाही

71–श्री मयंकर सिंह तथा श्री परशुराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बभनान शुगर मिल, गोण्डा द्वारा बभनान से गोण्डा जाने वाली सड़क पर भारी मात्रा में अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा हटवाने के लिए मिल प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, कुछ स्थानों पर अवैध कब्जा किया गया है ।

अवैध कब्जे हटवाने के लिए शासन के कड़े निर्देश हैं । कानूनी कार्यवाही हेतु निर्देश पुनः दे दिये गये हैं ।

गन्ना मिल बभनान, गोण्डा मिल मालिक पर गलत नीति एवं अपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप

72–श्री बाबूराम वर्मा तथा श्री ओम प्रकाश–

क्या सरकार को जानकारी है कि गन्ना मिल बभनान, गोण्डा के मिल मालिक की गलत नीति (घटतोली एवं भुगतान में गड़बड़ी) तथा अपराधिक तत्वों का संरक्षण लेने के कारण इस मिल के परिक्षेत्र में आने वाले गन्ना किसानों को अपना गन्ना रौजा मिल, बाराबंकी में ले जाना पड़ रहा है जिससे किसानों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर मिल प्रशासन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बभनान चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना रौजा गांव (बाराबंकी) चीनी मिल को बेचे जाने का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चैन्थम प्रांगण में ट्यूबवेल बिल्डिंग बोरिंग का निर्माण

73–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1993 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चैन्थम प्रांगण में नये ओवर हेड टैंक का निर्माण एवं महिला प्रांगण में नये ट्यूबवेल बोरिंग तथा ओवर हेड टैंक के निर्माण हेतु रु० 17.89 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? उक्त धनराशि से वर्तमान समय में जो कार्य कराया जा रहा है क्या शासनादेश के अनुसार ही है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से चैन्थम लाइन प्रांगण में नये ओवरहेड टैंक का निर्माण प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या ओवरहेड टैंक

का निर्माण न करके ट्यूबवेल निर्माण का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त कार्य में परिवर्तन किसकी अनुमति से कराया गया है ? क्या सरकार उक्त समस्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्व आदेशानुसार कार्य कराये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

विश्वविद्यालय के अनुसार उक्त प्रांगण में स्थित पुराने ट्यूबवेल के निष्प्रयोज्य हो जाने व जलापूर्ति के समस्या के निदान हेतु कार्य समिति की अनुमति से ट्यूबवेल बिल्डिंग व बोरिंग का निर्माण कराया गया ।

सम्पूर्ण तथ्यों की जांच पूर्ण होने के बाद यथोचित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 1994-95 के मध्य लखनऊ विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कतिपय शिक्षकों का पेंशन निर्धारण एवं अवधि का आगणन

74–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शासन को जानकारी है कि वर्ष 1992-94 के मध्य लखनऊ विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री आर० एन० शर्मा, श्री बी० एस० शुक्ल, श्री जे० पी० सिन्हा तथा श्री आर० के० तिवारी के पेंशन निर्धारण में उनकी सेवा अवधि का आगणन शासनादेश सं०–2148/15–(15)-1983-46/83. दिनांक 24 दिसम्बर, 1983 के प्राविधानों के अनुसरण में नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन को प्राप्त सूचनानुसार सर्वश्री आर० एन० शर्मा, बी० एस० शुक्ल एवं जे० पी० सिन्हा के पेंशन निर्धारण में शासनादेश संख्या–2148/15(15)-1983-46/83. दिनांक 24 दिसम्बर, 1983 के प्राविधानों का अनुसरण किया गया है तथा श्री आर० के० तिवारी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण भी विश्वविद्यालय द्वारा उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

75–श्री घूरा राम–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद रायबरेली के बछरावां महराजगंज कस्बे में अवैध रूप से बनाये जा रहे भवन के विरुद्ध पी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत दायर मुकदमा

76–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के बछरावां कस्बे में बछरावां–रायबरेली बछरावां महराजगंज दोनों सड़कों के मध्य विभाग द्वारा किसी भवन का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके निर्माण का उद्देश्य क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किस का अवैध निर्माण हो रहा है ? उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बछरावां महराजगंज कस्बे में बछरावां रायबरेली व बछरावां महराजगंज दोनों सड़कों के मध्य श्री बी० डी० सिंह पुत्र श्री शीतला प्रसाद द्वारा पूर्व में निर्माण कराया गया था, जिसके लिये विभाग द्वारा दिनांक 23-11-94 में नोटिस जारी की गयी थी तथा अब उक्त अवैध निर्माण को गिराने हेतु पी०पी० ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में रायबरेली हैदरगढ़ रोड पर पानी भरे रहने की शिकायत एवं नाली निर्माण की मांग

77–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के महराजगंज ब्लाक मुख्यालय पर रायबरेली हैदरगढ़ रोड पर एक कि०मी० की दूरी में सड़क पर पानी भरा रहता है एवं गंदा पानी निकलने के लिये पक्की नालियां नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर पक्की नालियों का निर्माण करवाकर सड़क को साफ सुथरा रखने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यह कहना सही है कि कथित मार्ग पर पानी निकालने के लिये कोई पक्की नाली नहीं है परन्तु यह सही नहीं है कि वहां पर पानी भरा रहता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फतेहपुर में चीनी मिल की स्थापना की मांग

78–श्री मुरलीधर–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फतेहपुर में एक चीनी मिल स्वीकृत करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक स्थापित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद फतेहपुर में तीन उद्यमियों सर्वश्री मेसर्स श्याम शुगर मिल्स लि०, गोपालनगर, जी०टी० रोड जिला फतेहपुर, मेसर्स ए० के० जी० मर्केन्टाइल्स–63–राम मार्ग, नई दिल्ली तथा मेसर्स के० एल० जे० पालीमर्स एण्ड केमिकल्स लि०, के० एल० जे० हाउस द्वारा भारत सरकार को चीनी मिल स्थापता हेतु आशय-पत्र की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र प्रेषित किये गये हैं।

आशय-पत्र लाइसेन्स की स्वीकृति का अधिकार भारत सरकार के पास है। आशय-पत्र की स्वीकृति के पश्चात् ही चीनी मिल की स्थापना नियमानुसार संभव है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ नगर में उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालयों (जू०हा० स्कूल) की संस्था एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

79–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितने उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) हैं ? क्या उनमें सभी विषयों के अध्यापक पूरे हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पदों को भर दिया जायेगा तथा क्या इन विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भी भरने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

लखनऊ नगर में 2 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा एक जूनियर हाई स्कूल स्तरीय क्रमोत्तर कन्या विद्यालय परिषद द्वारा संचालित है।

जी नहीं। एक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक एक विद्यालय में संगीत अध्यापक का पद रिक्त है। पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

इन विद्यालयों में सफाई कर्मचारियों के कोई पद सृजित नहीं हैं।

सफाई का काम अंशकालिक कर्मचारियों से कराया जाता है।

इन्दू बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर सिकरारा, जौनपुर को मान्यता दिये जाने की मांग

80–श्री दल बहादुर कोरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–310(1)/15-8-3009(3)1985. दिनांक 29 मार्च, 1986 द्वारा इन्दू बालिका पूर्व मा० विद्यालय, शाहपुर, सिकरारा,जौनपुर को रुपया 1.13.800 योजना संकेत संख्या 60102044 अर्न्तगत हाईस्कूल साहित्यिक एवं वैज्ञानिक वर्गों में एक साथ मान्यता दिलाये जाने से संबंधित आर्थिक सहायता स्वीकार की गयी थी ? यदि हां, तो इतने वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी उक्त विद्यालय को मान्यता क्यों नहीं प्रदान की गयी ? क्या यह सही है कि इस संबंध में शिक्षा निदेशक शिक्षा अर्थ (4) अनुभाग, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक अर्थ (4)/2787/2810/दस-पी (8)/86-87. दिनांक 24-6-87 द्वारा सचिव, मा० शिक्षा परिषद्, उ०प्र० इलाहाबाद को मान्यता दिलाये

जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया गया था ? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने शासन को मान्यता संबंधी प्रकरण पर प्रस्ताव कब भेजा था तथा उस प्रकरण पर शासन ने आज तक क्या कार्यवाही की ? इस वित्तीय अनियमितता पर शासन/निदेशालय स्तर पर कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

कतिपय कमियों के कारण साहित्यिक वर्ग का प्रकरण वर्ष 1988 में अस्वीकृत किया गया था। पुनः प्रकरण 1994 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

जी हां।

परिषद् के पत्र दिनांक 30-8-94 द्वारा अनुमोदनार्थ भेजा गया है। प्रकरण मान्यता हेतु विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व० श्री भगवती प्रसाद (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी), महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज, सुल्तानपुर को पेंशन दिये जाने की मांग

81–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व० श्री भगवती प्रसाद पुत्र स्व० राम अवतार निवासी म०–95, खैराबाद, सुल्तानपुर जो महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज, सुल्तानपुर में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे, की मृत्यु के उपरान्त आश्रित को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

श्री भगवती प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री राम अवतार निवासी मं०नं० 95, खैराबाद, सुल्तानपुर महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज, सुल्तानपुर में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे जिनकी मृत्यु दिनांक 13-9-85 को हो गयी थी। उनके आश्रित को पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है।

लखनऊ विश्वविद्यालय व उनके सहयुक्त महाविद्यालयों में नियुक्त पार्ट टाइम प्रवक्ताओं की वर्ष वार संख्या की जानकारी

82–श्री राधेश्याम गुप्ता–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों में लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालयों में कुल कितने प्रवक्ता तदर्थ, लीव वैकेन्सी तथा पार्ट टाइम में नियुक्त किये गये ? उक्त नियुक्तियों में कितने अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के प्रवक्ता नियुक्त किये गये ? क्या

प्रवक्ताओं का चयन, चयन समितियों द्वारा किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त समितियों में शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विगत दो वर्षों में लखनऊ विश्वविद्यालय तथा उसके सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर मात्र पार्ट टाइम प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी जिनका ब्योरा निम्नवत् है :–

वर्ष 1993-94	15
वर्ष 1994-95	49

उक्त नियुक्तियों में वर्ष 1994-95 में मात्र पिछड़े वर्ग का एक अभ्यर्थी नियुक्त किया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस हेतु कोई औपचारिक समिति नहीं थी ।

रायबरेली जनपद के महराजगंज विकास खण्ड प्राइमरी पाठशालाओं का भवन निर्माण

83–श्री राजाराम त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के महराजगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत दसवन्तपुर व बेलवा ग्राम में भवन विहीन प्रा० पाठशालाओं को वर्ष 1994-95 में भवन निर्माण के लिये धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो किस विभाग को दिया गया और कितना ? क्या यह सही है कि इसके पूर्व भी इन्हीं विद्यालयों को धन आवंटित किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि कार्य न कराकर फर्जी व्यय दिखाया गया है ? क्या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और संबंधित अवर अभियन्ता या ठेकेदार से गलत व्यय की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1994-95 में प्राइमरी पाठशाला बेलवा के भवन निर्माण हेतु जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत धन स्वीकृत है ।

2–प्रश्नगत अवधि में प्राथमिक विद्यालय दसवन्तपुर के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया । सहायक अध्यापक प्राइमरी विद्यालय बेलवा एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते में रुपये 90,000/- वर्ष 1987-88 में जनपद के 17 प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को प्रति भवन रुपये 66,800/-की दर से धनराशि आवंटित की गई थी उक्त विद्यालयों में बेलवा व दसवन्तपुर सम्मिलित थे, किन्तु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने लागत वृद्धि बताते हुए उक्त धनराशि रुपये 90,000/- प्रति विद्यालय की दर से 12 विद्यालयों का ही निर्माण कराया गया । उपरोक्त कारणवश प्राथमिक विद्यालय बेलवा एवं दसवन्तपुर के भवन का निर्माण तत्समय नहीं कराया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में स्टेट सेक्टर से सड़क निर्माण के लिए अवमुक्त धनराशि की जानकारी

84–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली में स्टेट सेक्टर से वर्ष 1993-94 में सड़क निर्माण के लिये धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो कितना ? इसमें से बछरावां विधान सभा क्षेत्र को कितनी धनराशि सड़क निर्माण में दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस वित्तीय वर्ष में धन देने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

25.80 लाख रुपये ।

10.00 लाख रुपये ।

इस वित्तीय वर्ष में धन का दिया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

86–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री मो० अशफाक अंसारी, स० अ०, राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के कालातीत यात्रा भत्ते का भुगतान

87–श्री मर्यकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र० को सम्बोधित जिला मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ, उ० प्र०, बहराइच का दो संलग्नकों सहित पत्र संख्या–84/रा०शि०सं०/विभाग/94-95, दिनांक 7-3-95 जो श्री मो० अशफाक अन्सारी, स० अ०, राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के कालातीत यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उसके परिणाम क्या रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

अभी कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में रिंग रोड पर यातायात चालू होने की जानकारी

88–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में रिंग रोड चालू होने में कितना समय लगेगा और इसके क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

रिंग मार्ग पर यातायात चालू है ।

जनपद वाराणसी के पंचायत क्षेत्र पिंडरा व बड़ा गांव के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों से वर्ष 1990 से अब तक विकास शुल्क की जमा धनराशि की जानकारी

89–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत पिंडरा व क्षेत्र पंचायत बड़ागांव, वाराणसी के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों से प्रतिमाह लिया गया विकास शुल्क कितना रुपया वर्ष 1990 से लेकर अब तक जमा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जो रु० प्रा० पा० के प्रधान अध्यापकों के नाम व जू० हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के नाम जमा है वह इधर उधर खर्च कर दिया जा रहा है और स्कूलों के विकास में आज तक नहीं लगाया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और विकास शुल्क को पूरे प्रदेश से समाप्त करने पर विचार करेगी ? इसमें से कितना रु० जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के खाते में जमा है?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

रुपया 13,47861-00 जमा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रुपया 1,34,786-00 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के खाते में जमा है ।

जनपद वाराणसी के बड़ागांव व पिंडरा विकास खण्डों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

90–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव देवराई व कछियां, ब्लाक पिंडरा व रसुलहा, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में प्राइमरी स्कूल खोलने हेतु प्रश्नकर्ता ने शिक्षा मंत्री को दिनांक 17-1-94 को तथा मा० मुख्य मंत्री को दिनांक 6-2-95 को पत्र लिखा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1994-95 में तथा 1995-96 के वित्तीय वर्ष में गांव देवराई में प्राइमरी स्कूल खोलेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

दिनांक 17-1-94 प्राप्त हुआ है परन्तु प्रश्नकर्ता का माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 6-2-95 नहीं बल्कि पत्र दिनांक 10-2-95 प्राप्त हुआ है । गांव सभा देवराई सेवित ग्राम सभा है, अतः अतिरिक्त पाठशाला खोला जाना अभी सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी के देवराई में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग

91–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 95 फीसदी आबादी डबल रेलवे लाइन वाराणसी–सुल्तानपुर लखनऊ व वाराणसी फैजाबाद लखनऊ के पश्चिम गांव पिंडरा के सरहद तक दो किलोमीटर की दूरी तक आबाद है ? यदि हां, तो क्या सरकार देवराई में एक प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? क्या यह सही है कि वर्ष 1994 में मा० प्रभारी मंत्री श्री रामधनी जी ने जिला योजना वाराणसी की दो बैठकों में देवराई में प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो प्राइमरी स्कूल न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

प्रत्येक ग्राम सभा में तीन वर्षों में एक प्राइमरी पाठशाला खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जनपद में प्राथमिक पाठशाला की स्थापना का निर्णय संबंधित जनपद की जिला शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है । गांव देवराई सेवित ग्राम सभा है । अतः अतिरिक्त प्राइमरी पाठशाला खोला जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

रायबरेली जनपद के कतिपय विकास खण्डों में राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेज खोलने की मांग

92–श्री राजाराम त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत बछरावां विकास खण्ड के कुर्टी सुदौली राजामऊ व बछरावां तथा शिवगढ़ विकास खण्ड के आसोह नरेथुवागर्डर गूठा व वैती एवं महराजगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत कोटवा मोहम्मदाबाद चन्दापुर, मऊ हरदोई एवं सलेयू, पारा कला में राजकीय हाई स्कूल इण्टर कालेज विद्यालयों को खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

नये राजकीय हाई स्कूल खोलने हेतु आय-व्ययक में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण तथा सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित न होने के कारण ।

रायबरेली जनपद के हलोर-महराजगंज मार्ग के डामरीकरण की मांग

93–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे रायबरेली जनपद के बछरावां विधान सभा में हलोर से सेमरौता वाया कोरवा मोहम्मदाबाद, महराजगंज मार्ग पर डामर डाल कर निर्माण कराया जाना शासन से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य जिला योजना की प्रकृति का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में माल से दुबग्गा तक सड़क के निर्माण की जानकारी

94–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में माल से दुबग्गा तक डामर रोड निर्माण हेतु 38 लाख 25 हजार रुपया स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि इस सड़क की लम्बाई $8\frac{1}{2}$ किलोमीटर है तथा बीच-बीच में कुछ स्थान को छोड़कर साढ़े 4 कि० मी० तक पत्थर भी पड़ गया है लेकिन अभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ ? क्या सरकार शीघ्र ही इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

माल दुबग्गा मार्ग के जेहटा से दुबग्गा सम्भाग के 8.5 कि० मी० लम्बाई में डामर रोड निर्माण हेतु 38.25 लाख रु० में स्वीकृत हुआ था ।

जी नहीं । जेहटा दुबग्गा मार्ग की लम्बाई 8.5 कि०मी० है । उक्त स्वीकृत लम्बाई में से 3.5 कि०मी० में लेपन स्तर 2 कि०मी० में टापकोट कुटाई स्तर तथा एक कि०मी० में इण्टरकोट कुटाई स्तर तक कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति पर है ।

संसाधनों का अभाव ।

पूरी सड़क का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग

95–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हजारों बेरोजगार बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या इन प्रशिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खुलने तथा परिषदीय विद्यालय में सेवा निवृत्ति मृत्यु/छात्रवृद्धि/पदोन्नति आदि के फलस्वरूप शिक्षकों के उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रत्येक वर्ष बेरोजगार बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी से मधुमखियां-कमरूद्दीनपुर मार्ग जनपद वाराणसी को आवंटित धनराशि में से बची धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापस करने की जानकारी

96–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी ह कि वर्ष 1992-93 का पूर्वांचल विकास निधि वाराणसी से मधुमखियां कमरूद्दीनपुर मार्ग वाराणसी के लिये जो धन स्वीकृत किया गया था उसमें से साठ हजार के ऊपर रुपया कार्य के बाद अवशेष बचा था ? यदि हां, तो उसको कहां खर्च किया गया ? क्या वह धन 245 कोलअसला विधान सभा क्षेत्र वाराणसी का था ? क्या सरकार पता लगाकर उस बचे हुए धन को दूसरे मार्ग पर खर्च करने की आज्ञा देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अवशेष धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वाराणसी को वापस कर दी गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हैदरगढ़ बाराबंकी मार्ग पर गोमती नदी पर पुल निर्माण की मांग

98–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैदरगढ़ औसानेश्वर बाराबंकी मार्ग पर गोमती नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति प्रदान करना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

दि सहकारी चीनी मिल संघ लि०, रसड़ा, बलिया को घाटे में होने की जानकारी एवं सीजनल कर्मचारियों की नियुक्ति में धांधली का आरोप

99–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल संघ लि०, रसड़ा, बलिया इस समय कितने घाटे में चल रही है तथा इसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त मिल के जनरल मैनेजर की लापरवाही से उक्त मिल की हालत खराब हो गयी है ? क्या यह भी सही है कि मैनेजर श्री राय द्वारा अपने रिश्तेदारों व अपने सजातीय कर्मचारियों की नियुक्ति सीजनल तौर पर की गयी थी जिससे मिल को काफी हानि हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95 में वर्षवार घाटा का विवरण क्या है और सीजनल कर्मचारियों की नियुक्त की संख्या क्या थी और कौन-कौन कर्मचारी किस-किस पद पर नियुक्ति किये गये थे ?

सुश्री मायावती–

अनुमानित बैलेन्शशीट के अनुसार रु० 102.71 लाख की शुद्ध हानि अनुमानित है । घाटे का मुख्य कारण मिल की क्षमता के अनुरूप गन्ने का न मिलना, गन्ना मूल्य में वर्षवार वृद्धि एवं उसके अनुपात में चीनी के मूल्यों में वृद्धि का होना, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, उत्पादन लागत का बढ़ जाना, उत्पादन

लागत से काफी कम दाम पर लेवी चीनी की बिक्री, शीरे पर नियंत्रण के कारण बाजार दर से कम दाम पर शीरे की अधिकांश मात्रा पर बिक्री आदि है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

वर्षवार 1990-91 से 1994-95 तक वर्षवार घाटे का विवरण, सीजनल कर्मचारियों के नियुक्ति की संख्या एवं उनके पदों के विवरण की सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ग' आगे पृष्ठ 198 पर)

दि सहकारी चीनी मिल संघ लि०, रसड़ा, बलिया को वर्ष 1990 से 1995 के राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एवं उपयोग किये गये धन का विवरण

100–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल संघ लि०, रसड़ा, जनपद बलिया को वर्ष 1990 से 1995 तक वर्षवार कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी गयी है और उसका उपयोग किस-किस मद में किया गया है और मिल द्वारा उत्पादन कितना किया गया है ? उक्त उत्पादन से घाटे की पूर्ति कितनी हुई है और कितना घाटा शेष बचा है ? क्या यह सही है उक्त मिल के जनरल मैनेजर श्री राय द्वारा मिल की तरफ से काफी सुविधा व आर्थिक धन अपने साज सज्जा में खर्च कर रखा है जिससे मिल के घाटे में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेंगे ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1990 से 1995 तक वर्षवार राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि, उसके उपयोग तथा वर्षवार उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :—

वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता (लाख रु०)	उपयोग की मद	मिल द्वारा उत्पादित चीनी (कुन्तल में)	वर्ष की शुद्ध हानि (लाख रु० में)
90-91	145.00	गन्ना मूल्य भुगतान एवं मरम्मत	123610	255.60
91-92	160.00	–तदैव–	168085	245.62
92-93	257.50	–तदैव–	121065	149.21
93-94	117.00	सीजन 92-93 के अवशेष गन्ने का भुगतान	83000	18.30
94-95	—	—	127715	102.71

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के बछरावां विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सड़कों की जानकारी

101–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के अन्तर्गत बछरांवा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी ऐसी सड़कें हैं जिसमें पत्थर मिट्टी पड़ चुकी है ? उनकी लम्बाई क्या है ? कितनी में प्रथम स्तर पर और कितनी में द्वितीय स्तर की कुटाई हो चुकी है ? इन सभी पर क्या डामर स्तर तक लेपन कार्य किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आर० एल० ई० जी० पी० योजना के अन्तर्गत कुल 29 सड़कें खड़ंजा स्तर तक निर्मित हैं जिनकी लम्बाई 95.67 कि०मी० है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डामर व लेपन स्तर का कार्य किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद रायबरेली के बछरांवा चौराहे पर गोल चबूतरे के निर्माण में धन के दुरुपयोग की जानकारी

102–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के बछरावां चौराहे पर लोक निर्माण विभाग द्वारा गोल चबूतरे का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उसमें कितना व्यय आया था ? क्या यह सही है कि निर्माण में सीमेन्ट व ईंट की उपयुक्त गुणवत्ता न होने से एक ट्रक ने उसे धक्का देकर तोड़ दिया था जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु भी हो गयी थी ? क्या संबंधित जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

103–श्री राम कुमार शुक्ल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जूनियर हाई स्कूल सिसवां बाजार, जनपद महराजगंज द्वारा विज्ञान उपकरण एवं प्रयोगशाला के नाम पर फर्जी भुगतान किये जाने का आरोप

104–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जूनियर हाई स्कूल सिसवां बाजार, जनपद महराजगंज के विज्ञान कोष में वर्ष 1989 से 1990-91 तक 25,000.00 (रु० पच्चीस हजार) जमा था ? क्या यह

सही है कि वर्ष 1991-92 में जमा धनराशि से 23,150.000 रुपये विज्ञान उपकरण एवं प्रयोगशाला के नाम पर फर्जी भुगतान कर लिया गया है और आज तक सामानों का क्रय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत अवधि में विज्ञान शुल्क से आय तथा पिछले अवशेष की धनराशि के रूप में रुपये 10,986.70 जमा थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की वर्ष 1994 की परीक्षा परिणामों के पश्चात् संवीक्षा धनराशि राजकीय कोष में जमा करने की जानकारी

105–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० शि० प० उ० प्र० की वर्ष 1994 (अप्रैल) की परीक्षा परिणामों के पश्चात् कितने छात्रों ने संवीक्षा (स्क्रूटनी) के लिये प्रपत्र भरा था ? शिक्षा परिषद् द्वारा संवीक्षा के लिये कुल कितनी धनराशि जमा की गयी ? जमा धनराशि का क्या हुआ ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1994 की परिषद् परीक्षा में हाई स्कूल के 61095 तथा इण्टर के 35088 कुल 96183 परीक्षार्थियों ने सन्निरीक्षा हेतु प्रपत्र भरा था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परीक्षार्थियों द्वारा सन्निरीक्षा हेतु हाई स्कूल में रु० 18,02,199.00 तथा इण्टर में रु० 11,74,457.00 धनराशि शुल्क के रूप में जमा की गयी ।

धनराशि राजकीय कोष में जमा है ।

जनपद शाहजहांपुर के मो० रेती में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय के जर्जर भवन का किराये के भवन में स्थानान्तरण

106–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर मो० रेती में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूल की बिल्डिंग जो कि जर्जर हालत में है, का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत भवन नगरपालिका के समय से ही जर्जर है जिसकी मरम्मत सम्भव नहीं है । भवन के जर्जर होने की स्थिति में विद्यालय अन्यत्र किराये के भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनहिता, जिला जौनपुर में कार्यरत परिचालकों की नियमित नियुक्ति एवं वेतन भुगतान

107–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० मा० विद्यालय, सोनहिता, जिला जौनपुर में कितने व्यक्ति परिचालक के पद पर दि० 19 अक्टूबर, 1992 से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन दि० 24 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो उक्त पदों पर किन-किन की नियमित नियुक्ति की गयी ? क्या उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल एवं नये सदस्यों के चयन की जानकारी

108–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद् के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना है ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्य परिषद् के सदस्य का पिछला चुनाव कब हुआ था ? क्या कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद कुछ सदस्य अभी भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कार्य परिषद् के नये सदस्यों के चयन में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सुश्री मायावती–

तीन वर्ष ।

2. सितम्बर, 1991 ।

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माइनर शनावेला, वाराणसी की पटरी मार्ग के डामरीकरण की मांग

109–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घरसौना माइनर चोलापुर वाराणसी से जो माइनर शैनावेला वाराणसी को गयी है उसकी पटरी पर लोक निर्माण विभाग वाराणसी ने गिट्टी कूट कर वर्षों

से छोड़ दिया है जिसके कारण उक्त मार्ग खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त नहर की पटरी मार्ग को डामर का बनवाने की स्वीकृति देगी ?

सुश्री मायावती–

प्रस्तावित कार्य स्वीकृत स्तर तक कराया जा चुका है ।

प्रश्नगत कार्य जिला योजना से सम्बन्धित है जिसका अनुमोदन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है ।

पूरा रघुनाथपुर से कहरका झंझौर मार्ग जिला वाराणसी को पक्का कराने की मांग

110–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 56वां राष्ट्रीयकृत मार्ग वाराणसी से लखनऊ से स्थान पूरा रघुनाथपुर से कहरका झंझौर मार्ग वाराणसी को अब तक पक्का मार्ग न बनाने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर वर्ष 1995-96 के लिये इस 5-6 किलोमीटर मार्ग को बनवाने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्नगत कार्य का अनुमोदन जिला योजना में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाना है ।

गन्ना विकास समिति गोण्डा में गन्ना पर्यवेक्षकों को नक्शा, खसरा, खतौनी उपलब्ध न कराया जाना

111–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गन्ना विकास समिति, गोण्डा में शासन द्वारा 1,30.000 रुपये नक्शा, खसरा, खतौनी, बनाने हेतु दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त नक्शा, खसरा, खतौनी गन्ना पर्यवेक्षकों को वितरित नहीं की गई ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बौद्ध परियोजनान्तर्गत प्रान्तीय खण्ड गोण्डा/बहराइच व सिद्धार्थनगर द्वारा आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों एवं भुगतान में अनियमितता के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर टी०ए०सी० जांच की मांग

112–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1994 के बाद प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र उनको एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को तथा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण

विभाग उ० प्र० को दिया था और जांच की मांग टी०ए०सी०/विजिलेन्स से कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र का आशय क्या था और जांच किस एजेन्सी द्वारा कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, प्रश्नकर्ता का दिनाक 13-4-94 एवं दिनाक 8-11-94 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है। दिनांक 8-11-94 का पत्र दिनांक 13-4-94 के पत्र की प्रतिलिपि है।

जी हां।

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र का आशय बौद्ध परियोजना के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड गोण्डा/बहराइच/सिद्धार्थनगर तथा विभागीय निर्माण इकाई गोण्डा/बहराइच/सिद्धार्थनगर को आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों एवं भुगतान में की गयी अनियमितताओं की टी०ए०सी०/सतर्कता से जांच कराने का था। टी०ए०सी० एवं विभागीय अधिकारियों से जांच कराये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

सहकारी गन्ना विकास समिति गोण्डा में जांच के दौरान यूरिया एवं डी०ए०पी० खाद कम पाये जाने का आरोप

113–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 4-6-1994 को सहकारी गन्ना विकास समिति, गोण्डा में जांच करने पर 131 बोरी यूरिया, 64 बोरी डी०ए०पी० खाद कम पायी गयी ? यदि हां, तो सरकार ऐसे भ्रष्ट गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) श्री श्याम सिंह को निलम्बित करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी गन्ना विकास समिति गोण्डा के सचिव श्री श्याम सिंह के विरुद्ध जांच एवं निलम्बन

114–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि सहकारी गन्ना विकास समिति गोण्डा में श्री श्याम सिंह के विरुद्ध शिकायत पर दिनांक 13, 14, 19 अक्टूबर, 1993 को जांच दल भेजकर शासन द्वारा जांच कराई गयी थी जिसमें गम्भीर अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जांच के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी श्री श्याम सिंह, गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय)/सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, गोण्डा को निलम्बित किया जा चुका है।

115–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गन्ना विकास निरीक्षक श्री श्याम सिंह वर्ष 1989, 90, 91 गन्ना विकास समिति, नवाबगंज में खाद गोदाम का निर्माण कराया था जिसमें अग्रिम धनराशि के रूप में 56,000 रुपये हड़प लिये थे, जिसकी सूचना गन्ना विकास समिति, नवाबगंज के सचिव द्वारा अपने पत्रांक 399, 400 दिनांक 30-6-93 को जिला गन्ना अधिकारी को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जांच करायी गयी। जांच के आधार पर श्री श्याम सिंह को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा नयी पर्यटन नीति की घोषणा

116–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उ०प्र० सरकार पर्यटन नीति में क्या-क्या परिवर्तन करने जा रही है ? क्या सरकार राजकीय पर्यटन आवास गृहों को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का निर्णय करने जा रही है ? क्या यह सत्य है कि सरकार उत्तरांचल में राजकीय पर्यटक आवास गृहों को बेचने हेतु पूंजीपतियों को बम्बई से आमंत्रित करने की योजना बनाने जा रही है ? स्थानीय व्यक्तियों की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? क्या सरकार अपनी स्पष्ट पर्यटन नीति जारी करने पर विचार कर रही है ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति घोषित की जा चुकी है।

जी नहीं।

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर की केराकत तहसील में गोमती नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण

117–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत की गोमती नदी पर स्थित चदवक पुल विगत दस वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या लोक निर्माण मंत्री चालू वित्तीय वर्ष में उक्त क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो वह क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां। अभिलेखों के अनुसार पुल 8 वर्षों से क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण हेतु गठित तकनीकि समिति के परामर्श के अनुसार यथावश्यक मरम्मती कार्य की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी तथा नये पुल का निर्णय भी लिया गया।

यह उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

जनपद गाजीपुर में राजकीय जूनियर हाई स्कूलों एवं उनमें सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या की जानकारी

118–श्री संग्राम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गाजीपुर में वर्तमान समय में राजकीय जू० हा० स्कूल कितने हैं तथा उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या उनमें सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या उनमें सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी के रूप में माना गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद गाजीपुर में राजकीय जूनियर हाई स्कूल तीन हैं, तथा उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या दस है। इन्हें राजकीय कर्मचारी माना गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जनपद के बछरावां क्षेत्र में कतिपय सड़कों के निर्माण की मांग

119–श्री राजाराम त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के बछरावां क्षेत्र में हरदोई से कुन्दनगंज वाया अटरा तथा भवानीगढ़ से बहुदा कला वाया वेडारू एवं राजामऊ से पस्तौर तक मार्ग पर डामर डाल कर निर्माण कार्य कराया जाना शासन से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त कार्य जिला योजना श्रेणी का है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

120–श्री राजाराम त्यागी–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवंटित वाहनों की संख्या एवं व्यय का विवरण

121–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितने वाहन हैं तथा इन्हें किन-किन अधिकारियों को आवंटित किया गया है ? इन वाहनों पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में कितना धन पेट्रोल, मेन्टीनेंस आदि पर विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किया गया है ?

सुश्री मायावती–

कुल 5 (पांच) वाहन हैं जो कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक तथा कुलानुशासक के कार्यालय को आवंटित हैं ।

उक्त वाहनों पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में पेट्रोल मेन्टीनेंस आदि पर रु० 1, 39,999.97 की धनराशि व्यय हुई है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में लगे नये एवं पुराने नलकूपों की जांच

122–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में लगाये गये नये एवं पुराने नलकूपों की सहायक अभियन्ता, नलकूप कान्सट्रक्शन विभाग, इलाहाबाद द्वारा की गयी दिनांक 16-12-1994 की जांच रिपोर्ट कुल अभियन्ता इ०वि०वि० को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दयानन्द महाविद्यालय, वाराणसी में कार्यरत डा० दीनानाथ सिंह को चयन वेतनमान अनुमान्य न होना

123–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-3-1995 शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? क्या यह पत्र दयानन्द महाविद्यालय वाराणसी में कार्यरत डा० दीनानाथ सिंह को चयन वेतनमान दिये जाने में की गयी त्रुटि को संशोधित करने के संबंध में है ? यदि हां, तो शासन ने प्राप्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

वर्तमान नियमों के तहत डा० सिंह को उक्त लाभ नहीं दिया जा सकता है ।

पौड़ी में विदेशी मदिरा विक्रेता श्री नीरज कुमार सिंह के नाम के अनुमोदन हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र के संबंध में जानकारी

124–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना–

क्या मा० मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 16-9-94 या इसके आस-पास श्री नीरज कुमार सिंह विक्रेता विदेशी मदिरा केन्द्र, पौड़ी को अनुमोदन करने के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो क्या प्रबन्ध निदेशक चीनी मिल संघ को इस संबंध में परीक्षा कराकर शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या परीक्षण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या तथ्य पाये गये ? यदि परीक्षण नहीं कराया गया, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ लि०, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार इस तरह का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है, तथापि स्थिति की जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री नीरज कुमार सिंह नामक कोई विक्रेता, पौड़ी मदिरा केन्द्र में कार्यरत नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

56वां राष्ट्रीयकृत मार्ग पर वाराणसी के पिण्डरा बाजार में नाली निर्माण में घपले की जांच

125–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि छप्पनवां राष्ट्रीयकृत मार्ग वाराणसी के पिंडरा बाजार में दोनों किनारे पानी निकासी हेतु जो नाली बनायी गयी है उसमें द्वितीय व तृतीय श्रेणी के ईंटों का प्रयोग किया गया है तथा मसाला निम्न श्रेणी का लगाया गया है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने जो मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी को दिनांक 24-10-94 को पत्र लिखा है, उस पर मुख्य अभियन्ता ने क्या कार्यवाही की ? क्या प्रश्नकर्ता ने इसकी जांच टेक्निकल सेल से करने को भी लिखा है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? जांच परिणाम क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है ।

प्रश्नकर्ता का ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

जी नहीं । टेक्निकल आडिट सेल से जांच नहीं कराई गई, किन्तु एक अन्य विधायक के पत्र के संदर्भ में विभागीय जांच कराई गई ।

प्रदेश के बेसिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति में मानक आधार की जानकारी

126–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति मानक के आधार पर करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? क्या सुविधाजनक स्थानों में अधिक एवं

दूर दराज के क्षेत्रों में कम अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो मानक के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

निर्धारित मानक के अनुसार नियुक्ति के आदेश पूर्व में दिये गये हैं।

कतिपय जनपदों के विषय क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति है।

वार्षिक प्रबन्ध के समय समायोजन के माध्यम से विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों के पद भरने हेतु सभी जनपदों को निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

नवयुग विद्या मन्दिर मिशन, वाराणसी की प्रबन्ध समिति के विवादित होने की जानकारी

127–श्री अमर नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नवयुग विद्या मन्दिर मिशन, वाराणसी की प्रबन्ध समिति विवादित है ? यदि हां, तो विवाद का कारण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या वाराणसी न्यायालय में इस सम्बन्ध में कोई वाद चल रहा है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या बिन्दु हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

विवाद का कारण दो अलग-अलग प्रबन्ध समितियों द्वारा अपना-अपना दावा प्रस्तुत करना है।

जी हां।

वाद में सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स द्वारा दिखाये गये चुनाव में चयनित प्रधान व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष के चयन को चुनौती दी गई है तथा यह भी निवेदन किया गया है कि वादी एवं कमेटी को प्राप्त प्रबन्धकीय विधिक अधिकार का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप न किया जाय।

नवयुग विद्या मन्दिर मिशन चौका घाट, वाराणसी के प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के पंजीकरण का नवीनीकरण

128–श्री अमर नाथ यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि नवयुग विद्या मन्दिर मिशन चौकाघाट वाराणसी का पंजीकरण कब हुआ था ? इनके पदाधिकारियों एवं सदस्यों का नवीनीकरण कब हुआ ? क्या यह नवीनीकरण वैधानिक है ? यदि हां, तो क्या मिशन के पदाधिकारी एवं सदस्यगणों में से कितने पुराने व कितने नये सदस्य हैं ? क्या नये सदस्यों को सदस्य बनाने वाला व्यक्ति सदस्य बनाने के लिये अर्ह है ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार ? यदि नहीं, तो क्या उनका नवीनीकरण निरस्त करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत समिति का पंजीकरण नवयुग विद्या मन्दिर मिशन, वाराणसी के नाम से दिनांक 19-2-64 को हुआ था।

पदाधिकारियों एवं सदस्यों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है बल्कि प्राविधानों के अन्तर्गत वांछित नवीनीकरण शुल्क एवं समिति की सूची आदि प्राप्त होने पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण दिनांक 29-10-91 को किया गया था ।

जी हां ।

समिति के अभिलेखानुसार 6 पुराने व 68 नवीन सदस्य हैं ।

जी हां ।

समिति की पंजीकृत नियमावली के प्रस्तर–10 में उल्लिखित नियम के अनुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्योंकि नियमानुसार नवीनीकरण किया गया है ।

प्रताप सिंह राणा, राजकीय इन्टर कालेज भटवाड़ी उत्तरकाशी की पदोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी

129–श्री मातवार सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रताप सिंह राणा राजकीय इन्टर कालेज भटवाड़ी उत्तरकाशी से जूनियर गोपाल सिंह पांथरी की पदोन्नति वर्ष 1991 में किन नियमों के अन्तर्गत की गयी ? क्या यह सत्य है कि प्रताप सिंह राणा की वरीयता सूची में क्रमांक 84 एवं गोपाल सिंह पांथरी की वरीयता सूची में क्रमांक 93 था ? यदि यह क्रमांक सही है तो प्रताप सिंह राणा का प्रमोशन किन कारणों से रोका गया ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1991 में श्री गोपाल कृष्ण पांथरी न कि गोपाल सिंह पांथरी को प्रोन्नति दी गई है ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) पुरूष शाखा की 15 जुलाई, 92 को निर्गत ज्येष्ठता सूची में श्री प्रताप सिंह राणा क्रमांक–84 तथा श्री गोपाल कृष्ण पांथरी क्रमांक 92 पर स्थान पाये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

130–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य करते आ रहे हैं ? क्या कारण है कि इन कर्मचारियों को लम्बे समय से नियमित नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्राविधान सेवा नियमावली में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर एवं नरेन्द्रनगर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

131–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मा० मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में शासन द्वारा मुंसिफ कोर्ट कीर्ति नगर तथा नरेन्द्र नगर के लिये स्वीकृत है ? यदि हां, तो इन मुंसिफ कोर्टों को क्यों नहीं खोला जा रहा है ? क्या सरकार नरेन्द्र नगर एवं कीर्तिनगर, टि०ग० में शीघ्र मुंसिफ कोर्ट खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर कब तक मुन्सिफ कोर्ट खोल दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नरेन्द्र नगर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु मा० उच्च न्यायालय की सहमति/आख्या मांगी गयी है । सहमति/आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार विचार किया जायेगा । कीर्तिनगर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु मा० उच्च न्यायालय ने आवासिक/अनावासिक भवनों के अभाव में संस्तुति नहीं की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों की पूर्ति की मांग

132–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में कितने पद प्रधानाचार्यों के खाली पड़े हैं ? इन पदों की पूर्ति न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रदेश में राजकीय हाई स्कूल/राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के क्रमशः 161 व 384 पद रिक्त हैं ।

प्रधानाचार्य, राजकीय हाई स्कूल के पदों को भरने हेतु चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है । कार्यवाही गतिमान है ।

सीधी भर्ती के कोटे के राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के 216 पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है । प्रोन्नति कोटे के पदों को विभागीय चयन के

माध्यम से नियमित रूप से भरने की कार्यवाही पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है। उपरोक्त कारणों से पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

133–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 25-3-91 को जनपद शाहजहांपुर में कोलाघट पुल का उद्घाटन मा० मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या तीन वर्ष सात माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त पुल का निर्माण सरकार कब से प्रारम्भ करा रही है ? क्या सरकार पुल के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करके शीघ्र पुल निर्माण शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 25-3-91 को जनपद शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल का शिलान्यास किया गया था।

जी हां।

इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना संभव नहीं हो सका।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

134–136–श्री बच्ची सिंह रावत–

[4थे बुधवार में अता० प्र० सं०–158-160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पाठ्य पुस्तक अधिकारी कार्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् में प्रकाशकों तथा मुद्रकों के सुरक्षा धन को वापस न किये जाने की शिकायत

137–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाठ्य पुस्तक अधिकारी कार्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् में अभी तक कितने प्रकाशकों तथा मुद्रकों के सुरक्षा धन उनके द्वारा सभी औपचारिकतायें पूरी कर देने के बाद भी वापस नहीं किये जा रहे हैं ? सुरक्षा धन को वापस न किये जाने का क्या कारण है ? सरकार धन वापस करने की कोई निश्चित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

ऐसे कोई प्रकरण लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में स्थित हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में रिक्त पदों की पूर्ति की मांग

138–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितने इण्टर कालेज एवं कुल कितने हाई स्कूल हैं ? ऐसे कितने हाई स्कूल हैं जहां पांच से अधिक अध्यापक नहीं हैं और कितने ऐसे इण्टर कालेज हैं जहां दस से अधिक अध्यापक नहीं हैं ? इसका मानक क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि कर्णप्रयाग विधान सभा के अनेक हाई स्कूल ऐसे भी जहां मात्र तीन अध्यापक हैं और कई इण्टर कालेज ऐसे भी हैं जहां प्रवक्ता नहीं हैं इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत हाई स्कूल, इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा प्रवक्ता, एल०टी० सहित सभी पदों के अध्यापकों को तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों को विधायकों की संस्तुति पर लिए जाने का प्राविधान किये जाने की मांग

139–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मा० मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगी कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की भलीभांति नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को उनके क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों को उनकी अनुशंसा/संस्तुति के आधार पर ही लिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही क्षेत्रों की योजनाओं को समाहित करते हुए जिला योजना की संरचना जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाती है जिसमें जिले के समस्त मा० विधायकगण सम्मिलित रहते हैं अतएव नगरीय क्षेत्रों के विधायकों के लिए पृथक से किसी अन्य व्यवस्था की आवश्यता नहीं है ।

प्रदेश में विधायकों को गाड़ी/आवास हेतु दिये जाने वाले अग्रिम धनराशि पर लगने वाले ब्याज दर की जानकारी

140–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधायकों को गाड़ी/आवास के लिये जो अग्रिम धनराशि एक लाख रुपया दिया जाता है, वर्तमान में उस पर ब्याज की दर क्या है ? क्या मंत्री जी इतनी अधिक ब्याज की दर को घटाने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अनुसार अग्रिम की राशि पर ब्याज दरें वही हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिये यथास्थिति गृह निर्माण या वाहन क्रय अग्रिम के संबंध में निर्धारित की जाती हैं।

चालू वित्तीय वर्ष (1995-96) के लिये मोटर कार अग्रिम पर 18.5 प्रतिशत तथा रु० 1,00,000 तक स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय अग्रिम पर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज की दरें अनन्तिम रूप से निर्धारित की गयी हैं। ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है।

राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले भवन निर्माण तथा वाहन अग्रिमों पर ब्याज की वही दरें निर्धारित की जाती हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित की जाती है। विधायकों को स्वीकृत किये जाने वाले उक्त अग्रिमों पर ब्याज की वही दरें निर्धारित की जाती हैं जो राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित होती हैं। किसी वर्ग विशेष के लिये ब्याज की दरों में कमी करने से अन्य वर्गों में अनावश्यक रूप से असन्तोष बढ़ेगा। अतः किसी वर्ग विशेष के लिये ब्याज की दरों में कमी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

जनपद बलिया को एक चीनी मिल का लाइसेन्स देने की मांग

141–श्री दीनानाथ चौधरी–

क्या मा० मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर कोई उद्योग आदि के साधन नहीं हैं जिससे गरीब दलित पिछड़ों के लिये रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके ? क्या सरकार बलिया जनपद को एक चीनी मिल का लाइसेन्स देने का प्रस्ताव करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

गन्ना उपलब्धता की कमी की दृष्टि से फिलहाल किसी नई चीनी मिल का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर की पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 1994-95 में आवंटित व अवमुक्त धनराशि का विवरण

142–श्री ओम प्रकाश सिंह (मिर्जापुर)–

क्या मा० मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगी कि मिर्जापुर जिले के लिये पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 1993-94 व वर्ष 1994-95 में कितनी धनराशि आवंटित व अवमुक्त की गयी है ? वर्ष 1994-95 के लिये आवंटित धनराशि वर्ष 1993-94 से कम होने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जनपद मिर्जापुर के लिये पूर्वांचल विकास निधि से वित्तीय वर्ष 1993-94 व 1994-95 में आवंटित एवं अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि का वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष	आवंटित धनराशि	अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)
1993-94	120.52	109.47
1994-95	135.56	135.56

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री नन्दलाल पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

श्री लौटूराम मेट को 20वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखे जाने की जानकारी

144–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मजदूर संघ, जौनपुर का पत्रांक 1/फाइल/दिनांक 11-7-94 व पत्रांक 2/फाइल/दिनांक 29-7-94, अधीक्षण अभियन्ता, 20वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, वाराणसी व मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री लौटूराम मेट को 1/11/92 से कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रख लिया गया है ।

लोक निर्माण विभाग में तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

145–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति वर्ष तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु परीक्षा का प्राविधान शासनादेश के आधार पर है ? क्या 20 प्रतिशत कोटा

पदोन्नति हेतु शासन से निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन नियमित रूप से किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

146–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 27-5-94 या इसके आस-पास फतेहगंज-पूर्वी, जनपद बरेली में कन्या इण्टर कालेज खोलने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पत्र पर मुख्य मंत्री जी ने सचिव, माध्यमिक शिक्षा को परीक्षणोपरान्त इंटर कालेज खोलने हेतु कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां । मुख्य मंत्री जी के विशेष सचिव ने आदेश दिये थे ।

सीधे इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना संचालित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में माध्यमिक विद्यालयों में बिना पद सृजन व अनुमोदन के अध्यापकों की नियुक्तियों के विरुद्ध जांच की मांग

147–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में बिना पद सृजित तथा बिना अनुमोदित अध्यापकों की नियुक्तियां कर ली गयी थीं जिसकी जांच वर्ष 1992 में करायी गयी थी ? उसके जांच अधिकारी कौन थे ? उन्होंने किन-किन बिन्दुओं पर जांच की है ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर में डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

148–श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के विकास खण्ड में कोई डिग्री कालेज नहीं है ? क्या सरकार वहां पर डिग्री कालेज खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कालेज खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

विश्वविद्यालय के माध्यम से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

गोण्डा जनपद की मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मार्गों की जानकारी

149–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन राज्य योजना के मार्ग तथा जिला योजना के मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? क्या जो मार्ग खड़ंजा स्तर के हैं, सरकार लेपन स्तर तक कार्य कराने के लिये वित्तीय वर्ष 1994-95 में एस० एन० डी० योजना में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राज्य योजना के मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हैं। जिला योजना के क्षतिग्रस्त मार्गों की सूची संलग्न है।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण वर्ष 1994-95 की जिला योजना को एस० एन० डी० में सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "घ' आगे पृष्ठ 199 पर)

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन नीति की घोषणा

150–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई नीति बनाई गयी है ? क्या इस नई नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड की गोचर पनघट की भूमि होटल व्यवसायियों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करने की भी योजना है ? यह निर्णय कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में नयी पर्यटन नीति घोषित की जा चुकी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में कतिपय विकास खण्डों में स्थित राजकीय इण्टर कालेजों व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापक के पदों पर नियुक्ति

151–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैण, कर्णप्रयाग व पौड़ी के पावौ, थैलीसैण, वीरोखाल, पोखड़ा, खिर्सू में अधिकांश राजकीय इण्टर कालेजों व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी होने से छात्र-छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित है? यदि हां, तो अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

नियुक्ति हेतु अधियाचन उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है । आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होते ही तथा पदोन्नति हेतु विभागीय चयन सम्पन्न करवाकर नियुक्ति कर दी जायेगी । एल० टी० के कुछ सहायक अध्यापकों की आयोग से चयनित सूची प्राप्त है तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज, बूंगीधार में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

152–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय इण्टर कालेज बूंगीधार में अध्यापकों की भारी कमी के कारण छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? क्या अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने तथा विभागीय चयन से पदोन्नति देकर पूर्ति की जायेगी । एल० टी० के सहायक अध्यापकों की आयोग से चयनित सूची प्राप्त है तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली में वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन के ऊपर राष्ट्रीय मार्ग नं० 11 के पुल को ऊंचा कराने की जानकारी

153–श्री बदन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम महुअर के निकट स्थित वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन के ऊपर राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 11 का पुल बहुत नीचा बना होने के कारण दुर्घटनाओं में अब तक पचासों मौतें हो गयी हैं ? यदि हां, तो इस पुल को ऊंचा न बनाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि इस स्थान पर विभाग से ऊंचा पुल बनना स्वीकृत है और इस पुल को ऊंचा बनाने का कार्य प्रारम्भ करने के लिये डाइवर्जन मार्ग भी निकट में बना दिया गया है ? यदि हां, तो यह स्वीकृत पुल का बनना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पुल सकरा व नीचा होने से दुर्घटनाओं की आशंका रहती है ।

राष्ट्रीय मार्ग के पुल की ऊंचाई भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति के अनुरूप सुनिश्चित होती है ।

प्रकरण भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु संदर्भित है । उपलब्ध स्वीकृति के परिपेक्ष्य में डाइवर्जन का आंशिक निर्माण किया गया । पुल का बनना भूतल परिवहन मंत्रालय के पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक निर्णय पर निर्भर करता है ।

वाराणसी जनपद के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने व भवन निर्माण की मांग

154–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्र पंचायत बड़ागांव, जिला वाराणसी के अन्तर्गत जू० हाईस्कूल कुंवार का कार्य अधूरा है और ताड़ी प्रा० पा० व नथईपुर प्राइमरी पाठशाला भवन विहीन है । क्या गांव पंचायत साईपुर, रसुलहा, बड़ामहिमापुर, बड़ीगांव सभायें, अमीयर में हरीपुर, बसनी, में दल्लूपुर तथा कठिरांव में फत्तूपुर तथा गांव बरजी में नयी बस्ती बरजी जो अनुसूचित जाति बाहुल्य है व गांव भरथरा में प्रा० पा० नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर विश्व बैंक शिक्षा परियोजना जो वाराणसी जिले में लागू है उससे उपरोक्त गांवों में भवन बनाने तथा प्रा० पा० खोलने का आदेश देकर सबको शिक्षा की व्यवस्था करायेगी ?.

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत दोनों प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ।

गांव पंचायत साईपुर में वर्ष 95-96 में विश्व बैंक परियोजना में विद्यालय खोलना प्रस्तावित है ।

ग्राम पंचायत रसूलहा में विश्व बैंक परियोजना में विद्यालय खोला जा चुंका है जिसका भवन निर्माण भी हो रहा है । शेष सभी ग्राम सेवित श्रेणी में आते हैं और संबंधित गांव सभाओं में स्कूल की सुविधा उपलब्ध है ।

प्रश्न में पूछे गये प्रत्येक ग्राम पंचायत के किसी न किसी गांव या पुरवे में प्राइमरी पाठशाला संचालित है इसलिये शासन की वर्तमान नीति के अनुसार प्रश्न में निहित गांवों या पुरवों में नया प्राइमरी विद्यालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद के मनकापुर में सड़क निर्माण में घपले की जांच की मांग

155–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993-94 तथा 1995 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में आई० टी० आई० मनकापुर बाईपास पर पटरी की चौड़ाई तथा ब्रिकएजिंग का कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि चौड़ाई कम बढ़ाई गयी है तथा घटिया किस्म के ईटों का प्रयोग किया गया है और मनकापुर मछलीगांव मार्ग पर टाउन एरिया मनकापुर के अन्तर्गत जो सड़कों की ऊंचाई बढ़ाई गयी है मानक से ऊंचाई बहुत ही कम है एवं मिट्टी तथा तारकोल में काफी घपला किया गया है? यदि हां, तो संबंधित अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच कराकर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मार्ग की चौड़ाई कम नहीं बढ़ाई गयी तथा घटिया किस्म की ईटें का प्रयोग नहीं किया गया है । सड़कों की ऊंचाई मानक के अनुसार ही बढ़ाई गयी है मिट्टी तथा तारकोल में प्रथम दृष्टया कोई घपला नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जनपद में लखनऊ बरेली मार्ग पर बाईपास के निर्माण की जानकारी

156–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में लखनऊ बरेली मार्ग पर जो बाईपास बनना प्रस्तावित है उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है ? क्या जनहित में उक्त "बाईपास" का निर्माण शुरू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रस्तावित बाईपास के निर्माण हेतु आमंत्रित निविदाओं पर भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है ।

जनपद शाहजहांपुर के गर्रा सेतु की मरम्मत हेतु वर्ष 1994-95 में स्वीकृत धन एवं उससे कृत कार्य की जानकारी

157–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के गर्रा सेतु पुल की मरम्मत के लिये वर्ष 1994-95 में कितना रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ तथा कितना रुपया वर्ष 1994-95 में कब-कब खर्च हुआ ? उक्त पुल मरम्मत का ठेका दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से टेण्डर द्वारा हुआ या नीलामी बोली लगाई गई ? क्या गर्रा सेतु पुल का मरम्मत कार्य पूरा हो गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि गर्रा पुल के मरम्मत में घटिया सामग्री तथा घटिया लोहा लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सेतु की मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 1994-95 में 23.32 लाख धन आवंटित हुआ था । जिसका उपभोग उक्त वित्तीय वर्ष में ही किया जा चुका है ।

पुल की मरम्मत हेतु ठेका निविदा का प्रकाशन सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ के माध्यम से कराने के उपरान्त दिया गया ।

गर्रा सेतु की डैक बदलने का कार्य पूर्ण हो गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेतु की मरम्मत का कार्य अनुमोदित डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुरूप हुआ है ।

प्रदेश में "सबके लिये शिक्षा" कार्यक्रम के लक्ष्य एवं अवमुक्त धनराशि की जानकारी

158–श्री माया शंकर पाठक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में "सबके लिये शिक्षा" परियोजना हेतु शिक्षा के विकास के लिये कितनी धनराशि किन-किन योजनाओं में व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था

और उसके विपरीत कितनी-कितनी धनराशि शासन से अवमुक्त कराई गई और कितनी धनराशि दिनांक 31 मार्च, 1995 तक व्यय की गयी ? क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गया ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार एवं पूर्णता तथा पहुंच में सुधार हेतु वर्ष 1994-95 में रुपये 72.69.92.000 का लक्ष्य रखा गया था ।

वर्ष 1993-94 के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिये धनराशि को भी सम्मिलित करते हुए कुल रुपये 83.50.00.000 की स्वीकृति जारी की गयी ।

31 मार्च, 1995 तक रुपये 43.11.81.000 का प्रतिपूर्ति योग्य व्यय हुआ ।

वर्ष 1994-95 के लिये निर्धारित लक्ष्य आंशिक रूप से प्राप्त हो सका है । तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु जूनियर इंजीनियरों की व्यवस्था हेतु विश्व बैंक से विलम्ब से स्वीकृति प्राप्त होने, भारत सरकार से एडवांस एडिशनल सेन्ट्रल असिस्टेन्स तीन माह विलम्ब से प्राप्त होने तथा उत्तराखंड जनपदों में असामान्य परिस्थितियों के कारण कार्य अवरुद्ध हुआ । अतः कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जनपद के माधोगंज ब्लाक में 1972 में हुए सेवानिवृत्त अध्यापकों के बढ़े हुए वेतन एरियर के भुगतान की मांग

159–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज में वर्ष 1972 में सेवानिवृत्त अध्यापकों को बढ़े हुए वेतन एरियर का भुगतान तथा काटी गयी धनराशि की एन० ए० सी० प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1972 में ब्लाक माधोगंज में कितने अध्यापक सेवानिवृत्त हुए थे ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

160–श्री सुधीर कुमार बालियान–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

काशीपुर, जनपद नैनीताल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति की मांग

161–श्री राजीव कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर (नैनीताल) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थायी नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का कोई अभिमत प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उक्त स्थायी नियुक्ति में वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हो चुकी है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर में हिण्डन नदी पर सेतु निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

162–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन नदी पर ग्राम हडौली (हलौली) व सदरूद्दीन नगर के बीच प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु शासन द्वारा कुछ धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या इस धनराशि से पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

रु० 96.00 लाख ।

स्थल चयन बाकी है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

163–श्री राजाराम त्यागी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

164–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्रीमती रेखा सिंघल पत्नी श्री विनय कुमार सिंघल को एस० एस० वी० कालेज, हापुड़, जनपद गाजियाबाद में नियुक्ति की मांग

165–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रेखा सिंघल पत्नी श्री विनय कुमार सिंघल लिपिक एस० एस० वी० कालेज हापुड़ (गाजियाबाद) के लापता होने तथा उनकी पत्नी को सेवायोजित किये जाने के संबंध में शपथ पत्र माह अगस्त, 1994 में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्रीमती रेखा सिंघल के शपथ पत्र को देखते हुए धारा 38 के अन्तर्गत उनकी नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 की परिधि में न आने के कारण श्रीमती रेखा सिंघल की नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

जनपद इलाहाबाद में कौशाम्बी ब्लाक में किलनहाई नदी पर सेतु की मरम्मत में हुए व्यय की जानकारी

166–श्री शिवदानी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के कौशाम्बी ब्लाक में किलनहाई नदी पर बने सेतु के आंशिक रूप से टूट जाने से मरम्मत का कार्य एक वर्ष से भी अधिक अवधि तक चलता रहा है ? यदि हां, तो उक्त पुल के मरम्मत कार्य में कितना राजस्व खर्च किया गया ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मई, 1995 तक रु० 5.69 लाख खर्च किया गया ।

वीर स्मारक इण्टर कालेज बड़ौत, मेरठ की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन

167–श्री समर पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वीर स्मारक इण्टर कालेज, बड़ौत, जिला मेरठ की प्रबन्ध समिति के कथित निर्वाचन दिनांक 25-7-93 को जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ने अपने आदेश दि० 19-5-94 द्वारा मान्यता प्रदान की थी ? क्या उसे मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11-8-94 द्वारा निरस्त कर दिया था ? क्या यह सही है कि उप शिक्षा निदेशक (मेरठ) ने उक्त प्रबन्ध समिति को दिनांक 31-12-94 के आदेश द्वारा बहाल कर दिया है ? क्या यह भी सही है कि संबंधित चुनाव अधिकारी ने अपने शपथ पत्रों सहित यह सूचित किया है कि उन्होंने उक्त प्रबन्ध समिति का निर्वाचन नहीं कराया है जबकि उस पर पहले से ही स्थगन आदेश चल रहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी प्रबन्ध समिति कार्यकारिणी समिति को तुरन्त निरस्त करने एवं मान्यता देने वाले दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसौली जनपद बदायूं के जीर्ण शीर्ण भवन की मरम्मत की मांग

168–श्री दया सिन्धु शंखधार–

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद बदायूं के बसौली नगर में स्थित राज० कन्या उ० मा० विद्यालय का भवन अत्यन्त जीण-शीर्ण अवस्था में है तथा कभी भी कोई भयानक हादसा हो सकता है ? क्या सरकार उक्त भवन की शीघ्र मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत भवन पुराना एवं मरम्मत योग्य है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आबकारी अधीक्षक के स्थान पर सहायक आबकारी आयुक्त की स्वीकृति की जानकारी

169–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–2636/ई/तेरह–699(1)/70 दिनांक 5-4-1973 जिसके द्वारा प्रदेश के तेईस जनपदों में जिला कलेक्टर के पद में निहित आबकारी विभाग के प्रशासन एवं व्यवस्था करने से संबंधित शक्ति के प्रयोग एवं कर्तव्य के निर्वाह के निमित्त उनके अधीनस्थ आबकारी अधीक्षक को प्राधिकृत किया गया था, अभी भी प्रभावी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रदेश के तेईस जनपदों में, आबकारी अधीक्षक उक्त शक्ति के प्रयोग एवं कर्तव्य के निर्वाह हेतु जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किये जा चुके

हैं ? यदि नहीं, तो कितने जनपदों में उक्त अधिसूचना आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है ? उक्त अधिसूचना/आदेश के अनुसार तेईस जनपदों में कार्य किया जाना कब तक सम्भव होगा ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत अधिसूचना दिनांक 5-4-1973 द्वारा शासन द्वारा सीधे ही प्राधिकृत किया गया था । अन्तराल में दो जनपदों को निकाल दिया गया । वर्तमान में आबकारी अधीक्षक के पदों के स्थान पर सहायक आबकारी आयुक्त के पद स्वीकृत हैं जिनके पदाधिकारी जिला आबकारी अधिकारी के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन एवं शक्ति का प्रयोग करते हैं । अतएव, आबकारी अधीक्षक द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का अब प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोटवां-गैरहां मार्ग वाराणसी जनपद में इसरवार नाले पर पुल निर्माण की स्वीकृति की मांग

170–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कोटवां भिटकुरी-गैरहां मार्ग, जिला वाराणसी में इसरवार नाले पर एक पुल आज तक नहीं बनाया गया और सीमेंट की पाइप डालकर छोड़ दिया गया है जिसकी वजह से उक्त स्थान से 10-12 किलोमीटर घुमकर कालिका बाजार-सौरहां कपसेठी जाना पड़ता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर वर्ष 1995-96 के वित्तीय वर्ष में उक्त पुल की स्वीकृति देकर बनवाने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । केवल वर्षा ऋतु में घूमकर जाना पड़ता है ।

पुल की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

171–श्री घनश्याम शुक्ला–

[दिनांक 17-7-95 को अता० प्र० सं०–80 द्वारा उत्तरित]

172–श्री बदन सिंह–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में बालिका इण्टर कालेज खोलने की मांग

173–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र–मुजेहना में सरकार वित्तीय वर्ष 1994-95 में कोई बालिका इण्टर कालेज खोलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

वित्तीय वर्ष 1994-95 समाप्त हो चुका है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु विद्यालयों की अलग अनुदान सूची बनाकर अनुदान देने की मांग

174–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु बालिकाओं की शिक्षा संस्थाओं, प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, इण्टर कालेजों की अलग से सूची बनाकर उन्हें अनुदान देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्णय कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और अनुदान सूची की अलग सूची बनाकर अनुदान देगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही शासन द्वारा विद्यालयों की मान्यता की वरीयता क्रमानुसार अनुदान सूची पर लिया जाता है ।

लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभारित/अनियमित रूप में कार्यरत कर्मचारियों को लाभान्वित किये जाने की जानकारी

175–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभारित के रूप में या अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित सेवा में समायोजन किये जाने के संबंध में शासन द्वारा क्या कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित नीति के तहत, उक्त वर्ग के कर्मचारियों द्वारा कार्य प्रभारित के रूप में या मस्टर रोल पर तथा किसी और स्थिति में अनियमित रूप से की गई सेवा को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सेवा लाभ के निमित्त, नियमित सेवा में सम्मिलित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या संबंधित नीति के तहत, उक्त वर्ग के कर्मचारियों के नाम उनके नियमित सेवा में समायोजन के उपरान्त शेष कर्मचारियों के साथ संवर्ग सेवा की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाते हैं ? क्या शासन द्वारा बनाई गयी उक्त से संबंधित नीति के तहत दिनांक 31-3-95 तक या उससे पूर्व उक्त स्थिति में अनियमित रूप से कार्यरत रहे कर्मचारी वास्तविक रूप से लाभान्वित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो उक्त के संबंध में की जा रही अपेक्षित कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन कतिपय कर्मचारियों को लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद अल्मोड़ा के कतिपय स्थानों पर राजकीय कोषागार या उपकोषागार की स्थापना की मांग

176–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के स्थान देघाट, मछोड, जालली और डौड़ाखाल में राजकीय कोषागार अथवा उपकोषागार स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनकी स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के ग्राम–ग्योड़ी आदि ग्रामों को विकास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

177–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम–ग्योड़ी तथा अन्य 15 गांवों को विकास की न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1994 उन्हें प्राप्त हुआ है ? उक्त पत्र में नियोजन विभाग के माध्यम से जिलाधिकारी को जिला योजना से धनराशि आवंटित करने हेतु निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया था ? उक्त पत्र में उल्लिखित अन्य बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा शेष कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

ग्राम–ग्योड़ी तथा अन्य 15 ग्रामों को विकास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक मा० सदस्य के पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1994 में इंगित सुविधाओं के संदर्भ में उल्लिखित प्रकरणों को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये गये हैं । जिला योजना के अधीन विकास सुविधाओं का आवंटन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के कार्य क्षेत्र में आता है, और जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को राज्य स्तर से निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह परिपाटी और परम्परा रही है कि जब किसी कमेटी का उदाहरण दिया जाता है तो उसका निर्णय बताया जाता है न कि समिति के सदस्यों का नाम लिया जाता है यह शिष्टाचार के खिलाफ है । मान्यवर, यहां पर नाम लेकर चर्चा हुई जो कि संसदीय दृष्टि से उचित नहीं है । मान्यवर, माननीय फोनियां जी का नाम लिया गया । मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि यह परम्परा रही है कि किसी कमेटी की रिपोर्ट बतानी चाहिये उसके निर्णय बताने चाहिये

उसके डेलीबरेशन गोपनीय होते हैं उसका आउट करना शिष्टाचार के खिलाफ है । कमेटी की संस्तुतियां तो बतायी जा सकती हैं लेकिन समिति के सदस्यों का नाम लिया जाये यह उचित नहीं है ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, किसी इच्छा से या किसी बात को खास ढंग से कहने के लिये मैंने माननीय सदस्यों का नाम लिया और यह इसलिये लिया क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि इसमें कौन-कौन से सदस्य थे, कौन से अधिकारी थे । मान्यवर, हो सकता है कि पहले की सरकारों ने जब माननीय सदस्य ने कोई ऐसा प्रश्न किया हो तो उसके निर्णय को उसके अध्यक्ष के नाम को छिपाया हो मगर हमसे जब जानकारी मांगी जायेगी हम उसके किसी तथ्य को छिपायेंगे नहीं । हमने पहले भी यह कहा था कि यह पारदर्शी सरकार है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई शिष्टाचार भंग नहीं हुआ है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया उससे यह भ्रम पैदा हो गया कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आये थे उनकी राय पर सरकार ने नशाबन्दी न लागू करने का निर्णय लिया । लेकिन मान्यवर, जो सत्यता माननीय सदस्यों ने कही जो परम्परा रही है जो सदस्य उपस्थित थे उन्होंने उस बात को कहा, उनकी बात को सत्य मानते । मान्यवर, उस बैठक में सदस्यों की क्या राय थी और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया यह बातें स्पष्ट हो जानी चाहिये थीं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया था कि उस बैठक में न तो कोई वोटिंग हुआ और न ही बहुमत से कोई फैसला हुआ था । उस बैठक में तत्कालीन आदरणीय माननीय मंत्री जी से विचार-विमर्श हुआ था और उसके अलावा भी तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के पत्र आये । उसके तमाम तथ्यों को, जिन्हें प्रश्न के माध्यम से माननीय ऊदल जी ने उठाया था और उसे समेकित करके शासन ने उस पर सम्यक निर्णय लिया और उसमें मद्य निषेध लागू न करके नयी नीति बनायी थी जिसके अन्तर्गत अवैध ड्रग्स और दवाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई । उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट स्थिति सामने आई है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक सम्मानित सदस्य का नाम लिया और कुछ निर्णय बताये । आप भी उस पीठ पर बैठकर सहमत होंगे, बैठक में जो कुछ भी हुआ है, उसके संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह उस बैठक में सम्मिलित नहीं थे, उन्हें जो तथ्य दिये गये होंगे, वह यहां प्रस्तुत कर रहे हैं । चूंकि मान्यवर, यहां यह सदैव माना गया है कि अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन में खड़े होकर अपनी बात कहते हैं, तो उस बात को सच माना जाता है, जब तक कि उसके विपरीत कोई आधार या साक्ष्य न हो । यहां सम्मानित सदस्य ने एक बात कह दी है और चूंकि माननीय मंत्री जी स्वयं उस बैठक में उपस्थित नहीं थे, उन्हें आंकड़ों के हिसाब से अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात रखनी पड़ रही है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और जब माननीय मंत्री जी और सूचनायें प्राप्त कर लें और जिस दिन आप अनुमति दें, या तो प्रश्न स्थगित रहे या आप वक्तव्य के लिये निर्देशित कर दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी, जब प्रश्नकाल चल रहा था, तब कदाचित इसके उत्तर में अन्तर्निहित बात के प्रति जागरूक नहीं थे। मैंने उस समय भी उत्तर दिया कि कोई निर्णय नहीं हुआ था, विचारों के आधार पर फैसला लिया गया।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से कुछ ऐसी ध्वनि निकली। मैं भी मंत्रिमंडल का सेवक था। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी का सुविचारित मत यही है कि वहां पर पूर्ण मद्यनिषेध होना चाहिये। इस उत्तर से मेसेज जाता कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पुनिया जी आदि उपस्थित थे। यह स्पष्ट हो गया कि उस कमेटी में कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ, केवल कुछ लोगों की राय थी ? लेकिन यह जो बात तिवारी जी ने कही कि इसको अभी रुकवा दें और अध्ययन करके दुबारा उत्तर आ जाये, मैं इससे सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, माननीय तिवारी जी, कृपया संगत नियमों के तहत लिखकर दे दीजियेगा, मैं विचार कर लूंगा।

नियम–301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31 जुलाई, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर, अग्राह्य को छोड़ते हुए, 7 सूचनायें स्वीकार की गई।

सीतापुर नगर क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नगर सीतापुर में सफाई के अभाव में सर्वत्र भीषण गन्दगी है। सड़कों पर नियमित झाड़ू न लगने, कूड़ा पटान के न उठने से कूड़े के ढेर लगे हैं। पेयजल संकट भीषण है। पाइप लाइन पुरानी तथा बजबजाती नालियों के जर्जर होने के कारण मलयुक्त पानी मिलता है। अनियमित विद्युत आपूर्ति से सड़कों पर अन्धकार, राहजनी की घटनायें हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 11 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। फलतः काम करने में वह रुचि नहीं लेते। सड़कों की हालत बिलकुल जर्जर है। इस समस्या की ओर अनेक बार सदन के भीतर तथा बाहर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला, वरन् समस्या बद से बदतर हो रही है। नगर की समस्या के निदान हेतु मांग है कि इण्डिया मार्क (2) के 10 हैण्ड पम्प लगे। पाइप लाइनों की मरम्मत तथा बिगड़े नलकूप ठीक करके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय । बिजली आपूर्ति ठीक हो, कर्मचारियों को वेतन दिया जाय तथा सफाई, कूड़ा पटान का उठान, नालियों की सफाई सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाय ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड पाटी, गंगोलीघाट और बेरीनाग में भयंकर रूप से संक्रामक रोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड पाटी, गंगोलीघाट और बेरीनाग में भयंकर रूप से संक्रामक रोग का प्रकोप फैला हुआ है । जिस कारण लगभग 30-40 व्यक्ति मर चुके हैं, पचासों जन अस्पतालों में दाखिल हैं इससे क्षेत्र में दहशत का वातावरण व्याप्त है । पूर्व में भी बार-बार जनपद व पर्वतीय क्षेत्र में अस्पतालों, चिकित्सकों व दवाइयों की कमी की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है । बावजूद इसके अभी तक किसी भी प्रकार के ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाये गये । नतीजतन वर्तमान में संक्रामक रोग का जबरदस्त प्रकोप जनपद में फैला हुआ है, स्थिति विस्फोटक है । इस कारण जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है । यदि अतिशीघ्र वैक्सीनेशन टीके की व्यवस्था न की गयी तो महामारी होने से रोका नहीं जा सकता है । और सरकार को जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा । अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र उच्चस्तरीय चिकित्सकों की टीम वैक्सीनेशन टीका व दवाइयो के साथ जनपद पिथौरागढ़ को रवाना की जाए ।

[12 बजकर 30 मिनट]

मिर्जापुर नगर मे व्याप्त पेयजल के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० सरजीत सिंह डंग–

महोदय, मिर्जापुर नगर की जनसंख्या लगभग 2 लाख है नगर 28 वार्डों में बंटा हुआ है वर्तमान पेयजल व्यवस्था डाडाफाल स्थित जलाशय एवं ट्यूबवेलों के माध्यम से होती है 6 ट्यूबवेल पिछले वर्ष फेल हो गये हैं, फलस्वरूप पेयजल की स्थिति जो पहले से ही खराब थी, भयावह हो गयी है । मिर्जापुर की पेयजल पाइप लाइन 1914 में बिछाई गयी थी जो पुरानी होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गयी है । कहीं रिसाव एवं अवरोध होने के कारण भी पेयजल आपूर्ति बाधित होती है । पुरानी लाइनों के मानचित्र भी उपलब्ध नहीं हैं । जब तक नई पाइप लाइन बिछाकर पर्याप्त संख्या में नये ट्यूबवेल नहीं लगाये जायेंगे स्थिति पर नियंत्रण सम्भव नहीं है । यह स्वाभाविक रूप से श्रम साध्य कम साध्य एवं समय साध्य हल है । इनकी स्वीकृति में तथा निर्माण में जो समय लगे उस बीच पेयजल की समस्या के तात्कालिक हल हेतु प्रत्येक वार्ड में वर्तमान के अतिरिक्त औसतन 4-5 हैण्ड पम्पों का निर्माण हो जाय तो आंशिक रूप से समस्या का हल किया जा सकता है । शासन का ध्यान आकृष्ट कराने तथा इस जन सुविधा से जुड़ी समस्या का समाधान करने का निर्देश देने का अनुग्रह करें ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल जी के उपस्थित न होने पर क्र० सं०–5 पर अंकित अगली सूचना श्री राम सरन वर्मा की ली गयी । इसी बीच श्री विकल जी के आ जाने पर उनकी सूचना भी ले ली गयी ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद पीलीभीत में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत यू० पी० स्टेट एग्रो में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सरन वर्मा–

महोदय, जनपद पीलीभीत में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि० व लघु सिंचाई विभाग 10 लाख कूप योजना एकीकृत ग्राम्य विकास योजना व लघु सीमान्त कृषक योजना के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग की उपलब्धता लाभार्थियों को करायी जा रही है साथ ही साथ विभिन्न एजेन्सियों द्वारा भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इण्डिया मार्क-2 के हैण्ड पम्प भी लगाये जा रहे हैं। वास्तव में निःशुल्क बोरिंग तथा हैण्ड पम्प से लाभान्वित होने वाले नागरिकों को यथार्थ में लाभान्वित होने के लिये कथित भ्रष्टाचार में सहयोगी बनना पड़ रहा है। अन्यथा साजिशी एवं फर्जी कार्य के द्वारा लाभान्वित होना दर्शा दिया जाता है। ऐसे ही निःशुल्क बोरिंग जनपद में सामान्यतः सभी निःशुल्क बोरिंग लाभार्थियों को श्रमिक भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के स्थान पर बीयरर चेक से किया जा रहा है जिससे कि लाभार्थी नहीं वरन् भ्रष्ट अधिकारी लाभान्वित हो रहे हैं इसी प्रकार इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प जनपद में जितने भी प्रत्यारोपित हैं। उनमें से अधिकांशतः कम सामान के द्वारा अधिकृत लम्बाई का बोरिंग होना दर्शाया गया है प्लेट फार्म व पानी निकासी की नालियां नहीं बनायी गयी हैं अथवा नल लगाना तो दर्शाया गया पर वास्तव में प्रत्यारोपित नहीं किया गया। इन सभी कारणों से अधिकांशतः हैण्डपम्प बन्द पड़े हैं। जन चर्चा है कि निःशुल्क बोरिंग योजना में ठेकेदार से 500 रु० प्रति बोरिंग की दर से धन की कमाई की जा रही है। इसकी शिकायत किये जाने पर यू० पी० स्टेट एग्रो के सेवा अभियन्ता श्री राजकुमार ने विकास खण्ड विलसण्डा के सुनिश्चित निःशुल्क बोरिंग लक्ष्य को अधिकारियों को गुमराह करके दूसरे विकास खण्डों में स्थानान्तरित करा दिया। इस सम्पूर्ण दोनों योजनाओं के द्वारा जनपद के अन्तर्गत जो घोटाला है उसकी जांच कराया जाना अपरिहार्य है। अतः नियम 301 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की कृपा करें।

आगरा महानगर की सड़कों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

महोदय, आगरा महानगर में सड़कों की दशा अत्यन्त खराब है। शहर के पिछड़ों व मलिन बस्तियों में खड़ंजों व सड़कों की हालत अत्यन्त दुर्दशाग्रस्त है इसी प्रकार मोहल्लों व कालोनियों में सड़कें भयंकर रूप से जर्जर होकर टूट फूट चुकी हैं। आगरा नगर निगम द्वारा वर्ष 93-94 तथा वर्ष 94-95 में प्राप्त हुए सड़क अनुदान के धन से इनमें से जिन सड़कों का सुधार व निर्माण कराया जाना स्वीकार होकर टेंडर भी हो गये थे उनमें से 70 प्रतिशत सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं करोड़ों रुपया सड़क अनुदान का बेकार पड़ा हुआ है और यदि स्वीकृत की गयी सड़के नहीं बनीं तो अन्ततः वह लैप्स हो जायगा। स्वीकृत सड़कों में कमलानगर, विजयनगर, नुनिहाई, नगलापदी, बलकेश्वर, लोहियानगर, सीतानगर आदि की 30 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। थोड़ी सी वर्षा होने से ही यह टूटी सड़कें और भी क्षतिग्रस्त होकर आये दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं इस स्थिति से जनता में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

व्यापक असंतोष है तथा क्षोभ व्याप्त है । अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि इस संबंध में सड़कों के निर्माण कराये जाने हेतु तत्संबंधी आदेश दिये जायें ।

वाराणसी महानगर के कई मोहल्लों में सफाई कर्मचारियों के न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरनाथ यादव–

महोदय, वाराणसी महानगर के ढेलवरिया, नक्खीघाट, शैलपुरी एवं कोनिया तथा कज्जाकपुरा मुहल्लों में सफाई कर्मियों के न होने के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर यह कहना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र वाराणसी नगर महापालिका के गठन के बाद नगर महापालिका सीमा के अन्तर्गत जोड़ा गया है । परिणामतः नगर महापालिका के सीमा के अन्दर आने वाले अन्य मुहल्लों में सफाई करने हेतु सफाई कर्मी की नियुक्ति की गयी है । लेकिन उक्त क्षेत्र बाद में नगर महापालिका सीमा के अन्दर शामिल न करने के कारण आज तक उक्त क्षेत्रों में सफाई एवं स्वच्छता हेतु सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं की गयी है जिसके कारण वहां पर कूड़े के ढेर पड़े होते हैं । सड़ने के बाद हवा के साथ दुर्गन्ध चारों तरफ बराबर बना रहता है । संक्रामक रोग फैलने के अवसर रहते हैं । प्रायः इन क्षेत्रों में संक्रामक रोग भी फैलते रहते हैं हैजा मलेरिया आदि जानलेवा बीमारियों का आतंक बराबर बना रहता है । उक्त क्षेत्रों की लाखों की जनता सफाई कर्मी के बिना कराह रही है और उनके बराबर संक्रामक रोग से ग्रसित होने की आशंका बनी रहती है बरसात के दिनों में और भी बदतर एवं गम्भीर स्थिति पैदा हो जाती है । अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के प्रश्न को मा० सदन के समक्ष प्रस्तुत कर मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्रों में तत्काल जनहित में सफाई कर्मी की नियुक्ति करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि क्रम संख्या–7 पर अंकित माननीय सदस्य श्री माम चन्द्र लाम्बा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिये मैं प्रतीक्षा सूची पर अंकित क्रम संख्या–1 पर श्री राम स्वरूप सिंह जी की सूचना को ले रहा हूं।

वाराणसी जिला के चकिया तहसील अन्तर्गत बैराठ फार्म एवं मोकरम बंधी की सरकारी जमीन के दलित खेतिहर मजदूरों को बेदखल करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम स्वरूप सिंह–

महोदय, वाराणसी जिला के चकिया तहसील अन्तर्गत बैराठ फार्म व मोकरम बंधी की लगभग 1000 एकड़ सरकारी भूमि पर क्षेत्र के लगभग 300 दलित मजदूर विगत 35–40 साल से खेती करते आ रहे हैं इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाकर और झाड़-झंकाड़ साफ कर जोतने बोने लायक इन्हीं दलित किसानों ने बनाया है पूर्व काशीनरेश, डा० विभूति नारायण सिंह इन दलित किसानों को अपने राजशाही प्रभुत्व के बल पर जबरिया बेदखल करना चाहते हैं जबकि पूर्व काशी नरेश व उनके परिवार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के किसी सदस्य का नाम इस जमीन से संबंधित सरकारी अभिलेखों में कतई नहीं है यह बैराठ फार्म व मोकरम बंधी की लगभग 1000 एकड़ जमीन स्पष्ट रूप से सरकारी जमीन है। आश्चर्यजनक बात है कि वर्तमान परगनाधिकारी चकिया सहित पूरा जिला प्रशासन सरकार की नीतियों व मंशा तथा कानून के विरुद्ध जाकर दलित किसानों को बेदखल करने एवं पूर्व काशी नरेश को काबिज कराकर उन्हीं की खेती कराना चाहता है। बैराठ फार्म व मोकरम बंधी पर दलित किसानों का दमन करने के लिये भारी पुलिस बल यहां तक कि रैपिड ऐक्शन फोर्स भी तैनात की जा रही है सैकड़ो दलित किसानों सहित उनके नेताओं पर धारा 147/148/323/327/336/506/395 के संगीन मुकदमें चला दिये गये हैं अभी लगभग 60 दलित किसान व उनके कुछ एक नेता जेलों में बंद हैं पूर्वफ काशी नरेश के कर्मचारियों व प्रशासन ने दलित किसानों के विरुद्ध आतंक मचा रखा है सभी प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है। पूरी तरह संघर्ष की स्थिति बनी हुई है अगर सरकार तत्काल गम्भीरतापूर्वक हस्तक्षेप नहीं करती तो स्थानीय अधिकारी विस्फोटक एवं संगीन घटना कर देंगे सैकड़ों दलित किसानों की रोजी-रोटी के साथ ही उनको इस जमीन से बेदखल करने से रोकना तथा उन्हें उस पर कानूनी हक दिलानने के लिये तत्काल उच्च स्तर से हस्तक्षेप जरूरी है। साथ ही स्थिति को सामान्य बनाने के लिये प्रशासन के दमनात्मक रवैये को भी रोका जाना जरूरी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आज इस पर चर्चा कराकर तत्काल कारगर कदम उठाने के लिये सरकार को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष–

शेष 301 की सूचनायें अस्वीकार की जाती है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज दिनांक 31 जुलाई, 1995 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की है।

जनपद मुजफ्फरनगर में एक अनुसूचित जाति के युवक को थाने में बैठा कर प्रताड़ित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग जो जनता से चुने हुए सदस्य हैं इस सम्मानित सदन में समय-समय पर भिन्न-भिन्न नियमों के तहत कुछ जनसमस्याओं को यहां उठा कर आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कराते रहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सरकार उस पर कार्यवाही करने का आश्वासन देगी।

मेरे द्वारा 19 जुलाई को इसी सत्र में एक सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी और दूसरी सूचना 27 जुलाई को नियम 51 के अन्तर्गत सम्मानित सदन में लाई गयी। संबंधित सूचनाओं पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की ओर से आपकी अनुमति से कुछ कार्यवाही करने की घोषणा कर आश्वासन दिया। नियम 51 में मेरी सूचना पर आपने वक्तव्य स्वीकार किया। इसके बाद मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रकरण मैंने पहली सूचना में दिया कि एक अनुसूचित जाति के युवक को थाने में बैठाकर प्रताड़ित करने के संबंध में थी तथा दूसरी बसों के मालिकों से अवैध धन की वसूली के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संबंध में थी । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला यहां आने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा वहां लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है और 10. 15 लोगों को थाने में बैठा रखा है और कहा जा रहा है 'बयान हल्फी दो । वहां के कांग्रेस के रवीन्द्र सिंह ने कहा कि बयान हल्फी दो वर्ना परेशान किया जायेगा । इसी तरह से बस मालिकों को बयान हल्फी के लिये कहा जा रहा है कि एक हजार नहीं लिया है । ऐसा न करने पर दंडित किया जा रहा है । तो यह विधान सभा का अपमान है इसके लिये मैंने अलग से विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है । यह हमारे अधिकारों से हमें वंचित करना है ।

यह औचित्य का प्रश्न मैं इसलिये लाया हूं कि अगर हम कोई बात इस सम्मानित सदन में कहेंगे उसके बाद संबंधित पक्ष उसको प्रताड़ित करेगा जिनकी बात हमने यहां उठायी है और संबंधित अधिकारी प्रभावित लोगों को प्रताड़ित करेंगे और उनका उत्पीड़न किया जायेगा तो फिर क्या गारंटी है कि इस सम्मानित सदन के सदस्य और उस पक्ष के मंत्री महोदय जो कार्यवाही करने की घोषणा करते हैं आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या स्थिति होगी क्या हम बच पायेंगे ? मैंने जो सूचना दी है वह जिम्मेदारी के साथ दी है और सत्यता पर आधारित है । मैं इस पर साफ-साफ आपकी व्यवस्था चाहता हूं, आपका संरक्षण हमें रहे ताकि भविष्य में कोई सूचना सदन में दे सकूं और उस पर कार्यवाही हो ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जिन सूचनाओं का–पहली सूचना 19 जुलाई की और दूसरी 27 जुलाई की नियम 51 में माननीय श्री मलिक जी ने उल्लेख किया है, उनकी कोई प्रति नहीं है और आपका कहना है कि पहले यह मामला वह उठा चुके हैं, तो जांच चल रही है । शायद उसी में किसी युवक को पुलिस ने अपने पास बिठा रखा है । इस मामले में इनकी सूचना के बाद शासन से कोई सूचना नहीं है कि वस्तुस्थिति क्या है ? तो इस संबंध में अब आगे बिना किसी सूचना के कुछ कहना ठीक नहीं है । लेकिन आपकी सूचना को सही मानकर कि बयान बदलवाने के लिये उसे बिठाल रखा है, जिससे सही बात सामने न आ सके, हम इसकी जांच करवा लेंगे । लेकिन यह औचित्य में कैसे आता है ? सूचना है और उसको सही मानकर.....

श्री राम आसरे वर्मा–

जब आपने उसे सही मान लिया है तो अब उसमें जांच कराने की क्या बात है, अब तो सीधे कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसके वर्जन को यह मानकर कि यह जांच योग्य है मैंने यह कहा है । इस समय मेरे पास कोई तथ्य तो है नहीं ।

(व्यवधान)–

श्री अध्यक्ष–

इस पर मेरी व्यवस्था सुन लें । यह विषय औचित्य की परिधि में नहीं आता है, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं, लेकिन शासन को आवश्यक कार्यवाही करने और कार्यवाही करके सदन को अवगत कराने के लिये निर्देशित करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जिस तरह से शासन के लोग पत्रों पर लिख देते हैं आवश्यक कार्यवाही और क्या वह होगी.....

श्री अध्यक्ष–

जो अधिकारी दोषी हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके सदन को अवगत करा देंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

कार्यवाही तो हो ही सकती है – आवश्यक और अनावश्यक, तो आवश्यक कार्यवाही ही होगी ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल और जगदम्बिका पाल जी की है ।

ब० स० पा० एवं भा० ज० पा० में मतभेद के फलस्वरूप प्रदेश सरकार के समक्ष संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक संवैधानिक प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत महामहिम अपनी सलाह के लिये मुख्य मंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रि-परिषद् की नियुक्ति करता है और सिद्धान्ततः बहुमत दल के नेता को ही मुख्य मंत्री की शपथ दिलाई जाती है । लेकिन इस समय स्थिति बदली हुई है, जिस समय यह सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के 176 और बहुजन समाज पार्टी के 58 विधायक थे, इसके बावजूद चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया तो बहुजन समाज पार्टी की सुश्री मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री मनोनीत किया गया । लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिये प्रयास करती रही कि किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोगों–विधायकों को दल बदल कराके अपने दल में मिला लें.....

श्री अध्यक्ष–

यह आपके संज्ञान में है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

अभी इसके लिये स्थानीय कार्ल्टन होटल में एक नामी उद्योगपति आये थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलने गये थे, जहां यह खेल खेला जा रहा था । मुख्य मंत्री जी को इस बैठक की जानकारी मिल गयी और इसके फलस्वरूप 28 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने जो अपने दल की बैठक बुलाई, उसमें अपने विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो लोग सम्पर्क करेंगे उन्हें हम दल से [× × ×] देंगे और साथ ही उन्होंने इस बात की [× × ×] भी दी.....

श्री अध्यक्ष–

लगता है कि उसमें आप भी थे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट –[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यदि सहयोगी दल की यही भूमिका रही तो हम [x x x] करने की राज्यपाल जी से सिफारिश कर देंगे।

मुख्यमंत्री जी की [x x x] के बाद यह प्रश्न पैदा हो गया है कि इन दोनों पार्टियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और किसी भी समय मुख्यमंत्री सिफारिश कर दें तो इस सदन का क्या औचित्य रह जायेगा, यह सरकार नहीं रहेगी। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जो कि पहले बहुजन समाज पार्टी दल में नहीं थे और सरकार में इस समय हैं, उनको भी सूचना मिली होगी, वह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमें भी कहने का मौका दें क्योंकि हमारी पार्टी का नाम आया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आदरणीय गुप्ता जी व बी० एस० पी० के जो सम्मानित विधायक हैं, उनको भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष–

आप तो इस तरह का सवाल नहीं उठाते हैं आज कैसे इस तरह का सवाल कर रहे हैं ?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आपकी कृपा चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जो न्यायसंगत, परम्परा संगत होगा, करूंगा।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जो औचित्य का प्रश्न इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत है, यह मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के स्थायित्व और स्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर किसी भी सरकार के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे यह सम्भावना हो जाय कि यह सरकार अस्थिर हो रही है, या इस सरकार के चले जाने की सम्भावना है तो निश्चित तौर से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा। जब इस सरकार के निर्माण में बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी के साथ। जबकि आप भिज्ञ हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी अगर उत्तरी ध्रुव है तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी ध्रुव है। विचारों से, कार्यक्रमों से, मान्यताओं से यह एक दूसरे से भिन्न हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन हो गया हो और वह बी० एस० पी० के चरणों में बैठकर

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके पद चिन्हों पर चलना चाहती है तो बात अलग है । हमारी मुख्यमंत्री या बी० एस० पी० के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और कार्यक्रमों में उनकी आस्था हो गयी हो तो मैं उनका साधुवाद करता हूं, स्वागत करता हूं । प्रदेश और देश की जनता जानती है कि विचारधाराओं से, क्रियाकलापों से दोनों पार्टियां दो ध्रुव पर हैं । इस सरकार की स्थापना ऐसे हालातों में हुई जो कि पिछली सरकार के गुनाहों की उपज, पिछली सरकार के कारनामों या अलोकतांत्रिक भूल रही हो । इन दोनों पार्टियों की मध्यस्थता से यह सरकार चल रही है और इसको चलाने के लिये बी० एस० पी० के सांसद पिछले दिनों लखनऊ आये थे और इस लखनऊ से बी० जे० पी० के निर्वाचित सांसद, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, लोक सभा में विपक्ष के नेता हैं । इन लोंगो के सामने समिति की बैठक हुई कि कोई गतिरोध उत्पन्न न हो और इन दोनों पार्टियों की सरकार चलती रहे लेकिन उस समिति की बैठक होने के बावजूद भी गतिरोध हो रहे हैं । प्रदेश की मुख्यमंत्री को अपने विधायकों से यह कहना पड़ा कि हमारे अपने ही सांसद से विधायक मिलने नहीं जायेंगे । अगर अपनी पार्टी के सांसद से मिलने में रोक लगाई जा रही है तो यह प्रादर्शन हो रहा है कि इस पार्टी के सांसद जिन परिस्थितियों में बने थे । वह पिछली सरकार के दल में थे, उन्हें टिकट नहीं दिया और बी० एस० पी० ने टिकट दे दिया । बी० एस० पी० के सांसद बी० जे० पी० के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को बी० जे० पी० की तरफ ले जाने का प्रयास करें । मैं कोई आरोप नहीं लगाता । मैं संसदीय ढंग से कहता हूं । अगर वह प्रयास कर रहे हैं कि बी० जे० पी० एक मजबूत और स्थायी सरकार देगी तो यह घटक बी० जे० पी० के साथ मिलकर स्थाई सरकार दे सकती है इसलिए आप अपनी पार्टी के साथ मिलकर चलें और इस मौजूदा सरकार के समक्ष उन विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले जाने का प्रयास करें ।

(व्यवधान)

इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का स्पष्ट तौर से उत्तर आए । जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है इसको आप स्वीकार करने का कष्ट करें ।

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

औचित्य के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, जब से यह सरकार आई है तब से आप लोंगो को बड़ा कष्ट है और मान्यवर, कुछ तो इस माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं वह नियमों के अच्छे जानकार हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर कपोल-कल्पित बातें हैं, उनको उठाते हैं । मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा जिनका कोई विषय नहीं है सिर्फ स्वप्न में दिखाई देते हैं उनको आप कृपापूर्वक अनुमति दे देते हैं उनकों अवसर मिल जाता है और जो हमारे जैसे लोग हैं जो महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न रखते हैं नियमों का जानकार न होने के कारण वह स्वीकार नहीं होते हैं । इस तरह के औचित्य के प्रश्नों पर इस सदन का मूल्यवान समय खराब होता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीया मायावती जी ने प्रमोद तिवारी जी की गाड़ी ले ली अगर पुनः प्रमोद तिवारी जी लाल बत्ती मांगें तो उनको दे दीजिए तो शायद औचित्य के प्रश्न से मुक्ति मिल जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर कह दिया । लालबत्ती के कारण रखा है । कदाचित उनको पता नहीं है कि कल्याण सिंह जी ने बिना किसी पद के ग्रहण किए हुए जो रमाशंकर कौशिक जी का कमरा है सचिवालय प्रशासन के अन्तर्गत आता है, उस कमरे को ले रखा है । कल्याण सिंह जी इस सरकार की [x x x] करने के रूप में मंत्रियों जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

आप अभी मार्शल को भेज दें । वह उस कमरे को देख आए । श्री कल्याण सिंह जिस टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं उसका बिल सरकार दे रही है । वह मंत्री जी का कमरा है । उसका उपयोग वह किस नियम के तहत कर रहे हैं ? आप इस पीठ से निर्देश दें कि उसको खाली कराया जाए । वह जनता की गाढ़ी कमाई का और जनता के खून का पैसा है ।

सदन में बोलते समय असंसदीय अप्रासंगिक आरोपात्मक शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है इस आदरणीय सदन में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं यह देखना आपका दायित्व है कि वह शब्द संसदीय हैं, असंसदीय हैं अथवा अप्रासंगिक है या प्रासंगिक है । जो कांग्रेस के साथी द्वारा [x x x] शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस पर मुझे घोर आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष–

जो शब्द असंसदीय होगा उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम यहां जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो यह उस समय किन शब्दों का प्रयोग करें इसका ध्यान रखना चाहिए । हम किसी के ऊपर कोई आक्षेप तो नहीं लगा रहे हैं । किसी तरह के अप्रासंगिक, आरोपात्मक शब्दों का कोई इस्तेमाल करे उसको देखना आपका दायित्व है मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी असंसदीय शब्द होगा, उसको हम निकलवा देंगे ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप छोटे सदस्यों को सुनने का मौका नहीं देते हैं । उत्तर प्रदेश में कई तरह की समस्याएं हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए या किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे लिए सभी आदरणीय सदस्य हैं कोई न छोटा है, न कोई बड़ा है । सबको समान अवसर हम देते हैं ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य-मंत्री (श्री हृदय नरायण दीक्षित)–

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में हम लोग प्रदेश की समस्याओं के लिए समाधान खोजने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए आते हैं कि किस सुनिश्चित मार्ग को अपनाया जाए जिससे प्रदेश का विकास हो सके ? हमारे एक दूसरे से परिवार की तरह और मित्रवत् रिश्ते होते हैं । इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम यहां पर महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करें । मैं भी कोशिश करता हूं कि महत्वपूर्ण शब्दों का चयन करूं, हलांकि कभी-कभी असफल भी हो जाता हूं । आपकी अध्यक्षता में यह जो विधान सभा चल रही है उसमें अभी तक ऐसा समय नहीं आया है कि हम सबके रिश्तों में कड़ुवाहट आई हो । यह मिठास आगे भी बनी रहे तो बड़ी कृपा होगी ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

श्री नरेश अग्रवाल जी ने एक सवाल उठाया था कि एक बसपा के सांसद और बसपा के विधायकों को न मिलने के लिए आदेश जारी किए गए हैं । उनके दल के लोग असंतुष्ट हैं । हमें आदेशों से कुछ लेना देना नहीं है । लेकिन जब सवाल आएगा तथा हमारे इस सदन के बारे में कोई टीका-टिप्पणी होगी तो निश्चित तौर पर सदन के सभी सदस्यों का अधिकार हो जाता है कि वह यहां पर उसकी जानकारी करे । चूंकि यहां पर विधान सभा के भंग करने की बात कही गई है तथा दूसरी और गम्भीर बातें कही गई हैं । श्री प्रमोद तिवारी जी के बारे में श्री चौधरी जी ने कह दिया कि इनको लाल बत्ती दे दो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी को लाल बत्ती देने से भले ही हमें एतराज रहा हो लेकिन कम से कम वह संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत उसका उपयोग कर रहे थे । आज भाजपा के दम पर बसपा शासन में है सभी जानते हैं कि जिस दिन करवट भाजपा ने बदली उसी दिन यह सरकार नीचे आ जाएगी । एक तरफ तो नैतिकता का ढोल पीटा जा रहा है और बिना शर्त समर्थन दिया जा रहा है और गुण्डाराज को खत्म करने की बात कही जा रही है, गुण्डाराज के अवशेषों को खत्म करने की बात बात कही जा रही है और दूसरी तरफ हम इस तथ्य को देख रहे हैं कि बिना किसी संवैधानिक दर्जे के बिना किसी संवैधानिक दायरे में लाये सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है । अगर सुविधाओं का उपयोग किया जाता है तो कम से कम सदन इस बात को जानना चाहेगा कि आखिर सहयोग की कीमत किस तरह से वह ले रहे हैं ? हम कल्याण सिंह जी का बड़ा सम्मान करते हैं और आदर का भाव हमारे दिल में उनके प्रति है । लेकिन अगर किसी ऐसे नेता का अनैतिक आचरण के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, अनैतिक आचरण किसी दूसरे अर्थों में न लीजियेगा, संविधान की व्यवस्थाओं के परिपेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, तो ऐसा आचरण यदि किसी नेता से जुड़ जाता है तो सदन ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग यह जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गयीं कि इस तरह के अनैतिक आचरण से वह जुड़ गये । चाहे कार्यालय का उपयोग हो, 2-3 गाड़िया सरकारी उनके साथ लगी हुयी हैं तो कौन सा दर्जा दिया गया है, टेलीफोन की सविधा दी गयी है, अगर हमारे भा०जा०प० के साथी कहते हैं कि उन्होंने सरकार बनवायी है उसके बदले में सहयोग के रूप में ले रहे हैं तो यह स्थिति भी सदन को अवगत करायी जानी चाहिये, ताकि प्रदेश की जनता समझ लें, कि किस तरह से सदन के नेतागण आचरण कर रहे हैं ? एक बात और कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी यह कोई चर्चा तो हो नहीं रही है । तीन माननीय सदस्यों को जो सूचना है उससे हटकर आप दूसरे बिन्दु पर बोल रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो विषय माननीय तिवारी जी ने उठाया और पाल साहब ने उठाया यह उस विषय से संबंधित नहीं है । विषय पर मान्यवर, बुलवायें । नोटिस के विषय पर ही माननीय सदस्य बोलें । विधायक या किसी नेता के आचरण पर तो कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिये । जो विषय उठाया गया है और जिस पर माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उस पर आप श्रीमन्, जिसे चाहे आज्ञा दें लेकिन किसी माननीय सदस्य या किसी नेता के आचरण पर बहस तो आपने स्वीकार नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष–

कतई नहीं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसलिये माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें तो उचित होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है । माननीय प्रमोद तिवारी ने माननीय कल्याण सिंह के बारे में कहा । मैं यह चाहूंगा कि माननीय कल्याण सिंह जो भा० ज़० पा० के नेता हैं और मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं

और वह लखनऊ में ही हैं तो वह खुद आकर स्थिति स्पष्ट करें, कि किस हैसियत से दफ्तर चल रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले तो मैं यह बात साफ कर दूं कि माननीय नरेश अग्रवाल जी की बात का कोई काग्निजेंस नहीं लेना चाहिये माननीया मायावती जी कल सही कह रहीं थीं । मैं 2-3 बातों को साफ कर देना चाहता हूं । पहली तो यह कि नेता कांग्रेस दल हों या कोई और नेता हों उनके मन में एक दलित वर्ग की महिला को इस कुर्सी पर बैठा देखकर कुलबुलाहट हो रही है । आप लोग यह समझ लें, कि भा० ज० पा० का बिना शर्त समर्थन है और यह सरकार 5 वर्ष तक बराबर इस प्रदेश में चलती रहेगी और इनके पेट में मरोड़ होती रहेगी, यह बात साफ समझ लें । दूसरी बात यह है कि इस देश की राजनीति में दल बदल को प्रोत्साहन देकर जितना [x x x] हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया है उतना किसी ने नहीं किया । (शेम-शेम की आवाजें) आज श्री मुलायम सिंह यादव सदन में नहीं हैं लेकिन उनकी तरफ से भेजे हुये लोग फिर दल-बदल समर्थन की बात करते हैं । भा० ज० पा० नैतिकता की राजनीति करती है इस दलबदल में किसी तरह का विश्वास नहीं करती हैं और न किसी तरह का प्रोत्साहन देते हैं ।

जहां तक हमारा और बसपा का सवाल है हमारा उनके साथ मान्यवर, पूरा समर्थन है और रोजाना आजकल इस बजट के कार्यक्रम की वजह से एक साथ कमरे में बैठकर आपस में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में विचार विमर्श रोज होता है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है । इसमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मुझे अफसोस है कि नियमों का सहारा लेकर जो अप्रासंगिक बातें उठाई जाती हैं, आपकी अनुमति से उठती हैं इसलिए आप पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, आप जो कुछ कहलवायेंगे हम कहेंगे लेकिन यह बात आप समझ लें, कि इस तरह की बात इस सदन की गरिमा को घटाती हैं । श्री कल्याण सिंह पर आरोप लगाये गये, कि वह दलाली करते हैं । आज इस प्रदेश की ही नहीं हिन्दुस्तान की जनता जानती है तन्दूरी काण्ड को । अपने को राजनीतिक सीढ़ियों पर पहुंचाने के लिए पहले उसका यूज किया फिर मिसयूज किया, फिर एब्यूज किया और फिर तन्दूर में ले जाकर भूंज दिया । मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जिस पार्टी के नेता ने उस लड़की को तन्दूर में भूंजा है उस पूरी पार्टी को हिन्दुस्तान की जनता तन्दूर में भूंज देगी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जो आरोप लगाये गये हैं मैं एक-एक का जवाब दूंगा, मुझे कहने दें, मैं न तो आक्रोश में हूं और न ही और कुछ है ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे आरोप प्रत्यारोप में समय नष्ट न किया जाय ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके सामने जो शब्द प्रयोग किया गया क्या उसे आप संसदीय समझते हैं, आपको तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता थी । इसलिए मैं आपके निर्णय पर टिप्पणी न करते हुए पुनर्विचार की प्रार्थना करता हूं । जो हमारे संविधान में नियम संगत अधिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है । बहुजन समाज पार्टी की यह पार्टी परम्परा है कि जो कक्ष आज बसपा को मिला हुआ है सबसे बड़ा, मैं भी बैठता हूं, हमारे भी कार्यालय लिपिक वहां बैठते हैं लेकिन श्री कल्याण सिंह हमारे दल के नेता हैं उनको एक अलग से कमरा दिया गया है मैं समझता हूं कि उसमें कोई अवैधानिक बात नहीं है जब उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त है आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी न मिले और उनकी हत्या हो जाय यह जेड प्लस सिक्योरिटी है अगर उन्हें सवारियां दी गयी तो उनके शैडों के दिये जाने की व्यवस्था है (व्यवधान) लाल बत्ती की बात कही गयी, न कही जाती तो अच्छा था । क्योंकि मान्यवर, अपने-अपने सुझाव, अपने-अपने कर्तव्य, अपनी-अपनी विचाराधारा और अपने-अपने आचरण होते हैं । पूरा प्रदेश और जनता जानती है, इन्होंने कहा था लेकिन जो तथ्य हैं उनको छिपायेंगे इस्तीफा देने की बात थी उसमें कहा गया कि आपने इस्तीफा क्यों स्वीकार लिया, अखबारों में यह छपा है इसलिए कह रहा हूं ?

मान्यवर, मैंने कहा था कि लाल बत्ती की चर्चा न होती तो अच्छा था । इन शब्दों के साथ मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि बसपा और भारतीय जनता पार्टी का हमारा संबंध उसी तरह से है समर्थन जिस तरह से पानी में चीनी मिला दें तो उसका रंग एक हो जाता है । किसी के दल बदल का विचार न करें क्योंकि यह श्री मुलायम सिंह यादव जी की आदत थी । किरन पाल सिंह जी शान्त बैठे हैं यहां उनकी पार्टी को ध्वस्त कर दिया गया और जिनके सर पर चढ़कर वह मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए हर काले कारनामें किये थे । आज उत्तर प्रदेश की जनता का जो समर्थन मिला उसकी वजह से मायावती जी सरकार में बैठी हैं । मुलायम सिंह यादव जी की जहां तक बात है उनके हटने के बाद किसी ने एक आंसू भी नहीं बहाया है, न कहीं कोई प्रदर्शन हुआ न धरना हुआ, न आन्दोलन हुआ ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अप्रासंगिक बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिये और अनावश्यक सदन का समय नष्ट नहीं होना चाहिये । भारतीय जनता पार्टी में दल बदल का कोई सवाल नहीं है । अगर किसी पार्टी के दो नेता एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गयी ? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी साजिश की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, इसलिये कोई दो नेताओं के मिलने से कोई बड़ी बात नहीं हो गयी । मान्यवर, मैं माननीया मायावती जी से मिलता हूं, अगर हम कोई काम लेकर जायेंगे, तो क्या हो जायेगा ? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी दबाव की राजनीति में बिलकुल विश्वास नहीं करती है । हमने उत्तर प्रदेश को जंगल राज्य से बचाने के लिये मायावती को सहयोग दिया है और जब तक वह चाहेंगी, यह सरकार चलेगी । आगे का जो 5 वर्ष का समय बचा है, उस समय तक यह सरकार चलेगी, इस बात को आप समझ लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आप तर्क का उत्तर तर्क से दें, यह अच्छी परम्परा है, तो मैं तिवारी जी से कहूंगा कि जो नोटिस उन्होंने दिया है, उसकी विषय वस्तु पर ही बोलें और उसकी ग्राह्यता पर ही अपने को सीमित रखें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोलूंगा, अभी मैंने मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त को विस्तार से सुना, अगर उत्तर नहीं दूंगा तो गलत संदेश जायेगा । मैं अगर एक भी बिन्दु बाहर बोलूं, तो इजाजत आप मत दीजियेगा । अगर अन्यथा मेरे ऊपर बात कही गयी है, तो मुझे भी अनुमति दें । मान्यवर, यह नैतिकता की बात करते हैं मैं कहना चाहता हूं नैतिकता की बात करने वाले उपदेश सिंह चौहान को जो वहां बैठते थे, अपनी ओर बैठाया, क्या इन्होंने ऐसा करके नैतिकता की [x x x] नहीं की है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

विषय पर बात हो ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप उस समय कहां थे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैंने उस समय भी प्रतिवाद किया था ।

श्री प्रमोद तिवारी–

तो आप मुझे भी सुनें । मथुरा के विधायक विश्म्भर सिंह का दल बदल किसने कराया ? मैं कहना चाहता हूं कि तंदूर काण्ड के [x x x] लाल कृष्ण अडवानी के मुख्य चुनाव संयोजक थे । और सुनें, मान्यवर, अब एक प्रश्न रह जाता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब तक राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बोलते रहे मैंने धैर्य से सुना है । अब उनको सच्चाई सुनने की हिम्मत होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठ जायं ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

सिर्फ मेरा-इतना कहना है ।

श्री अध्यक्ष–

सुन्दर लाल दीक्षित जी बैठ जायें, कोई अनुमति नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

सुन्दर लाल दीक्षित जी मान्यवर, बहुत नेक आदमी हैं, आप बैठिये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, बैठने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी बोल रहे थे मैंने धैर्य से सुना अब हम लोगों को धैर्यपूर्वक सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

सुन्दर लाल दीक्षित जी आप बैठ जायं । आप लोग बैठ जायं ।

श्री प्रणत पाल सिंह–

क्या तंदूर काण्ड का अभियुक्त दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस आई० का अध्यक्ष नहीं रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें, यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी मेरी तरफ हाथ यूं-यूं करके दिखा रहे हैं, मेरा क्या कसूर है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा तो नम्र निवेदन है फिर अपील है आपके माध्यम से कि जो तंदूर काण्ड का अभियुक्त हो दुनिया की उसको बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये ।

श्री प्रणत पाल सिंह–

तंदूर काण्ड का अभियुक्त दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस आई का अध्यक्ष रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

सुन्दर लाल दीक्षित जी आप कृपया करके बैठ जायें ।

माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी जब राजस्व का बजट आयेगा तो उसमें आपको विशेष समय दिया जायेगा अपनी बात रखने के लिये । माननीय प्रमोद तिवारी जी संक्षेप में अपनी बात रखें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप देखें मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है लेकिन आज मैं बोलूंगा और सारे आरोपों का खण्डन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप इस समय बैठ जायें । माननीय सदस्य आप जो कहना चाह रहे हैं आप कह लें ।

श्री राजाराम त्यागी–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने हमारे नेता माननीय कल्याण सिंह जी पर आरोप लगाया है । इनके नेता और प्रधान मंत्री नरसिम्हाराव जी को देख लें उन्होंने शेयर घोटाले में [x x x] और कांग्रेस के सभी लोग उसमें हिस्सेदार हैं । मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी पर लगाया गया आरोप निराधार है उसे आज की कार्यवाही से निकाल दिया जाय यह उनके लिए घोर अपमानजनक बात है । यह खुद अपने दामन में देखें इन्होंने क्या किया इनके मंत्रियों ने क्या किया ? मान्यवर, माननीय राम लखन यादव जी दल बदल करके केन्द्रीय मंत्री बने । इनके नेता नरसिम्हाराव जी [x x x] करने वाले हैं, [x x x] ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद आप उसे धैर्य से सुनें भी । आप जो आरोप लगाते हैं अपने तर्क से दूसरा आदमी जब उसका जवाब देता है तो उसे धैर्य से सुनें भी । जो आरोप लगाये गये हैं आपके दल के उप नेता या वरिष्ठ सदस्य अपने तर्क से अपनी विद्वता से उसका पूरा स्पष्टीकरण दें उससे भी माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिये । अगर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कोई आरोप लगाया है तो आपके दल के उप नेता या वरिष्ठ सदस्य के पास उसका पूरा-पूरा जवाब देने के लिए उनहें पर्याप्त ज्ञान है और संसदीय अनुभव भी है । अगर सभी लोग जवाब देंगे तो यह उचित नहीं होगा और न ही यह संसदीय परम्परा है । मुझे भी मजबूर होकर दूसरा विषय लेना पड़ेगा ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तन्दूर नीति वाली योजना प्रदेश में कब से लागू हो रही है ?

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

मान्यवर, इन्होंने जो आरोप लगाये हैं उसके लिए यह हमारे नेता से माफी मांगे ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, एक कहावत है एक हाथी थीं उसे कुछ लोग टटोलने लगे । किसी ने उसके पैर को खम्भा कहा किसी ने उसके कान को सूप बताया किसी ने उनके अंगों को कुछ बताया क्योंकि वास्तविकता किसी को नहीं मालूम थी कि यह हाथी है । ये भी इसी तरह से हाथी के अंगों को ढूंढ रहे हैं इनको वास्तविकता की जानकारी नही है ।

[1 बजकर 30 मिनट]

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह हाथी के बारे में पूछ रहे हैं, इन्हें बता दूं । मुख्य बात तो यह है कि यह हाथी को कैसे देख रहे हैं ? मैं इनसे इतना कह दूं कि हाथी के गलत जगह हाथ न लगा दें, नहीं तो कुचल देगा.....

डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछला सवा घंटा इसी तरह की चर्चा में लग गया । माननीय प्रमोद तिवारी जी को जो कहना था, वह उहोंने कह लिया, बाकी लोगों को जो कहना था, वह भी कह चुके । यह नियम 51. नियम 56. नियम 311 जो हैं, वह लोक महत्व की बातों के लिये होते हैं, जो बातें अभी यहां हुई हैं, वह कोई भी लोक महत्व की नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह की बातें, जो नियम 51. 56. 311 में न आती हों, और आप महसूस करें, कि यह आवश्यक नहीं हैं, तो आप उसे तुरन्त रोक दें ।

श्री प्रणत पाल सिंह–

मान्यवर, तन्दूर काण्ड का अभियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में रहा था, वह दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस आई का अध्यक्ष रहा है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं यहीं से शुरू करता हूं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, सदन चलाने में मेरा सहयोग करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज ऐसा सहयोग करूंगा कि काफी दिनों तक याद रखेंगे । सुशील शर्मा का जिक्र आया है, वह दिल्ली युवक कांग्रेस आई का अध्यक्ष था, लेकिन राजीव जी ने उसके चरित्र को देखते हुये उसका टिकट काट दिया था, उसने राजीव जी के साथ हाथापाई तक की थी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं । उसके बाद वह लाल कृष्ण आडवानी जी के पास चला गया था और उनका चुनाव प्रचार भी उसने किया था । (कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, इन सब चीजों को छोड़ दें और विषय वस्तु पर आ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने यह भी जानकारी चाही है कि तन्दूर काण्ड यहां कब से शुरू हो रहा है ? सम्भवतः माननीय सदस्य उस समय सदन के सदस्य नहीं थे, जब इनकी पिछली सरकार थी। अयोध्या में कुसुम नाम की लड़की के साथ आपके सांसद ने बहुत पहले यह काण्ड शुरू कर दिया है, नाम सुनना चाहें तो बता दूं, [x x x] आप एक तन्दूर काण्ड की बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है, आज मैं इनके एक-एक आरोप का जवाब दूंगा, मैं उससे हटकर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अगर आज तक किसी को [x x x] कहा है, तो वह भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता कल्याण सिंह हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने [x x x] माना है और जिसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की सजा देकर उनहें इस देश का सबसे बड़ा अपराधी साबित किया है.....

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, संक्षेप में अपनी बात खत्म करें। माननीय सदस्यगण बैठ जायें। मैंने तिवारी जी को बोलने की अनुमति दी है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर आपने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को रोक देते तो मैं नहीं बोलता।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या आपने सुशील शर्मा को लाल कृष्ण आडवानी के साथ चुनाव प्रचार करते हुये देखा था।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं वहां मौजूद था। मान्यवर, अगर आपकी इजाजत नही है तो मैं गोण्डा के उस सांसद का जिक्र नहीं करूंगा जो बम्बई काण्ड का अपराधी है, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर निर्वाचित है और भागा हुआ घूम रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, जो विषय वस्तु है, उस पर बोलें इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप पर समय न बर्बाद करें।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह कौन सी बात हुई कि आप आरोप का जवाब न देने दें । आरोप का जवाब देने के लिए समुचित समय दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह आपस में ही आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं । आरोप तो सरकार पर लगते हैं और सरकार उनका जवाब देती है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने खुद मुख्य मंत्री से मिलकर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया था । जनवरी के बाद मैंने सुविधायें नहीं ली । आप मार्शल को भेज दें, श्री रमाशंकर कौशिक को जो कमरा दिया गया था उसमें कल्याण सिंह किस अधिकार के साथ बैठे हैं ? मान्यवर, एस० टी० डी० टेलीफोन, सचिवालय का कमरा तथा मुख्य मंत्री के पी० ए० का उपयोग कर रहे हैं । मान्यवर, उन्हें विधान सभा सचिवालय से कमरा दिया जा सकता है लेकिन सचिवालय का कमरा नहीं दिया जा सकता है ।

(संसदीय कार्यमंत्री को बुलाने पर)

मान्यवर, मुझ पर जो आरोप लगे हैं, उसका जवाब मुझे देने दें । मेरे दल के किसी व्यक्ति ने खड़े होकर राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का विरोध नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

शुरूआत तो आपके दल से हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी ने न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया है । उन्होंने उसकी गरिमा को ध्यान रखते हुये उसका सम्मान किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जनता की खून-पसीने की कमाई से यह सरकार चलती है । मैं इस सरकार से जवाब मांगता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी उसके लिए अपना कमरा खाली कर दे, उसको 3 की जगह 4-5 कमरे दे दे लेकिन यह कौन सी नैतिकता है कि मंत्रि-स्तर की सुविधा नहीं प्राप्त करेंगे और सचिवालय का कमरा, मुख्य मंत्री का पी० ए०, एस० टी० डी० टेलीफोन का उपभोग करेंगे । मैंने पहले दावे के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद स्वीकार किया था तब मैंने सुविधा का उपभोग किया । कल्याण सिंह जी जो एस० टी० डी० का उपभोग कर रहे हैं, और जो टेलीफोन बिल आ रहा है, वह उ० प्र० सरकार दे रही है । भारतीय जनता पार्टी इस कठपुतली सरकार पर दबाव बनाकर जनता के खून-पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रही है । अगर भूतपूर्व मुख्य

मंत्री को यह सुविधा मिल रही है तो श्री नरायण दत्त तिवारी, श्री श्रीपति मिश्र को क्यों नहीं मिल रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपा करके बैठ जांय । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x]

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अभी जो विषय यहां पर माननीय श्री तिवारी जी, श्री नरेश अग्रवाल जी और श्री पाल जी ने उठाया है ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई भी बात नहीं लिखी जायेगी । यह चर्चा का विषय नहीं है कि कौन नैतिक है और कौन अनैतिक । आप लोग कृपा करके बैठ जांय ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मन्दिर को गिराने के लिए सरकारी दल का उन्होंने प्रयोग किया । लोकतंत्र की [x x x] की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें [x x x] दी ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर तो कम मगर कुछ अलग बातों पर मित्र साथियों ने कुछ अपने विचार व्यक्त किये । किसी अव्यवस्था के कारण दो पक्ष बन गये थे । दोनों ने प्रकारान्तर से माननीय प्रधान मंत्री जी का नाम लिया । मान्यवर, मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण पढ़ रहा था विधायी कार्यों के संचालन में विधान सभा के अन्दर कैसे शान्ति व्यवस्था बने ? उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह एक बार लन्दन में थे तो वहा के तमाम विज्ञ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके यहां एक जीरो आवर होता है, चूंकि उनके वहां नही होता है, यह क्या होता है ? तो इस पर वह हंसे व चुटकी लेते हुए यह कहा था कि कदाचित् आप यह मानते हैं कि संसदीय परम्परा का सारा स्वरूप ब्रिटिश हाऊस आफ कामन्स से लिया गया है परन्तु हम भारत के लोगों ने नियमावली में उल्लेख न करके, एक ऐसी परम्परा को विकसित किया, जिसे हम जीरो आवर कहते हैं । इसमें तमाम प्रकार की जनहित की समस्याओं को उठाया जाता है और उसका हम फायदा भी उठा लेते

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं । ... और हाऊस में उसका फायदा भी उठाते है । प्रधानमंत्री जी के भाषण को पढ़ कर कल ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शून्य काल का उपयोग जनहित में होता है और आपकी आज्ञा चाहता हूं कि संविधान के किसी अनुच्छेद या नियमावली के किसी नियम में जिसमें इस समय चर्चा हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं किस नियम पर यह चर्चा हो रही है ? नियम 300 में तो यह चर्चा हो नहीं रही है । इसमें यह कहां आता है ? मैंने कई किताबें संसदीय प्रणाली कौल शकधर और संविधान को जो हमारे अग्रिम पंक्ति के नेता बैठे हैं उनके साथ सीखा है तो मुझे कहीं नहीं पता लगा कि किस नियम में यह चर्चा हो रही है ? हमारे माननीय सदस्य जो माननीय उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे पता नहीं जोर-जोर से क्यों बोल रहे थे जब हम धीरे से सुनने को तैयार हैं तो मैं थोड़ा आहत हुआ । जनहित में जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं या अपनी पार्टी पर बहस कर रहे हैं उससे मुझे पीड़ा हुई । यह कहां आ गया कि मेरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई होटल में बातचीत हुई नियम 300 में कैसे आता है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

बी० एस० पी० और भारतीय जनता पार्टी की बात कही आपकी पार्टी की बात नहीं कही ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आप बीच में बोलने की कृपा न करें । जब आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता हूं ।

जब सरकार पर कोई संकट आता है और उस पर किसी होटल में बातचीत होती है तो उसको विधान सभा में नियम 300 में उठाना कैसे आता है मैंने अग्रिम पंक्ति में बैठे नेताओं के साथ संविधान का अध्ययन किया है (व्यवधान) तो होटल में हुई कार्यवाही नियम 300 में कैसे आयेगी ? इस पर मार्ग दर्शन अलग से चाहूंगा । यह कहना कि भारतनीय जनता पार्टी और बहुजन समाजपार्टी में कोई मतभेद है और विधान सभा भंग होने जा रही है और सरकार खत्म हो रही है तो यह आप यहां देख रहे हैं । रोज यहां विधेयकों पर वोटिंग होती है तो उस पर पक्ष में हां कहते समय बहुत जोर-जोर से ''हां'' होती है और जब वोटिंग में ''ना'' के लिये आप पुकारते हैं तो बहुत रुग्ण आवाज में ''ना'' करते हैं । तो यह कई बार होता है आज भी दो विधेयक हैं और राजस्व विभाग का बजट है उस पर चर्चा हैं आज भी परीक्षण हो जायेगा । थोड़ी देर बाद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भाग लेंगे । (व्यवधान) माननीय तिवारी जी और माननीय नरेश अग्रवाल जी ने यहा कि मैं इसका उत्तर दूं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह नियम 300 की परिधि में नहीं आता है नियम 300 (6) क,•ख, किसी में नहीं आता है उसमें स्पष्ट है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो । मान्यवर, प्रदेश में प्रबुद्ध लोग शाम को इलैक्ट्रोनिक संसाधन खोलते हैं और देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है ? यहां पर बार-बार तंदूरी काण्ड आया तो यह सब कहां इस नियम में आता है ? किस कार्यकर्ता पर किस नियम में मुकदमा चला या इस तरह की बात करना उचित नहीं होगा । आप अगर उचित समझें तो कोई दिन तय कर लें इस तरह की कोई चर्चा करनी है तो अलग बात है लेकिन यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह किसी तरह से आता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा जी का एक औचित्य का प्रश्न है, इसी विषय पर कांग्रेस के लोगों ने भी नियम 56 में दिया है...

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

तो आप दोनों को एक में कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 56 के समय, उसी समय एक ही साथ में इसको भी ले लूंगा। यह आता तो नहीं है...

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा निवेदन यह है कि आपने उसको स्वीकार तो कर ही लिया है, तो उसको जो नियम 300 पहले आता है, इसी समय इसको सुन लें, तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कार्य-स्थगन की सूचना में इसको भी जोड़ देंगे तो मेरी महत्वपूर्ण सूचना दब जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के बारे में यह उल्लिखित है कि यह कब ली जायेगी। तो जिस समय यह ली जायेगी, उसी समय में आपको भी ग्राह्यता पर सुन लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

उस समय यह अहम मुद्दा दब जायेगा। इस समय ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था सुनते-सुनते ही इतना समय बर्बाद हुआ है, अब आप बैठें। वर्मा जी यह नियम 56 कम महत्व का नहीं है, सदन की कार्यवाही स्थगित करके उसमें चर्चा करवाई जाती है इस बात की मांग होती है। मैं समझता हूं कि जो विषय आप उठा रहे हैं, वह भी महत्व का है, और उसकी महत्ता को देखते हुए जो एक विषय मुझे चयनित करने को होता है, उसमें इस चयनित किया है। तो जब यह विषय आएगा तो उस समय आपकी बात भी सुन ली जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह–

तो उस समय पहले इसको माननीय वर्मा जी से ही शुरू कराया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग और आप लोग आपस में तय कर लें कि किसको पहले सुना जाए।

श्री किरनपाल सिंह–

नियम 300 पहले आता है और वर्मा जी ने 300 में ही दिया है, इसलिए पहले इनको सुन लिया जाए।

विशेषाधिकार हनन की सूचना पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मान्यवर, कुछ दिन पहले एक विशेषाधिकार अवहेलना की नोटिस मैंने दी थी...

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार अवहेलना की जो सूचना आपने दी थी, उसका मैं परीक्षण करवा रहा हूं और नियमावली में जो व्यवस्था है...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, आखिर परीक्षण में कितना समय लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना आपने दी है, उसे संबंधित मंत्री और विभाग के पास, उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और उस पर मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगा। जो आपने दिया है उसको संज्ञान में लिया है और जो नियमावली में व्यवस्था है, मैं शीघ्रातिशीघ्र जो रिपोर्ट है शासन से प्राप्त करके नियमावली के संगत नियमों के तहत इस पर कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान) जल्दी से जल्दी मैंने कहा है परीक्षण कराके सदन को अवगत करा दूंगा।

आज मैंने नियम 300 की समस्त सूचनाएं अस्वीकृत की हैं।

जनपद बांदा के ब्लाक बिसन्डा के ग्राम कुसुमा खटौरा, पिण्डखर की सड़क लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री फूलचन्द्र मौर्य आदि की याचिका

श्री राजकुमार शिवहरे–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बांदा के ब्लाक बिसण्डा के ग्राम कुसुमा, खटौरा, पिण्डखर की सड़क पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में श्री फूलचन्द्र मौर्य आदि निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के ब्लाक बबेरू, बिसण्डा महुआ के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री रामदेव त्रिपाठी आदि की याचिका

श्री राजकुमार शिवहरे–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक बबेरू, बिसण्डा महुआ के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री रामदेव त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या 5 पुकारने तथा मा० सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में एक सूचना दी थी..

श्री अध्यक्ष–

मैंने अपनी व्यवस्था उस संबंध में दे दी है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31-7-95 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री बी० के० गुप्ता, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री उदयभान सिंह, श्री वासुदेव सिंह, श्री सुरेश संगल, श्री बंशीधर, श्री अमित अग्रवाल की है। मेरा अनुरोध है गुप्त जी, इसमें कोई तीन माननीय सदस्य संक्षेप में ग्राह्यता पर अपने विचार रखें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर लूंगा लेकिन आपकी सूचना दूसरे नम्बर पर है। इसके बाद आपकी ही सूचना है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, ज्ञानवापी मस्जिद के प्रकरण को यहां दबाने का षड्यंत्र हो रहा है। मैंने 300 के अन्तर्गत इस सूचना को दिया था आपने उसे कार्य-स्थगन के रूप में बदल दिया। इस प्रकरण को जो कि महत्वपूर्ण है वरीयता नहीं दे रहें हैं ..

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता था। उसकी परिधि में भी नहीं आता था इसलिये मैंने अस्वीकार किया। इतनी छूट दी कि आपने जो नोटिस दी है उसके महत्व को समझते हुए 56 में कर दिया।

श्री राम आसरे वर्मा–

तो मान्यवर, 56 में वरीयता दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

56 में आपने दूसरी एक सूचना दे रखी है और नियमानुसार आप नियम 56 में एक ही सूचना दे सकते हैं। मैंने इतना अवश्य कहा था कि जब अन्य माननीय सदस्य ग्राह्यता पर बोलेंगे, आप भी बोल लीजियेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

इतनी महत्वपूर्ण सूचना है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा आरोप मेरे ऊपर न लगायें कि दबाने का प्रयास कर रहा हूं। दबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर यह नियम की परिधि को कहीं से भी छूता तो इसको सुना जाता।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, वर्मा जी ने जो सूचना दी है वह आज की है। आज नई परम्परा ज्ञान वापी में शुरू हो गयी तो पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा यह बता दें अगर पांच मिनट पहले सुन लिया जायेगा तो महत्वपूर्ण हो जायेगी पांच मिनट बाद में सुना जायेगा तो क्या अनर्थ हो जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य बैठे हैं यह घटना की सारी जानकारी देंगे। मैं दो पंक्तियों में अपनी बात कहूंगा, विस्तार से माननीय सदस्य कहेंगे।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में कश्मीरी उग्रवादी तथा आई० एस० आई० का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। कश्मीर की तरफ से हमारी सीमायें दूसरे प्रदेशों से लगी हुई हैं। ऐसा नहीं सोचा गया था कि वह यहां तक प्रवेश कर जायेंगे। केन्द्र सरकार इसको नियंत्रित करने में विफल हो गई है। श्रीमन् 28 तारीख को मेरठ में बम विस्फोट हुआ वह इतना भयंकर था कि दो लोगों की मृत्यु हो गई और सात-आठ लोग घायल हो गए। जिस समय विस्फोट के बाद पुलिस पहुंचती है वहां ताला पड़ा था सब बन्द मिला। अन्दर कोई जखीरा था। मुझे सूचना मिली है कि वहां आर० डी० एक्स इस्तेमाल किया गया यह बहुत ही गंभीर मामला है। 10 किलोग्राम आर० डी० एक्स 10 किलो बारूद के बराबर होता है। यह आर० डी० एक्स वही है जो बम्बई और कलकत्ता जैसे मुख्य स्थानों पर इस्तेमाल हुआ था। यह सब नेपाल की सीमाओं से आते हैं। सीमाओं की सुरक्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। पूरे पश्चिमी प्रदेश में स्थिति सही नहीं है। पश्चिम में सहारनपुर में विस्फोट हुआ इस समय सुश्री मायावती की लोकप्रियता को देखकर जानबूझकर एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए, झगड़ा करा देने की नीयत से ऐसा किया

गया है । आई० एस० आई० की साजिश से कार्य हो रहा है पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के लोग विद्यमान हैं और सतत एजेन्ट के रूप में काम करते हैं । केन्द्र सरकार को सूचित किया गया अनेक लोग पकड़े गए । पिछले सत्र में मैंने कहा था कि पिछले 10 वर्ष से 45 हजार लोग बीजा लेकर यहां आए मैंने अलग-अलग जिलों की सूचना दी थी । आज 28-30 हजार लोग अनधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं । यह लोग एजेन्ट का काम करते हैं इसकी सूचना थानों में भी नहीं है । पार्टियों से देश बड़ा है वोट के नाते राजनीति में संकोच नहीं किया जाता है । उन पर हाथ डालने से संकोच किया जा रहा है । मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि 15 अगस्त को साजिश होने वाली है यह सब पूर्वाभ्यास था । ताला पड़ा रहा । सहारनपुर और मेरठ में कई कारखाने पकड़े गये क्या कारण है उन मोहल्लों की तलाशी नहीं ली जाती है । वोट की वजह से पूरे प्रदेश की स्थिति गंभीर है ।

(एक आवाज समर्थन वापस ले लें) ।

समर्थन की बात आपने कही है कि अभी महीना भर हुआ है यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है वहां नियंत्रण न किया जाए जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से प्रवेश कराया जा रहा है । यह गंभीर प्रकार का रसायन (आर० डी० एक्स) है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्राह्यता पर बल देता हूं । नियमों में व्यवस्था है । तत्काल घटी घटना है । 28 तारीख को यह घटना घटित हुई है ।यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है । यह शान्ति व्यवस्था से संबंधित घटना है इस पर मैं एक घंटे की चर्चा की मांग करता हूं । किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया तंत्र कश्मीरी उग्रवादी हमारे प्रदेश को नष्ट करना चाहते हैं ? इस पर सरकार का विचार आना चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कौन की अव्यवस्था पैदा हो गयी है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया है । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अभी यह कहा है कि यह सरकार तो एक महीने पहले बनी है, इसलिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आतंकवाद के निराकरण की जिम्मेदारी भारत सरकार की है । यह आतंकवादी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर की तरफ से उत्तर प्रदेश में आते हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

सब जानते हैं कि प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है । मैंने उत्तर प्रदेश का नक्शा पढ़ा है उसमें मेरठ नेपाल के बार्डर पर नहीं है । नेपाल से आने में 6-7 जिले पड़ते हैं । अगर इनकी व्यक्तिगत

जानकारी है कि नेपाल के रास्ते से बम लाए गए हैं तो यह लाते रहे होंगे । मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

* श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मैं मेरठ क्षेत्र से चुनकर आता हूं । यह मेरे क्षेत्र का मामला है । 28 तारीख को बारह बजकर 30 मिनट पर गुदड़ी बाजार में जो कि एक अति संवेदनशील क्षेत्र है जहां साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो चुके हैं । वहां बम विस्फोट हुआ उसके आस-पास जो मकान जुड़े हैं उनकी 24-24 इंच मोटी दीवारें ढह गईं । वह मकान जिसके अन्दर बम विस्फोट हुआ वह तो ध्वस्त हो ही गया । उसके अन्दर से दो लाशें बरामद हुईं । एक 5 किलो का बम बरामद हुआ । इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं गया । जांच दल आया था लेकिन वी० आई० पी० ड्यूटी होने से वह वापस लौट गया । आज मेरठ बारूद के ढेर पर खड़ा है । इस घटना के कारण शहर में दहशत व्याप्त है। वरुण हत्या काण्ड हुआ था उसके अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है । शहर का हर आदमी सड़क पर निकलने में डर रहा है । मेरे अलावा किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जाकर देखने नहीं गया है । 100 मीटर की ही दूरी पर एक सपा के विधायक रहते हैं उन्होंने भी वहां पर जाने की जहमत नहीं उठायी । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद 15 अगस्त के पूर्व किसी बड़ी घटना को घटित करने का यह पूर्व अभ्यास था ।

श्री अध्यक्ष–

यह सब राजेन्द्र कुमार जी कह चुके हैं ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, पिछली 25 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व था । वहां से 50 गज की दूरी पर ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा विश्वनाथ महादेव का मंदिर है । जहां लाखों लोग हरिद्वार से गंगाजल लाकर वहां चढ़ाते हैं। मान्यवर, मेरठ में जहां यह घटना हुई है और शालीमार एक्सप्रेस के अन्दर बम विस्फोट हुआ आज तक तीन दिन हो गए 72 घंटे पूरे होने को हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है । दो लोगों को पूछ-ताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने रास्ता जाम कर दिया । उस क्षेत्र में अभी तक छान-बीन नहीं हुई है । किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है । किसी क्षेत्र की नाकेबन्दी नहीं की गयी । षड़यंत्रकारी अपने काम में लिप्त हैं । जिन लोगों की लाश वहां मिली है । उनके घरवालों से पूछ ताछ की जाए । बम उस मकान में कैसे आ गया ? इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्राह्यता पर बल देता हूं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और माननीय अमित अग्रवाल जी ने जो सूचना यहां पर दी है उसमें मैं अपने को संबद्ध करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी साजिश किस प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र में तेजी के साथ फैल रही हैं । माननीय नेता कल्याण सिंह जी ने कई बार आई० एस०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आई० के बारे में जब भी सवाल उठाया तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में आतंक फैलाने के लिये झूठी सूचनायें दी जा रही हैं। आज स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से पश्चिम के इन संवेदनशील जिलों में साजिश करके प्रदेश में दंगे और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, पूरी घटनाओं की एक श्रृंखला है। गाजियाबाद हो या मेरठ हो या सहारनपुर हो आई० एस० आई० का इनमें जाल फैल चुका है। पूर्व मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में अपनी पीठ स्वयं थपथपाई थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने विदेशी बंधक नागरिकों को छुड़ाया जिसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज हमको गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि प्रदेश में जो आतंकवादी घटनायें बढ़ रही हैं इनको खोजने और इनका मुकाबला करने के लिये हमको पुलिस को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। आज जो घटनायें हो रही हैं उनसे पूरे प्रदेश में चिन्ता है। सारे पश्चिमी जिलों में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। विदेशों से लोग घूमने आते हैं और यहां से वापस न जाकर आतंकवादी गतिविधियों में लग रहे हैं। यह प्रदेश की सुरक्षा से संबंधित अत्यंत अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस सूचना पर आप काम रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, मुझे समय दे दें, मैं मेरठ का विधायक हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपके क्या इस पर हस्ताक्षर हैं ?

श्री राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, हस्ताक्षर नहीं हैं, मैं वहां से विधायक हूं इसलिए वहां की सही पिक्चर पुटअप कर सकता हूं।

मान्यवर, यह बम विस्फोट उस एरिया में हुआ है जहां पर अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है। वहां पर एक जीवित बम मिला। बम विस्फोट के बाद वहां पर एक बम निरोधक दस्ता गया लेकिन वह वैसे ही वहां से चला गया। अभी आशंका है कि मलबे में और बम भी हो सकते हैं। मेरी बातचीत वहां के एस० पी० से हुई तो उन्होंने बताया कि मलबा जब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक निरोधक दस्ता वहां पर न पहुंचे। अभी वहां पर खतरा बना हुआ है। जो बम मिला है वह 5 कि० ग्राम का है। यह बम पंजाब और कश्मीर की तरफ से लाया गया है। इसलिए अभी से व्यवस्था की जाय और आवश्यक प्रतिबंध लगाये जायं जिससे आगे ऐसी घटनायें न हों। जिसके घर में बम विस्फोट हुआ वह चंदी के नग लगाने का काम करता है। बम विस्फोट में उसका लड़का मारा गया और मकान का मालिक तब से गायब है। आई० एस० आई० की एक्टीविटीज जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल रही है उनसे बचाने का प्रयास किया जाय और माननीय आर० के० गुप्त जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव से मैं अपने को जोड़ते हुये इसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं।

श्री सुरेश संगल–

मान्यवर, मैं मेरठ के पड़ोस के जिले मुजफ्फरनगर का हूं। इस घटना को अकेले रूप में न देखें। मेरे जिले में हमारे भा० ज० पा० के अध्यक्ष की हत्या हो गयी थी। वहां पर ब्यूटी पार्लर का धंधा चलाने वाली महिला आई० एस० आई० के एजेन्टों से संबंध रखने पर गिरफ्तार भी हुयी और एक विदेशी नागरिक बिना किसी अनुमति के रहने के कारण पकड़ा गया।

कई कश्मीरी उग्रवादी पकड़े गये। मेरा कहना है कि मेरठ की घटना को हल्के रूप से न देखा जाये, बल्कि इस परिपेक्ष्य में देखा जाये कि इस तरह की आशंका पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे काम करने वालों की एक सूची बनायी जाये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जो विषय उठाया गया है, उसमें किसी विदेशी नागरिक का हाथ होने और किसी उग्रवादी संगठन की सक्रियता की जानकारी शासन को नहीं है। दिनांक 28-7-95 को मोहल्ला साह नथान में बम विस्फोट हुआ और जैसे ही उसकी सूचना मिली, डी० आई० जी०, मेरठ, जिलाधिकारी व तमाम अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये और घटना स्थल का निरीक्षण किया और यह पाया गया कि जिस मकान में विस्फोट हुआ था, उस मकान का एक दरवाजा बाहर से बन्द था और एक दरवाजा अन्दर से बन्द था। जिसके मकान में बम फटा था, उन्होंने बताया कि उनका बेटा और एक अन्य व्यक्ति खालिद नहीं मिल रहे हैं, इस कारण उनकी खोज बीन की गयी और उनके बेटे फुरकान और खालिद के शव उसमें मिले, उसमें एक जिन्दा बम भी मिला और वह बम भार एक्सप्लोसिव, ललितपुर का बना हुआ था। इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहां पर डी० आई० जी० भी पहुंच गये यह मैं पहले ही बता चुका हूं और अपर पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था द्वारा भी दिनांक 30-7-1995 को इस स्थल का निरीक्षण हो चुका है और स्थानीय पुलिस के अलावा केन्द्रीय एजेन्सियां प्रकरण को वर्क आउट करने में जुटी हुई हैं। इस संबंध में सरकार सजग है और इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप निरस्त करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अमित अग्रवाल–

वहां का मलवा कब हटाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल और अखिलेश सिंह की है, इसमें श्री राम आसरे वर्मा जी का भी नाम मैंने जोड़ दिया है। इसकी ग्राह्यता पर मैं सुनता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह एक विषय जो कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाया गया है, इससे ज्यादा कार्य-स्थगन के लिये उचित, मौलिक और तात्कालिक प्रश्न न कोई पहले रहा है और न रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

न आया है और न आयेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं अतीत के पृष्ठों की बात कर रहा हूं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह पता नहीं है ?

मान्यवर, आज पूरा देश और प्रदेश उद्वेलित है और विश्व हिन्दू परिषद् की सार्वजनिक घोषणा के बाद, कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर स्थित श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक किया जायेगा और उसके लिये वह कटिबद्ध हैं और पूरे देश से वहां पर हजारों की संख्या में लोग विश्व हिन्दू परिषद् के महामंत्री के नेतृत्व और बजरंग दल के नेतृत्व में आज वाराणसी की सरजमीं पर जमा हैं और काशी में उनकी सार्वजनिक सभा चल रही होगी और उसके बाद जो इनकी तीन यात्राएं शुरू होंगी और 51 लोगों का बलिदानी जत्था भी बनाया गया है, जिसको गोपनीय रखा गया है और वह बलिदानी जत्था 3 यात्राएं शुरू करेगा उनके लिए अगर सरकार को निर्देशित न किया गया तो आज विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल एक नई परम्परा शुरू करने जा रहे हैं इससे साफ प्रदर्शित हो रहा है कि अगर इसको तत्काल रोकने की घोषणा न की गयी तो यह साबित होगा कि जो आज समर्थन दिया है इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, यह सरकार उसके दबाव में अगर आ गयी और आज यह सरकार विवश होकर, जिससे सम्प्रदायिक सौहार्द के प्रति एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जायेगा और जो लोक सभा के चुनाव को देखते हुए काशी और मथुरा को लगातार कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे उसकी दिशा में उनका एक बहुत बड़ा कदम है । पिछले दिनों ज्ञानवापी मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा के लिए चिन्ता व्यक्त की थी लेकिन उसकी सुरक्षा करने के बजाय विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को रोकने के बजाय, ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम की सुरक्षा तक वापिस ले ली गयी और उन्हें भूमिगत होना पड़ा और विश्व हिन्दू परिषद का यह बयान कि इसकी एक-एक इंच जमीन एक वर्ग की है इससे एक वर्ग के लोगों में आशंका और भय का वातावरण पैदा करता है।

मान्यवर, यह ऐसा गंभीर प्रश्न है कि अगर आज शासन इस पर चुप रहा, कोई निर्देश नहीं दिया गया तो कुछ भी किसी क्षण हो जायेगा । मान्यवर, न्यायालय में यह मामला है । पूर्व में भी एक बार जलाभिषेक कर चुके हैं । प्रशासन और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं में वहां झड़प हो चुकी है । मान्यवर, कार्य-स्थगन का इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है यह तात्कालिक है लोक महत्व का है इसलिये निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय और सरकार को निर्देशित करें कि विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम को स्थगित करायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

जो विषय वस्तु है उस पर ही सीमित रहें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

बिना इजाजत के नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

बिना इजाजत के माननीय वर्मा जी बोल रहे हैं वह बातें लिखी नहीं जायेगी ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, इसमें मुझे भी बोलने देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

6 दिसम्बर, 1992 की बात का इसमें कोई विषय वस्तु नहीं है । 6 दिसम्बर, 1992 से इसका कोई मतलब नहीं है, न वह लिखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक माह पूर्व विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा यह घोषणा की गयी थी..

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मुझे भी अनुमति दें यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

कोई चर्चा तो हो नहीं रही है, सभी को बोलने का मौका दे नहीं पाऊंगा, मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूं जिन सदस्यों की यह सूचना है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक माह पूर्व विश्व हिन्दू परिषद् ने यह घोषणा की थी कि 31 जुलाई से 18 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक यात्रायें निकाली जायेंगी सब लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि यह सरकार उनको रोकेगी ।

श्री अध्यक्ष–

जो विषय वस्तु है उसी पर सीमित रखें ।

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

(व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये । यह प्रकरण बिल्कुल गलत है वहां पर जलाभिषेक सोमवार को हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, परम्परा गलत पड़ रही है । जब आपने मेरा नाम पुकार लिया है तो मुझे सुनें ।

(व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप बैठ जायें । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं बातें दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं स्मरण कराना चाहता हूं कुछ दुःखद घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक नया विधेयक भारत की संसद में पारित किया था और उसका नाम है "पूजा स्थल विधेयक" । उसके अनुसार 1947 में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वहीं यथास्थिति बनी रहेगी । उसके पारित हो जाने के बाद यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वह संविधान विरोधी है, नियम-विरोधी है । उस समय अयोध्या को इससे अलग रखा गया था । जहां तक वाराणसी और मथुरा का प्रश्न है काशी मथुरा भी इसी पूजा स्थल विधेयक से परिभाषित है । 1947 में रात 12.00

12.00 बजे के बाद जो यथा-स्थिति है वही कायम रहेगी । आज चिन्ता इस बात की है कि ज्ञानवापी मस्जिद में वहां के धार्मिक लोग राजनीतिक कारणों से प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं । एक राजनैतिक दल जो मुद्दा विहीन था उसने उसे मुद्दा बनाकर अपने कुत्सित इरादे जाहिर किये हैं । हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि वे इसे मुद्दा बनायें चिन्ता इस बात की है कि इसका दुष्परिणाम न सामने आ जाये । हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो इस समय वहां बैठी है जब यहां पर बैठती थी तो उन्होंने उस समय चिन्ता व्यक्त की थी । उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था ...

श्री अध्यक्ष–

यह इस प्रकरण से संबंधित नहीं है । आप कृपया विषय पर बोलें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं उससे अलग नहीं हो रहा हूं । विधान सभा में उन्होंने आश्वासन दिया था, राष्ट्रीय एकता परिषद् में आश्वासन दिया था, कोर्ट में आश्वासन दिया था । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरनाथ की यात्रा होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए । जो इस यात्रा में अवरोध उत्पन्न करेगा उसे भारतीय सैनिकों को कुचल देना चाहिए । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हज यात्रा भी होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अमरनाथ यात्रा आपका सब्जेक्ट नहीं है । आप अपनी नोटिस पर ही बोलें । मैं उसी पर सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने तो हल्ला करने का मन बना लिया है यह उचित नहीं है । कृपया आप लोग शान्त होकर बैठें । संसदीय कार्य-मंत्री जी जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं आप लोग चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

कठपुतली मुख्यमंत्री को, नट के रूप में जो लोग बैठे हुए हैं, नचा रहे हैं । उनके हाथ में कुछ है नहीं । जिन लोगों ने सम्प्रदायवाद को बढ़ाया आंतकवाद को इस प्रदेश में बढ़ावा दिया, आज 31 तारीख को बनारस में जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराया गया है, उससे इस बात का भय पैदा हो गया है कि कहीं पुनरावृत्ति 6 दिसम्बर, 1992 की फिर तो नहीं होने जा रही है ?

राजनीतिज्ञ लोगों द्वारा अगर धर्म का उपयोग किया जायेगा, आज यह दो लोग, जो पाकिस्तान बोल रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, वह कह रहे हैं कि हम अमरनाथ की यात्रा नहीं करने देंगे यह कह रहे हैं कि हम हज की यात्रा नहीं करने देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इससे कोई उसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर कर रहे हैं जो इस देश को, इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं । इस संबंध में इस सरकार की नीति क्या है, वह बताया जाना चाहिये ? हम इस देश प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में नहीं झुलसने देंगे ?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर बाल ठाकरे का बयान है तो भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की हिस्सेदार है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस विषय पर कई माननीय सदस्यों के विचार आ चुके हैं....

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर यह तय हो गया है कि मुझे बोलने नहीं दिया जायेगा और बीच में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य व्यवधान पैदा करेंगे तो मुझे दो बातें कहनी हैं कि बीच में कोई अवरोध न पैदा किया जाय और आप घड़ी देखकर मुझे दो मिनट का समय दे दें, अगर दो मिनट से ज्यादा हो जाय तो आप मुझे बैठने के लिये कह दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया शान्तिपूर्वक सुनें ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अब तो यह आपकी कमजोरी है । आप मुझे बोलने नहीं देंगे और इनको सुनेंगे ।

मान्यवर, मैंने सिर्फ यह चिन्ता व्यक्त की । वाराणसी में जो स्थिति है, वह कायम रहनी चाहिये । जहां शिवलिंग की स्थापना है, वहां हिन्दुओं को पूजा का अधिकार होना चाहिये, जहां ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां मुसलमानों को नमाज का अधिकार होना चाहिये । माननीय कल्याण सिंह जी ने उस समय इस विधान सभा में, संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् में, सब जगह वायदा किया था और बाद में उस वायदे को तोड़ा । आज जो यह मौजूदा सरकार है, उसकी सांस की एक-एक डोर उसी भारतीय जनता पार्टी से बंधी है, जिसने 6 दिसम्बर, 1992 को यह घटना की थी, इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा और सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार यह विश्वास दिलाये कि पूजा स्थल विधेयक की मंशा के अनुरूप यथास्थिति कायम रखी जायेगी और राजनीति के मुद्दे की तलाश में भटकने वाली भारतीय जनता पार्टी को इजाजत नहीं दी जायेगी, यह हिन्दू मुसलमानों के खून से इस धरती को न रंगे ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा पुनः एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर मा० राजेन्द्र जी बोलेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा। इनमें फिर सुनने का नैतिक साहस होना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह तो आपका विवेक है, बोलने की अनुमति दें अथवा न दें। मुझे खुशी होगी कि इन्हें बोलने की अनुमति आप दें। हम और हमारा दल आपको सदन चलाने में पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं कि यह सदन व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन मान्यवर, इसमें हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। हमने कोई बात कहना शुरू किया, कोई ऐसी बात निकली, जो प्रसंग से हटकर हो, बाहर हो, तो आप मना करेंगे, हम बैठ जायेंगे अगर अनादर करेंगे तो हमारी शास्ति करें।

(श्री जगदम्बिका पाल व श्री नरेश अग्रवाल के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह ऐरी–

मान्यवर, मुझे खेद है कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, जो प्रदेश की शान्ति व्यवस्था से जुड़ा है....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर हम कोई या अन्य सदस्य अगर अप्रसांगिक बात करता है, यदि आप उसे कहने से नहीं रोकेंगे तो किसी के मन को पीड़ा हो सकती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। मान्यवर, मैं

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

आपकी अनुमति से बोल रहा था, मैंने इन्हें टोका भी नहीं, ये खड़े हो गये। यह सदन कैसे चलेगा ? अगर हमारी उदारता को कमजोरी समझा जायेगा तो हम अनुशासन कायम करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि व्यवधान पैदा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जो आप नोटिस देते हैं, उसे अपने विषयवस्तु तक ही बांधे रहें तो कहीं कोई हो-हल्ला नहीं होगा। अगर जानबूझकर इस तरह की चीजें कहेंगे जिससे सदन अव्यवस्थित हो तो यह ठीक नहीं है। 6 दिसम्बर, 1992 का यहां कोई प्रकरण नहीं है लेकिन 6 दिसम्बर, 1992 की बात कर रहे हैं। नोटिस आपने ज्ञानवापी पर दी है, अपने को उसी पर बांधे रहें तो कोई बात न हो।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता । सावन का महीना चल रहा है और विश्व हिन्दू परिषद् और बंजरग दल के लोग वहां जलाभिषेक करने के नाम पर ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा अखबारों में पढ़ा है । श्री अशोक सिंघल जी का बयान भी है । दो सोमवार बीत गया, पिछले सोमवार को थोड़ी सी गड़बड़ी हो गयी, जो लोग जल चढ़ाने के लिए गये थे, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के अन्दर घेरा तोड़ कर जलाभिषेक करने की कोशिश की और उसका नतीजा यह हुआ कि 5 व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये । आज की सूचना यह है कि श्री अशोक सिंघल जी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके दो-तीन रास्ते से आज जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, यह उन्होंने योजना बनायी है, उनका कहना भी है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का श्री कृष्ण जन्म भूमि ले करके ही रहेंगे । ज्ञानवापी मस्जिद को गिराने के बारे में कल-परसों भी उनका बयान पढ़ा होगा, यह बात सभी जानते भी हैं । श्री बाल ठाकरे ने भी ऐसा बयान दिया था । मैं समझता हूं कि हमारा देश बहु-धार्मिक, बहु-जातीय, बहुभाषी देश है, अलग-अलग लोगों की आस्थायें हैं और हमारे यहां जो पूजा-स्थल विधेयक पास हुआ है, उसमें भी इस बात का वर्णन है कि सन् 1947 में जो यथास्थिति है–जो मस्जिद हैं, मन्दिर हैं वह वैसे ही रहने चाहिए । किसी पर किसी को उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है । उसका भी हनन हो रहा है ।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी जी के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी विधान सभा है कि श्री अमरनाथ यादव जी की विधान सभा है ?

श्री ऊदल–

पूरे देश के अन्तर्गत साम्प्रदायिक एकता टूट जायेगी और जगह-जगह हिन्दू और मुसलमानों का खून बहेगा । विदेशों में जहां हिन्दू हैं, पिछली बार माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी आपने भी पढ़ा होगा कि बंगला देश में 35 हिन्दू मन्दिरों को तोड़ा गया और बहुत से व्यक्ति मारे गये । इसलिए इस संवेदनशील मसले पर सरकार को सतर्क रहना चाहिये ताकि किसी भी प्रकार से साम्प्रदायिक एकता खतरे में न पड़े ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, अभी काशी विश्वनाथ मन्दिर में जलाभिषेक करने तथा विश्व हिन्दू परिषद् के श्री अशोक सिंघल जी के नाम को लेकर बहुत कुछ अनर्गल बातें यहां पर कहीं गई और आरोप लगाये गये । इन सब आरोपों का मैं प्रतिवाद करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या यह श्री अशोक सिंघल की ठेकेदारी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी, जो माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है और अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उसका नाम भी तो यहां पर नहीं लिया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं बिल्कुल यही बात कहने जा रहा था। माननीय श्री अशोक सिंघल जी का नाम लिया जाता रहा और उन्हें टोका नहीं गया। अगर कोई सदस्य खड़ा होता है तो वह उसकी मजबूरी हो जायेगी। माननीय श्री अशोक सिंघल जी यहां पर अपना जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री अशोक सिंघल जी का नाम लेकर और उनके मुंह से जो बातें यहां पर कहलायी गई है, उन्हें आप सदन की कार्यवाही से निकाल दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कहीं प्रसंगवश नाम लेना पड़ता है। अब जैसे फूलन देवी इस सदन की सदस्या नहीं हैं और हम कहते हैं कि फूलन देवी डकैत है तो क्या हम उनका नाम नहीं ले सकते ? इसी प्रकार मानसिंह डकैत हैं तो क्या प्रसंग में हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं ? बिलकुल ले सकते हैं। श्री अशोक सिंघल जी ने एक बयान दिया, उस पर यह प्रतिक्रिया हो रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, आपने इतने विधायकों को झेल लिया है, एक मिनट मुझे भी झेल लीजिये। श्री अशोक सिंघल एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर उनके बारे में कोई अनर्गल प्रलाप यहां पर करेगा तो मैं उसका प्रतिवाद करूंगा। काशी भारतवर्ष की एक आध्यात्मिक नगरी है और सांस्कृतिक राजधानी है। वहां पर बाबा विश्वनाथ मन्दिर में यह परम्परा रही है कि श्रावण महीने में हिन्दू सम्प्रदाय के लोग, जो धार्मिक आस्था रखते हैं, जलाभिषेक करते रहे हैं।

तो मान्यवर, श्रावण के महीने में विशेषकर हिन्दू समाज के लोग, भारतीय लोग, धार्मिक लोग, धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग काशी के मन्दिर में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। साथ ही वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद और मन्दिर के बीच में उसके परिसर में एक श्रृंगार गौरी की मूर्ति है और उस मूर्ति के जलाभिषेक और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, जिसे लोग करते चले आ रहे हैं। हमारे तमाम ग्रन्थों में श्रृंगार गौरी के दर्शन करने, उन पर जल अर्पण करने और पूजन करने के विशेष महत्व का वर्णन है। ऐसी स्थिति में इस अवसर पर काशी के मन्दिर में दर्शन पूजन करने काशी से ही नहीं देश के कोन-कोने से लोग धार्मिक आस्था लेकर यहां इनका दर्शन पूजन और जलाभिषेक करने आते हैं। देश के कोने-कोने और विदेशों से आई आस्थावान जनता बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक करने के साथ ही श्रृगार गौरी की मूर्ति पर भी जलाभिषेक करती है। आप कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मन्दिर में स्थित श्रृंगार गौरी की मूर्ति पर जल चढ़ाने और पूजन करने पर रोक लगाई जाए और इसके लिए तमाम कोशिश भी की जा रही है "व्यवधान" तो मेरी बात पूरी हो जाने दें। तो प्रशासन की तरफ से जो श्रृंगार गौरी के मन्दिर में मूर्ति पर जलाभिषेक करने की रोक लगाई जा रही है वह संविधान की भावना के बिल्कुल विपरीत है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और आस्था के अनुसार स्वेच्छा से उपासना, पूजा और अर्चना का अधिकार प्राप्त है और यह रोक उस अधिकार का खुला हनन है। मैं चाहता हूं कि हमारे उन अधिकारों पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई कुठाराघात न हो (व्यवधान) यह लोग जो बोल रहे हैं, उसको लेकर बहुत परेशान है। यह कार्य बिलकुल गलत है। "व्यवधान"

श्री अध्यक्ष–

सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा अनुरोध है (व्यवधान) आज से मेरी व्यवस्था है, जिस भी सूचना पर जितने माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, केवल उन्हीं को मैं सुनूंगा, उससे एक भी ज्यादा सदस्य को मैं नहीं सुनूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर।

(व्यवधान)

जब आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, तो जो बोलेंगे लिखा नहीं जाएगा। आप बैठें।

(व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, एक काल्पनिक प्रश्न आया है (व्यवधान) काल्पनिक शब्द वास्तविकता से परे होता है। हम काल्पनिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे आपकी अनुज्ञा से। वहां पर न तो कोई साम्प्रदायिक दंगा होने जा रहा है और न कोई तनाव है। जो सूचना मिली है, आज 31 जुलाई को श्रृंगार-गौरी पर कोई जलाभिषेक नहीं किया गया है और श्री अशोक सिंघल, महामंत्री विश्व हिन्दू परिषद् लगभग 30 व्यक्तियों के साथ श्रृंगार गौरी तक गये थे (व्यवधान) गिनती में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो सूचना हमारे पास आई है उसके आधार पर बोल रहा हूं परन्तु उन्होंने कोई जलाभिषेक नहीं किया और न ही परिक्रमा की। इसलिए मैंने कहा था काल्पनिक है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा श्री अशोक सिंघल द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के विरोध में एक सांसद के नेतृत्व में कुछ लोगों ने विरोध किया था जरूर उससे शांति भंग होने की स्थिति आ गयी थी लेकिन उनको रोका लिया गया और कोई खास बात नहीं हुई। एक बात माननीय सदस्य ने कही। तो अन्जुमने इंतजामियां मस्जिद के सदर मुफ्ती श्री अब्दुल वाशिद के साथ लगी सुरक्षा समाप्त नहीं की गयी है। ऊदल साहब ने कहा कि वह भूमिगत हैं (व्यवधान) उनके कमरे में हो मुझे मालूम नहीं। वह सुरक्षित हैं। माननीय ऊदल जी ने एक बात कही है तो पहले से सरकार सतर्क है उन्होंने कह दिया पुराने सदस्य हैं जब आप लोगों ने चिंता व्यक्त की तो और ज्यादा सतर्क हो जायेंगे। वहां कोई तनाव नहीं है न हिन्दू मुसलमानों में कोई भेद है। अनावश्यक रूप से किसी चीज को उठाने से कहीं कोई हो सकता है कोई दूरी हो जाय अभी तक वहां कोई ऐसी चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं। अगली सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल जी की है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं कोई इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

कहा गया कि कोई जलाभिषेक नहीं हुआ । (व्यवधान) यह सरकार की जिम्मेदारी है मस्जिद में किसी की अंगुली न उठे .....

श्री अध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, अभी दो दिन पहले फिरोजाबाद में 29 ता० को निधि पैलेस हाल में जब मैटनी शो चल रहा था और 600 से ज्यादा लोग फिल्म देख रहे थे तो उस हाल की छत गिर गयी और छत गिरने से 3 लोग दब कर मर गये उनमें राजवर्धन, राजेश कुमार और नौशाद जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी उनकी करुण मृत्यु हो गयी । प्रश्नगत मामले में अभी तक जो गंभीर रूप से घायल हो गये उनको राहत नहीं मिल पाई उसमें ढीलढाल रही । जो लोग दुर्घटना में घायल हुये उनका उचित उपचार नहीं हो रहा है और न ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है और जिन तीन नौजवानों की मृत्यु हो गयी उनके परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं मिला है । इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों द्वारा, विभागीय अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गयी, वहां नगर पालिका के अधिकारियों ने भी इस बात को पहले कभी देखने की कोशिश नहीं की कि इमारत क्षतिग्रस्त है और न उसके मालिक को इसके बारे में कोई नोटिस दी कि आप अपनी इमारत की मरम्मत करें । सिनेमाघर जिसमें हजारों लोग रोज आते हैं तीन तीन शो होते हैं । तो इस घटना से पूरे प्रदेश में लोगों में सिनेमाघरों में जाने में एक प्रकार का भय तथा हिचक पैदा हो गयी है । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । तीन जानें चली गईं । पता नहीं मलबे में कोई और भी लाश दबी पड़ी हो । मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को, जिसमें मृतकों के परिवार को मुआवजा न दिया गया हो, शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की मांग करता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

निधि पैलेस की प्रश्नगत घटना सही है और इसमें तीन लोगों राजेश, नौशाद और राजवर्धन की मृत्यु हुई । 15 लोग घायल हो गये जिसमें से 9 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया । छः में से एक की स्थिति नाजुक थी उसे एस० एन० मेडिकल कालेज आगरा और अन्य पांच को स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है । सिनेमा मालिक के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है । नरेन्द्र, वेद प्रकाश की गिरफ्तारी के साथ ही मजीस्टीरियल जांच के आदेश कर दिये गये हैं । यह एक सामान्य घटना है । यह सही है कि मृत्यु हुई है और कई लोग घायल हुए हैं । सरकार की तरफ से जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वह की गई है और इसके अतिरिक्त और कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके लिये भी कार्यवाही की जायेगी । मृतकों को मुआवजा देने का डी०एम० की तरफ से अनुरोध आया है उस पर भी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अस्वीकृत करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह–

जनपद मेरठ में जहां हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है हजारों एकड़ जमीन है जिसका विगत 10-15 वर्षों से विवाद चल रहा है। सन् 1974 में दीक्षित एवार्ड हुआ था जिसके मातहत जमीन निश्चित कर दी गई थी लेकिन हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश के लोग दीक्षित अवार्ड को नहीं मान रहे हैं आज स्थिति यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव टाण्डा जो कि मुस्लिम आवादी का गांव है, छपरौली, बदरखाब में उत्तर प्रदेश के लोगों का चारा और ईख बोई हुई है। हरियाणा के लोग पुलिस की मदद से जबरदस्ती उसे काट रहे हैं। यहां के लोगों को पकड़-पकड़ कर ले जा रहे हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए रणवीर सिंह छपरौली के किसान का ट्रैक्टर जबरदस्ती ले गये। जबरदस्ती लोगों से कागजों पर दस्खत करवाये जा रहे हैं। हरियाणा की सीमा पानीपत-सोनीपत में मिलती है। लखनऊ मेरठ से दूर है। किसानों की पिटाई कर रहे हैं, उ० प्र० पुलिस को भी वहां की पुलिस मार रही है। जिलाधिकारी से भी इस विषय में वार्ता की और उनसे मिलकर अपनी स्थिति वहां की बताई। श्री कोकब हमीद साहब यहां पर नहीं हैं उनका और मेरा क्षेत्र मिलता है। वहां पर लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लोगों को पकड़-पकड़ कर ले जाते हैं। प्रशासन पूरी तरह सोया हुआ है। मैं संक्षेप में अपनी बात पर बल देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं जब तक मा० मुख्य मंत्री स्तर पर यह बात नहीं होगी कुछ नहीं होगा। हजारों एकड़ जमीन दिल्ली तक चली गई है। वहां पर किसी भी समय खूनी संघर्ष हो सकता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय सदस्य ने जो शिकायत की, वह सही है। मगर जिस घटना का उल्लेख इन्होंने किया है कि दिनांक 19-7-95 को रणवीर सिंह का ट्रैक्टर जबरदस्ती ले गये और वहां के कास्तकारों को जबरदस्ती पकड़कर उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, इसकी सूचना सरकार के संज्ञान में नहीं है। समय समय पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसको देखते हुए इस समस्या के स्थाई निराकरण हेतु आयुक्तों को कहा गया है कि इसका परीक्षण करा कर निराकरण करें और राजस्व परिषद् के अधिकारियों को मौके पर भेजकर इसकी जांच कराई जायेगी। जैसा सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, वह अच्छा है उत्तर प्रदेश सरकार हरियाणा सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र लिखेगी। माननीय सदस्य ने इस सूचना के माध्यम से विचार व्यक्त करते हुए अपने सुझाव दिए हैं सरकार इस पर विचार कर लेगी। जो सूचना दी है हमने कहा जिस खास घटना को लिखा गया उसको तो नहीं लेकिन जो बिन्दु हैं उस पर सरकार ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री को इस विषय पर सुनने के बाद मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री रामआसरे वर्मा–

6 जुलाई को मान्यवर, प्रतापगढ़ जिले में दिलेरगंज में एक घटना घटित हुई।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने भी कार्य-स्थगन में दिया था।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वयं सबको अवसर देता हूं। जिन माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं उनको समय दे रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सदन की कार्यवाही न चले।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सुन लीजिए।

श्री रामआसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रतापगढ़ में थाना कुंडा, दिलेरगंज में हुई घटना ने एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्रतापगढ़ में और पड़ोसवर्ती क्षेत्रों में भी। श्रीमन् 6 जुलाई को वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर धावा बोला गया। 28 घर जलाकर राख कर दिए गए। चार अबोध अल्पसंख्यक बालिकाओं को अंग-भंग करके गंगा नदी में फेंका गया यह बहुत ही दुखद घटना है। श्रीमन् एक उसी गांव के प्रधान छेदी मौर्या का अपहरण हो गया उससे उत्तेजित लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया पुलिस के सामने घर जलाए जाते हैं अबोध बालिकाओं की हत्या की जाती है और पुलिस देखती रही। आज इतने दिनों के बाद भी पता नहीं लगाया गया। यह घटना क्यों हुई ? इससे दूसरे सम्प्रदाय के अन्दर रोष व्याप्त है यह घटना साम्प्रदायिक घटना नहीं थी यह आपसी रंजिश का परिणाम था। पहले भी तरह-तरह की छुटपुट घटनायें घट चुकी हैं। इस सिलसिले की यह अन्तिम परिणाम था इससे अल्पसंख्यकों में रोष व्याप्त है। अबोध बालिकाओं को अंग भंग करके फेंका गया पोस्ट मार्टम उनका कराया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि डूबकर मृत्यु हुई है। आज भी शव गड़े होंगे सरकार चहती है कि घटना किसी अन्य घटना की प्रस्तावना न बने तो उन शवों को निकालकर पोस्टमार्टम कराए ताकि स्थिति साफ हो अंग भंग करके उनको मारा गया जिन लोगों ने जुर्म किए उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। छेदी मौर्या के अपहरण के जिम्मेदार जो हों। उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। 6 जुलाई से लेकर आज तक लगभग एक महीना होने जा रहा है लेकिन अभी तक मौर्या का पता नहीं लगा है इससे भी वहां आक्रोश व्याप्त है। आज वहां की स्थिति हमको इस सदन में वह बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर प्रशासन इसी तरह से कान में तेल डाले बैठा रहा तो यह घटना, जो आपसी रंजिश की वजह से घटित हुई थी, दूसरा मोड़ ले लेगी। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिन लोगों के घर जले हैं, उनके घरों को बनवाने के लिए यथोचित सहायता दें। कम से कम मृतकों के परिवारों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये सरकार प्रदान करें।

(इसी मध्य में)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस मामले में मुझे भी दो मिनट सुन लें क्योंकि यह मेरे क्षेत्र का मामला है। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए व पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जिसकी सूचना है उसी को सुना जाएगा अन्य किसी को नहीं सुना जाएगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने इस महत्वपूर्ण सूचना पर जो मेरे क्षेत्र की है मुझे नहीं सुना इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में बर्हिगमन करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री रामआसरे वर्मा–

अभी मान्यवर, मेरी पूरी बात ही नहीं हुई थी । मान्यवर, इस मामले में वहां का प्रशासन इस घटना की तह में जाकर एक निष्पक्ष जांच कराने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाए । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय सदस्यों का यह कहना नितांत गलत है कि मुआवजा नहीं दिया गया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिलेरगंज थाना कुंडा जिला प्रतापगढ़ के प्रधान छेदीलाल मौर्य का नईम ने अपहरण कर लिया था, जिसका मुकदमा कुंडा में धारा 147. 364 के अन्तर्गत दर्ज कर दिया गया था । यह अपहरण इसलिए किया गया है कि कुछ माह पूर्व सुखदू मौर्य की लड़की के साथ इन्हीं अपहरणकर्ताओं ने बलात्कार करने की कोशिश की थी उसका मुकदमा भी नईम और उसके अन्य साथियों पर कायम किया गया था । इसमें जो छेदीलाल प्रधान थे वह पैरवी कर रहे थे, लड़की के पक्ष की तरफ से । नईम के बारे में बताया जाता है कि वह अपराधिक किस्म का व्यक्ति है । चूंकि प्रधान जी नईम के खिलाफ पैरवी कर रहे थे इसलिए नईम ने उनका अपहरण कर लिया । इससे उत्तेजित होकर कुछ लोगों ने नईम के मुहल्ले में उपद्रव किया । उसकी भी रिपोर्ट मुकदमा संख्या 153–ए 95. 147/148. 149. 307. 330. 364. 436. 504 भारतीय दंड संहिता व विशेष धारा 7 ला क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट का अभियोग दर्ज हुआ । इस घटना से सम्बद्ध चारों मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपए तथा आगजनी से पीड़ित परिवार को दो-दो हजार रुपए की सहायता राशि शासन द्वारा दी गई है । श्रीमन्, स्थानीय अधिकारी बहुत सतर्क हैं । सी०आई०डी० से कहा गया है कि यह उसकी विवेचना करें । सरकार ने इतनी गम्भीरता से काम किया है । हमारे परिवहन मंत्री घटनास्थल तक दो बार जा चुके हैं । शव इससे बड़ी संस्था तो होती नहीं है । सरकार पूरी तरह से सतर्क है । श्री वर्मा जी को शायद यह जानकारी नहीं रही होगी । यह मामला नियम 56 में नहीं आता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको अग्राह्य कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है ।

अगली सूचना श्री बदन सिंह व डा० रामबाबू हरित की प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । इसके बाद श्री सुन्दर लाल दीक्षित की सूचना कृष्णा मेडिकल सेन्टर हजरतगंज, लखनऊ में प्रसव आपरेशन के दौरान श्रीमती

राधिका की मृत्यु की जांच कराये जाने के संबंध में है, इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना श्री भैरो प्रसाद मिश्र की माननीया मुख्यमंत्री जी के आवास पर एक महिला के शस्त्र लेकर पहुंचने से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर लगे प्रश्न चिन्ह के संबंध में है, इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

(मद संख्या–10 पुकारे जाने एवं माननीय राजस्व मंत्री के खड़े होने पर।)

सूचनादाता सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को प्राथ्यता पर बोलने का अवसर न दिये जाने के निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री ऊदल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री जी, आप बैठ जायं। श्री ऊदल जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, अभी आपने व्यवस्था दी कि सूचना पर जिनके हस्ताक्षर होंगे उन्हीं माननीय सदस्यों को आप सुनेंगे। मैंने उसी वक्त निवेदन किया था कि इससे हमारे साथ अन्याय हो जायगा क्योंकि मैं शांति प्रिय तरीके से बैठा रहता हूं कभी-कभी निवेदन करता हूं किसी मामले पर तो आप इजाजत भी दे देते हैं। अगर इस तरह की आपकी रुलिंग हो गयी जो हमेशा के लिये आप लागू करेंगे तो मेरे साथ अन्याय होगा। आप इस पर विचार करके कम से कम हमारे लिये ऐसी व्यवस्था न लागू करें। यही मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊदल जी, मेरी स्वयं चाहत रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपने विचार रख लें ग्राह्यता के माध्यम से, परन्तु जिस तरह से मूल्यवान समय को हो-हल्ला में खराब किया जाता है कि मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसको देखते हुये कुछ व्यवस्था रखनी पड़ेगी इसलिये मैंने यह व्यवस्था दी।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान-अनुदान सं०–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान सं०–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) अनुदान सं०–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान सं०–83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,44,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(माननीय राजस्व मंत्री जी के आसन ग्रहण कर लेने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगली मदें भी एक साथ रख दें ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,93,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,47,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83 सहायता एवं पुर्नवासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए । (इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आज हमें अपना बजट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है कि तमाम दलितों के लिए योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्थान हेतु कार्यक्रम बनाये गये हैं । भूमि सुधार कानून में एक अच्छी व्यवस्था की जा रही है । मान्यवर, दलित लोगों के राजस्व संबंधी तमाम मुकदमें लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं । अब ऐसे गरीबों के मुकदमें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा । आवंटन की जमीन पर चाहे कृषि पट्टा हो या आवासीय पट्टा हो आवंटियों को युद्ध स्तर पर कब्जा कराने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा आवंटियों के जमीन, जो जबरन कब्जा किये हैं उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जायेगा । मत्स्य पालन का पट्टा भी गरीबों की रोजी से जुड़ा है पात्र व्यक्तियों को ही मत्स्य पालन के पट्टे कराने का अभियान चलाया जायेगा । मान्यवर, दैवी आपदाओं से हुई क्षति के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गयी है ताकि उन पीड़ितों को धनाभाव के कारण राहत में विलम्ब न हो कृषि, आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला आदि के समस्त विवादित पट्टेदारों को 30 दिन के अन्दर कब्जा दिया जायेगा । यदि इसमें किसी प्रकार शिथिलता या अनिश्चितता पाई गयी तो सम्बन्धित उप-जिला अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार उत्तरदायी होगें । राजस्व प्रशासन के शुद्धीकरण, आधुनिकीकरण तथा भू-लेखों के कम्पीयूटरीकरण हेतु गांवों-गांवों की खतौनी को कम्पूयटर में फीड करने की कार्यवाही की जा रही है । प्रदेश के किसानों को उसके भौतिक अधिकारों के अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उद्देय से शासन से बही, पासबुक के स्थान पर किसान बही योजना लागू कर उपलब्ध कराई जा रही है ।

मान्यवर, प्रत्येक गांव में डाक्टर अम्बेडकर परिवर्तन पार्क हेतु 5 एकड़ जमीन सुरक्षित की जायेगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमि संबंधी अधिक से अधिक विवादों का निस्तारण

लोक अदालतों से किया जायेगा । मान्यवर, चकबन्दी प्रक्रिया में उतने ही गांवों का गजट किया जायेगा कब्जा परिवर्तन पांच साल के अन्दर हो सकें ग्राम सभा राजकीय आस्थान, भूदान आदि की जो भी सरकारी भूमि है उसकी मालियत लगाकर किसी के चक में शामिल नहीं किया जायेगा बल्कि उसे यथावत सुरक्षित रखा जायेगा । जहां पर धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है वहां शीघ्र धारा 52 का प्रकाशन किया जायेगा । प्रत्येक गांव सभा क्षेत्र में मरूथल–कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित कराई जायेगी । मान्यवर, तालाबों व पोखरों का मत्स्य पालन हेतु आवंटन के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाकर 2 माह के भीतर क्रमशः मछुवारा, मल्लाह, निषाद बिन्द केवट व अनुसूचित जाति जनजाति तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही पट्टा दिया जायेगा । नदियों के किनारे की तथा उससे प्रभावित भूमि का सीमांकन कराकर ग्राम सभा की भूमि को पात्र व्यक्तियों को 60 दिन में पट्टा दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और मान्यवर, कृषि हेतु आवंटित सीलिंग भूमि के सुधार हेतु पट्टेदारों को एक हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ा कर ढेड़ हजार रुपये प्रति एकड़ की जायेगी और उत्तर प्रदेश के सभी 305 तहसीलों में स्थिति जो हवालात हैं, उनके सुधार की व्यवस्था की जायेगी और इन सभी आदेशों के अनुपालन में जो भी अधिकारी अनियमितता या शिथिलता बरतेंगे उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने राजस्व विभाग का अनुदान प्रस्तुत करते वक्त इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस वक्त प्रदेश के अन्दर जो भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और सूखे में पूरी खरीफ की फसल नष्ट हो गयी और कहीं-कहीं पर तो ज्यादातर हिस्सों में बुआई का कार्य भी नहीं हुआ इसलिए प्रदेश के कम से कम 45-46 जिलों में हालत बहुत दयनीय है । इस दयनीय हालत को देखते हुए प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की आवश्यकता थी । इसमें एक अनुदान दैवी आपदा के सम्बन्ध में है । मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी दैवी आपदा बहुत दिनों के बाद आज प्रदेश में अनावर्षण से पैदा हो गयी है ।

आज 80 प्रतिशत जनता भयंकर सूखे की चपेट से परेशान है । पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गयी है कुएं भी सूख गये हैं और आगे हैण्डपम्प से भी पानी मिलना मुश्किल हो जायेगा जिससे पशुओं को भी पानी नहीं मिल पायेगा और खेत सूखा होगा नतीजा यह होगा कि हमारा प्रदेश पूरा भुखमरी का शिकार होगा और मैं समझता हूं कि सरकार को इस सूखे को देखते हुए प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए था और सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ-साथ भारत सरकार से भी इसके लिए सहायता की मांग करनी चाहिए लेकिन सरकार ने प्रदेश की इस ज्वलन्त समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा राहत कार्य के लिए दें क्योंकि इसमें बजट है, इसको रखना चाहिए ।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

इसके लिए भारत सरकार से बहुत बड़ी धनराशि की मांग करनी चाहिए और प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए । दूसरे, श्रीमन्, जैसा कि भाषण में जिक्र किया गया है जिन्हें कृषि के लिए और आवास के लिए जो भूमि के पट्टे उनको दिये गये हैं उसमें त्वरित कार्यवाही करके उनको पट्टे पर कब्जा दिलाये जायं । मान्यवर, आज भी प्रदेश के अन्दर कम से कम 50 फिसदी पट्टेदार प्रत्येक जिले में ऐसे हैं जिनको जमीन के कब्जे नहीं मिल पाये हैं । उदाहरण के लिए पड़रौना में तमकुही तहसील में हजारों पट्टेदार ऐसे हैं जिनको जमीन पर कब्जा नहीं मिला है इन पट्टेदारों ने तमकुही तहसील पर जब प्रदर्शन किया तो उन दलितों पर वहां के परगनाधिकारी ने पुलिस फोर्स बुला करके हमला कराया जिसमें 30-40 लोगों को गम्भीर चोटें आई हैं । सरकार उसकी जांच करा लें । इसके साथ ही इस तहसील के जितने पट्टेदार हैं उनको जल्दी से जल्दी पट्टों पर कब्जा दिलवायें ।

मान्यवर, सीलिंग ऐक्ट जो है उसमें कुछ संशोधन भी किये गये हैं लेकिन उसकी जो मंशा थी उसके विपरीत आज भी बड़े-बड़े भूमि के अधिकारियों ने रेवन्यू के कागजात 4 ऐक्ट के हिसाब से जो सीमा है उसको उतना ही रखा है । लेकिन, जो बकिया जमीन है, गलत नामों से जिनका कहीं कोई पता नहीं है और जानवरों के नामों से लिखाकर, रेवन्यू रिकार्ड में उनको ठीक करा लिया । मान्यवर, देवरिया जिले के सम्बन्ध में मैं मांग करता हूं कि उसकी सम्पूर्ण तहसीलों की जांच करा लें और सिलिंग से निकली हुई जमीन क्या फाजिल घोषित की गयी या नहीं या किनके नाम है, उन जमीनों का बटवारा हुआ कि नहीं, सिलिंग के तहत निकली हुई जो जमीन थी वह बंटी की नहीं उसको दिखवा लिया जाए । मान्यवर, बहुत से उसमें मुकदमें है, बहुत से लोगों ने चालाकी से उस जमीन को निकलने ही नहीं दिया और गलत नामों से रेवन्यू रिकार्ड में उनके नाम करा दिये । मान्यवर, दैवी आपदा से जो सहायता देने का प्रश्न है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुराना कानून है इसमें राहत इसलिए नहीं मिल पाती है कि 50 फीसदी से ज्यादा फसल का नुकसान न हुआ हो तब तक दैवीय आपदा से चाहे बाढ़ से हो, चाहे पाला से हो, चाहे सूखें से हो, तो तब तक राहत नहीं मिलती है । ये जो पुराना कानून है सरकार इसमें संशोधन कराये । नई मांग के अनुरूप फसल का आंकलन कराकर उसको दैवीय आपदा से नुकसान का मुआवजा किसानों को दिलाये वरना इस कानून के चलते किसानों को कोई फायदा नहीं हो सकता है । जो जमीन एक्वायर की जाती है उसमें मुआवजा देने का काम होता है । किसानों की जमीन ले ली जाती है, यह भी जो नियम बना हुआ है वह बहुत पुराना है उसमें मौके-बेमौके कुछ सुधार किया गया है, कहीं-कहीं बाजार रेट से भी आदेश जाते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर गौर करे कि जो

मुआवज़ा देने का कानून है, जो किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है उसका वह बहुत पुराना नियम है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि किसानों को उनकी जमीन उचित रेट से और बाजार रेट से मिले । आज दुख है कि किसी भी सरकार ने उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया ताकि किसानों को फायदा हो सके । श्रीमन्, आज एक्वायर की गयी भूमि का मुआवजा जल्दी नहीं दिया जाता है और सरकार को गलत सूचना देकर गुमराह किया जाता है और जिन लोगों ने प्रश्न पूछा है उनको भी गुमराह किया जाता है । एक प्रश्न मैंने पूछा था । मैं आपकी आज्ञा से प्रश्न को पढ़ना चाहता हूं । क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव धानापुर, परगना कसवार राजा तहसील व जिला–वाराणसी को आराजी नं० नया 104 व 105 इसका पुराना नं०–112 को सरकार ने आबादी हेतु 14 जनवरी, 76 में एक्वायर करके आबादी को आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसका मुआवजा अब तक उन काश्तकारों को नहीं दिया गया जिनकी यह जमीनें थीं ? यदि हां, तो मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार तुरन्त मय ब्याज के मुआवजे का वितरण करा देगी ? उसका जवाब यह आया कि जी हां । जिलाधिकारी को नियमानुसार भू-अर्जन कराकर प्रतिकर के भुगतान हेतु आदेश दे दिये गये हैं । जब भू-अर्जन 14 जनवरी, 76 को हो गया और उसमें आबादी बन गयी तो क्या कारण हैं कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया । आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि नियमानुसार भू-अर्जन करायें । लोग यह समझते हैं हम लोग बेवकूफ हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही को रोका जाये और जिलाधिकारी बनारस को आदेश दिया जाये कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्यवाही करें । श्रीमन्, इसी तरह से आज ही एक सवाल आया था । हमारे जिले में चकिया बेराठ फार्म मुकरमबन्दी की एक हजार एकड़ सरकारी भूमि है और उसमें 300 दलित वर्ग के लोग खेती करते हैं । वह भूमि किसी के नाम से नहीं है । श्री विभूति नारायण सिंह महाराजा बनारस ने वहां पर कब्जा किया हुआ है और गरीबों को बेदखल कर रहे हैं । उनके ऊपर 395, 107, 116 व 117 की दफाएं लगाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन मामलों को गम्भीरता से ले । मान्यवर, हमारे यहां पर एक बाबरपुर रजवहा है उसको खुदे 20 वर्ष हो गये हैं उसकी दो शाखाएं निकल गयी हैं एक तो निकली है, कूड़ी माईनर, उसका भी मुआवजा नहीं मिला और दूसरी है एनैनी माईनर । श्रीमन् एक रोड भी बनाई गई है, कड़ा गोल से कुरूर तक, आज तक उससे संबंधित किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला, जब भी लोग अधिकारियों से मिलते हैं, कहते हैं, दफा–4 की कार्यवाही कर दी गई है, इसलिये मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन सड़क के लिये, नहर के लिये या अन्य किसी दूसरे कामों के लिये ली जाय, कम से कम उन किसानों को एक्वीजीशन होने के बाद जो उचित मुआवजा उनका बनता है, बाजार रेट पर दे देना चाहिये लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इसके ऊपर किसी सरकार ने गम्भीरता से विचार नहीं किया, इसलिये मैंने यह उदाहरण के रूप में रखा है, इस तरह की समस्या पूरे प्रदेश की है कि जो, एक्वायर जमीन की गई है, उनका मुआवजा किसानों को 20-20, 15-15 साल से नहीं मिला है और किसान बेचारे चक्कर काटते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार कम से कम इतनी संवेदनशील होनी चाहिये कि जिनकी जमीन को लिया जाय, उनको सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दे दें ।

श्रीमन् अभी जमींदारी विनाश कानून और भूमि व्यवस्था में एक धारा है 198, उसको बंद कर दिया गया था । इस 198 में एक दफा और थी, जिससे शिक्षा संस्थाओं को जमीन दी जाती थी, यद्यपि यह

सही है कि उसका दुरूपयोग बहुत हुआ है, लेकिन शिक्षा संस्थाओं हेतु जमीन दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है, लोग शिक्षा संस्थायें चलावें, बालिकाओं का शिक्षा प्रतिशत बढ़े, क्योंकि जो स्कूल खोलना चाहते हैं, उनको जमीन की समस्या पैदा होती है । आज बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत केवल 35 है, लोग शिक्षा संस्थायें चलाना चाहते हैं, लेकिन जिस धारा 198 को खत्म कर दिया है, उसमें सिर्फ इस बात का संशोधन होना चाहिये कि शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर और किसी को जमीन नहीं दी जायेगी । गांव सभा की जमीन अगर कहीं है तो शिक्षा संस्थाओं को दी जायेगी, सरकार इस प्रश्न पर विचार करे कि शिक्षा का जो प्रतिशत बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा संस्थायें खुलें जिससे बालिकाओं की शिक्षा पूरी हो सके ।

श्रीमन् दूसरी एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज बड़े पैमाने पर भूदान की जमीन का दुरूपयोग हो रहा है, मंत्री जी, चाहें तो इसकी जांच करा लें । महाराजा काशी नरेश और बहुत से जमींदारों ने अपनी काफी जमीन भूदान कर दिया था और भूदान वालों ने क्या किया कि उस जमीन को, जिसमें बहुत से पेड़ हैं, आवास हैं, भूदान वाले दूसरे लोगों को पट्टा दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों में मुकदमेबाजी प्रदेश के अन्दर हो रही है, इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि हर जिले में भूदान की ऐसी जमीन, जिसमें पेड़ हैं, जहां लोग बसे हैं, यदि उसका पट्टा दूसरे लोगों को दिया गया है तो उसे तत्काल रोक दिया जाय, उसको खत्म किया जाय ।

श्रीमन् एक संशोधन विधेयक आ रहा है, भूमि व्यवस्था और जमींदारी उन्मूलन के संबंध में । जिनको सरकार ने जमीन दी है, खेती करने के लिये या आवास बनाने के लिये उनको भूमिधरी का अधिकार दिया जाये और आप जानते हैं कि अभी तक यह था कि जो बेजमीन हैं, उनको जमीन दी गयी थी इसलिए कि वह उस जमीन पर हमेशा काबिज रहेंगे, उस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं था । लेकिन अब इस संशोधन के माध्यम से उनको यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह भूमिधर हो जायेंगे और भूमिधर हो जाने के बाद 5 बिस्वा, 10 बिस्वा, एक बीघा, एक हेक्टेयर जमीन है, वह जो गरीब हैं, मजदूर हैं जिनको पैसे की जरूरत है, नतीजा यह होगा कि जिनको सरकार ने पट्टा दिया है खेती के लिए, वह भूमिधर होने के बाद अपनी जमीन को बेंच देंगे और फिर बेजमीन हो जायेंगे । मान्यवर, ऐसा विधेयक आने वाला है जिससे हमको–आपको सावधान रहने की जरूरत है । तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीन आप किसानों को दे रहे हैं, जो गरीबों, दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दे रहे हैं, जो बेजमीन थे, उनकी रक्षा सरकार का पहला काम है । अगर सरकार ने उनको भूमिधारी का अधिकार दे दिया तो सारी की सारी जमीन बिक जायेगी, चली जायेगी, इसलिए सरकार को सावधान रहने की जरूरत है । सरकार ऐसा अधिकार न दे कि उनके हाथ से जमीन ही चली जाये और वह बेजमीन हो जायें । इसलिए मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुछ बातों की तरफ और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज ऐसे जमीन, सीलिंग की जमीन जो मुकदमें में है, जो हाईकोर्ट तक गये हैं और उसको उलझाये रखा है । कम से कम सरकार का दायित्व बनता है कि उस सीलिंग की जमीन को बचाने के लिए सरकार के जो पैरवीकार हैं, वह मजबूती के साथ प्रतिकार करें ताकि मुकदमें से जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले और उन जमीनों का बंटवारा सरकार सुनिश्चित कर दें ताकि गरीबों में वह जमीन बांटी जा सके । श्रीमन् आज भी बहुत सी

जमीन ऐसी हैं जो उन्हीं लोगों के हाथ में है, एक तो सीलिंग से निकल चुकी है, दूसरी सीलिंग में है, उसका मुकदमा चल रहा है । एक बात और कहना चाहता हूं सीलिंग के अलावा बहुत सी जंगल की जमीन हैं जो परती हैं, नदियों के किनारे जो जमीन हैं, वह परती हैं, उस जमीन का भी आंकलन होना चहिए, उस जमीन को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबों में जो बेजमीन हैं, उनमें बांटने की आवश्यकता है, तभी उनका उत्थान होगा और सरकार जिले के अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दे कि इन लोगों की रक्षा में ये अधिकारी कड़े से कड़ा कदम उठायें । आज भी इन लोगों पर तरह-तरह की कार्यवाइयां होती रहती हैं और शासन को याद दिलाने पर भी शासन की तरफ से कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हो पाती । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और जब सभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद उत्तर देने की बात आयेगी तो मैं आपकी आज्ञा से उत्तर दूंगा ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने का अवसर प्रदान किया है । मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव विभाग में मूलभूत परिवर्तन के लिए रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने का अपना संकल्प इस सदन में दोहराया है । मैं कहना चाहता हूं कि कई जिलों में कम्प्यूटरीकरण की योजना चली है, उसमें गाजियाबाद जनपद भी है लेकिन एक विधिक कठिनाई है, कम्प्यूटर से निकला हुआ खसरा, खतौनी के दस्तावेज को प्रमाणित कैसे माना जायेगा, इसके लिए विधिक कानून की आवश्यकता है । संभवतः माननीय मंत्री जी को भी इस बात का ज्ञान होगा । जब तक आप दस्तावेज की वैधानिकता के प्रमाणीकरण के लिए कोई कानून नहीं बनायेंगे तब तक उस दस्तावेज का कोई वैधानिक औचित्य नहीं होगा और वह किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा । यह सही है कि नकल तो दो मिनट में मिल जायेगी ।

माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि 1992 में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक तहसील के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा, जिसमें लिखा होगा कि फलां दिन लेखपाल उपलब्ध रहेगा, जिसे अपना खसरा व खतौनी नम्बर लेना है, वह मिल जायेगी और सरकारी शुल्क कितना होगा, उसकी जानकारी भी उसे हो जायेगी ताकि किसानों को लेखपाल के पीछे -पीछे न भटकना पड़े और उसका शोषण न होने पाये । अगर कोई निर्धारित शुल्क से ज्यादा लेता है तो उसकी शिकायत को सुनने के लिए तहसीलदार उपलब्ध रहेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहले जैसी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पुनः सुनिश्चित कर दिया जाय ताकि गरीब किसानों को शोषण से बचाया जा सके और उसकी कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके ।

मान्यवर, चकबन्दी विभाग खेती की जमीन का बन्दोबस्त करता है परन्तु आज आबादी की जमीन का बन्दोबस्त करना भी आवश्यक है । पहले भी आबादी का बन्दोबस्त नहीं हुआ है । आबादी तो दर्ज हो जाती परन्तु आबादी की जमीन का स्वामी कौन होगा, इसका पता नहीं होता है । लाखों मुकदमें सौ-सौ गज जमीन को लेकर चलते हैं । इसलिए जिस प्रकार खेती की जमीन का बन्दोबस्त होता है उसी

प्रकार आबादी की जमीन का बन्दोबस्त भी कराया जाय ताकि गांव की जनता जो सैकड़ों वर्षों से उस जमीन पर रह रही है, अगर कोई प्रधान दूसरी पार्टी का हो गया तो वह एल० एम० सी० की बताकर उस पर मुकदमा चलवा देता है और उस गरीब किसान के पास प्रमाण न होने से उसे उस जमीन से बेदखल होना पड़ता है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, जैसा कि कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय श्री ऊदल जी ने कहा कि आपदा-राहत कानून बहुत पुराना कानून है। फैमिन कोड में बहुत पुरानी यह व्यवस्था थी कि जब दुर्भिक्ष हो जाय और गांव के लोग गांव छोड़कर शहर भागना शुरू कर दें तब आपदा-राहत दी जायेगी परन्तु मान्यवर, वर्तमान परिस्थितियों में यह पुरानी व्यवस्था समीचीन नहीं है। इसलिए इस कानून को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बदलने की आवश्यकता है। आज बरसात न होने के कारण एक प्रकार से सूखे की स्थिति पड़ गयी है, जहां इससे गांव का किसान पीड़ित है, वहीं मजदूर जो जंगल से घास खोदकर अपने पशुओं को पालता था और खेती में मजदूरी करता था और अपना भरण-पोषण करता था, आज उसके सामने भी संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए इस आपदा-राहत में संशोधन होने की आवश्यकता है और यह संशोधन वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हो और गरीब को सहायता मिल सके। अब इसमें जो धनराशि रखी गयी है वह बहुत ही कम है। 750 रुपये की धनराशि रखी गयी है, इसमें उसके परिवार के लिए 1-2 दिन के राशन की भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। जब उसका घर जलकर राख हो जाता है तब यह राशि मिलती है। यह धनराशि इतनी समुचित नहीं है कि वह अपना सिर छिपाने के लिए कोई व्यवस्था कर सके। इसलिए इस ओर समुचित ध्यान दिया जाय और राशि को बढ़ाया जाय।

मान्यवर, तराई के क्षेत्रों में फार्म हैं। धीरे-धीरे वहां जंगल कम होते जा रहे हैं। लोग जंगलों को काटकर अपने-अपने फार्मों में मिलाते जा रहे हैं। इसलिए इसका सर्वे होना चाहिए और बन्दोबस्त होना चाहिए और यह निर्धारित होना चाहिए कि किसके पास कितनी जमीन है और कौन जमीन किसकी है ? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तराई में जंगल की जमीन काटकर खेती के उपयोग में लाई जा रही है तो जंगलों का बन्दोबस्त भी राजस्व विभाग को करना है।

प्रदेश में शासन का एहसास राजस्व विभाग से होता है। कहीं कोई दैवी आपदा आ जाय, बाढ़ आ जाय, तूफान आ जाय या आग लग जाय तो उसमें तहसील की प्रमुख भूमिका है। लेकिन आज तहसीलों की दयनीय स्थिति है। मेरे पास एक नायब तहसीलदार आये उन्होंने कहा कि आप एक हैण्ड पम्प विधायक कोटा से तहसील में लगवा दें। तहसील सूखा राहत में पानी का प्रबन्ध करती है लेकिन तहसील कम्पाउण्ड में जहां सैकड़ों लोग रोज गांवों से आते हैं उनको पानी पिलाने के लिए हैण्ड पम्प वह नहीं लगा सकते हैं यह विडम्बना की बात है।

आज अनेकों विभाग शासन में हैं जैसे इंजीनियरिंग विभाग है, सतर्कता विभाग है सब में अधिकारियों के वेतन बढ़ गये हैं लेकिन तहसीलदार को जो वेतन मिलता है वह बी० डी० ओ० से कम मिलता है इसलिए यह कड़ी कमजोर होती जा रही है जो राजस्व विभाग सरकार की रीढ़ है, उस पर

ध्यान नहीं दिया गया है यही शासन की छवि बनाते हैं इसलिए आवश्यक है जो तहसील के अधिकारी और कर्मचारी हैं वह कर्मठता से काम करें उनकी समस्याओं का निदान शासन करने का प्रयास करे ।

अन्तिम बिन्दु जो सबसे महत्वपूर्ण हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जैसे-जैसे प्रदेश का औद्योगीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है उसके लिए अनेकों विकास प्राधिकरण बन रहे हैं और उनके लिए जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है । जमीन अधिग्रहण कानून बहुत पुराना है 1984 में केन्द्र सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किया और बहुत सारी बातें जोड़ी गयीं । फिर भी वह आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा । जमीन एक्वायरिंग बाडी निर्धारित है जो राजस्व विभाग करता है और वह जमीन दूसरे विभाग के लिए एक्वायर की जाती है । इसमें एक नयी धारा 28-ए जोड़ दी गयी है जो प्रतिकर का एवार्ड होता है उसके लिए मालिक पुनः दरख्वास्त दे सकते हैं, कम्पेनसेशन निर्धारण का मुकदमा होता है जिसमें अदालत का फैसला होता है । लेकिन राजस्व विभाग को अधिकार नहीं है कि जिसके लिए जमीन ली उसे पैसा लेकर किसान को दे । एक्वायरिंग बाडी आराम से बैठी हुई है चाहे वह आवास विकास परिषद् हो या विकास प्राधिकरण हो, चाहे यू० पी० एस० आई० डी० सी० हो जिसके लिए जमीन एक्वायर होती है उनसे पैसा ले सके । इसके लिए कानून में संशोधन होना आवश्यक है । जो विभाग जमीन को एक्वायर करना चाहता है वह उसका भुगतान समय से करे । मेरे जनपद में हजारों किसानों की 28-ए के अन्तर्गत उनका 38 से 40 करोड़ के बीच में बकाया है । तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है जिस संस्था के लिए जमीन एक्वायर हुई थी उसने कह दिया कि हमारा दीवाला निकल गया है । अदालत की डिग्रियां किसानों के पास हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, दूसरों को भी बोलने का मौका दें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

आवास विकास परिषद् ने जमीन का अधिग्रहण किया उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गयी लेकिन जो पैसा किसान को मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिला । अगर किसान कलेक्टर के पास जाता है तो वह कहता है कि जब आवास विकास परिषद् पैसा देगा तभी भुगतान करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह बहुत गम्भीर समस्या है । आप विभागीय अधिकारियों को बुलाकर सुनिश्चित करें कि किसान को उसकी भूमि का पूरा मुआवजा मिल जाय । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जो ऊदल जी ने कटौती प्रस्ताव में कहा कि जिन दलित भूमिहीन लोगों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो भूमि के पट्टे दिये जाते हैं वह कृषि योग्य भूमि नहीं होती है । वहां के अधिकारीगण जानबूझकर उन्हें अकृषि भूमि देते हैं और तालाब आदि को दे देते हैं जिससे वह किसी भी प्रकार से खेती न कर पायें । जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 198 (1) में यह लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि अगर है तो उसे दलित अनुसूचित जातियों/जनजातियों को दिया जाय । लेकिन मान्यवर, प्रदेश की तहसीलों में जो अधिकारी होते हैं वह जानबूझकर उसे नहीं देते हैं और परेशान करते हैं और अगर किसी तरह से पट्टा दिया भी जाता है तो उसका उसे कब्जा नहीं दिया जाता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जनपद गोण्डा में जिन भूमिहीनों को पट्टे दिये गये हैं, उनके संबंध में सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसका कब्जा भी उन्हें दिला दिया जायगा । जो सार्वजनिक चकरोड, चरागाह और श्मशान आदि की भूमि पड़ी हुई है और उस भूमि के ऊपर गांव के प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है और वह गरीबों को मजबूर करते हैं कि तुम लोग हमारे खेतों में काम करो और उनका वह रास्ता बन्द कर देते हैं तत्काल अवैध कब्जे हटवाये जायं प्रदेश में यह भयंकर स्थिति हो गयी है कि दलितों को किसी तरह से अगर कब्जा मिल भी जाता है, तो वह कागज पर मिलता है, लेकिन मौके पर नहीं मिलता है । एक तरफ एस० डी० एम०, कानूनगो और लेखपाल ने किसी तरह से कब्जा कराया भी तो तुरन्त ही दूसरी तरफ प्रभावशाली लोग तुरन्त उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं उन व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाय जिन गांवों में आग लग जाती है, वहां जो सहायता दी जाती है, वह बहुत ही कम है । पूरे प्रदेश में सर्वे करा लें, जहां आगजनी हुई है, उनके मकान बनवाये जायं और जो सहायता है वह बढ़ाई जाय । अब मैं अपने क्षेत्र की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं तहसील मनकापुर में ग्राम सभा अम्बरपुर की 156 एकड़ जमीन छोड़ी गयी है, किन्तु वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को जो पट्टा दिया गया है कब्जा नहीं दिया गया है । प्रभावशाली लोग 7-8 एकड़ जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, जिनके पास पहले से भूमि है । उन लोगों के दबाव से भूमिहीनों, अनुसूचित जाति के लोगों और मजदूरों, दलितों को पट्टा नहीं मिल पा रहा है जबकि राज्य सरकार ने सीलिंग की भूमि का कब्जा ले लिया है इसके बावजूद भी प्रभावशाली लोग अपना कब्जा बनाये हुए हैं । उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एवं वसूली की जाय और अनुसूचित जातियों/जन जातियों एवं खेतिहर मजदूरों को तत्काल पट्टा दिया जाय । एक बात और है हमारी तहसील मनकापुर में मुंसिफ कोर्ट नहीं है, जिससे वहां के लोगों को 150 किलो मीटर दूर उतरौला में इसके लिए जाना पड़ता है जिससे वहां के लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं और आने-जाने में तो उन्हें बहुत खर्च और परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इसलिए सरकार से मैं चाहूंगा कि तहसील मनकापुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की जाय और मनकापुर ग्राम सभा में सीलिंग की भूमि छूटी हुई है उस पर जिला प्रशासन चाहता है कि अनुसूचित जाति के लोगों और गरीबों को उस भूमि का पट्टा न दिया जाय, क्योंकि वहां पर तहसील बनाने की साजिश की जा रही है जबकि धरमपुर में पहले से उसके लिए भूमि पड़ी हुई है, वह प्रस्तावित है । भूमि उपयोग परिषद् की धारा 4, 5 व 6 में नियम है कि कृषि भूमि पर कोई इमारत नहीं खड़ी की जायगी ।

अगर उस गांव में अनुसूचित जाति के लोग हैं तो उन्हें सीलिंग की भूमि पर पट्टा दिया जाय । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ग्राम सभा मनकापुर में सीलिंग की जमीन है, उस पर अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा दिया जायगा और कब्जा कराया जायगा । तहसील मुख्यालय पर बोर्ड में बड़े बकायेदारों की सूची लगी रहती है । लेकिन वसूली करने के मामले में छोटे-छाटे कर्जदारों और गरीब लोगों को तबाह किया जा रहा है, जो 10–15 हजार लिए हुए हैं । लेकिन ज्यादा लेने वाले तहसीलदार और नायब तहसीलदार से मिल लेते हैं और वह पैसा देकर चले जाते हैं, उनकी वसूली स्थगित हो जाती है । उनका कुछ नहीं होता है, किन्तु गरीबों और हरिजनों को लाक-अप में बन्द कर दिया जाता है । तो मैं यह चाहूंगा कि जो बड़े बकायेदार लोग हैं, उनसे अगर वसूल करना है तो उनसे सख्ती के साथ वसूल किया जाय और गरीबों को न सताया जाय । गरीबों को ले जाकर लाक-अप में बन्द कर देते हैं और बड़े बकायेदारों और बड़े लोगों को एस० डी० एम० और तहसीलदार बैठाकर चाय पानी कराते हैं । मान्यवर, मनकापुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है । पूरे जनपद गोंडा में तरबगंज और मनकापुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है । मान्यवर, गरीबों अनुसूचित जातियों को पट्टे दिये गये लेकिन उन्हें आज तक कब्जा नहीं दिया गया । छपिया में सफदरपुर में 5-6 साल हो गये पट्टा तो दे दिया लेकिन कब्जा नहीं मिला है । इन लोगों को कब्जा दिलाये जाने के विषय में मैंने पत्र लिखा तो एस० डी० एम० तहसीलदार के लिए कह देते हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार के लिए और नायब तहसीलदार कानूनगों के लिए कह देता है लेकिन कब्जा नहीं मिल पाता है । सरकारी कागज में आंकड़े देने से कि इतने दलितों को कब्जा दिया, काम नहीं चलेगा जब तक कि वास्तव में उन्हें उस भूमि का कब्जा नहीं दिला दिया जाता । जब तक कि दलितों को पट्टा देकर जमीन का कब्जा नहीं दिला दिया जाता तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा । जिन दलितों को आवासीय पट्टा दे दिया जाता है लेकिन कब्जा नहीं दिया जाता है वह किस तरीके से कब्जे के लिए चक्कर काटता है परन्तु कब्जा प्रभावशाली लोगों को दे दिया जाता है और पट्टेदारों को पट्टा नहीं मिल पाता है जो अधिकारी कब्जा नहीं दिला पाता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और इसके साथ अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाह की जानी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

दो मिनट में अपनी बात कहूंगा । जैसा कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने 20 जून, 1985 के पहले, किसी अनुसूचित जाति के लोगों ने सार्वजनिक भूमि को छोड़कर कब्जा कर रखा है तो उसे उससे

बेदखल न किया जाय, ऐसा नेक कानून बनाया था उसका पालन करवाया जाय । सिर्फ कह देने भर से ही तो दलितों का उत्थान नहीं होगा । सार्वजनिक जमीन जिस पर प्रभावशाली लोग कब्जा किये हुए हैं उनका उस पर से कब्जा हटवाया जाय । और कब्जा न छोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाय और अनुसूचित जातियों पर जो 122-बी-4-एफ का जो मुकदमा चल रहा है उसे तत्काल वापस कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब दूसरे लोगों को बोलने का मौका दें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर जोत बही है उसकी कीमत 10 रुपया है लेकिन उसका 50 रुपये लिया जाता है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(श्री सफदर रजा खान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं मैंने दूसरे सदस्य का नाम बुला लिया है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हड़हवा, देवीनगर, लोनियनपुरवा, मधवापुर में आग लगने से दलितों के मकान जल गये उनको राहत नहीं दी गयी है । यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों के घर जल गये हैं उन्हें राहत राशि दें । इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण करवाकर उनके घर बनाने का कार्य करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री ऊदल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सफदर रजा खान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव पर मैं समर्थन व्यक्त करते हुए कुछ सुझाव माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मान्यवर, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरा सौभाग्य है आप जिस उच्च कुर्सी पर बैठे हैं और सदन को तथा सरकार को निर्देशित कर रहे हैं मेरा सौभाग्य है कि आपके संज्ञान में आपके माध्यम से जो मैं बात रखना चाहूंगा उसको आप निर्देशित करेंगे । आप मेरे विधान सभा से लगे हुए विधान सभा क्षेत्र के सदस्य हैं इसलिये आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे । मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन विकास खण्ड आते हैं । आज जबकि प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है किसी भी तहसील में पहुंचने के लिये मैं समझता हूं कि 15-20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी जनता को तय नहीं करनी पड़ती है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र से तहसील तक पहुंचने के लिये 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । दलितों शोषितों और गरीब जनता तीन-चार बार सवारियां बदलती हैं । तब तहसील मुख्यालय पर लोग पहुंचते हैं इससे बहुत असुविधा होती है । मेरी जानकारी है कि काफी दिनों से एक प्रस्ताव लम्भुआ को तहसील बनाने का सरकार के विचाराधीन है । वह मानक जो तहसील बनाने के लिये आवश्यक होते हैं वह भी पूरे हैं, नार्म्स भी पूरे हैं, लेकिन कार्यवाही लम्बित है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आप राजस्व मंत्री को सरकार को निर्देशित करें कि इस बजट सत्र में यह लम्भुआ को तहसील घोषित कर दें तो मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत आभारी रहूंगा । श्रीमन्, इसके अतिरिक्त मेरी जहां तक जानकारी है मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में अभी

तक चालीस पैंतालीस साल की आजादी के बाद भी भूमि के पट्टे गांव में नहीं हुए हैं । उदाहरण स्वरूप एक गांव है सौरदाई, जहां ग्राम सभा की तमाम जमीन खाली पड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । वहां के ग्राम प्रधान और लेखपाल ने वहां की जमीन ग्राम सभा की भूमि को किसी भी पात्र लोगों में बांटा नहीं है, जिससे वहां के भूमिहीन और दलित लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है । मैं चाहूंगा कि उन पात्र लोगों को भूमि देने के लिये निर्देशित किया जाए । ग्राम सौराई विकास खण्ड भदैयां में जो ग्राम सभा की भूमि है उसको पात्र दलितों भूमिहीनों में बांट दिया जाये । इसी तरह से कुछ गांव में कुछ सामन्ती लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिये हैं जो पट्टे भूमिहीनों के हुए हैं उस पर कब्जे नहीं दे रहे हैं इस संबंध में मात्र इतना निवेदन करूंगा कि सरकार को इतना निर्देशित कर दें कि पिछले डेढ़ साल में अवैध कब्जों के संबंध में जितने पत्र मेरे द्वारा लिखे गये हैं उनके अनुसार कार्यवाही हो जाती है तो मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र के तमाम भूमिहीनों को दलित लोगों को लाभ मिल जायेगा । वैसे तो आप मेरे क्षेत्र की समस्याओं को अधिक जानते होंगे । जैसा मैंने बताया मेरे विधान सभा क्षेत्र से आपका विधान सभा क्षेत्र लगा हुआ है किन्तु पड़ोसी होने का नाजायज फायदा मैं नहीं उठाना चाहता हूं ।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा "समय हो गया है" कहने पर)

मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा इस सदन में बैठे साथी समझने लगे हैं कि ज्यादा समय लग गया । इसलिये मैं बैठ जाता हूं । धन्यवाद ।

* चौधरी उदयभान सिंह–

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । समर्थन के साथ ही कुछ सुझाव दे रहा हूं । मैं विश्वास करता हूं कि उन सुझावों पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी । भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में किसान बही पर गम्भीरता से विचार किया गया था । विचार ही नहीं बल्कि उस कार्य में प्रगति भी हुई थी । भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से हटने के बाद किसान बही का विचार छोड़ दिया गया है । जिन विश्वास के साथ जिन किसानों के लिये किसान बही का प्रारूप बनाना था उसको अधूरा छोड़ दिया गया । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसान बही के ऊपर गम्भीरता बरती जाए । जिन विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान बही तैयार की गयी थी वैसी ही किसान बही यदि बनायी जाये तो किसानों की बहुत बड़ी समस्या आपसी लड़ाई झगड़े, आपस के विवाद दूर हो जायेंगे । अभी मैंने किसान बही देखी थी मुश्किल से 5-6 पेज की है । मैं कहना चाहता हूं कि किसान बही को गम्भीरता प्रदान की जाए । मैं उत्तराधिकार के बारे में बतलाना चाहता हूं । किसान के स्वर्गवासी हो जाने के बाद उनकी सन्तानों के नाम खतौनी में दर्ज हो जाने चाहिए । लेकिन इस संबंध में जितने विवाद तहसीलों में चल रहे हैं उतने दूसरे विवाद नहीं चल रहे हैं । मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस संबंध में लेखपालों की जो अपनी मोनोपोली रख रखे हैं किसान की मृत्यु के बाद उसकी सन्तानों के नाम नहीं आते और दो-दो, चार-चार, छह-छह व एक-एक साल तक लग जाता है । यह छोटे-छोटे काम हैं लेकिन इनको लम्बित रखा जाता है । मैं एक बात चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । चकबन्दी किसानों के लिये लाभप्रद कम, नुकसानप्रद ज्यादा हो गयी है । हमारे बृज में कहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाता है कि जिस गांव में चकबन्दी हो जाए उस गांव में डकैतों को डकैती डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गांव में चकबन्दी हो गयी उस गांव में डकैतों, चोरों को कोई भी सामान ले जाने लायक नहीं मिलेगा, यह हालत है। जिस किसान के पास जमीन ज्यादा है किसान से कह दिया जाता है कि मौके पर जमीन कम है। जिसके पास मौके पर जमीन कम है किसान से कह दिया जाता है कि हमको समझ लो, हमारी योग्यता को समझ लो यदि हमारी योग्यता को समझ लोगे तो जमीन मौके पर कम है लेकिन जमीन बढ़ा दी जायेगी। ऐसे-ऐसे दिवास्वप्न दिखाये जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि चकबन्दी में सुधार किया जाये तो चकबन्दी रहनी चाहिये लेकिन मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि चकबन्दी विभाग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चकबन्दी की इस प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दैवी आपदाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले वर्ष 4 अप्रैल को हमारे आगरा जनपद में ओलावृष्टि हुई थी। उसके बारे में मैं और हमारे साथी विधायक श्री बदन सिंह जी, श्री छोटे लाल जी, डा० रामबाबू हरित, श्री सत्य प्रकाश विकल आदि आगरा जनपद के विधायकों ने इसी सदन में ध्यान आकर्षित किया था। श्री बाबूराम जी यादव उस समय राजस्व मंत्री थे हम उनसे भी मिले थे। मैं कमिश्नर दैवी आपदा से भी मिला था, मैं कहना चाहता हूं कि दैवी आपदा में हेराफेरी की गयी और तहसील के रिकार्ड भी बदले गये। एक छप्पर में बैठकर सर्वे किया गया और सारे गलत आंकड़े पेश किये गये। जिन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ था उनको पैसा दिया गया और जिनको पैसा मिलना चाहिए था उनको एक पैसा नहीं मिला। जिन लोगों के पास खेत भी नहीं थे उनको दैवी आपदा के अन्तर्गत राहत दी गयी। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आगरा में 4 अप्रैल को जो ओलावृष्टि हुई है उसके संबंध में जांच पुनः करवायी जाय और यह देखा जाय कि जिनके पास एक बिसवा खेत नहीं था उनको कैसे दैवी आपदा राहत बांटी गयी ? इसके अलावा मैं नजूल की भूमि के बारे में कहना चाहूंगा। यह एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है खास तौर से पिछले वर्ष में तत्कालीन सरकार के समय जिसके मुखिया मुलायम सिंह थे उनके जमाने में नजूल की भूमि में जितनी हेराफेरी की गयी उतनी कभी नहीं की गयी होगी। इसलिये इस नजूल भूमि के आवंटन को रोका जाय। पिछले एक वर्ष में जितनी नजूल की भूमि का आवंटन हुआ है उसकी जांच करवायी जाय और दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। जैसा कि अभी मेरे साथी बालेश्वर त्यागी ने कहा था मैं उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि जब आग लग जाती है तो राहत दी जाती है लेकिन जो राहत दी जाती है वह इतनी कम होती है कि यदि सरकार उसे न दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हजारों का नुकसान होता है और उसको 200 रुपये दिये जाते हैं। यह 200 रुपये मिलने से उसे तहसील के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि यह उस के किराये में ही खर्च हो जाते हैं। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा भाई बालेश्वर त्यागी ने कहा, बी० डी० ओ० को तनख्वाह ज्यादा मिलती है और तहसीलदार को कम तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग में लेखपाल की अपनी स्थिति होती है। मैं कल की घटना बता रहा हूं। मेरे क्षेत्र में एक सहारा गांव है वहां पर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। ग्राम का प्रधान तहसील गया और तहसीलदार से इसकी शिकायत की। तहसीलदार ने लिखा लेखपाल को कि गांव जाओ। प्रधान वह आदेश लेकर लेखपाल के पास गये और कहा कि गांव में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा हो रहा है तो लेखपाल ने कहा पहले हमको समझ लो तब चलूंगा। प्रधान ने कहा कि वह तहसीलदार का आर्डर लेकर आये हैं। इस पर लेखपाल ने कहा मुझे चिन्ता नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने नाम तो बदल दिया था लेकिन अभी ज्यों के त्यों लेखपाल के अधिकार चले आ रहे हैं। लेखपाल ने कहा कि बगैर सुविधा शुल्क लिये मैं नहीं चलूंगा जमीन पर कब्जा होने दो। इसी बात पर उन दोनों में आपस में

विवाद हो गया। मान्यवर, जिसका नाम भजन लाल है। वह सहारे गांव का लेखपाल है। अगर प्रधान को यह मालूम होता कि वह अनुसूचित जाति का है तो उससे सौ कोस दूर रहता। मान्यवर, मैंने, ए० डी० एम० (ई०), ए० डी० एम० (सिटी) और एस० एस० पी० से बात की, उन्होंने कहा कि लेखपाल की यूनियन बहुत तगड़ी है, उसको गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा तो मान्यवर, आप देखें कि एक साहूकार व्यक्ति जेल जाने को है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय राजस्व मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले को गम्भीरता से देखें और जिला कलेक्टर से बात करें और सरकारी जमीन को बचायें और दोषी व्यक्ति को सजा दिलायें और साहूकार व्यक्ति को जेल जाने से बचायें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को जो सहायता देने की धनराशि है उसको बढ़ाया जाय और सहायता देने में जो बेइमानी होती है, जो अनियमितताये होती हैं उसको रोका जाय। ऐसा कानून बनाया जाय कि जो भूमि चोर हैं वह भूमि चोरी न कर सकें, उनको चोरी करने की गुंजाइश न मिले अभी जो कानून हैं वह ढीले हैं, अदालतों में जो मुकदमें चलते हैं उनमें बहुत समय लगता है। हमारे यहां 22 सौ एकड़ सन् 1962 में जब सिलिंग का कानून बना था उस समय निकली थी, लेकिन वह जमीन गरीबों में आज तक नहीं बंट पायी है, उस जमीन के मालिक पहले तो निचली अदालत में लड़ते रहे और जब वह वहां पर हार गये तो उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और वहां से मुकदमें की फाइल को गायब करवा दिया। जब हम लोगों ने आन्दोलन किया और जिसमें तमाम मजदूर जेल गये तो फिर वह फाइल बनायी गयी और फिर मुकदमा शुरू हुआ लेकिन वह तय नहीं हुआ। मान्यवर, सरकारी अधिकारी जो हैं और जो वकील हैं, वह ठीक ढंग से पैरवी नहीं करते हैं। हो वे रहा है कि उस जमीन का मालिक खुद खेती नहीं करता है और उससे 4 हजार रुपये एकड़ लगान लेता है इस प्रकार से वह 40 लाख रुपये एकत्र करता है और उसमें से 15–20 लाख रुपये अधिकारियों में बांट देता है। इस प्रकार से जो भूमि भूमिहीनों को मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल पा रही है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो छेददार कानून है उसको बन्द करना चाहिए और एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे भूमि चोर भूमि की चोरी न कर सकें। मान्यवर, गंगा के खादर में खेती हो रही है लेकिन मजदूरों को प्रशासन की ओर से उनको पट्टे नहीं दिये गये हैं। हमारे यहां रावरी गांव है जिसमें 200 खेतिहर मजदूर रहते हैं उनको एक भी पट्टा नहीं दिया गया है और जो सरदार बाहर के हैं उनको पट्टा दिया गया है। सरदारों ने उन लोगों से झगड़ा करके दो आदमियों का कत्ल भी कर दिया और इस संबंध में मुकदमा चला लेकिन कलेक्टर ने उन मजदूरों के खिलाफ फैसला दिया कि वह वहां के रहने वाले नहीं हैं और जो खेतिहर मजदूर वास्तव में वहां के रहने वाले हैं उनको पट्टा नहीं दिया तो यह राजस्व विभाग की देन है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब चकबन्दी गांव में होती है तो आबादी का बन्दोबस्त नहीं किया जाता है, इसका फल यह होता है कि जिन आदमियों के पास खेती की जमीन नहीं होती है उनको अपनी आबादी की भूमि पर कब्जा करने में बड़ी दिक्कत होती है वह अपनी आबादी की भूमि पर कब्जा साबित नहीं कर पाते हैं और वह मुकदमे हार जाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[4 बजकर 30 मिनट]

इसलिये मैं राजस्व विभाग से यह मांग करता हूं कि आबादी का बन्दोबस्त जो 130–140 सालों से नहीं हुआ है वह कराया जाय ताकि जो पट्टे हुए हैं, गरीब आदमी और मजदूरों को, उनके नाम आबादी की जमीन दर्ज हो सके।

तीसरी बात यह है कि तमाम फार्म हैं माल विभाग को यह भी कानून बनाना चाहिए कि जो एस० डी० एम० या तहसीलदार, जो परती जमीन पड़ी हुई है जब पट्टे का नाम आता है तो थोड़ी बहुत जमीन दे देते हैं और कीमती जमीन को बचाकर रखते हैं और उन पर सामन्ती और बड़े लोगों का कब्जा है उसका लगान लेते रहते हैं तो ऐसे अधिकारियों को दण्डित किया जाय, तहसीलदार दंडित हों, एस० डी० एम० दंडित हों। इसके लिये कानून बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राधेश्याम गुप्ता–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट प्रस्ताव संख्या 50, 51, 52, 83 के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर और जनपद फतेहपुर है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि वहां पर जो मौरंग के जो पट्टे होते हैं वह अपने लोगों के नाम पट्टा ले लेते हैं। प्रभावशाली और दबंग लोग साधारण व्यक्तियों को जो पट्टे के लिये पात्र हैं उनको पट्टा नहीं लेने देते हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस सबकी जांच कराकर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ही पट्टे दिये जायं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अखनई झील है उसका भी पट्टा एक प्रभावशाली व्यक्ति ने ले लिया है इसको भी दिखवाया जाय। मैं अपने क्षेत्र में हुई चकबन्दी के बारे में बताना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं वहां के काश्तकार 95 प्रतिशत के लगभग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं वहां पर पुनः चकबन्दी के लिये किसान संघर्षरत हैं। मान्यवर, मैंने आयुक्त महोदय को लिखकर जांच कराने के लिये दिया था लेकिन जांच नहीं की जाती और न ही कोई वहां जांच करने जाता है इससे वहां के 95 प्रतिशत निर्बल काश्तकार पीड़ित हैं और उनकी मांग है कि वहां की चकबन्दी को निरस्त करके पुनः चकबन्दी कराई जाय यही मेरा निवेदन है। मैं पुनः राजस्व मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजबली यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व का बजट रखा है मैं उसके समर्थन में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह गरीबों का हितकर बजट है। गरीबों की सरकार गरीबों के लिये कुछ करना चाहती है यह परिलक्षित होता है। चूंकि समय कम है इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र आजमगढ़ में चकबन्दी हो रही है। पूरे क्षेत्र में पूरे जिले में दो सी० ओ० थे दो में से एक को हटाकर माननीय मंत्री जी के बगल का जिला है वहां चला गया अब एक सी० ओ० है तो कैसे काम होगा ? सी० ओ० के दफ्तर गांव से तोड़कर शहर में लाये जा रहे हैं। मान्यवर, 42-42 किलोमीटर गांव का आदमी चलकर शहर में आया, यह दफ्तर तो वहां रहने दें, सी० ओ० के पास जीप नहीं है, डी० डी० सी० नहीं है, डी० डी० सी० सी० ओ० के पास गाड़ी नहीं है तो काम कैसे होगा ? हां एक बात जरूर हो रही है कि

5 करोड़ रुपये का खूंटा खरीदने के लिये जा रहा है यहां बहुत से माननीय विधायक ग्रामीण क्षेत्र के हैं, खूंटा बांस का गड़ेगा कुदाल खरीदा जायेगा, फावड़ा खरीदा जायेगा । मान्यवर, इसमें कम्प्यूटर लगेगा, फैक्स लगेगा, जो जानकारी है । जब कम्प्यूटर लगता है तो ए० सी० भी लगता है वह सब कार्य चकबन्दी के अधिकारी करायेंगे । अफसरों के वहां रहने का काम नहीं होगा, लेकिन 5 करोड़ का खूंटा बांस का कमीशन के चक्कर में चकबन्दी के अधिकारी लगाने जा रहे हैं यह जन विरोधी काम है । मान्यवर, हम सब जानते हैं कि कुदाल, फावड़ा, खूंटा गांव के आदमी ही दे देते हैं । यह व्यय रुकना चाहिए । यह अभी खरीदा जाने वाला है, आज ही रोक दें तो बड़ी कृपा होगी । पट्टे जो दिये गये हैं उन पर इनाम देने की बात आ रही थी हैजा/चेचक वाले मामले में तो एक हजार रुपये दिया जाता था । मान्यवर, जहां अनुसूचित जाति के लोगों ने कब्जा कर भी लिया है वहां स्थिति क्या है ? हमारे यहां बुरामकबूलपुर के प्रधान हार गये उनको लगा कि अनुसूचित जाति के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, उन लोगों का जिनका उस पर कब्जा था, उनके सारे खेत जोत लिये गये । हमारे जैसा आदमी टें-टें करता रहा । कलेक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की, ए० डी० एम० प्रशासन ने नहीं सुना, एस० डी० एम० ने नहीं सुना । यह चार-पांच दिन पहले की बात है, उनकी जमीन सब जोत लिया । अभी हमारे भाई लोग कह रहे थे कि गुण्डाराज खत्म हो रहा है हल्ला बहुत करते हैं कहां गुण्डाराज खत्म हो गया है । जो कब्जे किये थे वहां भी गुंडई कर दी गयी । मेरे जिले की यह स्थिति है दूसरी जगहों की स्थिति को जाना जा सकता है :–"सत्यम ब्रुयात प्रियं ब्रुयात न ब्रुर्यात सत्यंप्रियम् ।

श्री अधिष्ठाता–

बजट पर बोलें, समाप्त करें ।

श्री राजवली यादव–

मान्यवर, ऐसे मामलों में रोक लगनी चाहिए सरकार की हिदायत होनी चाहिए कि जहां कब्जे कर लिये गये हैं उनके खेत मिलने चाहिए । मैं इसी के साथ इस बजट की ताईद करता हूं, समर्थन करता हूं।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, बजट कटौती का समर्थन करते हुए राजस्व विभाग के बजट के संबंध में अपने पर्वतीय जिलों की जो राजस्व की समस्या है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा । पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी अभी तक नहीं हुई है । जबकि पर्वतीय क्षेत्र में घाटियों में जहां उपजाऊ भूमि है वहां चकबन्दी आवश्यक है भूमिहीनों को पट्टे वास्तव में दिये गये हैं सीलिंग की जमीन में से अभी तक लोगों को वास्तविक कब्जा नहीं मिला । पर्वतीय क्षेत्रों में लेखपालों (पटवारियों) को पुलिस का कार्य करना पड़ता है । पटवारियों को भी पुलिस मिलती है वह सुविधा राजस्व पुलिस को भी मिलनी चाहिए । मैं अपने क्षेत्र बागेश्वर के देवलधारा इस्टेट में जो भूमिहीनों को पट्टे में जमीन दी गयी है उसमें उनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है । इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जो आवासहीन लोगों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आवास के लिये भूमि मिली थी उनमें अभी तक उनको कब्जा नहीं मिला है । उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं इसलिये वह आवास बनाकर नहीं रह पा रहे हैं और उनको वास्तविक कब्जा नहीं मिला है । जो वर्तमान दलित सरकार है जिन लोगों को संरक्षण की जरूरत है मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि उन्हें कब्जा मिले । जो पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व की वसूली होती है उसके आंकड़े आप उठाकर देख लें । हर तहसील से जानकारी ले लें कितने बकायेदार हैं जो

गिरफ्तार होते हैं और उसमें से कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं । 10,000 रुपये से कम ऋण लेने वालों को वसूली हेतु राजस्व विभाग द्वारा गिरफ्तार किया जाता है । रोज अखबारों व रेडियो में आता है कि 10,000 रुपये से कम ऋण लेने वालों को गिरफ्तार नहीं करेंगे लेकिन वे लोग गिरफ्तार होते हैं । इससे कई लोग कई बार जेल चले गये हैं और घरबार छोड़कर इधर-उधर भागते फिर रहे हैं । आज उनको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है और उनसे वसूली करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोग जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, राजगीरी का काम करने वाले हैं, मकान बनाने के लिये पत्थर छत छवाई के लिये पत्थर निकालते हैं, वह पट्टे भी आपने बन्द कर दिये हैं । जिस प्रकार से आपने कुम्हारों को पट्टे आवंटन किये हैं मिट्टी के लिये उसी प्रकार से उनको भी पत्थर निकालने के लिये पट्टे आवंटित किये जायें । मान्यवर, मेरा बागेश्वर क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर चार दिन तहसील आने में और 6 दिन जिला मुख्यालय जाने में लगते हैं । ऐसी स्थिति में बजट में यह नहीं दर्शाया गया है कि कोई नई तहसील या जिला मुख्यालय खोले जायेंगे । मेरी मांग है कि बागेश्वर को जिला बनाया जाये और तहसील खोली जाय । बजट सत्र में घोषणा की जाय । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी का भी अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में, जो हमारे समाज का सबसे अहम मुद्दा है कि जो लम्बित मुकदमें, विचाराधीन मुकदमे विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं और कई-कई वर्षों से जिन मुकदमों में केवल तारीखें लगती हैं, के शीघ्र निस्तारण कराने की बात कही है । इसी के साथ-साथ जो पट्टे आवंटित हैं, उन पट्टों के कब्जे के लिये 30 दिन का समय रखा है, मैं इसलिये भी इस बजट का समर्थन करता हूं । वृक्षारोपण के लिये जो आपने योजना को एक नया रूप दिया है कि जहां पर वृक्ष नहीं लगे हैं, उन पट्टों को निरस्त करके दूसरे पात्र व्यक्तियों को दिया जायेगा, इसके लिये भी मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, ग्राम समाज की भूमि को आवास आवंटन, मत्स्य पालन हेतु आवंटन के संबंध में जो प्राथमिकता देने की बात कही गयी है, उसके लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगा । जैसा कि नेता सदन माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी और अन्य मौकों पर भी यह उल्लेख किया है कि हम दलितों के साथ-साथ सर्वसमाज के लिये भी काम करेंगे, इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लम्बित मुकदमें, चाहे वह दलितों के हों या अन्य लोगों के हों, विभिन्न तबकों के लोगों के हों, जो भी मुकदमें लम्बित हों, जो काफी वर्षों से लम्बित हैं, के आधार पर प्राथमिकता तय कर शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था की जाय, इस काम को लोक अदालतों के माध्यम से बखूबी निपटाया जा सकता है, भले ही इसके लिये लोक अदालत महीने में दो बार लगे, एक बार दलितों के लिये लगे, दूसरी बार अन्य मुकदमों के लिये लगे । यदि इस प्रकार मुकदमों का निस्तारण किया जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा समाज निश्चित रूप से इस सरकार को बधाई देगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि ग्राम समाज की जमीन के आवंटन की जो प्रक्रिया आज है, उससे हम सभी जन प्रतिनिधि बहुत दुखी हैं, इसका सभी माननीय सदस्यों को अन्दाज होगा । एक पट्टे के लिये लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, सभी को कितने बार गांव के

लोगों को, हम लोगों को दौड़ना पड़ता है । एक उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि अपने बजट भाषण में आपने ग्रामीण आवास के आवंटन की बात उल्लेख की है । ब्लाक बल्दीराय के अन्तर्गत डेहरियावा, जनपद सुल्तानपुर में है, वहां पर लगभग पिछले डेढ़ वर्षों से 230 व्यक्तियों को आवास आवंटन का पट्टा दिया गया है और जिसमे से लगभग 200 व्यक्ति दलित परिवारों से संबंधित हैं, अफशोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह लोग आज तमाम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब जवाब देने के लिये खड़े हों तो आवास आवंटन के संबंध में जो भी समस्यायें प्रदेश में हैं, के बारे में निश्चित रूप से उत्तर देंगे । मैं चाहूंगा कि इन समस्याओं को तत्काल दूर किया जाय और कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाय कि आम आदमी को बार-बार तहसील न दौड़ना पड़े ।

मान्यवर, लेखपाल के हल्कों का भी जिक्र राजस्व विभाग के कार्य-कलाप में आया है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि लेखपाल के हलकों का जो नया गठन हुआ है, जो उनके लिये स्थान सुनिश्चित हैं, उनको उन स्थान पर रहने के लिये बाध्य किया जाय । इसी तरह से दैवी आपदा के संबंध में राजस्व विभाग के क्रिया-कलाप में पेज नं० 20 पर पिछले वर्ष जो प्राविधान किया गया था इसमें मैं थोड़ा सा आपका संरक्षण चाहूंगा कि जिस दैवी आपदा राहत निधि से विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में हैण्ड पम्प आदि की अवस्थापना और निष्क्रिय पड़े हैण्ड पम्पों को रिबोर व संवेदनशील नगर क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी है । आप भी निश्चित रूप से दुखी होंगे यह धन जो आवंटित किया जाता है इसका सूखा राहत के अन्तर्गत उपयोग सही नहीं किया जाता है । चूंकि आपने 1995-96 के बजट में बहुत अच्छी धनराशि की व्यवस्था की है, 10 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आवंटित की गयी है जो संक्रामक रोग, नलकूप या जल के लिये है, मै चाहूंगा कि यह जो धनराशि आवंटित की जा रही है वह सभी जगहों पर जाये और उसका पालन कड़ाई के साथ कराया जाये ताकि आप द्वारा दी गयी धनराशि का सही उपयोग हो ।

बकाये की वसूली के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि आज विभिन्न जनपदों में बहुत सी जगहों पर यह स्थिति है कि बकायेदारों की वसूली या कर्ज के लिये जिलाधिकारी के पक्ष में एक रुपये में नीलामी होती है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि कुछ काश्तकार ऐसे भी होते हैं जो पैसा देने को तैयार होते हैं लेकिन फिर भी नीलामी कर दी जाती है । हमारे क्षेत्र का एक मामला है । मैं कल ही जिलाधिकारी महोदय से मिला था, 84 हजार रुपये बकाया था, उनका ट्रैक्टर एक रुपये में नीलाम हो गया, जबकि वह 20 हजार रुपया देने को तैयार थे शेष गन्ने की फसल बेंच कर देने की बात थी लेकिन जो अधिकारी आये थे, नीलामी के लिये उन्होंने कहा कि हम पर जिलाधिकारी का दबाव है इसलिये हम एक रुपये में नीलामी कर देंगे । बाद में इस ट्रैक्टर की नीलामी से 10-5 हजार से आपका क्या लाभ होगा ? मान्यवर, इस तरह की शिथिलता आप निश्चित रूप से दें ।

मान्यवर, हमारे सुल्तानपुर जनपद के विकास खण्ड धनपति गंज का फत्तेपुर गांव सभा है, जहां चकबन्दी नहीं हुई है, जिसके कारण रास्ते का अहम मसला उत्पन्न है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फत्तेपुर ग्राम सभा की भी चकबन्दी करा दें । मान्यवर, अन्तिम बात हमारे यहां एक थम्मौर माइनर है, जिसको खुदे हुए कई वर्ष हो गये हैं लेकिन आज तक उसको मुआवजा देने के लिये धनराशि नहीं दी गयी है । मैं माननीय अध्यक्ष पीठ से यह आग्रह करूंगा कि वह अपना संरक्षण दें और माननीय मंत्री जी उसका भुगतान शीघ्र कराने का कष्ट करें ।

मान्यवर, अन्त में पट्टे के संदर्भ में कहना चाहता हूं । हमारे ब्लाक कूड़ेभार में कौड़ियावां गांव है वहां पर सड़क के किनारे 5 विस्वां जमीन थी उसका पट्टा फैजाबाद जनपद के लोगों को दिया गया ।

मैंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि एक विस्वा, लाखों की है, 5 विस्वा जमीन, 5 दलित परिवारों को दे दी जाये लेकिन आयुक्त महोदय के दबाव में वह जमीन दूसरे जनपद के व्यक्तियों को दे दी गयी। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसकी आप जांच करा लें। मान्यवर, इस संबंध में सी० आर० ओ० सुल्तानपुर के यहां मुकदमा भी चल रहा है।

मान्यवर, मत्स्य पालन के लिये बड़ा बल दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि तालाबों के पट्टे मछुआ समुदाय के लोगों को दिये जाते हैं लेकिन यदि किसी ग्राम सभा में निषाद, मछुआ जाति के लोग नहीं हैं तो दूसरे ग्राम सभा के व्यक्ति को पट्टा दे दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पट्टा गांव में ही रहने वाले पात्र व्यक्तियों को दें, वह चाहे जिस जाति का हो क्योंकि एक गांव की जमीन का पट्टा दूसरे गांव के व्यक्ति को न मिले। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री स्वयंवर चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। अग्निकाण्ड हो जाने पर जो राहत दी जाती है, उसमें अभी तक राहत आयुक्त व शासन की तरफ से जो तहसीलों को निर्देश गये हैं, उसमें लिखा गया है कि दैवी आपदा में राहत दिया जाय। लेकिन जब आपका लेखपाल जांच करने जाता है तो वह उस अग्निकांड को मानव-जनित अग्निकांड करके लिख देता है। मानव जनित कांड लिख देने से जिस गरीब का घर जल गया है वह इस आपदा राहत की राशि को पाने से वंचित हो जाता है। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि किसी भी दशा में, चाहे वह आग लगने से घर जल जाय या फिर बरसात में घर गिर जाय या किसी अन्य घटना से घर नष्ट हो जाय तो किसी भी दशा में उसे आपदा राहत राशि मिलनी चाहिए, ऐसे शासनादेश यहां से जाने चाहिए और मानव जनित शब्द को निकाला जाना चाहिए।

दूसरा, आजकल गांवों में चकबन्दी चल रही है। चकबन्दी विभाग वालों ने तो खेती की चकबन्दी का काम कर दिया। परन्तु आज तमाम झगड़े गांवों में हो रहे हैं। लोगों को यह नहीं मालूम हो कि हमारा घर किधर है, घर का नाबदान किधर है, किधर रास्ता है कहां चरनी और मुखैला है। इसलिये जिस प्रकार खेती की चकबन्दी की जाती है उसी प्रकार घरों की भी हदबन्दी होनी चाहिए। गांव का नक्शा बनाकर उसे वहां लगा दिया जाय, उसमें स्पष्ट अंकित कर दिया जाय कि फलां का घर फलां जगह है, उसका नाला इधर है और रास्ता इधर है। यदि कोई झगड़ा पैदा होता है तो उसे देखकर उसका समाधान किया जा सकता है और झगड़े को निपटाया जा सकता है।

तीसरा, आज गांवों में तमाम जमीनें ऐसी पड़ी हैं जो कृषि योग्य जमीन है। उसके बारे में यह कह दिया जाता है कि यह तो खलिहान में दर्ज है, पशुचर में दर्ज है। अब वैसे कोई जमीन तो बची नहीं है भूमिहीनों को देने के लिये, इसलिये यहां से एक ऐसा शासनादेश चला जाना चाहिए जिसमे इस बात का स्पष्ट प्राविधान हो कि जो इस प्रकार की जमीन पड़ी हुई है, उसे कृषि योग्य में परिवर्तित करके गांवों के गरीब भूमिहीनों में बांट दी जाय। अन्य माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार यहां पर रखे हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस विभाग की गम्भीरता को अनदेखा करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। यह सौभाग्य की बात है कि इस विभाग पर कटौती का प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के एक वरिष्ठ, प्रतिष्ठित व सम्मानित नेता माननीय श्री ऊदल जी ने रखा है। (व्यवधान) मान्यवर, ऐसे बच्चों को मैं रोज पढ़ाता हूं। बच्चे शोर मचाया करते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा यह दलितों की तथाकथित सरकार है। मान्यवर, राजस्व की वसूली में जब जेल की सीखचों में कोई बंद होता है तो वह धन्ना सेठ का बच्चा नहीं होता है वह गरीब किसान का बेटा होता है और जो आप 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली देय लगाते हैं वह उन पर लगाते हैं जो अपना पैसा समय से अदा नहीं करते हैं तो वह निश्चित रूप से गरीब होता है, वह दलित होता है। कृपया ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन लें मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप दो घोषणायें आज कर दें कि आज के बाद प्रदेश के अन्दर कोई भी गरीब, मजदूर, दलित जेल के सीखचों मे राजस्व की वसूली के लिये बंद नहीं किया जायेगा। वैसे भी 14 दिन के बाद उसे आपको छोड़ना है तो 14 दिन के बाद उस गरीब से आप पैसा वसूल नहीं कर लेंगे।

इसके अलावा वसूली के नाम पर किसी गरीब से 10 प्रतिशत का अतिरिक्त भार न लें। यह दो घोषणायें कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। उनको एहसास होगा जब किसी गरीब की बेटी की शादी होती है और उसकी फसल सूख जाती है और फसल की तरक्की के लिये जो वह ऋण लिये होता है उसकी अदायगी समय से नहीं कर पाता है तो एक तरफ उसकी बेटी की शादी हो रही होती है दूसरी तरफ आपका अमीन आता है उसे जेल जाना पड़ता है। माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं उनकी संस्तुति को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। आपके अमीन को डी० एम० से ज्यादा पावर है। जिसका वह दुरुपयोग करता है और रिश्वत लेता है। यह अंग्रेजों के समय का कानून है इसको आप बदलें। जिसके नाम रिकवरी जारी होती है वह कोई धन्ना सेठ नहीं होता है यह गरीब और दलित जाति का होता है। आप इस बात का एहसास करें गरीब किसान ही देयों की वसूली के लिये जेल के सीखचों में बंद होता है कोई अमीर के नाम वसूली नहीं जाती है। आप दिखवा लें जिनके ऊपर करोड़ों रुपया बकाया है वह कभी जेल के सीखचों में बंद नहीं होता है। वह अपने को जनता की सरकार कहती है, दलितों, गरीबों और मजदूरों की सरकार कहती है तो यह 10 प्रतिशत अतिरिक्ति भार लगता है यह उन पर न लगायें इसे समाप्त करें। जब जनता दल की सरकार थी तो उसने घोषणा की थी कि कोई भी गरीब वसूली के नाम पर जेल में बन्द नहीं किया जायेगा।

केन्द्र सरकार से बाढ़ राहत के नाम पर सरकार को पैसा मिला होगा। आप पश्चिमी जिलों में सूखा पड़ा है तो इस बाढ़ राहत को सूखा राहत में बदल कर लोगों को राहत दें। हमारे पश्चिम के मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद आदि जिलों में समूचे मण्डल में सूखा पड़ा है। गाजियाबाद भी उसमें आता है। हमारे सिरोही साहब किसान नेता हैं और चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला में पढ़े हैं लेकिन पढ़ने के बाद आढ़त में चले गये। परन्तु खून तो कभी बोलता ही है। मेरा अनुरोध है मंत्री जी की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि आज जब किसान की जमीन एक्वायर की जाती है तो उसमें असीमित पावर दी हुई हैं गाजियाबाद की बात सिरोही साहब कहेंगे और मेरठ की बात अग्रवाल साहब कहेंगे वहां क्या स्थिति है, असीम पावर हैं हमारे जो वकील साथी काम करते हैं वह किसान से कहते हैं हम तेरी जमीन का इतना रुपया दिला देंगे बाकी जितना मिलेगा मेरा होगा। तो इस तरह से करोड़ों रुपया किसान का और सरकार का चला जा रहा है किसी को फायदा नहीं है बीच में वह खा जाते हैं।

इससे सरकार भी लुट रही है और किसान भी लुट रहा है। एक जगह जमीन नदी में बह गयी उसका 50 हजार रुपये बीघा के हिसाब से भुगतान हो और एक अच्छी जमीन का भुगतान 10 हजार बीघा भी नहीं होता है। तो इस नीति को सरकार बदले और उचित नीति बनाये कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों की आवश्यकतानुसार समय-समय पर जमीन खरीदते और बेचते रहते हैं। सब रजिस्ट्रार आफिस में क्या हो रहा है, उत्पीड़न का शिकार वहां पर किसान बराबर होता है। आपने सर्किल रेट बढ़ा दिया। इसके नाम पर किसानों की खूब लूट खसौट चल रही है। अपने यहां मैं बोर्ड पर लिखे नामों को देखता हूं तो हमारे सामने एक कलंकित नाम भी आता है और कुछ बदल गये। वहां पर सूर्य प्रताप सिंह का नाम है, उसने पैसा खाकर इतना बड़ा सर्किल रेट कर दिया कि किसान न रख सकता है, न ले जा सकता है और न बेच सकता है। आप ताज्जुब करेंगे आपके जिलाधिकारी, आपके उप जिलाधिकारी, आपके अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो और यहां तक कि लेखपाल कितनी बार गांवों में जमाबन्दी के लिये जाते हैं, यह देखने की चीज है। अंग्रेजों के समय में भी कलेक्टर और दूसरे राजस्व अधिकारी दुर्गम स्थानों में भी पहुंचकर कैम्प करते थे और बराबर यह समय समय पर गांवों में जाया करते थे, कैम्प करते थे। लेकिन आपने इन अधिकारियों को और तहसीलदारों को जीप दे रखी है, दूसरे साधन हैं लेकिन आज यह अधिकारी कैम्प नहीं कर रहे हैं। आप आज गृह विभाग से आंकड़े मंगाकर देख लें, ग्रामों में जितने भी झगड़े-फसाद होते हैं उसकी जड़े आपके ये अधिकारी ही हैं। उनके यह विवाद और झगड़े जमीन के मामले को लेकर ही होते हैं, किसान के पट्टे, जरा सी मेढ़ और रास्ते के मामले में लड़कर मर जाते हैं। आपके अधिकारी, राजस्व अधिकारी को अपने ऐशो-आराम और मौज मस्ती से कभी फुरसत नहीं होती है कि वह गांव में जाकर मौके पर जाकर उनके विवादों का हल निकाल दे। आपको निश्चित रूप से उन पर अंकुश लगाना होगा। मान्यवर, पट्टों के नाम पर बड़ा उनका उत्पीड़न हो रहा है। उदाहरण के लिये मेरे जनपद मुजफ्फरनगर के एक ग्राम अलीपुर-कलां में पट्टा हुआ था 20 साल पहले, जो गांव की आबादी से तीन किलोमीटर दूर भी था। न वहां रहने की जगह है न कब्जा है। आबादी के प्रयोगार्थ उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, किन्तु उसके बावजूद वहां पर किसानों का भारी उत्पीड़न किया जा रहा है। वहां पर अब भी कोई आबादी का पात्र, अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है दो साल के अन्दर किसी ने उसका कब्जा नहीं लिया, फिर भी अनावश्यक रूप से किसानों को लूटा जाता है और हर साल कब्जा परिवर्तन का भूत दिखाकर रिश्वत के नाम पर उनसे पैसा वसूला जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह पट्टे निरस्त करवायें और ऐसी व्यवस्था करें कि जमीन किसानों के पास बनी रहे। मंत्री जी, आज बड़े भाग्यशाली हैं कि यह राजस्व विभाग आपके पास है जिसके मंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी रहे हैं और बलदेव सिंह आर्य भी रहे हैं। ऐसे लोग रहे हैं जिनकी छवि पर कभी कलंक नहीं लगा है। इसके महत्व को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि आप आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें करेंगे। आपका बजट भाषण 3 मिनट का रहा है, उतने समय में तो राजस्व विभाग को परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं। आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि कम से कम जो मैंने दो-तीन बातें कही हैं उन पर आप प्रकाश अवश्य डाल दें। आप आज ही घोषणा करें। जो उसकी भूमि नीलाम होती है जैसा कि सुल्तानपुर के एक विधायक भाई कह रहे थे कि ट्रैक्टर नीलाम कर दिया। एक लाख का ट्रेक्टर है, पांच हजार रुपया तहसीलदार को दे दो और 15 हजार पर छुड़ा लो। इस बारे में किसी टेक्निकल आदमी से कोई रिपोर्ट नहीं ली जाती है। आपको यह परम्परा रोकनी होगी। मैं पुनः ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दो में से कम से कम एक घोषणा अवश्य करें। किसान का उत्पीड़न रोकने के लिये वह घोषणा करें या यह कहें कि यह दलितों की सरकार नहीं है।

* इन्जी० राम लोटन सिंह पटेल–

राजस्व मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि माननीय मंत्री जी ने जिन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, अभी तक जिस देश में श्रम करने वालों को प्राथमिकता दी जाती थी वह देश आज चन्द्रलोक पर सैर कर रहा है और जिस देश में लफबाजी करने वालों का मान सम्मान मिलता रहा है वह भीख मांगता नजर आ रहा है। मान्यवर, जब तक इस देश की भूमि उनके हाथ में रही जिन्हें खेती करने का शऊर नहीं रहा तरक्की नहीं हुई जब उसमें सुधार हुआ जिनके पास काम का शऊर है तब से देश खाद्यान्नों में आत्म निर्भर ही नहीं हुआ बल्कि चीन जैसे देश को गेहूं और चावल दोनों का निर्यात यह देश कर रहा है। मान्यवर, चाहे भूमि आवंटन की बात हो, चाहे मछुवारों को मत्स्य पालन के लिये तालाब के पट्टे देने की बात हो, चाहे कुम्हारों को मिट्टी लेने के लिये भूमि आवंटन की बात हो, इस सरकार ने जो व्यवस्था अपने बजट में की है, वह बड़ी ही सराहनीय है। इसी प्रकार राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली में जो सुधार हुआ है कि वह स्वच्छ प्रशासन दे, चुस्त दुरुस्त प्रशासन हो, दलित समाज के प्रति सम्वेदना हो, यह सब बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। राजस्व प्रशासन में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका निस्तारण समय के अन्दर हो। समय को देखते हुए और बातें विस्तार में न कहकर मैं आपका ध्यान सोनभद्र मिर्जापुर की तरफ ले जाना चाहता हूं। यहां बड़े-बड़े भूमि माफिया हैं जिनके पास हजारों-हजार एकड़ भूमि है। कहना नहीं होगा कि उनमें से एक भूतपूर्व मंत्री थे। महुआ पांडे, बबलू त्रिपाठी, पीपल सिंह, नीम पटेल के नाम से हजरों हजार एकड़ बयनामी जमीन है। मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इन अभिलेखों की जांच करायें कि इस तरह से फर्जी बैनामे कराकर हजारों हजार एकड़ भूमि पर कब्जा कर रखा है। इनसे भूमि लेकर भूमिहीन आदिवासी जाति के लोग जो वहां रहते हैं, उनको वितरित की जाय। मान्यवर, जो चकबन्दी का कार्य सोनभद्र में चल रहा है वह लक्ष्य से बहुत पीछे है। जमींदार और भूमिपति जो हैं वह अपने प्रभाव से अपने गांव में चकबन्दी नहीं होने देते हैं। आपके माध्यम से सोनभद्र में जितने भी गांव चकबन्दी से छूटे हैं, चकबन्दी का कार्य कराये जाने के लिये कहना चाहता हूं। चकबन्दी होते समय इस बात की जरूर व्यवस्था होनी चाहिये कि आने वाले 50 वर्षों में जो दलित बस्तियां हैं उनके लिये जमीन की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सरकार का जो मुखिया है वह एक महिला है और माननीय मंत्री जी ने अपना बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हिस्सेदारी उत्तराधिकार में जो संशोधन करने के हुआ है यह सराहनीय कार्य है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि विकास अधिनियम 50 में नयी धारा 131 को जोड़ करके असंक्रमणीय भूमि पड़ी है दस साल की अवधि पूरी कर ली है उसमें जो सरकार ने नीति निर्धारण की है। यह सराहनीय है। इस संबंध में यह भी कहना चाहूंगा कि ग्राम समाज की भूमि है, सीलिंग की जमीन है जिनके केस न्यायालय में लम्बित है उनको निस्तारण करने का प्रयास है यह एक सराहनीय कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

सभी को समय मिलेगा पहले महिला सदस्या खड़ी हैं। इनको समय दे दें।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

महिला सदस्या हैं इनका आरक्षण है।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, आपने समय देकर महिलाओं का सम्मान किया है। इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। राजस्व विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इसका समर्थन करती हूं। कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। खासकर जो किसान बही योजना है यह बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लागू है देखा गया है कि किसान बही योजना में कहीं भी बही वितरित नहीं हुई है। यह मुख्यालय पर पड़ी हैं मैंने कई बार इसके लिये कहा तो वहां राजस्व अधिकारी ने कहा कैम्प लगाकर बाटेंगे। सुनिश्चित तौर पर प्रत्येक गांव में कैम्प लगाकर बंटवा दिया जाय जिससे इसका लाभ सभी को एक साथ हो सके इसमें प्रत्येक किसानों से दस रुपया जमाकर बही बंटी है। इसलिये बहुत से किसान दस रुपये जमा करने में आनाकानी करते हैं जिससे यह योजना लम्बित है। मैं कहना चाहती हूं कि जो गांव के पट्टे होते हैं वह पट्टे पात्र व्यक्तियों को समुचित संख्या में बांटे नहीं जा रहे हैं बहुत से गांव के ऐसे पट्टे हैं जो समुचित पात्र नहीं हैं उनका पट्टा चला आ रहा है वह दस,-पन्द्रह साल तक आवंटित हैं तो अधिकारी यह कहकर टाल देते हैं जब उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी तो उचित पात्र को दिये जायेंगे ऐसे ही तालाब के भी पट्टे हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आपदा के अन्तर्गत किसी गांव में अग्निकाण्ड हो जाते हैं तो वहां जो भी राजस्व विभाग से अनुदान दिया जाता है वह कम है। पेयजल का भी उस गांव में गम्भीर संकट पैदा हो जाता हैं। लिखने पर हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं होती है ऐसे तीन गांव हैं जो बाराबंकी में है हरक्का, कन्दवर कला, ललपुरवा गांव है यहां हैण्ड पम्प नहीं लगाये। इसी तरह से समस्याग्रस्त गांव है वहां दैवी आपदा के अन्तर्गत सुनिश्चित कार्यवाही कराने के निर्देश होने चाहिये। जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाती है तो लोगों में निराशा पैदा हो रही है मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चकबन्दी का विशेषकर जिक्र करना चाहती हूं। चकबन्दी कानून में विशेष खामियां हैं कोई भी गांव चकबन्दी के दौरान आ जाता है। तो वहां पर अगर किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता है वह सब अवैध होकर चकबन्दी में आ जाता है। चकबन्दी अगर 5-7 साल चलती रहती है तो गरीब लोग न्याय के लिये दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं। इस पर विशेष ध्यान देकर कानून बनाने की आवश्यकता है। जिस समय चकबन्दी चलती है लोगों को अपना हक प्राप्त करने के लिये कागज लेकर घूमने पर बाध्य होना पड़ता है। लेकिन चकबन्दी के दौरान कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे उनका हक मिल सके। इसकी वजह से तमाम परेशानी होती है। मान्यवर, गोण्डा, बाराबंकी, बहराइच तीन जिलों में सीमा विवाद है। उसमें विवाद कई वर्षों से है। हजारों बीघे जमीन में ऐसा होता है कि कभी बाराबंकी वाले बोते हैं, गोण्डा वाले काट लेते हैं, कभी गोण्डा के लोग बोते हैं उसको बहराइच के लोग काट लेते हैं. उसमें विवाद के कारण अनियिमितता व्याप्त है। यह जो अन्तर्जनपदीय विवाद हैं इनको हल करना आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि राजस्व विभाग के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी/कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनके अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से तत्परता से पूर्ण करने का शासन द्वारा निर्देश देना चाहिये जिससे जनता में शान्ति व्यवस्था कायम हो। धन्यवाद।

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके समर्थन में बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर राजस्व मंत्री ने किसानों के हितों के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है, वास्तव में इसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं तथा पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं जिससे उनको बल मिलेगा। आज प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है। आज सारा प्रदेश सूखे की चपेट में झुलस रहा है। आज अकाल की स्थिति आ गयी है। प्रदेश को इस समय सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिये। आज सूखे की वजह से हर इन्सान परेशान है। किसानीं के खेत नहीं बो पाये गये हैं। नहरों से पानी खेतों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश की जनआकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। सूखे की चपेट में आज स्थिति भयावह हो गयी है।

आज प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाये जाने चाहिये। मजदूरों व किसानों के लिये श्रम के बदले अन्न की योजना चलाई जानी चाहिये। आज प्रत्येक नहरों में युद्धस्तर पर पानी चलाया जाय और टेस्ट वर्क प्रारम्भ किया जाय। दैवी आपदा से जो सहायता दी गई है वह पर्याप्त नहीं है उसको बढ़ाया जाय। जब आग लग जाती है तो उसमें कचेहरी के लोग सरकारी अधिकारी लोग कानूनी अड़चन पैदा करते हैं। यह जो दैवी प्रकोप होता है वह किसी को माफ नहीं करता है चाहे वह 50 बीघे भूमि वाला हो चाहे 100 बीघे भूमि वाला हो। चाहे पक्का मकान वाला हो या फिर झोपड़ी वाला हो। उस विषम परिस्थिति में मानवीय आधार पर सबको आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाय। आज भूमिहीनों का सवाल है।

सन् 1975 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और नर नारियों के नेता नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे उस समय इमरजेंसी लगाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था और उनको यातनायें दी गयीं थीं लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र स्थापित किया गया था। उस समय 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन आवंटित की गयी और कचेहरी में बैठकर भूमिहीनों की सूची को बनाया गया। न उस समय हरिजनों को जमीन दी गयी और न दलितों को जमीन दी गयी केवल माता जी और बेटा जी के 5 सूत्रीय तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के चलाने वाले दलालों के नाम दिये गये और उनको ही जमीनें दी गयीं। मैं चाहता हूं कि भूमिहीनों का पुनः परीक्षण कराया जाय और उनकी निष्पक्ष सूची बने और भूमिहीनों को जमीन दी जाय। जिन लोगों को उस समय जमीनें बांटी भी गयीं उनको केवल कागज पर पट्टे दे दिये गये और वास्तव में आज भी उनको पट्टों का कब्जा नहीं मिला है। जरूरतमंद लोग आज भी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और उनको जमीन नहीं मिली है। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि जो असिंचित जमीन पड़ी हुयी है उसको सिंचित बनाने के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये। आपने भूमिहीनों को पट्टे बांटे और जमीन भी कहीं कहीं मिली लेकिन उन निर्बल, दलित वर्ग के लोगों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी जिससे कि वह अपने खेत बराबर कर सकें या उपजाऊ बना सकें।

अभी माननीय सदस्या रामनगर ने जनपद बाराबंकी और बहराइच तथा गोण्डा की सीमाओं के विवाद के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा के सीमा विवाद को हल करने के संबंध में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि बाराबंकी की जमीन को बहराइच, गोण्डा के लोगों ने हड़प लिया है। इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जानी चाहिये। बाराबंकी में तत्कालीन सरकार ने गौसपुर सिरौली में एक नयी तहसील का गठन किया। इस तहसील के गठन करने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का कोई औचित्य नहीं था केवल राजनीतिक निर्णय था जिसके अनुसार इस तहसील को बनाया गया। वहां से 7 किलो मीटर रामनगर है, 7 किलो मीटर फतेहपुर और 7 किलोमीटर रामसनेही घाट है। इस तहसील की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये वहां पर तहसील बनायी गयी और जो पैसा रामनगर के लिये आया था उसका इस्तेमाल किया गया। सरकारी भवन बनाये गये और 50 लोगों के घरों को गौसपुर सिरौली में तहसील और अस्पताल बनाने के लिये गिरा दिया गया और मकानों के मालिकों को मुआवजा भी नहीं दिया गया उनकी जमीन ले ली गयी। गौसपुर सिरौली के लिये राजस्व विभाग के लोगों ने एजेन्ट का काम किया और नियमों की अवहेलना करके सारा काम किया गया आज भी हम लोगों को धमकियां दी जा रहीं हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मई और जून में मेरे क्षेत्र में आग लगी थी एक दर्जन गांव अग्निकाण्ड की वजह से नष्ट हो गये।

[5 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, एक दर्जन हैं, उनको आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। मैं चाहता हूं कि वहां पर एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की जाये। मान्यवर, वह प्रस्तावित है, लेकिन राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण वह नहीं बनाया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री मुरलीधर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो राजस्व बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है और उसके दौरान पट्टे की बात कही है और यह भी कहा है कि कब्जा नहीं मिल पाता है। मान्यवर, जिन लोगों को पट्टा दिया गया है, अगर उनको कब्जा नहीं मिल पाता है, तो वह कौन लोग हैं, जो भूमिहीनों के पट्टों पर कब्जा किये हुए हैं और उन्हें कब्जा नहीं देते हैं ? मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों की खोजबीन की जाये और जिन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मान्यवर, अनुसूचित जाति के लोगों को जो पट्टे हुए हैं, वह ज्यादातर आसामी पट्टे हुए हैं और जिनकी एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद पट्टा छीन लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आसामी पट्टे में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और आसामी पट्टे को भूमिधरी का दर्जा दिया जाये, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पट्टे दिये जाते हैं, वह किसी को दो बिस्वे का दिया जाता है और किसी को 10 बिस्वे का दिया जाता है, एक बीघे का पट्टा कभी नहीं दिया जाता है, उसका नतीजा यह होता है कि वह न तो उसमें ठीक से खेती कर पाता है और न ही उसमें कोई सिंचाई का साधन बना पाता है।

मान्यवर, जो किसान बने हैं वह हल नहीं चलाते हैं, वह छाता लेकर खेतों की मेड़ पर घूम आते हैं और घर वापस चले जाते हैं, लेकिन मान्यवर, असली किसान वह है जो आज सावन के महीने में एक एक फिट पानी भरे खेत में हल चलाता है और मातायें और बहनें उस खेत में धान की रोपाई करती हैं और अगर वह न लगायें तो भात का स्वाद आप भूल जायें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह किसान नहीं कहलाते हैं वह दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं और उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे किसानों को भूमि का आवंटन किया जाये और कम से कम 2 बीघा जमीन का आवंटन किया जाये। मान्यवर, दूसरी बात मैं कर्ज की कहना चाहता हूं, अगर गरीब किसान कर्जा लेता है, तो उसकी वसूली बड़ी सख्ती से की जाती है और अगर वह नहीं दे पाता है तो उसे बन्द कर दिया जाता है और जिन लोगों के ऊपर 5-5 लाख का बकाया है, उनके दरवाजे संग्रह अमीन जाकर चाय पानी करके वापस चले आते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो सबसे बड़े कर्जदार हैं जो सबसे ज्यादा राजस्व पर कब्जा किये हुए हैं उनसे वसूली नहीं हो पा रही है सबसे पहले उनको पकड़ा जाय और न देने पर उनको जेल में बन्द किया जाय । मान्यवर, मेरी पट्टों के सम्बन्ध में मांग है, सभी माननीय सदस्यों ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है । आज जरूरत इस बात की है कि इसे देखा जाय कि पट्टा किन लोगों ने कब्जा कर रखा है । अगर इसका पता किया गया तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहीं नहीं होगा उसमें जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 50-100-200 बीघा जमीन है वह कब्जा किये होगा । गंगा के किनारे की हजारों हजार बीघा भूमि में भूमाफिया कब्जा किये हुए हैं लेकिन ये लोग गरीबों की जमीन पर कब्जा करने से नहीं चूकते है और यही बड़े-बड़े लोग गरीबों की भूमि को छोड़ने को तैयार नही हैं । मान्यवर, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनका घर का दरवाजा किसी बड़े आदमी के खेत में खुलता है तो वह धमकाता है कि हम तुमको अपने खेत से नहीं निकलने देंगे इसलिए मेरा अनुरोध है कि गांवों में परिसीमन किया जाय ।

मान्यवर, चकबन्दी के माध्यम से सड़के और चकरोड की व्यवस्था की गयी है तो हम गरीबों के निकलने की व्यवस्था की जाय । अगर हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो वह गांव के रहने वाले दबंग हमारा रास्ता बन्द करने की जुर्रत करते हैं । हम रोते हैं चिल्लाते हैं और मांग करते हैं परन्तु हमारी सुनवाई नहीं होती है । मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं । मान्यवर, सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर बहुत पिछड़ा हुआ है वहां सिंचाई की व्यवस्था बहुत दयनीय है वहां नहरें तो हैं लेकिन पानी नहीं है । इस वक्त सूखे की वजह से जो गरीब किसान हैं वह अपने खेतों में बीज तक नहीं डाल पाये हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि फतेहपुर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय और सिंचाई का जिनका 10 बीघा का पट्टा किया गया है उनका भी हजार-हजार रुपया आया है । मैंने मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है तो जो लोग सिंचाई विभाग में सम्मिलिति हैं चाहे वह सींचपाल हो या ट्यूबवेल का आपरेटर हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाय और उन्हें सेवा से पदच्युत किया जाय । चकबन्दी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 6-6 साल तक डी० डी० सी० के यहां मुकदमें चलते हैं इन मुकदमों की एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए । गरीब आदमी लम्बे समय तक मुकदमा नहीं लड़ सकता है । वह एक दिन भी नहीं जाता है तो उसका मुकदमा खारिज हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुरलीधर–

मान्यवर, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं कि बड़े आदमी या पूंजीपति की बात नहीं कर रहा हूं । मुझे बोलने दें और गरीबों की बात को कह लेने दें ।

हमारा जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है । एक वहां जरौली पम्प कैनाल योजना है यह बड़ी मुश्किल से तैयार की गयी है सरकार से मांग है कि यदि यह पम्प योजना कम्पलीट हो जाती है तो पूरे जनपद को फायदा होगा । गरीब आदमी जिसके खेत में नाली भी नहीं है बड़ी मुश्किल से पानी पहुंच पाता है, सबको बड़ा फायदा हो जायेगा । हमारे जनपद के जितने प्रतिनिधि है, पत्रकार हैं सब इस

योजना का समर्थन करते हैं । यह जनपद की बहुत बड़ी जरूरत है । इससे हमारी रोटी जुड़ी हुई है, जीवन जुड़ा हुआ है जिंदा रहने का सहारा है । हमारे मंत्री जी बहुत सूझबूझ के हैं इसको जरूर स्वीकार करेंगे । मान्यवर, आपने इस कल्याणकारी बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, राजस्व विभाग का जो बजट सदन में रखा गया है उसका स्वागत करते हुए अपनी ओर से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । वर्ष 1934 में जो बन्दोबस्त किया गया था उसमें नगर क्षेत्र, शिजरे में, अलग से परिभाषित किया गया था । उसके बाद से आज तक नगरों में काफी विस्तार हुआ है लेकिन वह विस्तारित क्षेत्र भी राजस्व विभाग के अन्तर्गत चले आ रहे हैं । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे शिजरे को संशोधित करके जो नगर की सीमा बढ़ायी गयी है उनमें उनको दर्शाया जाय । नगर निगम, नगर परिषद् के क्षेत्र में पुनः शिंजरों पर दर्शाया जाय । राजस्व विभाग के दायरे से उन भूमि को बाहर कर दिया जाय । जो जमींदारी विनाश अधिनियम आया था उसमें शहरी क्षेत्र के लिये अलग से अधिनियम बनाया गया था और शहरी क्षेत्र नान जेड० ए० एरिया के नाम से दिखाये गये थे । अब नगरों की सीमा बढ़ गयी है जो शहरों के अन्दर क्षेत्र आ गये हैं उनको नान जेड० ए० क्षेत्र घोषित कराये ।

(इस समय 5 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

बहुधा यह देखा जा रहा है कि नगर क्षेत्रों में नगर पंचायत और नगर निगम के क्षेत्रों में कई-कई तहसीलों के क्षेत्र आ गये हैं । इसमें यह कहना है कि एक नगर पंचायत क्षेत्र की तहसील एक ही निर्धारित की जाये ।

मान्यवर, भूमि अर्जन के समय किसानों को जो बाजार मूल्य की कीमत देने की बात कही जाती है यह बाजार मूल्य स्पष्ट नहीं हैं । मेरठ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत किसानों की भूमि को अर्जित किया गया, यह गांव ऐसे हैं जो नगर निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत आ चुके हैं, जिला न्यायालय ने उनको जो राशि दी थी, जिला न्यायालय के प्रतिकर को घटाते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट लगाये जाने के आदेश दिये । रजिस्ट्री के समय बेनामी पर जो मूल्य लिया जाता है, वह शहरी सर्किल रेट किसानों को दिलाया जाये । इन शहरी क्षेत्रों में सम्मिलित गांव को शहरी क्षेत्र के सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए । मान्यवर, जब से देश आजाद हुआ विदेशी कम्पनी यहां से गयीं । लेकिन उन्होंने चालाकी से भूमि अपने नाम से कर रखी है । जैसे सेंट थामस सेंट जान्स और सेंट जोजफ आदि के नाम से स्कूलों में जमीन विद्यमान है । उनका भौतिक रूप से तो कब्जा नहीं है, लेकिन विधिक कब्जा उन विदेशी कम्पनियों का ही है । इसका संचालन वहां के पादरी लोग करते हैं । कम्पनी का रजिस्टर्ड आफिस इग्लैंड में है । प्रदेश में डायोसिस आफ आगरा इस भूमि का प्रबन्ध करता है । ऐसी भूमि मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मंसूरी, देहरादून आगरा आदि में है । यह अपना कार्य प्रस्ताव पारित करके करते हैं । गलत तरीकों से वह भूमि स्कूल के अन्तर्गत दर्शायी गयी है । इसमें जो वास्तव में मालिकाना हक है वह विदेशी कम्पनियों का है । इसमें जांच करायी जाय ।

मान्यवर, ऐसी भूमियों पर आलीशान भवन बन रहे हैं। जब यह भूमि बेची जाती है तो ब्रिटेन से कम्पनी पावर आफ एटार्नी भेजते हैं। मान्यवर, राजस्व न्यायालयों में दायर मुकदमों की बहुत बड़ी संख्या है, जो लम्बित हैं। एस० डी० एम०, एस० डी० ओ० को उप जिलाधिकारी का पद दिया गया है। उनके एक ही पद हैं। उस कारण से कानून व्यवस्था की दीवानी आपत्तियों में जब एस० डी० एम० दौरे पर जाते हैं तो किसान वहां मुकदमें के लिये आते हैं पूरे-पूरे दिन बैठकर वापस चले जाते हैं। एस० डी० एम०, एस० डी० ओ० के अलग-अलग पद घोषित किये जायें। जो वाद-राजस्व माल के वाद हैं, उनको अलग से देखने की अधिकारियों की व्यवस्था होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ रखे गये बजट का स्वागत करते हुए, इस पर बल देता हूं।

* श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, बल्कि पूर्ण समर्थन करते हुए, माननीया मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। ग्राम सभाओं में जो अम्बेडकर गांव हैं उसके अन्तर्गत दूसरी ग्राम सभाएं जोड़ दी गयी हैं। जो इन्दिरा आवास योजना अम्बेडकर गांवों के लिए है उसमें एक झगड़ा पैदा हो गया है और वह झगड़ा यह है कि अम्बेडकर गांव के लिए तो बजट है और दूसरे गांव जुड़ जाने की वजह से वे लोग भी कहते हैं कि हमें भी पैसा दिया जाये। तो मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर भी ध्यान दें। मांन्यवर, जिन गांव में आग लग जाती है वहां पर प्रति घर 500 रुपये की सहायता दी जाती है। तो मेरा यह कहना है कि 500/- रुपये में घास-फूस का छप्पर नहीं डाला जा सकता है, बांस नहीं खरीदा जा सकता है इसे कम से कम 1250/- रुपये किया जाये। अगर दलितों की सरकार में, दलितों का उद्धार नहीं होगा तो कब होगा ? आज दलितों के लिए मार्ग में जाने के लिए रास्ता नहीं है। बड़े-बड़े लोगों की चक पड़ जाती है और वे लोग उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी यदि आप दलितों का उद्धार करना चाहते हैं तो उनके लिए सम्पर्क मार्ग बनायें। आपको छापा मारना होगा और दलितों से पूछना होगा कि आपको कब्जा मिला या नहीं। आप गांव-गांव जायें और छापे मारें। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजबली जैसल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, आज हमारे मेजा तहसील के अन्दर लगभग 20 वर्षों से जिन गरीब लोगों को पट्टा आवंटित किया गया था उन्हें कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। आज 4-5 गांवों की जमीन, जो सीलिंग से निकली थी, उस पर मुकदमा कायम कराके फर्जी ढंग से स्टे ले करके अपने पक्ष में उस पट्टे का आवंटन करा दिया गया है। जिसके नाम वास्तविक रूप से 20 साल से 10 बिस्वा का पट्टा है वह बेचारा 70 किलोमीटर दूर जाकर फरियाद करता है और यह सोचता है कि इससे तो अच्छा होता कि उसे पट्टा मिलता ही नहीं। आज उन गरीबों को जिनको सीलिंग का पट्टा दिया गया है, आवासीय पट्टा दिया गया है। उस पट्टे पर मुकदमा लड़ा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जाता है । मैं चाहूंगा कि उस पट्टे का मुकदमा सरकारी तौर पर लड़ा जाये, जिससे जो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, वह न हो । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि मेजा तहसील जो लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ती है और दूर से आना पड़ता है तो कोराव विकास खण्ड जिसको तहसील बनाने की पूरी कार्यवाही हो चुकी है, और मामला शासन में विचाराधीन है, इस पर जल्दी से कार्यवाही हो । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कठौली, इसौटा और भारतगंज में आने-जाने का रास्ता नहीं है इसके लिए रास्ता बनाया जाये । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री शिवदानी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मुझे इस राजस्व बजट पर बोलने का अवसर मिला, मैं पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं । वास्तव में, जो यह बजट रखा गया है, बहुत ही अच्छा बजट है और गरीबों के हित में है, बहुत ही सराहनीय बजट है किन्तु इसमें जो बिन्दु दिये गये हैं, उनको देखते हुए ये मात्र कागज में सिमटकर आदेश रह जाते हैं, यह बड़े दुख की बात है । मान्यवर, इसमें ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के विषय में कहा गया है जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखकर यहां अवगत करा रहे हैं, होता यह है कि गरीबों को पट्टे दे दिये जाते हैं, उसकी रसीद लेकर वह कई वर्ष तक अदालत के चक्कर लगाते रहते हैं और भूमि पर कब्जा उनको मिल नहीं पाता है । जो गरीब 20-25 रुपये रोज की मजदूरी करता है, वह अपनी मजदूरी भी नहीं कर पाता है और आये दिन मुकदमों में दौड़ता रहता है । मेरा सुझाव है यदि उन्हें पट्टे दिये जायें तो ऐसी जमीन के दिये जायें जो तत्काल उनको मिल जाय, नहीं तो केवल पट्टे के नाम से उनको पीड़ित किया जाय, यह उचित नहीं है ।

मान्यवर, किसान बही के संबंध में भी कुछ बात रखना चाहता हूं । किसान बही की योजना भारतीय जनता पार्टी के समय से लागू हुई, किन्तु मात्र कागजों में यह सिमटकर रह गई, किसानों के घरों तक उपलब्ध नहीं हो पाई । मान्यवर, एक-दो सुझाव और रखना चाहता हूं, जो यहां पर कुम्हार जाति के उत्थान के लिये भूमि का पट्टा दिये जाने की बात हुई है, पिछली सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश पारित किये थे, किन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी कुम्हार के परिवार के व्यक्ति को भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

मान्यवर, इसी तरह से जिन गांवों में सम्पर्क मार्ग नहीं हैं, दलितों के गांवों में विशेष रूप से सम्पर्क मार्ग नहीं हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40% सम्पर्क मार्ग नहीं हैं, मैं राजस्व मंत्री से चाहूंगा कि इन गांवों में सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था इस बजट में रखी जाय । एक और सुझाव देना चाहता हूं जो धोबी जाति के गांवों में रहते हैं, उन्हें भी तालाब का पट्टा दिया जाय, उनको भी जीवनयापन के लिये तालाब बहुत जरूरी है, आज तक किसी भी बजट में यह योजना नहीं रखी गई है । मान्यवर, यह दलित जाति के लोग हैं, उनकी रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उन्हें भी ग्राम सभा स्तर पर तालाब उपलब्ध करवाने की योजना इस बजट में रखी जाय । मैं दो-चार गांवों के नाम बता रहा हूं, यहां गरीबों को रहने के लिये 10 फीट जमीन भी उपलब्ध नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव सिरियांवा, रसूलपुर बेवादा, ऊझानीखुर्द, मड़गोवा आदि हैं । यहां कुछ लोग तो बड़ी-बड़ी जमीनों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कब्जे किये हुये हैं, लेकिन कुछ लोगों को आवास के लिये तनिक भी जमीन उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में, जो मैंने सुझाव दिये हैं, उन्हें भी जोड़ा जाय और इन गरीबों को भी सुविधा उपलब्ध कराई जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्री गया चरण दिनकर–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजस्वमंत्री जी ने आज जो राजस्व बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । वैसे सभी बिन्दुओं पर साथियों ने चर्चायें की हैं, विशेष कर सम्मानित सदस्यों ने भूमि आवंटन के हेरा-फेरी के संबंध में जोर दिया है । मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूं कि आज जो बातें रखी जा रही हैं, ये उनकी गड़बड़ियां नहीं हैं । बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिलहाल बनी है । इसके पहले ऐसे लोगों की सरकारें बनी रही हैं जो कहते कुछ रहे हैं, करते कुछ रहे हैं । मेरे सामने एक आंकड़ा रखा हुआ है जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने में बांटा जायेगा । इसको राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रस्तुत किया है । मेरा विश्वास है और हमारे विद्वान साथी भी सहमत होंगे, जो आवंटन की स्थिति 1994-95 की है वह इस प्रकार है :–शेड्यूल कास्ट के लिए 21015, शिड्यूल ट्राइब्स के लिए 61, गैर शिड्यूल कास्ट के लिए 23,105 एवं 10,065 आवंटन किये गये हैं । इसी तरह से कुल मिलाकर शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिए 21,076 और गैर शिड्यूल कास्ट के लिए 33,170 आवंटन किये गये हैं । आवंटन के लिए जो विधिक व्यवस्था एवं पात्रता की शर्तें निर्धारित हैं उसके हिसाब से शिड्यूल कास्ट और गैर शिड्यूल कास्ट में 3 और 1 का अनुपात होना चाहिए । अर्थात् 75 प्रतिशत आवंटन शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के होंगे और 25 प्रतिशत गैर शिड्यूल कास्ट के लोगों के लिए होंगे लेकिन इसमें जो किया गया है वह ठीक इसके उल्टा है । इसमें शत-प्रतिशत कब्जे के बारे में भी गलत कही गयी है ।

मैं बताना चाहता हूं कि कागज और वास्तविकता में धरती आसमान का अन्तर है । मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं फिर भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि वह पिछली सरकारों की देन है, मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं उस जनपद की बात कर रहा हूं, मात्र 30 प्रतिशत आवंटियों को कब्जा मिला है । कब्जा बड़े लोगों का उन जमीनों पर है जो लोगों को आवंटित हो चुकी हैं। यह कमी शासन और प्रशासन की हो सकती है, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति उपेक्षा के कारण हो सकती है । लेकिन जो कुछ भी आज तक होता रहा है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए । यदि वास्तव में हमदर्दी है और कही हुई बात को लागू करने की चेष्टा करनी है तो हमें निरीक्षण कराना चाहिए । माननीय अध्यक्ष जी, निरीक्षण कराकर अगर सख्त से सख्त आदेश जारी करें और प्रत्येक जिलाधिकारी एक दिन का समय भूमि आवंटियों को कब्जा दिलाने या उनके ऊपर किये जाने वाले ज्यादतियों के संबंध में दें, उनकी बात सुनें तो यह निराकरण संभव है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें ।

श्री गया चरण दिनकर–

मान्यवर, केवल एक मिनट का समय और दे दें। सीलिंग काश्तकारों के बारे में सीलिंग ऐक्ट बना हुआ है। सीलिंग ऐक्ट में घोषित जमीन राज्य सरकार अपने पजेशन में लेती है और पजेशन में लेने के बाद भूमि आवंटित की जाती है। जब राज्य सरकार जमीन अपने पजेशन में ले लेती है उसके बाद आवंटित करती है तो लोग अदालतों में चले जाते हैं और स्टे ले आते हैं और स्टे के आधार पर उन आवंटित भूमि पर कब्जा बनाये रखते हैं, वे फर्जी स्टे होते हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार अपने पजेशन में लेने के बाद जब जमीन आवंटित कर दे तो कब्जा मिलना चाहिए। ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं। मान्यवर, कड़ाई से आदेश दिये जायें और राज्य सरकार की तरफ से उन स्टे को वैकेट कराने के लिए पैरवी की जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ आपके निर्देशन और आदेश पर बजट का समर्थन करते हुये अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

काफी माननीय सदस्यों को इस पर बोलने का मौका मिल चुका है। आप लोग दूसरे दिन तैयार होकर बोल लें।

श्री ऊदल–

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन या विरोध में अपने विचार प्रकट किये हैं। जिन बातों को मैंने कहा, उन्हीं बातों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। चकबन्दी के बारे में बहुत से लोगों के विचार आये। अभी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर चकबन्दी खत्म नहीं हुई है। अब भदोही को ही ले लीजिए। वहां पर ज्ञानपुर में 27 वर्ष से चकबन्दी हो रही है और चकबन्दी पूरी नहीं हुई है। अब कागजों में हेरा-फेरी हो रही है। कहीं पर तो दुबारा चकबन्दी हो रही है। अब जो कुछ भी जमीन शेष है आबादी बढ़ रही है, जमीन तो बढ़ेगी नहीं, 5 प्रतिशत की कटौती में ही जमीन खत्म हो जायेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस चकबन्दी मुहकमें को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हमारे बनारस जिले में डी० डी० सी०, चकबन्दी की है। जितने फैसले हुए हैं, जिनका तबादला भी हो गया है अब उन फैसलों को पुनर्विचार के नाम पर अब गलत फैसले दिये जा रहे हैं। इसलिए इसकी जांच करायी जाय। दूसरा मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करे। लगान, देय व वसूली को माफ करे। बहुत जमीन की चोरी हो रही है।

मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट को इस सदन में उठाया गया और मांग भी की गई। सीलिंग की जमीन की चोरी हो रही है और गलत नाम से उसे दर्ज कराया गया है। दूसरा यह कि बड़े-बड़े फार्मों के जो भू–माफिया हैं, उनके नाम उस मंगल देव विशारद कमेटी में अंकित हैं परन्तु आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। सरकार अगर सचमुच में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग, जो बेजमीन हैं, उनको जमीन बांटना चाहती है, तो इस मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट

लागू करे । एक और ज्वलन्त समस्या है । बहुत सी तहसीलों का शिलान्यास हो गया है बहुत से जिले बना दिये गये हैं । हमारे यहां भदोही को जिला बनाया गया, शकलडीहा तहसील बनाई गई । बनारस में एक पुण्डरा नाम से तहसील बनायी जानी है, जिसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए इस अधिसूचना को जारी किया जाय । पड़रौना आदि ऐसे स्थान जहां-जहां हैं कम से कम वहां पर दफ्तरों के लिए, आफिसर्स के रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ।

मान्यवर, लैण्ड एक्वीजेशन ऐक्ट बहुत पुराना है जिसमें दैवी आपदा अनुदान देने का विधान है, वह भी बहुत पुराना है, इसको बदलना चाहिए । अब इसे बाजार रेट से लागू करना चाहिये और किसानों को दौड़ाना नहीं चाहिये । बाजार रेट पर किसान को भुगतान होना चाहिये ।

आज नजूल की जमीन मिट्टी के दाम पर बेची जा रही है । पिछली सरकार ने ऐसे ऐसे फैसले कर दिये थे कि सभी शहरों में नुजूल की जमीन को सस्ते दामों पर बड़े-बड़े तस्करों या भू-माफियों ने ले ली है या ले रहे हैं । जो विकास प्राधिकरण बनाये गये हैं हर शहरों में बने हैं जैसे बनारस, लखनऊ, कानपुर हैं वहां इतनी ज्यादती हो रही है उदाहरण के लिये बनारस में एक योजना बनी नम्बर एक की अब नम्बर दो की बनी है । राजा तालाब से जी० टी० रोड तक यह सब खेती वाली जमीन है उसे रिकार्ड में बंजर अंकित करा दिया है तो यह योजना बनाकर किसानों को परेशानी हो रही है । आप तो जानते हैं, आप रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सामने से जाती है । इसलियें मेरी मांग है कि सरकार यह निश्चय करे कि इतनी ही जमीन लेंगे उससे आगे फिर नहीं लेंगे तो इस तरह से योजना चलायें । जमीन के संबंध में सरकार आगणन करे जिनको पट्टे दिये गये हैं उनको कब्जा भी दिया गया है या नहीं यह सुनिश्चित करें ।

मैं खत्म कर रहा हूं इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं । सब लोग चले गये हम दो रह गये हैं । तो हम दो हमारे दो का नारा हमारे मा० गुप्ता जी ने दिया था, तो हम दो ही रह गये हैं बाकी चले गये हैं । इसलिये मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि सरकार हमारे सुझावों पर विचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी संक्षेप में बता दें ।

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो हमारे विभाग के बजट पर अपने विचार रखे हैं मैं सभी साथियों की भावनाओं का स्वागत करता हूं । बहुत सारी बातें यहां पर आई कहा गया कि गरीबों को पट्टे मिले लेकिन उनको जमीन का कब्जा नहीं मिला । इसी के साथ चकबन्दी की बात आई कई सारे बिन्दुओं पर सुझाव आये तो उन पर सरकार पूर्णरूप से गंभीर है । हमारी मंशा बिलकुल साफ है । वायदे होते रहे, वायदा खिलाफी भी होती रही । हमारे सम्मानित साथी जो हमारे लिये संसदीय शक्ति के प्रेरणा स्रोत है माननीय ऊदल जी की तरफ से कटौती प्रस्ताव आया है उनको ज्यादा पता है। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि यह व्यवस्था कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने इसे शुरू किया था लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कब्जा आज भी नहीं मिला है । मुझे याद आता है एक पुरानी कहावत है–कह दो इस अदालत में उन गुजरे हुये गवाहों से,

झूठ तो बोलो मगर झूठ का सौदा न करो ।

आपकी नीयत साफ थी, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था तो जिनको पट्टे दिये थे उनको कब्जा क्यों नहीं दिलाया ? हमारी सरकार बने अभी चन्द दिन हुये हैं, हमें अभी थोड़े ही दिन हुये काम करने का मौका मिला है । हम अपने साथियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं उन पर विचार करेंगे । सरकार ने जो घोषणा की है उसके अनुसार शासन को निर्देश दिये हैं और रिपोर्ट हमें मिली है कि पूर्व की बातें क्या रही, जो आंकड़े हैं वह आपके सामने प्रस्तुत हैं । जब आप लोग मौके पर जायेंगे तो आपके समक्ष में आयेगी कि सरकार की मंशा और नीति तथा नीयत में कोई अन्तर नहीं है । हमारी मंशा है कि हम जो बातें कहेंगे वह पूरी की जायं ।

शायद आप लोगों ने पूर्व में जब हमारी समाजवादी पार्टी से गठबन्धन था और हम दोनों लोग मिलकर सरकार चला रहे थे तो उन दिनों भी हमारे दल के मुखिया मा० कांशीराम जी ने कहा था कि मिस्टर मुलायम सिंह वायदे करना बन्द करें । जो वायदे हो चुके हैं उन्हीं को पूरा करो । जो वायदे हो चुके है, वे चाहे जिस सरकार ने किये हो, किसी कारण से वे नहीं कर पाये उनको पूरा करने पर हमारा पूरा ध्यान है पूरा जोर है । हम उसको किसी तरह पूरा करा दें यही हमारी मंशा है इससे गरीबों को न्याय मिल जायेगा ।

इसी 20 जुलाई को किसी प्रकरण में जिसमें सभी की भावनायें एक हैं कि गरीबों को न्याय मिले, कागज पर नहीं व्यवहारिक रूप से मिले, इसके लिए सरकार के संबंधित सभी कैबिनेट मिनिस्टरर्स और सरकार के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और चाहे पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी रहे हों या प्रशासन के रहे हों सारे अधिकारी एक सम्मेलन में उपस्थित थे उसमें उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीया बहन मायावती ने साफ निर्देश दिया था कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता और अनियमितता बरती जाने पर संबंधित दोषी अधिकारी को माफ नहीं किया जायेगा । कहा था कि पुलिस प्रशासन को भी साथ में निर्देशित किया गया था कि आप लोग प्रशासन की मदद करें । प्रायः कहीं-कहीं ये बाते आती हैं कि जमीन पर पट्टे दे दिये गये लेकिन दबंग लोग उस पर कब्जा जमाये बैठे हैं । प्रशासन के लोग तहसीलदार और दूसरे लोग जाते हैं और कब्जा कराके चले आते हैं किन्तु उनके वापस होते ही थोड़े समय बाद फिर कब्जा वापस हो जाता है । सरकार का निर्देश है कि साथ में पुलिस के स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी भी जायें और गरीबों को जो पट्टा दिया गया है उस पर कब्जा दिलायें । यदि वह अनियमितता बरतते हैं तो वैधानिक जो प्रक्रिया है उसके अनुसार उन्हें दण्डित किया जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये । इसी 22 तारीख को 10 घण्टा 5 मिनट वह मीटिंग चली थी और इतने लंबे समय में अधिकारी सम्मेलन में यह सारी बात रखी गयी थी तो इस संबंध में जो सुझाव आप सबके आये हैं उनका सरकार की ओर से स्वागत है, और बार-बार बाते आई, मैं आदरणीय श्री ऊदल जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ताकि सर्वसम्मति से बजट का यह प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकें ।

* श्री महाबीर सिंह (बिजनौर)–

आपकी पुस्तिका के 4(2) में लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्र और सोनभद्र को छोड़कर 55 जिलों में 27 हजार 213 सृजित पदों के विरुद्ध 17 हजार 575 लेखपाल हल्के गठित किये गये हैं जिसके कारण से 9 हजार 638 लेखपाल हल्के कम हो गये हैं इसके कारण से 9 हजार 638 लेखपाल बेकार हो गए और उसके बाद राजस्व निरीक्षक और अन्य कृषि संबंधित एक हजार 745 लोगों को एडजेस्ट किया । तो इस प्रकार कुल 20 हजार 595 लेखपाल एडजेस्ट हुए और 6 हजार 618 लेखपाल फालतू हो गये । क्या आप उनको भी कहीं एडजेस्ट करने की कृपा करेंगे ? आपने बिजनौर में एक सौ सत्ताइस रिक्त पदों को सृजित करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया था । लेखपाल हल्के पुनर्गठित होने के कारण केवल 35 लेखपाल एडजेस्ट हो पाये शेष लेखपाल जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके संबंध में आप कब तक एडजेस्टमेन्ट की कार्यवाही पूरी कर लेंगे या आपकी उनके संबंध में अन्य कोई योजना है ?

श्री महाबीर सिंह (बिजनौर)–

आपने कुछ लोग निरीक्षक बना लिये । यह निरीक्षक लगा देने के बाद 1,745 लोग एडजेस्ट किये । इसके बाद 20,595 लोगों को एडजेस्ट किया । इसके बाद 6,618 लेखपाल खाली रह गये । यह खाली रह जाने के बाद में आपने कहां एडजेस्ट करने का विचार किया होगा । वह 127 लोग जो थे उनमें से मेरे जिले में 35 लोगों को स्थान दिया बाकी शेष के बारे में क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गरीब किसान और दलित मजदूरों के हित में आज इस सरकार के माननीय राजस्व मंत्री जी घोषणा करेंगे कि आज से प्रदेश के अन्दर रिकवरी चार्जेज जो गरीबों पर लगाया जाता है, 10 प्रतिशत होता है । वह और गरीबों के उत्पीड़न की कार्यवाही कि उन्हें बेफुजूल जेल में बन्द कर दिया जाता है, इसको समाप्त करने की घोषणा करेंगे ? ऐसा ही जनता दल ने भी किया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार –

अभी पूर्व में हमारे मा० महाबीर सिंह जी ने जो अपना स्पष्टीकरण मांगा है । मैं बड़े साफ-साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जो भी कहीं भी अनियमितताएं हुई हैं, वह लिखकर दे दें । किसी भी शर्त पर वह अनियमितता बरतने वाले माफ नहीं किये जायेंगे । दूसरी बात जो कि हमारे जनता दल के वरिष्ठ साथी मा० हरेन्द्र सिंह मलिक जी कह रहे हैं । उन्होंने जो अपनी बात रखी है घोषणा किये जाने के बारे में । हम लोगों ने मीटिंग में भी और बीच में भी जहां-जहां जाने का मौका मिला, अधिकारियों की मीटिंग में इस बात को कहा कि जो सबसे बड़ा कर्जदार है सबसे पहले उसके ऊपर हाथ डालना चाहिए क्योंकि जिसके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज है अगर उस पर हाथ डालते हैं तो एक साथ 10-20 हजार रुपये वसूल कर सकते हैं । 10 हजार के कर्ज वाले के ऊपर रोज हाथ डालें तो उसे हजार रुपया देना भी बहुत भारी होगा । हम यह नहीं कहते हैं कि उसका कर्ज माफ कर दिया जाय । कर्ज तो कर्ज है लेकिन जो जितना बड़ा कर्जदार है उसके ऊपर उतना ही असर डाला जाय । हम अगर 100 लोगों से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पांच-पांच सौ रुपये वसूल करते हैं तो 20 हजार की वसूली में भार पड़ेगा लेकिन अगर पांच ट्रैक्टर वालों को पकड़ लें तो 20 हजार जल्दी वसूल हो जायेंगे । इसी तरह से जो बड़े लोग हैं दूसरी तरह से पूंजी को छिपाकर रखते हैं सरकार को उनसे उसी तरह की कार्यवाही करनी चाहिए ताकि गरीब मजदूर यह न कह सकें कि हम गरीबों को पकड़कर हवालात में बन्द कर दिया जाता है और अमीरों के यहां बैठकर चाय पी जाती है । इस तरह की अनियमितता बरतने वालों को दण्डित किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

ऊदल जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, मेरा जवाब तो आने दीजिए । मैंने घोषणा करने की बात कही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, आप मुझे संरक्षण दें । माननीय मंत्री जी उस पर कुछ बोलना चाहते थे लेकिन मा० महाबीर जी की बात में शायद रह गया । मेरा यह कहना था कि गरीब किसानों से जो रिकवरी चार्ज लिया जाता है उसको समाप्त करने और गरीबों के उत्पीड़न की कार्यवाही को रोकने की घोषणा इस सदन में करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री जी यादव जी भी कुछ कह रहे हैं ।

श्री धनराज यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दैवी आपदा में चाहे वह बाढ़ से मकान गिरे या घर ढह जाए या आग से घर जल जाए तो यह परम्परा रही है कि आवासीय का फर्क रहा है । आवासीय जल जाता है या गिर जाता है तो अनुदान मिल जाता है अनावासीय को नहीं मिलता है इसके कारण सरकारी कर्मचारी इसका दुरुपयोग करते हैं । तो क्या मंत्री जी इस भेद को खत्म करेंगे ? चाहे जैसा मकान जले चाहे जैसा मकान गिरे सबको बराबर अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

दो माननीय सदस्यों ने प्रश्न किए हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार–

आवासीय और अनावासीय विषय सामने आया है । इसको पात्रता के आधार पर रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

कलेक्शन चार्ज के बारे में बतायें ?

श्री राजेन्द्र कुमार–

यह पहले बताया गया है कि इसको किश्तवार देने का प्राविधान है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऊदल जी वापस ले रहे हैं ?

श्री ऊदल–

नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,44,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,93,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,47,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–83–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83 सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 पर विचार किया जाए ।

मान्यवर, यह विधेयक जो लाया गया है, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी । जिसमें उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय नियोजन और समन्वय राज्यों में शिक्षा परिषद् के गठन करने का प्रस्ताव था । उसी नीति के मद्देनजर रखते हुए यह विधेयक लाया गया है । इस तरह की व्यवस्था अब तक तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में है । इसका उद्देश्य है हमारा जो राज्य शिक्षा नियोजन है उसमें उच्च शिक्षा की संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना । इसका काम होगा शिक्षा के स्तर को सुधारना, पाठ्यक्रमों के बारे में सुझाव देना । शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए यह विधेयक लाया गया है ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश राज्य एवं शिक्षा परिषद् विधेयक जो उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है मैं इसका स्वागत करता हूं । यह परिषद इसी लाइन पर लायी जा रही है । जिस प्रकार से यूनीवर्सिटी ग्रान्ड कमीशन है । 1986 की नई शिक्षा नीति के मार्फत यह फैसला लिया गया था कि प्रदेश के अन्दर यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन प्रकार की परिषद हो जो समय-समय पर शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दे । इस प्रकार शिक्षा का स्तर पूरे प्रदेश में एक सा मेन्टेन हो जिससे एक यूनीवर्सिटी से दूसरी यूनीवर्सिटी में

जाने में आसानी हो । इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि इस तरह की राज्य शिक्षा परिषद यू० जी० सी० के समान बनाई जाए । जैसाकि आप सब लोग जानते हैं शिक्षा में, विज्ञान में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है और यह देखा गया है कि भारतवर्ष में कुछ पिछड़े राज्य हैं जहां शिक्षा, विज्ञान, प्रोद्योगिकी में इतनी तेजी से तरक्की नहीं हो रही है जितनी कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तरक्की हो रही है । मेरा शिक्षा व विज्ञान जगत से 32 साल का संबंध रहा है । तीन वर्ष लन्दन में एक वर्ष अमेरिका में यूनीवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया, इंस्टीट्यूट द्वारा एम्बरियोलोजी एण्ड मालीकुलर एण्ड सेल्यूलर बायलोजी यूनिवर्सिटी आफ ऐसन, फ्रांस में दो वर्ष, दो वर्ष जर्मनी आदि देशों में रहा हूं । मैंने यह देखा है कि जो स्तर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का एक जमाने में होता था वह कहीं नहीं है । लेकिन अब उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक ढूढ़े नहीं मिलते हैं । विदेशों में कहीं कान्फ्रेंस में नजर नहीं आते हैं । यह सब ध्यान में रखते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि प्रदेश की शिक्षा की समस्याओं के बारे में कुछ मूलभूत परिवर्तन किये जायें । यह विधेयक भी कुछ मूलभूत शिक्षा, विज्ञान व प्रोद्योगिकी में परिवर्तन लाने के लिए लाया जा रहा है ।

[समय 6 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, शिक्षा के बारे में एक नीति निर्धारित होनी चाहिये । यह जो परिषद है इसमें मूलभूत परिवर्तन किया जाय । जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है कि "विख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष जो कुलपति हो या रहा हो या जो भारत सरकार के अपर सचिव व अनिम्न स्तर का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हो और जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि और अनुभव रखता हो ।" इस संबंध में मेरा यह कहना है कि यह जो व्यवस्था की जा रही है इसमें राज्य द्वारा नामिनेशन नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह आटोनामस बाडी है । इसमें 5 लोगों का पैनल बना लें और डिसाइड करें कि इमीनियें एक्सपीरियंस वाले आदमी को ही इसमें रखा जाय । इसी तरह से पृष्ठ–3 पर आप देख लीजियेगा, आपने सदस्य, सचिव और सदस्यों में प्रशासनिक अधिकारियों को रखने की बात की है । उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन और वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, तो यह जो लोग आप रख रहे हैं यह एक सरकारी तंत्र बना रहे हैं, यह एक नान-आटोनामस बाडी आप बना रहे हैं और सरकारी कर्मचारी इसके मेम्बर होंगे । हमें चाहिये कि किसी शिक्षाविद् को, जो इमीनियेंस एक्सपीरियंस का प्रोफेसर हो और अलग-अलग फील्ड्स का उसको नालेज हो, उसको रखना चाहिये । यह परिषद उच्च शिक्षा नीति को निर्धारित करेगी इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि एक सदन की कमेटी बना दी जाय जिसमें शिक्षाविद भी हों जो इस पर विचार करें और 15 दिन या जैसा आप मुनासिब समझें, एक टाइम आप निर्धारित कर दें जो उस टाइम में अपनी रिपोर्ट सम्मिट करे नहीं तो इसका परपज डिफीट हो जायेगा ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस विधेयक की मंशा बहुत साफ है । हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य को विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा अनुभव है लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रिजंपशन पर न चला जाय । यह विधेयक बहुत स्पष्ट है । जो समिति गठित की जा रही है उसको यू० जी० सी० की गाइड लाइंस पर गठित किया जा रहा है । विश्वविद्यालयों की व्यवस्था यू० जी० सी० करती है उसी की गाइड लाइंस के आधार पर हम समिति बना रहे हैं । इसमें यू० जी० सी० का एक सदस्य रहेगा और 3 कुलपित रहेंगे तथा शिक्षा विभाग के 2 निदेशक रहेंगे । इसमें राज्य सरकार की कोई बात नहीं है, यह परिषद स्वतंत्र है । इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता हो । इसकी मंशा बहुत साफ है । ऐसी व्यवस्था तमिलनाडु और आंध्र में है और आपको इसमें सहयोग करना चाहिये कि यह परिषद गठित हो जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक 1995 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–28 तथा खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये और उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

चूंकि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सिफारिश है कि उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय नियोजन और समन्वय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के माध्यम से किया जायगा ;

और चूंकि उपर्युक्त राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के संबंध में सिफारिश करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का गठन किया था ;

और चूंकि उक्त कमेटी ने सिफारिश की कि राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के उन्नयन और समन्वय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ समन्वय के लिये एक प्रभावी तंत्र की अत्यन्त आवश्यकता है ;

और चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित किये हैं ;

और चूंकि राज्य सरकार ने तदनुसार भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के अनुसार एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना करने का विनिश्चय किया है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 25 मई, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

(3) यह समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जिनको उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 लागू होता है, लागू होगा ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,––

(क) "महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी संस्था से है और इसके अन्तर्गत कोई सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय और घटक महाविद्यालय भी है ;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है ;

(ग) "निधि" का तात्पर्य धारा 15 में निर्दिष्ट परिषद् की निधि से है ;

(घ) "उच्च शिक्षा" का तात्पर्य शिक्षा, चाहे व्यावसायिक, प्राविधिक या अन्यथा हो, जिसका उद्देश्य किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना हो से है ;

(ङ) "उच्च शिक्षा की संस्था" का तात्पर्य उच्च शिक्षा में कोई अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करने वाली किसी संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अनुमोदित हो, से है ;

(च) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी हैं ;

(छ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये विनियम से है ;

(ज) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है ;

(झ) यहां प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द या पद, जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये उस अधिनियम में दिये गये हैं ।

उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना

3-(1) "उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्" के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायगी ।

(2) परिषद् एक नियमित निकाय होगी ।

(3) परिषद का मुख्यालय लखनऊ में होगा ।

परिषद् का गठन

4-परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष जो कुलपति हो या रहा हो या जो भारत सरकार के अपर सचिव से अनिम्न स्तर का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हो और जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि और अनुभव रखता हो ;

(ख) राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव	..	सदस्य-सचिव
(ग) राज्य सरकार का वित्त विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव	..	सदस्य
(घ) राज्य सरकार का नियोजन विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव	..	सदस्य
(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो	..	सदस्य
(च) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश	..	सदस्य
(छ) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	..	सदस्य
(ज) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्ति	..	सदस्यगण
(झ) शिक्षा, अभियंत्रण और विधि प्रशिक्षण के क्षेत्र में विख्यात शिक्षाविदों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन से अनधिक व्यक्ति	..	सदस्यगण
(ञ) महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से परिषद् द्वारा सहयोजित एक व्यक्ति	..	सदस्य
(ट) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से जिनका उच्च शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण योगदान है, परिषद् द्वारा सहयोजित एक व्यक्ति	..	सदस्य

विशिष्ट प्रयोजन के लिये परिषद् के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन

5–परिषद् किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह को वह अपने कार्य के कार्यान्वित करने में वांछित समझे, अपने साथ सहयुक्त कर सकती है । किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये परिषद् के साथ सहयुक्त व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु इसे परिषद् की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

परिषद् की सदस्यता के लिये अनर्हता

6–कोई व्यक्ति, परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये या सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जाने के लिये या ऐसा अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट सदस्य होने के लिए, अनर्ह होगा, यदि–

(क) वह विकृत चित्त का हो ;

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ग) उसे विधि के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, कारावास का दण्ड हुआ हो और ऐसा दण्ड निष्प्रभावी न किया गया हो और दण्ड की समाप्ति के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत न हुई हो ;

(घ) वह परिषद् का वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी हो ; या

(ङ) उसमें ऐसी अन्य अनर्हताएं हों जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्यक्ष और नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें

7–(1) अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और नाम-निर्दिष्ट सदस्य और सहयोजित सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और, यथास्थिति, तीन वर्ष या एक वर्ष की अग्रतर अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति या पुनः नाम-निर्देशन या सहयोजन के लिये पात्र होंगे :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु का हो गया है तो वह परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट सदस्य या सहयोजित सदस्य, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय ।

(3) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,अध्यक्ष और नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं ।

(4) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसे विहित किये जायं ।

सदस्य-सचिव की शक्तियां और कर्तव्य

8–सदस्य सचिव इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों या उस पर आरोपित कृत्यों का, और ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का जो विहित किये जायें प्रयोग और पालन करेगा ।

परिषद् की सदस्यता से हटाया जाना

9–यदि, किसी समय, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट सदस्य का सहयोजित सदस्य ने स्वयं को पद के लिये अनुपयुक्त प्रदर्शित किया है या ऐसे कदाचार या उपेक्षा का दोषी रहा है जिसके कारण उसे हटाना समीचीन है तो राज्य सरकार, उसे कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे नाम-निर्दिष्ट या सहयोजित सदस्य को पद से हटा सकती है ।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना

10–यदि अध्यक्ष या किसी नाम-निर्दिष्ट या सहयोजित सदस्य का पद, चाहे उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र, हटाये जाने या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाय तो ऐसी रिक्ति को, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरा जायगा और ऐसा अध्यक्ष या नाम-निर्दिष्ट या सहयोजित सदस्य छः मास से अनधिक की अवधि के लिये या सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट या सहयोजित सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।

परिषद् की शक्तियां और कृत्य

11–(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में समन्वय करना और मानक निर्धारित करना परिषद् के कृत्य होंगे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे––

एक–योजना और समन्वय–

(क) राज्य उच्च शिक्षा की समग्र प्राथमिकताओं और सन्दर्शों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समेकित कार्यक्रमों को तैयार करना और उनके क्रियान्वयन में सहायता करना ;

(ख) मानकों के अवधारण और अनुरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता करना और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देना ;

(ग) राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिये सन्दर्भ योजनाओं को तैयार करना ;

(घ) यदि राज्य सरकार अपेक्षा करे तो अपनी समीक्षा और सिफारिशों के साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकासात्मक कार्यक्रमों को उसे प्रस्तुत करना ;

(ङ) उच्च शिक्षा की संस्थाओं के मध्य सहयोग को प्रोत्साहन देना और उद्योग और अन्य सम्बन्धित अधिष्ठानों के साथ अन्योन्य क्रिया के क्षेत्र का अन्वेषण करना ;

(च) राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार नये महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने के लिये और विद्यमान

महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषयों और विभागों को प्रारम्भ करने के लिये प्रतिमानों और सिद्धान्तों को सूत्रबद्ध करना ;

(छ) राज्य में उच्च शिक्षा के लिये अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिये उपायों और साधनों का सुझाव देना ;

(ज) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध निधिकरण का समन्वय करना ;

दो–शैक्षिक कृत्य–

(क) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण और अद्यतन करके पाठ यूचयों के विकास में अभिनव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना ; उनके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना ;

(ख) स्वायत्त महाविद्यालयों के कार्यक्रमों का समन्वय करना और उनके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना ;

(ग) विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं के स्तरों को सुधारने की रीति और उपायों को निकालना और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना ;

(घ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाना और समन्वय के द्वारा महाविद्यालयों के शैक्षिक कर्मचारियों के कृत्यों का निरीक्षण करना और उत्कृष्ट पाठ्य-पुस्तकों, प्रबन्धों और सन्दर्भित पुस्तकों आदि के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकायों के बीच प्रभावी शैक्षिक सहयोग और अन्योन्यक्रिया के लिये कार्यक्रमों का विकास करना और राज्य के भीतर और बाहर अध्यापकों और छात्रों की गतिशीलता को सुसाध्य बनाना ;

(च) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश विनियमित करने के विषय पर परामर्श देना ;

(छ) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलकूद, क्रीड़ा, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलापों और अन्य शिक्षणेत्तर क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करना ;

(ज) प्रसार क्रिया-कलापों को प्रोत्साहित करना और विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय योजना और विकास से सुसंगत विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावी परामर्श के माध्यम से विश्वविद्यालयों और उद्योगों के मध्य अन्योन्यक्रिया को प्रोत्साहित करना ;

(झ) राज्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्य करने पर एक पर्यवेक्षणात्मक रिपोर्ट तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, भेजना ;

(ञ) विश्वविद्यालयों में श्रेष्ठता के केन्द्रों की पहचान करना और अति उन्नत क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन की व्यवस्था करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर ज्ञान के उन्नत क्षेत्रो में, जिसमें मोलीकुलर, बायलोजी, जैनेटिक इंजनियरिंग, बायो-टेक्नोलाजी भी सम्मिलित है, श्रेष्ठ संस्थाओं को बढ़ावा देना ;

(ठ) वैज्ञानिक शोध के लिये एक राज्य केन्द्र की स्थापना करना और विश्वविद्यालयों के मध्य शोध क्रिया-कलापों का समन्वय करना ;

(ड) विशिष्ट वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और शिल्प वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिये, प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रारम्भ करना ;

(ढ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् और उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य केन्द्रीय अभिकरणों के साथ सम्पर्क कार्य करना ;

तीन–सलाह कारी कृत्य–

(क) नये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित मानदण्डों के, यदि कोई हों, सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों, राज्य में विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का परीक्षण करना और शैक्षिक कामकाजों के लिये स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रशासन में एकरूपता बनाये रखने के लिये, उपान्तरों का जहां-कहीं अपेक्षित हो, सुझाव देना ;

(ग) उद्योगों, संस्थाओं और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की परामर्श जैसी सेवाओं से स्वतः उत्पन्न होने वाली निधि के माध्यम से सम्पोषित विकास के लिये नवीन कार्यक्रमों की पहचान करना और उन्हें चलाना ;

(घ) राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षा की संस्था को, उच्च शिक्षा और शोध से सम्बन्धित किसी अन्य विषय पर जो वे परिषद् को निर्दिष्ट करे, परामर्श देना ;

(ङ) राज्य सरकार को नये महाविद्यालयों को प्रारम्भ करने और विद्यमान महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषयों और विभागों को प्रारम्भ करने, के लिये परामर्श देना;

चार–वित्तीय कृत्य–

(क) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करना और उनका अनुश्रवण करना ;

(ख) छात्र कल्याण निधि, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों, अन्य छात्रवृत्तियों, यात्रा अनुदान, प्रकाशन अनुदान और ऐसे अन्य अनुदान जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, का प्रबन्ध और विनियमन करना और उससे वित्तीय सहायता स्वीकृत करना ;

(ग) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन अभिकरणों से परिषद् द्वारा प्राप्त शोध निधियों को यदि कोई हो, निर्मुक्त करना और उनका अनुश्रवण करना ;

(घ) संस्थाओं को आत्मनिर्भर और व्यवहार्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार को सलाह देना ।

<u>पांच–अन्य कृत्य</u>

(क) उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनसे सम्बन्धित विषयों के इतिहास को प्रकाशित करना ;

(ख) उच्च शिक्षा और शोध में उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिये आवश्यक ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं :

परिषद् की बैठकें

12–परिषद् उतनी बार जितनी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जैसी विनियमों में व्यवस्था की जाय :

परन्तु परिषद् की तीन मास में कम से कम एक बैठक होगी ।

परिषद् का कर्मचारी वर्ग

13–परिषद् उतनी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगी जितने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायें । परिषद् के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विनियमों में उपबन्धित की जायं ।

परिषद् का बजट

14–परिषद् प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए एक बजट तैयार करेगी और उसे ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी ।

परिषद् की निधि

15-(1) परिषद् की अपनी निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे--

(क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया समस्त धन;

(घ) परिषद् को अनुदानों, उपहारों, दानों, उपकृतियों, वसीयतों या अन्तरणों द्वारा प्राप्त समस्त धन ;

(ङ) परिषद् को किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन ।

(2) निधि में जमा समस्त धन ऐसे बैंकों में जमा किया जायगा या ऐसी रीत से विनियोजित किया जायेगा जैसा कि परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे ।

(3) निधि को परिषद् के व्यय, जिसमें धारा 11 के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन में उपगत व्यय सम्मिलित है, को पूरा करने में लगाया जायगा ।

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा

16-(1) परिषद् का लेखा ऐसी रीति में और ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, रखा जायगा । परिषद् लेखों की एक वार्षिक विवरणी ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगी ।

(2) परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, की जायगी ।

(3) लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिये उपधारा (2) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे विहित किये जायें ।

(4) परिषद् का सदस्य-सचिव लेखा परीक्षा रिपोर्ट को छपवायेगा और उसकी एक छपी हुई प्रति प्रत्येक सदस्य को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट को परिषद् के सामने उसकी अगली बैठक में विचार के लिये रखेगा ।

(5) परिषद्, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित किसी त्रुटि या अनियमितता के उपाय के लिये तत्काल समुचित कार्यवाही करेगी ।

(6) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर परिषद् की अभ्युक्ति के साथ राज्य सरकार को, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाय, भेजी जायेंगे ।

(7) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा ऐसे समय के भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई त्रुटियों को, यदि कोई हो, सुधारने के लिये परिषद् को ऐसी कार्यवाही करने के लिये, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, निदेश दे सकती है, और परिषद् ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट

17–परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक से पहले और ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाय, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट में अगले वित्तीय वर्ष में परिषद् द्वारा विचार किये जाने वाले क्रिया-कलापों का, यदि कोई हो, विवरण भी होगा और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट को उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा । वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी भेजी जायेगी ।

निदेश जारी करने की शक्ति

18–राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक और समीचीन हों, जारी कर सकता है और परिषद् ऐसे समस्त निदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

19–समस्त आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें परिषद् के सदस्य-सचिव या इस निमित्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत परिषद् के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जायेगी ।

गठन आदि में किसी त्रुटि के आधार पर परिषद् की कार्यवाहियां अविधिमान्य न होंगी

20–परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के रहते हुए भी, उसे कार्य करने की शक्ति होगी और परिषद् की कार्यवाहियां इस बात के होते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने, जो सदस्य होने के लिये हकदार नहीं था, परिषद् की कार्यवाही में बैठा, मतदान किया या अन्यथा भाग लिया था, विधिमान्य होगा ।

परिषद् के कर्मचारी और सदस्य लोक सेवक होंगे

21–परिषद् का अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य, सदस्य-सचिव और प्रत्येक कर्मचारी, जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में या तद्धीन बनाये या जारी किये गये, नियमों, विनियमों, आदेशों या निदेशों के अनुसार कार्य करें या कार्य करने के लिये तात्पयित हों, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।

सदभावना से किये गये कार्य का संरक्षण

22–राज्य सरकार, परिषद् या उसके अध्यक्ष या किसी सदस्य या राज्य सरकार या परिषद् के निदेशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य के लिये जो इस अधिनियम के उपबन्धों के या तद्धीन बनाये या जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, या निर्देशों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रत हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

सूचना मांगने की शक्ति

23–परिषद् किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख, जिसे वह उचित समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिषद् की मांगी गयी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख देने के लिये बाध्य होगा ।

अभिलेखों, रजिस्टरों आदि की निरीक्षण करने की शक्ति

24–विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कब्जे में प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज को सदस्य-सचिव या परिषद् द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति देख सकेगा और वह धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियां ले सकता है ।

नियम बनाने की शक्ति

25–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

26–परिषद्, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बना सकती है––

(क) अपनी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित करना ;

(ख) उन समस्त मामलों के लिये जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाएं ;

(ग) केवल परिषद् से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की व्यवस्था करने के लिये जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों में व्यवस्था न हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

27–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, निदेश दे सकती है कि वह अधिनियम, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे व परिष्कार, परिवर्द्धन या लाभ के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन और अपवाद

28-(1) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1995

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 28 तथा खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश प्रताप सिंह–

मैं अपनी डिसेंट नोट करवा रहा हूं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 में पारित किया गया था और उसी के अनुसार विकास कार्य किये जाते रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो अधिनियम 1976 में बनाया गया था उसके द्वारा मकान या सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के किराये का 25 प्रतिशत कर वसूली होती थी। इसमें तमाम अनियमिततायें होती थी और तमाम लोग जैसे कर निरीक्षक जो होते थे वह अनियमितता करते थे और कर की चोरी होती थी या उसमें छूट दे दी जाती थी इससे सरकार को आर्थिक नुकसान होता था इसलिये सरकार ने निर्णय लिया और संशोधित नीति के अनुसार 1995 में यह व्यवस्था की गयी कि स्थल या भवन जो हैं उसके किराये पर

नहीं बल्कि उसकी लागत के एक प्रतिशत से अनधिक कर वसूल किया जाये । तो जो कर में वसूली होती थी उसमें गड़बड़ी को देखते हुए और उसका सुधार करने के लिये यह विधेयक लाया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड–3 व खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 15 मई, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 11 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिये, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के संबंध में आवश्यक समझे, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार ऐसे स्थल जिसमें भवन का स्थल भी सम्मिलित है, के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(क) विक्रय की दशा में, प्रतिफल की राशि,

या

(ख) पट्टे की दशा में, प्रीमियम की राशि,

या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो ।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1995

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड तीन, खण्ड–एक, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और खण्ड–दो, खण्ड–तीन, खण्ड–एक प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने गये)

श्री नन्दलाल पटेल–

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 31-7-1995 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें पहली सूचना श्री भैरों प्रसाद मिश्र की बांदा जनपद में कर्वी जल संस्थान द्वारा बढ़ाये गये टैक्स से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है । दूसरी सूचना श्री राम कुमार शुक्ल की लखनऊ महानगर के हजरतगंज वार्ड में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है । तीसरी सूचना श्री ऊदल की पूर्व विधायक श्री राम अधार राय के पुत्र श्री सतीश राय की बस से ठोकर लगने एवं अस्पताल में लावारिस रूप में हुई मृत्यु के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया है । चौथी सूचना डा० रामबाबू हरित की आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में निः शुल्क सुलभ शौचालयों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है । पांचवी सूचना की नरेश अग्रवाल की जनपद सीतापुर के महमूदाबाद नगर में नेहरू बाल उद्यान पार्क में नेहरू जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाये जाने तथा अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया है ।

श्री सुन्दर लाल लोधी की उत्तर प्रदेश सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । श्री बदन सिंह की सूचना कोषीकला मथुरा में रेलवे कर्मचारियों एवं रेलवे पुलिस बल के मध्य हुए विवाद से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती है ।

जनपद फर्रुखाबाद के कन्नौज नगर में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने विषयक श्री बनवारी लाल दोहरे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध मे वक्तव्य

पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

कन्नौज नगर की विद्युत आपूर्ति कन्ट्रोल द्वारा 220 के० वी० मैनपुरी उपकेन्द्र...

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

। से 132 के० वी० कन्नौज उपकेन्द्र की 4-5 घन्टे की आपात्कालीन कटौती के कारण तथा 132 के० वी० कन्नौज उपकेन्द्र पर लगे 2×5 एम० वी० ए० ट्रांसफार्मरों की ओवर लोडिंग के कारण दो ग्रुप

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में बांटकर विद्युत आपूर्ति की जा रही थी जिसके कारण नगर को 9.30–10 घण्टे की ही विद्युत आपूर्ति हो पा रही थी ।

अब कन्नौज नगर की आपात्कालीन विद्युत कटौती समाप्त कर दी गई है । 132 के० वी० उपकेन्द्र पर स्थापित 2×5 एम० वी० ए० 33/11 के० वी० ट्रांसफार्मरों पर ओवर लोडिंग की समस्या के निदान के लिये इसकी क्षमता 2×5 एम० वी० ए० से बढ़ाकर 1×5–1×10 एम० वी० ए० करने का प्रस्ताव है जिसे संसाधनों की उपलब्धता के बाद ही क्रियान्वित किया जाना सम्भव होगा ।]

जनपद एटा में बदमाशों द्वारा सहकारी बैंक के तीन लाख रुपये लूटने के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त लवानियां, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में वक्तव्य

पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशोक कुमार हुनेरिया, कैशियर, जिला सहकारी बैंक लि०

.....

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[शाखा मारहरा, एटा ने दिनांक 14-7-95 को थाना मारहरा पर यह सूचना दी कि वह जीप संख्या–डी०एल०–4 सी–9467 में निम्नलिखित के साथ बैंक की मुख्य शाखा एटा में तीन लाख रुपये का कैश जमा करने जा रहे थे :–

(1) श्री अब्दुल मन्नान, शाखा प्रबन्धक

(2) श्री शंकर लाल यादव, सिक्योरिटी गार्ड

(3) श्री कमल सिंह

(4) श्री धर्मवीर, जीप चालक

उक्त जीप जब ग्राम मोती की सराय के पास पहुंची तो सड़क पर खड़े पांच अज्ञात व्यक्तियों ने जीप रुकवाने के लिए हाथ दिया । जीप चालक श्री धर्मवीर ने जीप की गति धीमी कर दी और पांचों अज्ञात व्यक्ति जीप में चढ़ आये बावजूद इसके कि उन्हें चढ़ने से मना किया गया । तत्पश्चात् इन पांचों अज्ञात व्यक्तियों ने अपने हाथों में तमंचे निकाल लिये । इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड श्री शंकर लाल

नोटः–[[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सुरक्षात्मक कार्यवाही करता इन बदमाशों में से एक बदमाश ने तमंचे का बट श्री शंकर लाल के सिर पर मार दिया और उसकी बन्दूक छीनकर् उसे जीप से नीचे धकेल दिया । बदमाशों ने कैशियर श्री अशोक कुमार के हाथ से तीन लाख रुपयों से भरा सूटकेस छीनकर उन्हें भी धक्का मारकर जीप से नीचे गिरा दिया । उसके बाद बदमाश जीप को नहर की तरफ ले गये जिसमें बदमाशों के अलावा श्री अब्दुल मन्नान, श्री कमल सिंह तथा जीप चालक धर्मवीर भी थे ।

उपरोक्त सूचना के आधार पर मारहरा थाने के उपनिरीक्षक सिपाहियों सहित घटनास्थल की ओर गये । और इस घटना की सूचना जिले के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आर० टी० सेट के माध्यम से दी । क्षेत्राधिकारी, मारहरा, क्षेत्राधिकारी, पटियाली, क्षेत्राधिकारी, नगर तथा क्षेत्राधिकारी, कासगंज ने अपने पुलिस दल-बल सहित घटनास्थल को चारों तरफ से घेर कर सघन जांच पड़ताल की । इस कार्यवाही के दौरान लगभग 6-00 बजे सायंकाल पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक एस० वी० वी० एल० गन (जो सिक्योरिटी गार्ड से छीन ली गई थी), दो तमंचे, पांच कारतूस तथा 42500/- रुपये के करेन्सी नोट बरामद किये । एक बदमाश (गजेन्द्र) मौके से भागने में सफल हो गया तथा दूसरा बदमाश (सुरेश पुत्र गंगा प्रसाद) लापता हो गया । उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर अभियोग पंजीकृत किये गये । दिनांक 23-7-95 को थानाध्यक्ष माहरहा ने उक्त भागे हुए बदमाश गजेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से खाली सूटकेस और बैंक के कुछ कागजात बरामद किये । इस प्रकार एक बदमाश (सुरेश पुत्र गंगा प्रसाद) अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । सम्भावना यह व्यक्त की गई है कि उक्त घटना सुनियोजित ढंग से की गई है, जिसमें बैंक के कर्मचारी सुरेश पुत्र गंगाराम, देवी सिंह उर्फ वेदराम तथा जीप चालक धर्मवीर ने योजना तैयार की थी । देवी सिंह उर्फ नेता ने दिनांक 22-7-95 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ।

उक्त अभियोगों की विवेचना जारी है । क्षेत्राधिकारी माहरहा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पिछले 2-3 साल में इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई । ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने इस वक्तव्य को पढ़ा है यह घटना 14 तारीख की है और आज महीना पूरा हो रहा है पर अभी तक जो उसमें सबसे शातिर बदमाश है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है इसको देखने से यह भी अफसोस होता है कि उसकी कोई कुर्की वगैरा नहीं हुई है इसका क्या कारण है ? अगर इसकी जानकारी न हो तो कृपया दिखवा लें कि सरकार ने जिसको सबसे शातिर माना है उसके खिलाफ 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसका क्या कारण है उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाय ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, वैसे तो वक्तव्य में सारी बातें आ गयी हैं । मैं माननीय गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि जो भी प्रश्न किया है उसको हमसे अलग से बता दें या लिखकर दे दें हम निर्देश दे देंगे और कार्यवाही तुरन्त हो जायेगी ।

गाजियाबाद नगर में सामूहिक विद्युत आपूर्ति हेतु पावर हाउसों की क्षमता बढ़ाने तथा पुरानी लाइनों को बदलवाये जाने के संबंध में श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में वक्तव्य

पशुधन एवं मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, दिनांक 13-7-95 को 17.05 बजे तक ।

वन, लघु उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

। कमला नेहरू नगर जनपद गाजियाबाद उपस्थान पर विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से चल रही थी इस बीच इस उपस्थान से निम्नलिखित विद्युत व्यवधान हुए:–

17.05 से 18.00 बजे तक	लोकल विद्युत दोष दूर करने के लिए शट डाउन लिया गया था ।
19.50 से 20.10 बजे तक 21.55 से 22.10 बजे तक	132 के०वी० मोहन नगर से विद्युत आपूर्ति की आपात कटौती ।
20.15 से 20.45 तक	ओवर लोडिंग के कारण स्थानीय रोस्टरिंग ।
22.20 से 00.15 बजे	फाल्ट पर ट्रिपिंग । विद्युत आपूर्ति दोष दूर करके 00.15 बजे 14-7-95 को चालू कर दी गई ।

उपरोक्त विद्युत व्यवधान मात्र आकस्मिक तथा कुछ कमला नेहरू उपस्थान की ओवर लोडिंग के कारण था ।

इसी बीच 0.30 बजे कुछ व्यक्तियों ने कमला नेहरू नगर पहुंचकर कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुये दो फीडरों की विद्युत आपूर्ति ठप्प कर दी । भीड़ एस० एस० ओ० से हाथापाई पर उतारू हो गई । इसी बीच एस० एस० ओ० ने पास ही स्थित खण्ड कार्यालय से पुलिस को सूचना दी इस बीच उग्र भीड़ ने उपस्थान पर पथराव शुरू कर दिया तब सुरक्षा गार्ड ने विवश होकर दो हवाई फायर किए । इस बीच पुलिस आ गई और 25 उपद्रवी व्यक्तियों को पकड़कर थाने ले गई तथा पुलिस ने अपनी उपस्थिति में भीड़ द्वारा दोनों बन्द कराए गए पोषकों को चालू कराया ।

नोट:।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सूचना पाकर उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता उपस्थान पर पहुंचे । उन्होंने विद्युत आपूर्ति सामान्य कराकर तथा कर्मचारियों को ढाढ़स बंधाकर कविनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी ।

अत्यधिक भारित 33/11 के०वी० उपस्थान पटेलनगर को छोड़कर गाजियाबाद नगर को सामान्यतया 20-21 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है । कभी-कभी विद्युत उत्पादन कम होने पर रोस्टिंग करना पड़ती है ।

गाजियाबाद नगर में 5 नं० अति भारित 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों में से 2 की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है, एक उपस्थान की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर है तथा 2 पर कार्य संसाधन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ कर दिये जायेंगे । इसी तरह 8 नये प्रस्तावित 11/.4 के०वी० सब-स्टेशनों में से 2 का कार्य कराया जा चुका है, शेष का कार्य-संसाधन उपलब्ध होने पर करा दिया जायेगा ।

गाजियाबाद नगर की विद्युत आपूर्ति को और सुदृढ़ करने के लिए मोहन नगर 132 के०वी० सब-स्टेशन मोहन नगर के 5 एम०वी०ए० भार 132 के०वी० मेरठ रोड उपकेन्द्र पर स्थानान्तरण करने का कार्य प्रगति पर है । इससे भी मोहन नगर की अतिभारिता समाप्त हो जायेगी जिससे कि गाजियाबाद की विद्युत आपूर्ति में और सुधार होगा । ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इस वक्तव्य में जो मैंने मामला उठाया था वह पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में था लेकिन मान्यवर, सम्भवतः वक्तव्य में वह विषय छोड़ दिया गया है और पुरानी लाइनों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो विषय है गाजियाबाद नगर में सामूहिक विद्युत आपूर्ति हेतु पावर हाउसों की क्षमता बढ़ाने तथा पुरानी लाइनों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, पुरानी लाइनों को बदलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं उस पर विचार कर लीजिए ।

जनपद वाराणसी के सेवापुरी ब्लाक के गांवों को प्रशासनिक एवं न्यायिक दृष्टि से जनपद भदोही में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

जनपद वाराणसी को विभाजित करके.....

वन लघु उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[जनपद भदोही का सृजन उत्तर प्रदेश सरकार की अधिनियम संख्या–5-4(1)/78–(338)–रा–5. दिनांक 30-6-94 द्वारा किया गया । नवसृजित जिले का मुख्यालय ज्ञानपुर में रखा गया व इसमें विकास खण्ड ज्ञानपुर भदोही सुरियावां, औराई एवं डीह सम्मिलित किये गये ।

2–जनपद वाराणसी के ब्लाक सेवापुरी के 48 ग्राम थाना क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसार थाना-चौरी, जो पूर्व में जनपद वाराणसी में था, जनपद भदोही में शामिल कर लिया गया, जो अब भी थाना चौरी ही में सम्मिलित है । राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 30-6-94 द्वारा चौरी थाना क्षेत्र नवसृजित जनपद भदोही में पड़ता है तथा इसके समानांतर गृह विभाग द्वारा कथित 48 गांव जनपद भदोही के थाना चौरी में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित नहीं किये गये हैं, अतः ये गांव जिनकी सूची, अधिसूचना के अनुसार संलग्न है, जनपद वाराणसी के थाना चौरी के क्षेत्रान्तर्गत ही है । प्रशासनिक एवं जनहित के दृष्टिगत इन गांवों को जनपद वाराणसी के थाना जन्सा से सम्बद्ध किया जा सकता है । इस विसंगति के समाधान के लिये जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा अपने पत्र संख्या–161/20(9)–94 जे०ए०, दिनांक 9-3-95 द्वारा शासन के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड सेवापुरी के 48 ग्राम, जो चौरी थाना जनपद भदोही से सम्बद्ध हैं, उन्हें जनपद वाराणसी के थाना जन्सा में सम्मिलित कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर न होने, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद की सहमति न होने, निकाले जाने वाले गांवों की प्रवृष्टि संख्या अंकित न होने एवं गांवों को निकाले जाने का कोई औचित्य उपलब्ध न होने के कारण गृह विभाग द्वारा वांछित कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

3–मा० विधायक द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित प्रश्नगत 48 गांवों को वाराणसी जनपद के जन्सा थाने से सम्बद्ध किये जाने विषयक औपचारिक प्रस्ताव की मांग जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी से शासन के गृह विभाग द्वारा उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के माध्यम से की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके स्तर से यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद वाराणसी के थाना चौरी के 48 गांवों की सूची, जिन्हें जनपद वाराणसी के थाना से सम्बद्ध किया जाना है

क्रमांक	सूची क्रमांक	गांवों के अधिसूचित नाम	थाना
1	2	3	4
1	17	सकलपुर	चौरी (थाना नं०–41)
2	18	नीरमपुर	,,
3	19	बनकट	,,
4	20	बेलवा	,,
5	21	बाराडीहा	,,
6	22	कालिका बाड़ा	,,
7	23	चौर	,,
8	24	बजरडीह	,,
9	25	भरहिया	,,
10	26	जगतीपुर	,,
11	28	दुबेपुर	,,
12	29	रघुनाथपुर	,,
13	30	बनौली	,,
14	31	शिव का पुरवा	,,
15	32	लखनसेनपुर	,,
16	33	केवटानपुर	,,
17	34	धोसिला	,,
18	37	उदरहा	,,
19	38	भड़इया	,,
20	39	पूरामझिला	,,
21	40	तारापुर	,,
22	41	हिन्तापुर	,,
23	42	हरिभानपुर	,,
24	43	जगदीशपुर	,,
25	44	नेवादाखास	,,
26	45	सुझलरा	,,
27	46	गैरहा	,,

1	2	3	4
28	47	लोहराडीह	,,
29	48	कपसेठी	,,
30	49	सठेहरा	,,
31	50	कुत्तुपुर	,,
32	51	रसुलहा	,,
33	52	दलपतपुर	,,
34	53	भगौतीपुर	,,
35	54	माधोपुर	,,
36	55	बरसता	,,
37	56	मोकरवा	,,
38	57	नहबानीपुर	,,
39	58	पूरानन्दा	,,
40	59	टटुवा का पुरा	,,
41	60	कमलहा	,,
42	61	दिलावलपुर	,,
43	62	चकलोला	,,
44	63	शिवदासपुर	,,
45	64	टटेहरा	,,
46	65	गहरपुर	,,
47	66	बिडहर	,,
48	100	राधेपुर	,,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगें ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
31 जुलाई, 1995

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 15 का उत्तर पीछे पृ० 26 पर)

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को प्रदत्त अधिकारों का विवरण

1– राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मार्ग-निर्देशिकाओं और जनपद को आवंटित परिव्यय को ध्यान में रखते हुये जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रस्तावित जनपद की वार्षिक योजना के प्रालेख्य को जिला स्तर पर अन्तिम रूप देना,

2– जनपद की समस्त योजनाओं का, जो जिला सेक्टर में हो अथवा राज्य सेक्टर में हो का, प्रत्येक तीन मास में एक बार अनुश्रवण करना,

3– जिले के विभागीय परिव्ययों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित मानकों के आधार पर विभिन्न विकास खण्डों में वितरित करना, जिससे विभिन्न विकास खण्डों की विकास की असमानताओं को समाप्त किया जा सके,

4– प्रत्येक विभाग के विभागीय अधिकारियों से आवश्यकतानुसार सामयिक सूचनायें प्राप्त करना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 21 का उत्तर पीछे पृ० 33 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री राम करन आर्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–21 का संलग्नक।

वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में स्वीकृत बजट के विरुद्ध किये गये व्ययों का विवरण (लाख रुपये में)

क्र०सं०	विवरण	1992-93		1993-94		1994-95	
		स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	स्वीकृत बजट (असम्परीक्षित)	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
वित्तीय							
1	गन्ना पेराई (लाभ कुन्तल)	22.41	17.08	14.00	9.21	14.00	13.33
2	चीनी परता (प्रतिशत)	8.41	8.49	9.50	9.02	9.50	9.40
3	चीनी का उत्पादन (कुन्तल)	188392	144990	133000	83000	133000	125208
व्यय							
1	(अ) गन्ने की लागत	965.29	749.53	620.00	500.25	786.20	865.27
	(ब) अन्य संबंधित व्यय	122.10	97.95	80.93	53.36	85.25	79.57
2	उत्पादन व्यय	24.32	23.42	17.29	13.74	15.51	17.60
3	विद्युत एवं ईंधन	12.00	12.65	15.50	15.92	18.00	21.28
4	पैकिंग व्यय	31.17	27.27	23.60	18.36	28.25	27.39

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
5	(अ) मरम्मत एवं रखरखाव (मशीनरी)	52.50	81.78	65.00	79.16	56.93	50.95
	(ब) मरम्मत एवं रखरखाव (सिविल)	2.00	0.52	6.25	7.34	3.90	4.00
	(स) मरम्मत एवं रखरखाव (अन्य)	2.00	1.92	—	1.46	—	0.55
6	वेतन एवं मजदूरी	168.00	198.12	199.65	192.02	222.95	246.14
7	प्रशासनिक व्यय	12.60	19.73	18.00	19.99	21.50	22.24
8	विक्रय व्यय	6.30	7.57	7.00	6.32	8.08	6.72
9	कार्यशील पूंजी का ब्याज	90.00	67.74	80.00	45.37	64.00	36.43
10	पूंजीगत ऋणों का ब्याज	10.71	10.71	10.71	23.69	33.53	23.69
11	शक्कर विशेष निधि के ऋण का ब्याज	27.07	31.32	30.48	34.16	35.01	35.01
12	चीनी विकास निधि के ऋण तथा अन्य ऋणों का ब्याज	6.00	6.63	6.43	4.74	5.05	1.52
13	ह्रास	14.00	14.22	17.00	12.08	16.00	10.00
	योग	1546.06	1351.18	1197.84	1027.96	1395.73	1448.86

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० 99 का उत्तर पीछे पृ० 61 पर)

वित्तीय वर्ष	वर्ष में शुद्ध हानि (लाख रु०)	वर्ष में नियुक्त नये सीजनल कर्मचारियों की संख्या	
1990-91	255.60		1
1991-92	245.62		—
1992-93	149.21		—
1993-94	18.39		5
1994-95	102.71	(अनुमानित)	4

वर्षवार नियुक्त कर्मचारी का नाम, नियुक्ति का कारण एवं पद निम्नानुसार है :–

वर्ष	नाम	जाति	नियुक्ति का कारण	पद
1	2	3	4	5
	1–श्री दीनानाथ भर	(पिछड़ी)	मृतक आश्रित	अकुशल मजदूर
93–94	2–श्रीमती शीतली देवी	अनु० जाति	मृतक आश्रित	अकुशल मजदूर
	3–श्रीमती सेतरी देवी	पिछड़ी	,, ,,	,,
	4–श्रीमती उत्तमा देवी	सामान्य	,, ,,	,,
	5–श्रीमती घुटुरी देवी	अनु० जाति	,, ,,	,,
	6–श्री गंगासागर	पिछड़ी जाति	,, ,,	,,
94–95	7–श्री गंगासागर यादव	,,	,, ,,	,,
	8–श्री मणिनाथ ठाकुर	,,	,, ,,	,,
	9–श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	सामान्य	,, ,,	,,
	10–श्री दयाशंकर यादव	पिछड़ी जाति	,, ,,	,,

उपरोक्त सीजनल कर्मचारियों की नियुक्ति मृतक कर्मचारी के स्थान पर उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से की गयी है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 149 का उत्तर पीछे पृ० 79 पर)

जनपद गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के क्षतिग्रस्त मार्गों की सूची ।

क्रमांक	मार्ग का नाम	खड़ंजा/वाटर बाउन्ड सतह की लम्बाई जिनका लेपन स्वीकृत नहीं है (ल० कि०मी०)
1	2	3
1	ईश्वरानन्द कुटी–मेहनौन बाजार मार्ग	5.50
2	मध्य नगर पूरे मुरादी पृथ्वीपाल ग्रन्ट मार्ग	6.00
3	रमवापुर नायक से बसारतपुर मार्ग	3.00
4	धानेपुर–विशम्भरपुर मार्ग	2.50
5	रमवापुर नायक से गौसेन्द्रपुर मार्ग	3.00
6	अगया बनकसिया शिवरतन सिंह डुंडाव	8.00
7	रानीपुर तेंदुआ मार्ग	2.00
8	राजापुर–परसौरा मार्ग	4.75
9	मोतीगंज–बगुलही मार्ग	19.00
10	पारासराय देवरिया अलौवल मार्ग	13.20
11	गोकरन शिवाला बलुआ घाट मार्ग	2.00
12	खरगूपुर लोनहवा दरगाह मार्ग	3.00
13	इटिया थोक रूपईडीह मार्ग	3.30
14	धानेपुर पूरे सिधारी इटिया थोक मार्ग	4.80
15	नया गांव सिरेमनोरमा फरेन्दा शुकुल मार्ग	5.80
16	रौतावा पइरी बल्लभन मार्ग	0.60
17	सिधवापुर मार्ग	0.40
18	कुकुरभुकवा इनन्तवा असधा पाठकपुरवा	10.00
19	इटियाथोक खरगूपुर से चौरी परिहार	2.50
20	बलरापुर इटियाथोक मार्ग से करूआपारा	1.00
21	खरगूपुर नौसहरा मार्ग	0.50
22	गोकरन शिवाला भोलाजोत मार्ग	1.00

पी० एस० पू० पी०–एल 182 विधान सभा (451)–1996–572–(डी०टी०पी०) ।